[2018] 11 एस. सी. आर *765*

जोसेफ शाइन

वी.

भारत का संघ

(2017 की लिखित याचिका *(*आपराधिक*)* संख्या *194)*

27 सितंबर, *2018*

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, आर. एफ. नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड और

इंदु मल्होत्रा, जे. जे.*]*

दंड संहिता, *1860: s.497-s. 198 Cr.P.C*-का अपराध

व्यभिचार चाहे असंवैधानिक हो, अनुच्छेद *14,15* और *21* का उल्लंघन करने वाला-आयोजितः *(* प्रति न्यायालय*):* एस. *497* आई. पी. सी. और एस. *198 Cr.P.C.* संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *21* का उल्लंघन होने के कारण,

असंवैधानिक-*(*दीपक मिश्रा, सीजेआई के अनुसार*):* एस. *497* महिलाओं के साथ व्यवहार करता है, पुरुषों के अधीन प्रावधान के तर्क से ग्रस्त है

दृष्टिकोण की तार्किकता का अभाव और इसलिए कला की बुराई से ग्रस्त है। *14* स्पष्ट रूप से मनमाना होना-धारा *497* लिंग रूढ़िवादिता के आधार पर अभेद्य भेद भी पैदा करती है जो एक महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा में सेंध लगाती है और इसलिए कला का अपमान करती है। *21* व्यभिचार का अपराध यू/एस। *497* आई. पी. सी. अपराध की अवधारणा में फिट नहीं बैठता है-यदि इसे अपराध के रूप में माना जाता है, तो वैवाहिक क्षेत्र की अत्यधिक गोपनीयता में भारी घुसपैठ होगी-धारा *198 Cr.P.C.* के संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है

अपराध यू/एस। *497* आई. पी. सी., और इसलिए यह भी असंवैधानिक है *(*प्रति आर. एफ. नरीमन, जे.*):* जिसे 'व्यभिचार' के रूप में दंडित किया जाता है, वह 'व्यभिचार' नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी में एक विवाहित पुरुष का स्वामित्व हित है-पुरातन कानून यू/एस। *497* लंबे समय से अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है और आज की संवैधानिक नैतिकता के साथ मेल नहीं खाता है-यह पूरी तरह से हो गया है

अतार्किक, स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण और इसलिए

कला का उल्लंघन। *14* और *15 (1)*-व्यक्ति की गरिमा कला का एक पहलू है। *21* - एक वैधानिक प्रावधान जो महिलाओं की स्थिति को कम करता है, आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत की अवहेलना करता है और कला का उल्लंघन करने के कारण इसे रद्द किया जाना चाहिए। *21* धारा *198 Cr.P.C* भी है।

भेदभावपूर्ण प्रावधान, संवैधानिक रूप से कमजोर माना जाता है-*(*प्रति

चंद्रचूड़, जेः*) :* यौन स्वायत्तता और निजता के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है-धारा *497*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवाह की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास, एक धारणा को अपनाया है

विवाह जो पुरुष और महिला को समान भागीदार के रूप में नहीं मानता है-धारा *497* इस प्रकार महिला को हीनता के पद के अधीन करती है-संवैधानिक नैतिकता के लिए अदालत से कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी, लिंग और गरिमा के कारण गैर-भेदभाव को लागू करने की आवश्यकता होती है, जो सभी धाराओं के संचालन से प्रभावित होते हैं। *497* इसलिए, एस। *497* आई. पी. सी. कला का उल्लंघन करता है। *14* - यह महिलाओं की भूमिका के बारे में लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित है और गैर-महिलाओं का उल्लंघन करता है।

असंवैधानिक-*(*प्रति इंदु मल्होत्रा, जे.*):* आई. पी. सी. की धारा *497* पुरुषों और महिलाओं दोनों को समाज में समान रूप से स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में मानने में विफल रहती है। *497* आई. पी. सी. इस प्रावधान को मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के आधार पर निरस्त करने के लिए उत्तरदायी बना देगा-कोई भी कानून जो समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करता है या व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है। केवल लिंग के आधार को अनुच्छेद *14* और *15*-गोपनीयता के अधिकार यू/आर्ट के उल्लंघन के रूप में निरस्त किया जा सकता है। *21* इसमें दो वयस्कों का बाहर यौन संबंध बनाने का अधिकार शामिल होगा।

विवाह-गोपनीयता पर आक्रमण यू/आर्ट। *21* , राज्य द्वारा तीन गुना आवश्यकता यानी *(i)* वैधता, *(ii)* आवश्यकता और *(iii)* आनुपातिकता को पूरा करना चाहिए-आई. पी. सी. की धारा *497,* जो आज भी है, तीन गुना आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती है और इसलिए कला का उल्लंघन करती है। *21 – Cr.P.C* की धारा *198 (2)* जिसमें अभियोजन की प्रक्रिया शामिल है।

आई. पी. सी. के अध्याय *XX* के तहत केवल इस हद तक असंवैधानिक होगा कि यह व्यभिचार के अपराध पर लागू होता है। *497* आई. पी. सी.-भारतीय संविधान कला। *14* , *15* और *21.*

भारत का संविधानः

कला. *15 (3)* - सुरक्षात्मक भेदभाव-से-से लागू होता है। *497* आई. पी. सी.-आयोजित *(*प्रतिः आर. एफ. नरीमन, जे.*):* कला. *15 (3)* लागू होने के बाद राज्य द्वारा बनाए गए कानून पर ही लागू होता है

संविधान और "मौजूदा कानूनों" के लिए नहीं। *497* संवैधानिक भाषा में, एक "मौजूदा कानून" है जो कला के आधार पर जारी है। *372 (1)* , लागू करने के लिए, और इसे "राज्य" द्वारा बनाया गया कानून नहीं कहा जा सकता है-*(*प्रति डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*):* - कला. *15 (3)* एक वैधानिक प्रावधान की रक्षा नहीं करता है जो की आड़ में पितृसत्तात्मक धारणाओं को मजबूत करता है

महिलाओं की सुरक्षा-महिलाओं को यू/एस द्वारा दी जाने वाली 'सुरक्षा'।

यौन एजेंसी की कमी को उजागर करता है जिसे अनुभाग एक

(प्रतिः इंदु मल्होत्रा, जे.*):* कला का उद्देश्य। *15 (3)* है।

महिला

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए-धारा *497* नहीं कर सकती

कला के दायरे में आने वाला लाभकारी विधान माना जाएगा। *15 (3) - –*

दंड संहिता, *1860*-एस। *497 .*

कला. *21* – निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार-आयोजितः *(* प्रति इंदु मल्होत्रा, जे.*):* गोपनीयता यू/आर्ट का आक्रमण। *21* , राज्य द्वारा एक ऐसे कानून के आधार पर न्यायसंगत ठहराया जाना चाहिए जो उचित और वैध हो -

इस तरह के आक्रमण को तीन गुना आवश्यकता यानी *(i)* वैधता, *(ii)* आवश्यकता और *(iii)* आनुपातिकता को पूरा करना चाहिए-आई. पी. सी. की धारा *497* को पूरा करने में विफल रहती है।

तीन गुना आवश्यकता-इसलिए, गोपनीयता का अधिकार यू/*Art.21* होगा

इसमें दो वयस्कों का यौन संबंध बनाने का अधिकार शामिल है। विवाह के बाहर-दंड संहिता, *1860*-एस। *497 .*

कला. *21* – गरिमा के साथ जीने का अधिकार-आयोजितः *(* प्रतिः इंदु मल्होत्रा, जे.*):* – गरिमा के साथ जीने के अधिकार में अधिकार भी शामिल है।

राज्य द्वारा सार्वजनिक निंदा और सजा के अधीन नहीं होना जहाँ बिल्कुल आवश्यक हो वहाँ को छोड़कर-दंड संहिता, *1860*-एस। *497 .*

आपराधिक कानूनः

आपराधिक सजा-जब उचित ठहराया जाए तो-आयोजितः *(* प्रतिः इंदु मल्होत्रा, जे.*)*-आपराधिक मंजूरी को उचित ठहराया जा सकता है जहाँ एक

गलत राज्य में सार्वजनिक तत्व को अपराधों के अपराधीकरण में न्यूनतम दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए,

व्यक्तिगत बनाने के लिए व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान

विकल्प-व्यभिचार केवल एक नैतिक गलती है जो पति या पत्नी दोनों के लिए है।

परिवार-यह निर्धारित करने के लिए कि किस आचरण के लिए आपराधिक मंजूरी के माध्यम से राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, राज्य को विचार करना चाहिए।

क्या नागरिक उपचार उद्देश्य को पूरा करेगा-जहां नागरिक उपचार

एक गलत कार्य के लिए पर्याप्त है, यह राज्य दंड संहिता, *1860*-एस द्वारा आपराधिक मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता है। *497* – उपाय।

अनुमानः संवैधानिकता का अनुमानः *(* प्रति इन्दु

मल्होत्रा, जे.*)*-संवैधानिकता की कोई धारणा नहीं होगी।

एक पूर्व-संवैधानिक कानून में-संविधानवाद।

कानूनः

विधान का उद्देश्य-आयोजित *(*दीपक मिश्रा, सीजेआई के अनुसार*)*-ए

कानून को अच्छे जीवन की सेवा और बढ़ावा देना चाहिए-यह उपयुक्त होना चाहिए *[2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और न्यायसंगत ताकि उसे आज्ञाकारिता का अधिकार हो सके।

कानूनः

प्रक्रियात्मक कानून की संवैधानिकता-जब मूल प्रावधान को असंवैधानिक माना जाता है-आयोजित *(*दीपक मिश्रा, सीजेआई के अनुसार*)* जब मूल प्रावधान जाता है, तो प्रक्रियात्मक प्रावधान होता है -

एक ही रास्ता बनाने के लिए।

सिद्धांत/सिद्धांतः

कन्वेंचर का सिद्धांत-समझाया गया।

मैक्सिमः

'सेसैन्ट राशन लेजिस, सेसैट इप्सा लेक्स '-की प्रयोज्यता

शब्द और वाक्यांशः
'व्यभिचार '-का अर्थ।

'अपराध '-का अर्थ।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने
पकड़नाः प्रतिः दीपक मिश्रा, सीजेआई *(*अपने और अपने लिए*)*

ए. एम. खानविलकर, जे.*)* *1.1* कानून में प्रगति और अवधारणात्मक बदलाव वर्तमान को अतीत की ओर एक मर्मस्पर्शी नज़र रखने के लिए मजबूर करता है। हालांकि वहाँ

कानून को प्रबल होने और शासन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। *[*पैरा *2] [804-*सी-डी*]* *1.2* एक संवैधानिक न्यायालय एक मिसाल पर कायम नहीं रह सकता है, क्योंकि विवाद उन मनुष्यों के जीवन से

संबंधित है जो दिव्य रूप से बढ़ते हैं। यह निश्चित रूप से घोषित किया जा सकता है कि परिवर्तनकारी संविधानवाद हर पल खुद पर जोर देता है।

और खुद को अपनी जगह होने का दावा करता है। यह किसी भी प्रकार के प्रतिगामी दृष्टिकोण के लिए घृणित है। सब कुछ दूसरे से देखा जा सकता है।

दृष्टिकोण। जो एक समय पर स्वीकार्य हो सकता है वह दूसरे समय में पूरी तरह से महत्वहीन हो सकता है। हालाँकि, महसूस किया गया परिवर्तन कल्पना या व्यक्तिगत आकर्षण के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि ठोस जोसेफ शाइन *v* पर आधारित होना चाहिए।

भारत का संघ

समाज ने जिन परिवर्तनों को महसूस किया है, जिन क्षेत्रों में विधायिका ने प्रतिक्रिया दी है और जिन अधिकारों पर संवैधानिक अदालतों ने जोर दिया है, उनका आधार है। *[* पैरा *3] [804-*जी-एच*; 805-*ए-बी*]*

1.3 प्रगतिशील न्यायशास्त्र और विस्तार के मापदंडों के भीतर महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करने के बावजूद

संवैधानिक दृष्टि से, न्यायालय यह कल्पना नहीं कर सकता कि महिलाओं को अभी भी पुरुषों की संपत्ति के रूप में माना जा रहा है, और दूसरा, जहां पति और पत्नी के बीच नाजुक संबंध ऐसा नहीं रहता है, तो किसी आपराधिक अपराध में प्रवेश करने और किसी तीसरे पक्ष को दोषी बनाने की अनुमति देना असंभव प्रतीत होता है। *[* पैरा *3] [805-*बी-सी*]*

जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा महिलाओं के अधीनता पर, *1869* अध्याय *1-*संदर्भित।

2.1 महिला के पति को धारा *497* के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पीड़ित व्यक्ति माना गया है।

और आई. पी. सी. की धारा *498*। शेष परंतुक एक अपवाद बनाता है। जब पति अनुपस्थित हो तो शिकायत दर्ज कराने का अधिकार किसके पास है। अपराध संज्ञेय नहीं है। *[* पैरा *11] [811-*डी-ई*]*

2.2 एस के पढ़ने पर। *497* आई. पी. सी. यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं के साथ पुरुषों के अधीन व्यवहार किया जाता है।

कि जब आदमी की मिलीभगत या सहमति होती है, तो कोई अपराध नहीं होता है। यह महिला को एक चटेल के रूप में मानता है। यह उसे मनुष्य की संपत्ति के रूप में मानता है और पूरी तरह से इच्छा के अधीन है।

मास्टर। यह उस सामाजिक प्रभुत्व का प्रतिबिंब है जो दंडात्मक प्रावधान का मसौदा तैयार किए जाने के समय प्रचलित था। *[* पैरा *22] [818-*एफ-जी*]*

2.3 आई. पी. सी. की धारा *497* इसके दायरे में नहीं आती है।

अविवाहित महिला या विधवा के साथ अतिरिक्त वैवाहिक संबंध। "व्यभिचार" का शब्दकोश अर्थ है कि एक विवाहित व्यक्ति व्यभिचार करता है यदि वह किसी ऐसी महिला के साथ यौन संबंध रखता है जिसके साथ उसने विवाह नहीं किया है। व्यभिचार 'एक विवाहित व्यक्ति का अपराधी के पति या पत्नी के अलावा किसी

अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध है। हालाँकि, प्रावधान ने इसे एक प्रतिबंधित बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति, निश्चित रूप से

परिस्थितियों में, व्यभिचार करने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी हो जाता है, जबकि अन्य स्थितियों में, उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है जिसने व्यभिचार किया है ताकि आई. पी. सी. की धारा *497* की दोषसिद्धि को आमंत्रित किया जा सके। *[* पैरा *23] [818-*जी-एच*; 819-*ए-बी*] [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.4 सी. आर. पी. सी. की धारा *198* "पीड़ित व्यक्ति" से संबंधित है। उप.

धारा *198* की धारा *(2)* महिला के पति को आई. पी. सी. की धारा *497* के तहत किए गए अपराध से व्यथित मानती है। और पति की अनुपस्थिति में, कोई व्यक्ति जिसने उस समय अपनी ओर से महिला की देखभाल की थी जब ऐसा अपराध अदालत की अनुमति से किया गया था। यह व्यभिचारी की पत्नी को पीड़ित व्यक्ति नहीं मानता है। अपराध

और एक व्यथित व्यक्ति की परिभाषित परिभाषा पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह तर्कसंगत भी नहीं लगता है और इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि यह पति को पत्नी के साथ अपनी पसंद के अनुसार व्यवहार करने का लाइसेंस प्रदान करता है जो अत्यंत है।

अत्यधिक और असमान। यह एक महिला को उकसाने वाले के रूप में नहीं मानता है, बल्कि एक महिला की रक्षा करता है और साथ ही, यह पत्नी को पति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दायर करने में सक्षम नहीं बनाता है। निस्संदेह, वह दीवानी कार्रवाई कर सकती है लेकिन पति भी दीवानी कार्रवाई करने का हकदार है। हालांकि, यह बचत नहीं करता है प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना है। इस प्रकार, एक ओर यह एक महिला की रक्षा करता है और दूसरी ओर यह दूसरी महिला की रक्षा नहीं करता है। प्रावधान का औचित्य दृष्टिकोण की तार्किकता के अभाव से ग्रस्त है और इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद *14* के स्पष्ट रूप से मनमाने होने से ग्रस्त है।

[पैरा *23] [819-*बी-एफ*]*

शायरा बानो बनाम। भारत संघ और अन्य *(2017) 9*

एससीसी *1: [2017] 7* एस. सी. आर. *797-*अनुसरण किया गया।

मैसूर राज्य बनाम। एस. आर. जयराम *(1968) 1* एससीआर *349;* इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण *(1975)* पूरक एस. सी. सी *1: [1976]* एससीआर *347;* ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य *(1974) 4* एससीसी *3: [1974] 2* एस. सी. आर. *328;* मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *(1978) 1* एससीसी *248: [1978] 2* एससीआर *621;* ए. एल. कालरा बनाम परियोजना और उपकरण

भारतीय निगम लिमिटेड *(1984) 3* एस. सी. सी. *316: [1984]*

3 एस. सी. आर. *646;* अजय हसिया बनाम। खालिद मुजीब सहरावर्दी
(1981) 1 एससीसी *722: [1981] 2* एससीआर *79;* के. आर. लक्ष्मणन बनाम टी. एन. राज्य *(1996) 2* एस. सी. सी. *7 226: [1996] 1* एस. सी. आर. *395;* मिथु बनाम। पंजाब राज्य *(1983) 2* एससीसी *277: [1983] 2* एससीआर *690;* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन *(1978)*

4 एससीसी *494: [1979] 1* एस. सी. आर. *392;* चारू खुराना और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *(2015) 1* एस. सी. सी. *192:*

[2014] 12 एस. सी. आर. *259* का उल्लेख किया गया।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी-संदर्भित।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत का संघ

3. बेटी पर पितृसत्तात्मक राजतंत्र नहीं हो सकता।

महिला की वैचारिक समानता और आवश्यक गरिमा जिसका एक महिला हकदार है। इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन, आई. पी. सी. की धारा *497* प्रभावी रूप से लैंगिक रूढ़ियों के आधार पर दुर्भावनापूर्ण भेद पैदा करके ऐसा ही करती है। महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा में सेंध लगाता है। इसके अलावा, पति की मिलीभगत या सहमति के तत्व पर जोर देना महिलाओं की अधीनता के समान है।

इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करता है। *[* पारस *36,41] [826-*डी-ई; *831-*बी-सी*]*

अरुण कुमार अग्रवाल और एक अन्य वी। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य *(2010) 9* एससीसी *218: [2010] 9* एस. सी. आर. *303;* मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल

(2015) 7 एससीसी *681: [2015] 7* एससीआर *998;* पवन कुमार बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य *(2017) 7* एससीसी *780: [2017] 3* एस. सी. आर. *458;* स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम।

भारत संघ *(2013) 4* एससीसी *1: [2013] 5* एससीआर *111;* शक्ति वाहिनी बनाम। भारत संघ और अन्य *(2018) 7* एस. सी. सी. *192;* के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य वी. भारत संघ और अन्य *(2017) 10* एस. सी. सी. *1;* राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ और अन्य *(2014) 5* एस. सी. सी. *438;* सामान्य कारण *(*एक पंजीकृत समाज*) v.* भारत संघ और एक अन्य *(2018) 5* एस. सी. सी. *1: [2008] 8* एस. सी. आर. *1;* शमीमा फारूकी बनाम। शाहिद खान *(2015) 5* एस. सी. सी. *705-*संदर्भित।

आर वी। आर *(1991) 4* ऑल ईआर *481-*संदर्भित।

लॉर्ड डेनिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ *(*लंदन,

बटरवर्थ्स, *1980)-*संदर्भित।

4.1 " एक अच्छा कानून उपयुक्त और न्यायसंगत होना चाहिए ताकि उसे आज्ञाकारिता का आदेश देने का अधिकार हो सके। ये दो हैं।

खंड, अर्थात्, 'इक्विटी' और 'उपयोगिता'। इस प्रकार, एक अच्छे जीवन की सेवा और बढ़ावा देने के लिए कानून और कानून आवश्यक हैं।

[पैरा 42] [831-एच; 832-ए] [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.2 व्यभिचार को अपराध मानना, राज्य के एक वास्तविक निजी क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा। मौजूदा के तहत

प्रावधान, पति को पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जाता है और पत्नी को पीड़ित के रूप में नजरअंदाज किया जाता है। वर्तमान में, यह प्रावधान एक त्रिपक्षीय भूलभुलैया को दर्शाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहाँ

स्थिति की समानता और मामला दायर करने का अधिकार पत्नी को प्रदान किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में, पूरा परिदृश्य बेहद निजी है। यह दहेज की मांग, घरेलू हिंसा, अनुदान न देने पर किसी को जेल भेजने के विपरीत है।

दूसरी शादी के लिए रखरखाव या शिकायत दर्ज करना। व्यभिचार उपरोक्त अपराधों से अलग आधार पर खड़ा है।

[पैरा 49] [835-सी-डी]

4.3 संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। अदालत ने

यह बहुत स्पष्ट करता है कि यह कानून या कानून नहीं बना रहा है, बल्कि केवल यह कह रहा है कि एक विशेष अधिनियम, यानी व्यभिचार अपराध की अवधारणा में फिट नहीं बैठता है। यदि इसे एक अपराध के रूप में माना जाता है, तो वैवाहिक क्षेत्र की चरम गोपनीयता में भारी घुसपैठ होगी। तलाक के लिए एक आधार के रूप में छोड़ दिया जाना बेहतर है। किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए, जैसा कि संसद ने महसूस किया है या कर सकती है। समय आने पर, इसे एक आपराधिक अपराध के रूप में मानने से संविधान के अनुच्छेद *21* के दो पहलुओं, अर्थात् पति और पत्नी की गरिमा, जैसा भी मामला हो, और दोनों के बीच संबंधों से जुड़ी गोपनीयता का उल्लंघन होगा। *[पैरा 49] [835-ई-एफ]*

4.4 व्यभिचार के मामले में, कानून पक्षों से वफादार रहने और पूरे समय निष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा करता है और व्यभिचारी भी बनाता है। अपराधी। कानून द्वारा यह अपेक्षा एक आदेश है जो गोपनीयता के मूल में आता है। इसके अलावा, यह एक भेदभावपूर्ण आदेश है और एक सामाजिक-नैतिक भी। दो व्यक्ति उक्त आधार पर अलग हो सकते हैं लेकिन उसी के साथ आपराधिकता जोड़ना अनुचित है।

[पैरा 53] [837-सी-डी]

4.5 जब विवाह के पक्षकार रिश्ते के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता खो देते हैं, तो यह विवाह में एक सेंध लगाता है और यह पक्षकारों पर निर्भर करेगा कि वे स्थिति से कैसे निपटते हैं। कुछ दोषमुक्त हो सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं और कुछ तलाश कर सकते हैं

तलाक। यह अपने चरम पर बिल्कुल गोपनीयता का मामला है। सजा के सिद्धांत, चाहे निवारक हों या सुधारात्मक, स्थिति को नहीं बचा पाएँगे। यदि उनमें से किसी एक या जोसेफ शाइन *v* को सजा दी जाती है, तो सजा से प्रतिबद्धता स्थापित होने की संभावना नहीं है।

भारत का संघ

तीसरा पक्ष। व्यभिचार, कुछ स्थितियों में, एक दुखी विवाह का कारण नहीं हो सकता है। यह परिणाम हो सकता है। यह मुश्किल है

ऐसी स्थितियों की पूर्ण रूप से कल्पना करें। जिस मुद्दे को निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या उक्त 'अधिनियम' को आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब कुछ अवसरों पर, यह कारण हो सकता है और कुछ स्थितियों में, यह परिणाम हो सकता है। यदि इस अधिनियम को एक अपराध के रूप में माना जाता है और सजा का प्रावधान किया जाता है, तो यह उन लोगों को दंडित करने के समान होगा जो वैवाहिक संबंधों में नाखुश हैं और कोई भी कानून जो व्यभिचार को अपराध बना देगा, दोनों व्यक्तियों को अंधाधुंध रूप से दंडित करना होगा जिनके विवाह टूट गए हैं और साथ ही उन व्यक्तियों को जिनके विवाह टूट गए हैं।

नहीं हैं। व्यभिचार को अपराध के रूप में दंडित करने वाला कानून इन दो प्रकार के विवाहों के बीच अंतर नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा कानून बनने के लिए बाध्य है जो स्पष्ट मनमानेपन के दायरे में आएगा। *[* पैरा *54] [837-*ई-एच*; 838-*ए-बी*]*

4.6 अपराध के दृष्टिकोण से व्यभिचार के बारे में सोचना एक प्रतिगामी कदम होगा। यह न्यायालय रास्ते पर चला है परिवर्तनकारी संविधानवाद और इसलिए, एक टाइम मशीन में एक अलग युग में बैठना बिल्कुल अनुचित है जहां मशीन प्रतिगमन के रास्ते पर चलती है। इसलिए, व्यभिचार को अपराध के रूप में मानना कानून में अनुचित होगा। *[* पैरा *55] [838-*सी-डी*]*

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड

और एक और वी। ब्रोजो नाथ गांगुली *(1986) 3* एस. सी. सी. *156: [1986] 2* एस. सी. आर. *278;* सामान्य कारण *(*एक पंजीकृत सोसायटी*) v.* भारत संघ और दूसरा *(2018) 5* एस. सी. सी.

1 : [2008] 8 एस. सी. आर. *1-*निर्भर।

पिनाकिन महिपत्रेय रावल बनाम। गुजरात राज्य *(2013)*

10 एस. सी. सी. *48 [2013] 10* एस. सी. आर. *305;* घुसाभाई

रायसंगभाई चोरसिया बनाम। गुजरात राज्य *(2015) 11* एससीसी *753: [2015] 2* एस. सी. आर. *594-*संदर्भित।

" आपराधिक देयता के सिद्धांत "इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून, चौथा संस्करण। , खण्ड. *11* पी। *11 ,;* केनी की आपराधिक कानून की रूपरेखा, *19* वीं संस्करण। , *1966* जे. डब्ल्यू. सेसिल टर्नर द्वारा -

संदर्भित किया गया।

5. जैसा कि अदालत ने माना है कि आई. पी. सी. की धारा *497* है

असंवैधानिक और व्यभिचार को अपराध के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, धारा *198* सीआरपीसी घोषित करना उचित है जो *[2018] 11* एस. सी. आर. से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

व्यभिचार असंवैधानिक है। जब मूल प्रावधान चला जाता है, तो प्रक्रियात्मक प्रावधान को वही रास्ता बनाना पड़ता है। *[* पैरा *56] [838-*एफ*]*

सौमित्र विष्णु बनाम। भारत संघ और एक अन्य *(1985)* पूरक एस. सी. सी. *137: [1985]* पूरक। एस. सी. आर. *741;* वी. रेवती बनाम भारत संघ और अन्य *(1988) 2* एससीसी *72: [1988] 3*

एस. सी. आर. *73-*खारिज।

यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम। बॉम्बे राज्य *1954* एस. सी. आर. *930;* डब्ल्यू. कल्याणी बनाम। पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य और एक अन्य *(2012) 1* एस. सी. सी. *358;* दाउदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड और एक अन्य *v.* महाराष्ट्र राज्य और दूसरा *(2005) 2* एस. सी. सी. *673: [2004] 6* पूरक। एस. सी. आर. *1054;* डब्ल्यू. कल्याणी बनाम राज्य के पुलिस निरीक्षक और

एक अन्य *(2012) 1* एस. सी. सी. *358-*संदर्भित।
प्रतिः आर. एफ. नरीमन, जे. *(*सहमत*)*

1. व्यभिचार का अपराध केवल तीसरे पक्ष के पुरुष को दंडित करता है।

राज्य को विशेष प्रावधान करने से रोकेगा महिलाएँ, "राज्य" को संसद या राज्य विधानमंडलों या केंद्र की कार्यकारी सरकार के रूप में संदर्भित करती हैं।

या संविधान के लागू होने के बाद उसके तहत स्थापित राज्य। धारा *497,* संवैधानिक भाषा में, एक "मौजूदा कानून" है जो अनुच्छेद *372 (1)* के आधार पर लागू होता है, और इसलिए, इसे "राज्य" द्वारा बनाया गया कानून नहीं कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में से कोई भी। अनुच्छेद *15 (3)* कानून बनाने वाले राज्य को संदर्भित करता है जो इसलिए, स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं। मौजूदा कानून। इस संबंध में अनुच्छेद *15 (3)* अनुच्छेद *16 (4)* के समान है। अनुच्छेद *19 (2)-(6)* स्पष्ट रूप से "मौजूदा कानून" को "कोई भी कानून बनाने वाले राज्य" से अलग होने के रूप में संदर्भित करता है, जो दर्शाता है कि कोई भी कानून बनाने वाला राज्य "मौजूदा कानून" के विपरीत संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए कानून होंगे, जो कि पूर्व-संवैधानिक जोसेफ शाइन *v* हैं।

भारत का संघ

संविधान के लागू होने से पहले अधिनियमित कानून, जैसा कि अनुच्छेद *366 (10)* में निहित "मौजूदा कानून" की परिभाषा से स्पष्ट है। अनुच्छेद *15 (3)* और *16 (4)* के बीच भाषा में महत्वपूर्ण अंतर

एक ओर, और दूसरी ओर अनुच्छेद *19 (2)-(6)* को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। *[* पारस *12-15] [851-B-C; 852-D; 853-D]*

यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम। राज्य *1954* एस. सी. आर. *930;* दत्तात्रेय मोतीराम मोरे बनाम। स्टेट ऑफ बॉम्बे एयर *1953* बम *311*

- संदर्भित किया गया है

3.1 व्यभिचार के अपराध का गठन करने के लिए, निम्नलिखित को स्थापित किया जाना चाहिएः एक के बीच यौन संबंध

विवाहित महिला और एक पुरुष जो उसका पति नहीं है; जो पुरुष विवाहित महिला के साथ यौन संबंध रखता है, उसे पता होना चाहिए या यह मानने का कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है; इस तरह का संभोग उसकी सहमति से होना चाहिए, अर्थात। , यह बलात्कार नहीं होना चाहिए; विवाहित महिला के साथ यौन संबंध उसके पति की सहमति या सहमति के बिना होना चाहिए। *[* पैरा *21] [857-*डी-एफ*]*

3.2 इनके सरसरी पढ़ने से क्या स्पष्ट होता है

सामग्री यह है कि एक विवाहित पुरुष, जो यौन संबंध रखता है

अविवाहित महिला या विधवा के साथ व्यभिचार का अपराध नहीं करता है। इसके अलावा, यदि कोई पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति या मिलीभगत से यौन संबंध बनाता है, तो वह व्यभिचार का अपराध नहीं करता है। व्यभिचार करने वाली महिला की सहमति केवल यह दिखाने के लिए सामग्री है कि अपराध कोई अन्य अपराध नहीं है, अर्थात् बलात्कार। *[* पैरा *22] [857-*जी*]*

3.3 यह पुरातन कानून लंबे समय से अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है और करता है।

यह आज की संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया था, वह तब से स्पष्ट रूप से मनमाना हो गया है, बहुत पहले अपना तर्क खो चुका है और आज के दिन और युग में पूरी तरह से तर्कहीन हो गया है। केवल इसी आधार पर, कानून को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ, अनुच्छेद *14* अमल में आता है और इस तरह के कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के रूप में रोकता है। एक कानून को स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। *[* पैरा *23] [858-*एफ-जी*]*

3.4 अतः यह स्पष्ट है कि धारा *497* का प्रत्यक्ष उद्देश्य, जैसा कि राज्य द्वारा अनुरोध किया गया है, धारा *497* की रक्षा और संरक्षण करना है।

विवाह की पवित्रता, वास्तव में धारा *497* का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है।

विवाहित पुरुष द्वारा अविवाहित महिला या विधवा के साथ यौन संबंध बनाने से विवाह की पवित्रता पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। इसके अलावा, यदि पति इस तरह के यौन संभोग में सहमति देता है या साजिश करता है, तो अपराध नहीं किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि यह विवाह की पवित्रता नहीं है जिसे संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि पति का स्वामित्व अधिकार है। दूसरा, कोई भी निवारक प्रभाव मौजूद नहीं दिखाया गया है, या कभी भी मौजूद नहीं है, जो एक राज्य के लिए एक वैध विचार हो सकता है

आपराधिक कानून। इसके अलावा, स्पष्ट मनमानेपन उन मामलों में भी व्यापक है जहां अपराधी एक विवाहित महिला होती है जिसकी शादी टूट गई है, जिसके परिणामस्वरूप वह अब अपने पति के साथ नहीं रहती है, और वास्तव में, अपने पति के खिलाफ न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री प्राप्त कर सकती है।

तलाक दिया जा रहा है। यदि, इस अवधि के दौरान, वह किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, तो दूसरा पुरुष तुरंत अपराध का दोषी होता है। *[* पैरा *24] [859-*बी-ई*]*

3.5 आई. पी. सी. की धारा *497* भी भेदभावपूर्ण है और इसलिए, अनुच्छेद *14* और अनुच्छेद *15 (1)* का उल्लंघन है। इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए एक महिला को संपत्ति के रूप में मानने में, यह स्पष्ट है कि इस तरह का प्रावधान महिलाओं के साथ केवल लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और इसे इस आधार पर भी निरस्त किया जाना चाहिए। *[* पैरा *25] [859-*ई-एफ*]*

शायरा बानो बनाम। भारत संघ और ओआरएस। *(2017) 9* एससीसी *1: [2017] 7* एससीआर *797;* न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और आन्र। वी. भारत संघ और ओआरएस। *(2017) 10* एससीसी *1:*

[2017] 10 एससीआर *569-*पर निर्भर।

4. व्यक्ति की गरिमा, जिसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद *21* का एक पहलू है।

संविधान। राजघराने से संबंधित एक वैधानिक प्रावधान अतीत जो एक महिला की स्थिति को नीचा दिखाता है या नीचा दिखाता है, स्पष्ट रूप से आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत की अवहेलना करता है और इसे इस आधार पर भी खारिज किया जाना चाहिए। *[* पैरा *26] [863-*डी-ई*]*

5. धारा *198,* सी. आर. पी. सी. भी एक स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण प्रावधान है, जिसमें यह अकेले पति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति है जो इस अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। नतीजतन, धारा *198* को भी संवैधानिक रूप से कमजोर माना जाना चाहिए। *[* पैरा *25] [859-*एफ-जी*]*
6. पुरुष के प्रलोभक होने और महिला के पीड़ित होने की प्राचीन धारणाएँ निर्णय में व्याप्त हैं, जो कोई जोसेफ शाइन *v* नहीं है।

भारत का संघ

आज का मामला लंबा है। बदलते समय ने कानून को नहीं छोड़ा है

जहाँ तक दंडात्मक कानून में सुधार किए जाने पर कानून निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने की बात है, तब भी जब *1973* में सीआरपीसी को पूरी तरह से बदल दिया गया था, तब भी धारा *198* क़ानून की पुस्तक में

बनी रही। आज भी आई. पी. सी. की धारा *497* क़ानून की पुस्तक में बनी हुई है। जब ये धाराएं पूरी तरह से पुरानी हो जाती हैं और अपने उद्देश्य को पूरा कर लेती हैं, तो न केवल रोमन कानून का सिद्धांत, "सेसांते राशन लेजिस, सेसैट इप्सा लेक्स", ऐसे कानून को बाधित करने के लिए लागू होता है, लेकिन जब ऐसा कानून संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है, तो यह है

इस न्यायालय का गंभीर कर्तव्य है कि वह विधान की प्रतीक्षा न करे बल्कि ऐसे कानून को निरस्त करे। *[* पैरा *28] [864-*बी-डी*]* *7.* अतः आई. पी. सी. की धारा *497* और दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* की धारा *198* अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती हैं।

15 (1) , और भारत के संविधान के *21* और इसलिए, अमान्य होने के रूप में निरस्त कर दिए गए हैं। *[* पैरा *28] [864-*एफ-जी*]*

सौमित्र विष्णु बनाम। भारत संघ और एएनआर। *(1985)* एस. सी. सी. *137: [1985]* पूरक। एस. सी. आर. *741;* वी. रेवती बनाम भारत संघ और ओआरएस। *(1988) 2* एससीसी *72: [1988] 3* एससीआर *73*

खारिज कर दिया।

चार्कल्स ए. टिंकर बनाम फ्रेडरिक एल. कोलवेल *193* यू. एस. *473 (1904);* प्रिचर्ड बनाम। प्रिचर्ड और सिम्स *[1966] 3* सभी

मनु *150* के नियम *(*जी. बुहलर द्वारा अनुवादित*)* क्लेरेंडन प्रेस, यू. के., *1886);* धर्मसूत्र-अपस्तंब, गौतम, बौधायन और वशिष्ठ के कानून संहिता *70-71 (*पैट्रिक ओलिवेले, ऑक्सफोर्ड द्वारा अनुवाद*)*

क्लाइंट, *23* हार्वर्ड महिला कानून पत्रिका *1,21-22 (2000);* भारतीय कानून द्वारा तैयार एक दंड संहिता आयुक्त, और परिषद *91-93 (GH)* में भारत के गवर्नर जनरल की कमान द्वारा प्रकाशित। हटमैन, द बंगाल मिलिट्री ऑर्फन प्रेस, *1837-*संदर्भित।

[2018] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, जे. *(*सहमत*)*

1. महिलाओं के अधिकारों पर निर्णय लेने में, न्यायालय को उन संस्थानों और मूल्यों की दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए जिन्होंने मजबूर किया है

2. न्यायालय ने स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत पसंद के अधिकार को प्रधानता प्रदान करने वाले अधिकारों का एक न्यायशास्त्र विकसित किया है। यौन स्वायत्तता और निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। *[* पैरा *4] [866-*जी*; 867-*ए*]*

3. धारा *497* के इतिहास से पता चलता है कि व्यभिचार पर कानून पति के लाभ के लिए था, ताकि वह स्वामित्व हासिल कर सके।

महिला अपनी यौन एजेंसी का अभ्यास करने से। इस प्रकार, धारा *497* की कल्पना कभी भी महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए नहीं की गई थी। वास्तव में, यह प्रावधान महिलाओं और उनकी अधीनस्थ भूमिका के बारे में रूढ़ियों में डूबा हुआ है शादी में। व्यभिचार पर कानून के पितृसत्तात्मक आधार तब स्पष्ट हो जाते हैं जब प्रावधान को समग्र रूप से माना जाता है। *[* पैरा *7] [869-*सी-डी*]*

4. धारा *497,* की पवित्रता की रक्षा करने के अपने प्रयास में

विवाह ने विवाह की एक धारणा को अपनाया है जो पुरुष और महिला को समान भागीदार नहीं मानता है। यह महिला के अपने पति की इच्छा के अधीन होने पर आगे बढ़ता है। ऐसा करने में, धारा *497* महिला को हीनता के पद के अधीन करती है जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, जो कि अनुच्छेद *21* का मूल है। *[* पैरा *11] [872-*जी-एच*; 873-*ए-बी*]* *5.* दंड संहिता, *1860* की धारा *497* व्यभिचार को एक दंडनीय अपराध बनाती है "जिसके साथ भी यौन संबंध है।

एक व्यक्ति जो है और जिसे वह जानता है या जिसके पास विश्वास करने का कारण है

उस पुरुष की सहमति या सहमति के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी बनें। इसमें आगे कहा गया है कि, "ऐसे मामले में पत्नी को उकसाने वाले के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा।" अपराध केवल व्यभिचार करने वाले पुरुष पर लागू होता है। व्यभिचार करने वाली महिला को अपराध के लिए "उत्प्रेरक" नहीं माना जाता है।

व्यभिचार के लिए मुकदमा केवल महिला के पति के पास रहता है। *[* पैरा *14] [875-*बी-सी*]*

6. व्यभिचार का इतिहास पुरुष और महिला बेवफाई के प्रति असमान दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, और कानून और नैतिकता में दोहरे मानक को प्रकट करता है जो पुरुषों और महिलाओं पर लागू किया गया है। *[* पैरा *14] [875-*डी*]*

प्रावधान के शब्दों को "जो कोई भी किसी के जीवनसाथी के साथ यौन संबंध रखता है" के साथ प्रतिस्थापित करके लिंग-तटस्थ बनाया जाए। दूसरा व्यक्ति व्यभिचार का दोषी है। समिति ने अपराध को निरस्त नहीं करने, बल्कि लिंगों के लिए दायित्व को बराबर करने के पहले के प्रस्तावों का समर्थन किया। न ही कानून की सिफारिशें

अत्यंत हानिकारक। मुकदमा चलाने की शक्ति केवल पति के पास है *(*और उन मामलों में पत्नी के पास नहीं जहां उसका पति व्यभिचार करता है*),* और क्या अपराध स्वयं किया गया है यह इस बात पर निर्भर करता है कि पति कथित रूप से व्यभिचार के लिए सहमति देता है या नहीं। *[* पैरा *23] [882-*बी-सी*;* एफ*]*

8. इसलिए, कानून में महिलाओं के लिए एक सीमित स्थान हैः उन पर व्यभिचार करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है

अपने पति की संपत्ति के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर इससे व्यथित। धारा *497* यौन रूढ़िवादिता पर भी आधारित है जो महिलाओं को निष्क्रिय और यौन एजेंसी से रहित के रूप में देखती है। प्रभावी रूप से, भारतीय न्यायशास्त्र ने लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी की व्याख्या भेदभाव के औचित्य के रूप में की है। उपचारः पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग व्यवहार करना, अंततः, महिलाओं के हितों में कार्य

करना है। महिलाओं के लाभ के लिए काम करने वाले "विशेष प्रावधान" के रूप में धारा *497* की स्थिति, इसलिए,

यह परोपकारी पितृसत्ता का एक आदर्श उदाहरण है। *[* पैरा *24] [882*-एफ-जी; *883*-ए-बी*] [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोकतंत्र, संवैधानिक नैतिकता के लिए कुछ अधिकारों के आश्वासन की आवश्यकता होती है जो समाज के सभी सदस्यों के स्वतंत्र, समान और गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं। संवैधानिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए न्यायालय को लागू करने की आवश्यकता होती है कानून के समक्ष समानता, लिंग के कारण भेदभाव न करने और गरिमा की संवैधानिक गारंटी, ये सभी धारा *497* के संचालन से प्रभावित हैं। *[* पैरा *25] [883*-सी-डी*]*

10. दुनिया भर के कई देशों ने व्यभिचार कानूनों की लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रकृति के साथ-साथ इस आधार पर कि वे गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, व्यभिचार के अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए उपाय किए हैं। हालांकि,

प्रगतिशील कार्रवाई मुख्य रूप से इस आधार पर की गई है कि व्यभिचार को दंडित करने वाले प्रावधान या तो कानून के बावजूद या उनके कार्यान्वयन में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं। व्यवहार में एक अधिक समतावादी समाज प्राप्त करने की दिशा में सुधार संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा किए गए सक्रिय उपायों द्वारा भी संचालित किया गया है, जहां इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसा प्रतीत भी होता है

व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान

11. दंड संहिता की धारा *497* के तहत अपराध का गठन करने वाला कार्य एक पुरुष है जो एक पुरुष के साथ यौन संबंध बनाता है। महिला जो "दूसरे पुरुष की पत्नी" है। अपराध उत्पन्न होने के लिए, संभोग में संलग्न पुरुष को या तो पता होना चाहिए या

यह मानने का कारण है कि महिला शादीशुदा है। यद्यपि एक पुरुष ने एक विवाहित महिला के साथ संभोग किया है, लेकिन व्यभिचार का अपराध अस्तित्व में नहीं आता है जहां उसने अपने पति की सहमति या मिलीभगत से ऐसा किया था। धारा *497* के इन अवयवों ने कई विशेषताओं को उजागर किया है जो धारा *497* पर असर डालती हैं।

अनुच्छेद *14* के तहत इसकी वैधता को चुनौती देना। यह तथ्य कि एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन संबंध सहमति से होता है, जोसेफ शाइन *v* का नहीं है।

भारत का संघ

अपराध के लिए महत्व, यदि अपराध के तत्व स्थापित हैं। विधायिका ने जिसे एक आपराधिक अपराध के रूप में गठित किया है, वह एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन संभोग का कार्य है जो "दूसरे पुरुष की पत्नी" है। *[*पैरा *30] [893-*डी-एफ*]*

12. कोई अपराध मौजूद नहीं है जहाँ एक आदमी जिसका अस्तित्व है

वैवाहिक संबंध एकल महिला के साथ यौन संबंध में संलग्न होता है। हालाँकि व्यभिचार को संबंधित अपराध माना जाता है।

विवाह के लिए, विधायिका एक विवाहित पुरुष और एक एकल महिला के बीच यौन संभोग को दंडित नहीं करती थी। भले ही ऐसे मामले में पुरुष का जीवनसाथी हो, लेकिन अपराध के दायरे को परिभाषित करने के लिए इसकी कोई कानूनी प्रासंगिकता नहीं मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रावधान इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि महिला केवल एक संपत्ति है; अपने पति की संपत्ति। तथ्य यह है कि वह शादी के बाहर यौन संबंध बना रहा है। कानून का परिणाम। जिस महिला के साथ वह शादीशुदा है, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है, शिकायत करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। यदि यौन कृत्य में शामिल महिला विवाहित नहीं है, तो कानून इसे बेपरवाह मानता है। कानून का आधार यह है कि यदि कोई महिला किसी विवाहित पुरुष की संपत्ति नहीं है, तो उसके कार्य को निम्नानुसार नहीं माना जाएगा -

परिभाषा के अनुसार 'व्यभिचारी' होना। *[*पैरा *30] [893-*जी*; 894-*ए-बी*]*

13. धारा *497* विनाशकारी है और एक महिला को उसकी एजेंसी, स्वायत्तता और गरिमा से वंचित करती है। यदि कानून का स्पष्ट उद्देश्य 'विवाह की संस्था' की रक्षा करना है, तो यह उस महिला की एजेंसी को मान्यता नहीं देने का कोई औचित्य प्रदान नहीं करता है, जिसका जीवनसाथी विवाह के बाहर यौन संबंध में लगा हुआ है।

वह न तो शिकायत कर सकती है और न ही यह तथ्य कि वह अपराध के तत्वों के लिए किसी भी महत्व के पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध में है। कानून उस विवाहित महिला को भी उसकी एजेंसी से वंचित करता है जो किसी अन्य पुरुष के साथ यौन कृत्य में लिप्त है। उसे अपने पति की संपत्ति माना जाता है। यही कारण है कि अगर उसका पति शादी के बाहर उसके यौन संबंध के लिए सहमति देता है तो व्यभिचार का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इससे भी बदतर, अगर जीवनसाथी महिला की उस व्यक्ति के साथ सांठगांठ थी जिसके साथ उसने यौन संबंध बनाए हैं, कानून पलक झपकाता है। इस प्रकार धारा *497* इस धारणा पर आधारित है कि एक महिला शादी करके अपनी आवाज, स्वायत्तता और एजेंसी खो देती है। प्रावधान पर स्पष्ट मनमानेपन को व्यापक रूप से लिखा गया है।

*[*पैरा *32] [894-*डी-जी*] [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. व्यभिचार पर कानून का आधार बनने वाली परिकल्पना पितृसत्तात्मक व्यवस्था का निर्वाह है। धारा *497* नैतिकता की धारणा पर आधारित है जो उन मूल्यों के अनुरूप नहीं है जिन पर संविधान की स्थापना की गई है। स्वतंत्रताएँ जिनकी संविधान पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से गारंटी देता है। धारा *497* को लागू करते हुए, विधायिका ने विवाह की संस्था की रक्षा के लिए एक स्पष्ट प्रयास किया। संवैधानिक शासन में

विवाह पति-पत्नी की समानता पर आधारित होता है। उनमें से प्रत्येक को उसी स्वतंत्रता का अधिकार है जिसकी गारंटी भाग *III* देता है। उनमें से प्रत्येक को अपनी अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है और प्रत्येक के पास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। पूर्ति के लिए मानव इच्छा। धारा *497* इस समझ पर आधारित है कि विवाह महिला की पहचान को नष्ट कर देता है। यह वैवाहिक अधीनता की धारणा पर आधारित है। इन धारणाओं को मान्यता देने, स्वीकार करने और लागू करने में, धारा *497* संविधान के लोकाचार के साथ असंगत है। धारा *497* एक महिला को उसके जीवनसाथी का अधिकार मानती है। जिन आवश्यक मूल्यों पर संविधान की स्थापना की गई है-स्वतंत्रता, गरिमा और समानता-विवाह के इस तरह के दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दे सकते हैं। धारा *497* स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है। *[* पैरा *35] [897-*ए-डी*]*

15. दंड संहिता के अध्याय *XX* में प्रावधान को शामिल करते हुए-"विवाह से संबंधित अपराधों"-विधायिका ने अपराध को विवाह के बारे में एक अंतर्निहित धारणा पर आधारित किया है। कानून जिस धारणा का प्रस्ताव करता है और जिसके लिए यह दंडात्मक कानून के प्रतिबंध लगाता है, वह यह है कि वैवाहिक संबंध महिला की भूमिका और स्थिति को अधीनस्थ करता है। विवाह के उस दृष्टिकोण में, महिला निर्णय लेने, विकल्प चुनने और अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र अभिव्यक्ति देने की क्षमता से वंचित है। मानव कामुकता पहचान का एक अनिवार्य पहलू है। कामुकता के मामलों में विकल्प अभिव्यक्ति के लिए मानव इच्छा को दर्शाते हैं। इस प्रकार कामुकता के मामलों में स्वायत्तता एक गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व के लिए आंतरिक है। मानव गरिमा दोनों की स्वायत्तता को पहचानती है और उसकी रक्षा करती है यौन विकल्प बनाने में व्यक्ति। किसी व्यक्ति की यौन पसंद स्पष्ट रूप से समाज में दूसरों पर थोपी नहीं जा सकती है और सहमति देने वाले पक्षों द्वारा स्वैच्छिक स्वीकृति पर आधारित होती है। *[* पैरा *36] [897-*ई-एफ*; 898-*ए*]*

16. धारा *497* महिला को इन मौलिक विकल्पों को करने की क्षमता से वंचित करती है, यह मानते हुए कि यह केवल पुरुष है।

एक वैवाहिक संबंध में जो अपने जीवनसाथी के लिए जोसेफ शाइन *v* रखने के लिए सहमति दे सकता है।

दूसरे के साथ यौन संबंध। धारा *497* यौन स्वायत्तता की अवहेलना करती है जो प्रत्येक महिला के पास उसके अस्तित्व की एक आवश्यक शर्त के रूप में होती है। एक समान में एक समान भागीदार होने से दूर

रिश्ते में, वह पूरी तरह से अपने जीवनसाथी की इच्छा के अधीन है। इस प्रावधान को विधायिका द्वारा विवाह की संस्था की रक्षा के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यह विवाह की एक धारणा पर आगे बढ़ता है जो एकतरफा है और जो वैवाहिक संबंध में महिला के लिए एजेंसी से इनकार करता है। विवाह के भीतर और उससे संबंधित हर पहलू पर चुनाव करने की क्षमता मानव स्वतंत्रता और गरिमा का एक पहलू है। जिसकी संविधान रक्षा करता है। महिला को उस क्षमता से वंचित करने और केवल पुरुष में ही इसे मान्यता देने में, धारा *497* विवाह पर इसके अनुप्रयोग में पर्याप्त समानता के सार को पूरा करने में विफल रहती है। विवाह के पक्षकारों के बीच अधिकारों और अधिकारों की समानता संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

धारा *497* समानता की उस मूल भावना का उल्लंघन करती है और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है। *[* पैरा *36] [898-*ए-डी*]*

17. प्रक्रियात्मक विधि जो धारा में अधिनियमित की गई है।

198 दंड प्रक्रिया संहिता *1973* की धारा *497* में निहित रूढ़ियों को फिर से लागू करती है। अपराध का संज्ञान

दंड संहिता के अध्याय *XX* के तहत एक अदालत द्वारा केवल एक व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर लिया जा सकता है। धारा *497* के तहत दंडनीय अपराध के मामले में, केवल महिला के पति को अपराध से व्यथित माना जाता है। किसी भी स्थिति में, एक बार आई. पी. सी. की धारा *497* के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए माना जाता है, तो धारा *198 Cr.P.C* में शामिल प्रक्रिया की कोई व्यावहारिक प्रासंगिकता नहीं होगी। *[* पैरा *37] [898-*ई*]*

18. आई. पी. सी. की धारा *497* मूल समानता से इनकार करने के बराबर है। सौमित्र और रेवती मामलों में निर्णय

समानता की एक औपचारिक धारणा का समर्थन किया, जो एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की संवैधानिक दृष्टि के विपरीत है। न्याय समानता को स्वीकार करता है। संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप, मूल समानता "वंचित समूहों के खिलाफ व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए निर्देशित है जो समाज में उनकी पूर्ण और समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भागीदारी को प्रभावी रूप से कमजोर करता है।" समानता की एक औपचारिक धारणा से दूर जाने के लिए जो सामाजिक वास्तविकताओं की अवहेलना करती है, न्यायालय को नागरिकों के जीवन में नियम या प्रावधान के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। *[* पैरा *38] [898-*एफ-एच*] [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. मूल समानता की प्राप्ति की दिशा में न्यायालय द्वारा की जाने वाली प्राथमिक जांच यह निर्धारित करना है कि

अपने पति की सहमति के बिना अपनी शादी के बाहर किसी अन्य पुरुष के साथ महिला को अपराध माना जाता है; एक 'व्यभिचार संबंध' में, पुरुष को व्यभिचार के लिए दंडित किया जाता है, जबकि महिला *(*यहां तक कि एक उकसाने वाले के रूप में*)* नहीं है; एक अविवाहित महिला के साथ एक विवाहित पुरुष द्वारा यौन संबंध को अपराध नहीं माना जाता है; धारा *497* यह निर्धारित करने के लिए पति की सहमति को प्राथमिकता देती है कि क्या आपराधिकता उस पुरुष के साथ जुड़ी हुई है जिसके साथ सहमति से यौन संबंध है। पूर्व का पति। महिला की सहमति या इच्छा अपराध के लिए अप्रासंगिक है; एक पुरुष जो किसी अन्य पुरुष के पति या पत्नी के साथ यौन संबंध रखता है, उसे अपराध से केवल तभी मुक्त किया जाता है जब उसके पति या पत्नी ने सहमति दी हो या यहां तक कि मिलीभगत की हो; और धारा *497*, आई. पी. सी., जिसे धारा *198, Cr.PC* के साथ पढ़ा जाता है, पुरुष को शिकायत दर्ज करने का एकमात्र अधिकार देता है और एक महिला को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से रोकता है।

कार्यवाही। *[* पैरा *40] [900-*बी-एफ*]*

जो किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति या मिलीभगत के बिना यौन संबंध बनाता है, उस पर धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हालाँकि, एक विवाहित पुरुष विवाह के बाहर किसी एकल महिला के साथ बिना किसी संबंध के यौन संबंध बना सकता है। आपराधिक कानून में प्रत्याघात।

यद्यपि अभियोजनसँ उन्मुक्ति देल गेल अछि, एकटा महिलाकेँ दंडात्मक कार्रवाईक संभावना पर विचार करबाक लेल मजबूर कयल जायत अछि जे ओहि व्यक्ति पर संलग्न होयत जकर सङ्ग ओ जोसेफ शाइन *v*।

यौन क्रिया में संलग्न हो जाता है। अपने जीवनसाथी की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, पुरुष को आपराधिक मंजूरी का आह्वान करने की शक्ति दी जाती है।

राज्य। वास्तव में, उसके जीवनसाथी को उसकी यौन एजेंसी को कम करने का अधिकार है। पति की सहमति उसके जीवनसाथी की यौन एजेंसी के अभ्यास की कुंजी के रूप में कार्य करती है। यह कि विवाहित महिला सहमति से संबंध में है, संभावित अभियोजन के लिए कोई परिणाम नहीं है। *[*पैरा *41] [900-*जी-एच*; 901-*ए*]*

22. धारा *497* का प्रभाव यौन एजेंसी को अनुमति देना है।

नहीं, अगर उसका पति भी ऐसा ही करता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर आई. पी. सी. की धारा *497* विवाहित पुरुष और विवाहित पुरुष के बीच भेदभाव करती है। महिला को लिंग के आधार पर उसके नुकसान के लिए। इस तरह का भेदभाव गैर-भेदभाव गारंटी द्वारा निषिद्ध है।

संविधान के अनुच्छेद *15* में। आईपीसी की धारा *497* भी एक महिला को विवाह के भीतर और उस पुरुष को एक अलग आधार पर रखता है जिसके साथ वह विवाह के बाहर यौन संबंध साझा करती है। *[*पैरा *41] [902-*डी-ई*]*

आई. पी. सी. की धारा *497* का वास्तविक उद्देश्य था। *[*पैरा *44] [902-*डी-ई*]* *24.* कि एक महिला, विवाह द्वारा, अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने या यौन संबंध से बचने के लिए पहले से ही सहमति देती है *[2018] 11* एस. सी. आर.

उसके पति की अनुमति के बिना विवाह के बाहर संबंध स्वतंत्रता और गरिमा के मूल्यों के लिए अपमानजनक है। इस तरह की धारणा का संवैधानिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। यौन स्वायत्तता प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का एक अलंघनीय मूल है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों के केंद्र में पसंद की प्रधानता और अपने कार्यों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता है। एक महिला की यौन स्वायत्तता में कटौती करना या विवाह में प्रवेश करने के बाद सहमति की कमी का अनुमान लगाना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। *[*पैरा *44] [902-*एफ-जी*; 903-*ए*]*

25. कानून के किसी प्रावधान को सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अलग तरीके से काम करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अपने संचालन में, कानून "व्याप्त है और रोजमर्रा के जीवन और ज्ञान से अविभाज्य है, और यह *(*कानूनी*)* चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। " कानून के एक प्रासंगिक अध्ययन से पता चलता है कि यह सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करता है, और "शक्ति की

विषमताओं को, यदि अदृश्य नहीं, तो प्राकृतिक और प्राकृतिक बनाता है। सौम्य "। आई. पी. सी. की धारा *497* का महिलाओं की यौन एजेंसी पर महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पड़ता है। यह मौजूदा लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर आधारित है और उन्हें आगे भी कायम रखता है। सांस्कृतिक रूढ़िवादिता एक महिला की तुलना में एक पुरुष के यौन संबंधों में शामिल होने के लिए अधिक क्षमाशील हैं। तब महिलाओं से शादी से पहले पवित्र और वफादार रहने की उम्मीद की जाती है। महिलाओं की यौन एजेंसी को प्रतिबंधित करने में, धारा *497* सामाजिक रूप से भेदभावपूर्ण और लिंग आधारित मानदंडों को कानूनी मान्यता देती है। एक महिला के लिए यौन संबंध कानूनी और सामाजिक रूप से अनुमत थे जब यह उसकी शादी के भीतर था। व्यभिचार या गैर-वैवाहिक यौन संबंध बनाने वाली महिलाओं को अनैतिक, शर्मनाक करार दिया जाता था और उनकी आपराधिक निंदा की जाती थी। *[* पैरा *45] [903-*बी-डी*]*

26. अनुच्छेद *15 (3)* 'सुरक्षात्मक भेदभाव' की धारणा को समाहित करता है। अनुच्छेद *15 (3)* में संवैधानिक गारंटी

इसे इस तरह से नियोजित नहीं किया जा सकता है जो 'संरक्षण' की पैतृक धारणाओं को मजबूत करता है। सुरक्षा का यह बाद वाला दृष्टिकोण केवल महिलाओं को पिंजरे में रखने का काम करता है। अनुच्छेद *15 (3)* अलग से मौजूद नहीं है। अनुच्छेद *14* से *18*, समानता पर एकल संहिता के घटक होने के नाते, एक दूसरे के पूरक हैं और एक गैर-भेदभाव सिद्धांत को शामिल करते हैं। न तो अनुच्छेद *15 (1)* और न ही अनुच्छेद *15 (3)* महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की अनुमति देता है। पैतृक और पितृसत्तात्मक धारणाओं पर आधारित भेदभाव अनुच्छेद *15 (3)* के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। महिलाओं को आपराधिक अभियोजन से छूट देने में, धारा *497* का तात्पर्य है कि एक महिला की कोई यौन एजेंसी नहीं है और जोसेफ शाइन बनाम।

भारत का संघ

उसे यौन संबंध में 'बहकाया' गया था। धारा *497* के तहत महिलाओं को दी जाने वाली 'सुरक्षा' यौन एजेंसी की कमी को उजागर करती है जो धारा एक महिला पर लागू होती है। अनुच्छेद *15 (3)* जब भाग *III* के अन्य अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाता है, तो यह एक शक्तिशाली अनुच्छेद के रूप में कार्य करता है। द्वारा सामना किए गए भेदभाव और पूर्वाग्रह को दूर करने का उपाय

सदियों से महिलाएँ। एक सक्षम प्रावधान के रूप में अनुच्छेद *15 (3)* का उद्देश्य पूर्ण अर्थों में पर्याप्त समानता लाना है। मौलिक समानता के लिए गरिमा और स्वायत्तता महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, अनुच्छेद *15 (3)* एक वैधानिक प्रावधान की रक्षा नहीं करता है जो

महिलाओं की रक्षा करने की आड़ में पितृसत्तात्मक धारणाओं को मजबूत करता है। *[* पैरा *48] [905-*ए-जी*; 906-*ए-सी*]* *27.* निजता का अधिकार व्यक्तियों द्वारा स्वायत्तता और एजेंसी के प्रयोग पर निर्भर करता है। ऐसी स्थितियों में जहां नागरिक इन आवश्यक विशेषताओं का प्रयोग करने से अक्षम हैं, अदालतें

यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि गरिमा को पूर्ण रूप से महसूस किया जाए। पारिवारिक संरचनाओं को निजी स्थानों के रूप में नहीं माना जा सकता है जहां संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। व्यक्तियों के अधिकारों की घेराबंदी की स्थितियों में प्रतिरक्षा प्रदान करना, संविधान के प्रकट होने वाले दृष्टिकोण में बाधा डालना है। *[* पैरा *50] [907-*डी-ई*]*

28. संवैधानिक सुरक्षा और स्वतंत्रताएँ नागरिक के जीवन के हर पहलू में व्याप्त हैं-निजी या सार्वजनिक का चित्रण।

संवैधानिक जांच। यौन स्वायत्तता को कम करके जबरन महिला निष्ठा को लागू करना एक अपमान है गरिमा और समानता का मौलिक अधिकार। सुधार में

अन्याय, न्यायालय 'व्यक्तिगत' और इसके परिणामस्वरूप, 'जनता' में तल्लीन होने से नहीं हिचकिचा सकता है। न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है जब पितृसत्ता में गहराई से निहित अन्याय और उत्पीड़न की संरचनाएं संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी हैं। लेकिन, महिलाओं के अधिकारों पर निर्णय लेने में, न्यायालय पितृत्ववादी भूमिका नहीं ले रहा है और अधिकार "प्रदान" नहीं कर रहा है। न्यायालय केवल संविधान के पाठ की व्याख्या कर रहा है -

पहले से ही जो स्याही लगी हुई है उसे फिर से बताएँ-महिलाएँ इस राष्ट्र की समान नागरिक हैं, जो संविधान की सुरक्षा की हकदार हैं। कोई भी कानून जो परिणाम देता है

महिलाओं को इन संवैधानिक गारंटी से इनकार करने पर, वे संवैधानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकती हैं।

[पारस *52* और *66] [908*-डी-एफ*; 918*-बी*] [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. आई. पी. सी. की धारा *497* केवल वैवाहिक संबंध की पवित्रता की रक्षा करने के बारे में नहीं है। यह "अपनी पत्नी की कामुकता तक विशेष पहुंच" में पति के हितों की रक्षा करने के बारे में है। *[* पैरा *52] [909*-ए-बी*]* *30.* एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह में बदलाव आया है। शिक्षा तक पहुंच और आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रेरित

32. जहाँ तक दो व्यक्ति सहमति के आधार पर कार्यों में संलग्न हैं, कानून हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस निजी क्षेत्र में कोई भी घुसपैठ स्वायत्तता और यौन एजेंसी से वंचित करने के बराबर होगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। *[* पैरा *58] [913*-एफ-जी*]* *33.* व्यभिचार को अपराध घोषित करने में, विधायिका ने अपने जीवनसाथी की कामुकता पर एक पुरुष द्वारा नियंत्रण पर अपना अधिकार लगाया है। ऐसा करने में, वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद *21* की कसौटी को पूरा करने में विफल रहता है। धारा *497* एक महिला को उसकी स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता से वंचित करती है। यह विवाह की धारणा को अपनाकर उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण को बढ़ाता है जो सच्ची समानता को नष्ट करता है। एक पुरुष और एक महिला के रिश्ते के लिए एक लिंग पक्षपाती दृष्टिकोण को दंडात्मक कानून के प्रतिबंधों को उधार देकर समानता को नष्ट कर दिया जाता है। क़ानून पितृत्ववाद को वैवाहिक स्थिरता की रक्षा के लिए एक साधन के रूप में भ्रमित करता है। यह विवाह की पवित्रता को एक पदानुक्रमित क्रम के संदर्भ में परिभाषित करता है जो महिला के खिलाफ तिरछा है। कानून एक रिश्ते में भागीदारों को असमान आवाज देता है। *[* पैरा *59] [914*-सी-डी*]*

34. एक रिश्ते में व्यक्तियों, चाहे विवाह के भीतर या बाहर, की एक वैध अपेक्षा होती है कि प्रत्येक दूसरे को जोसेफ शाइन *v* के लिए साहचर्य और सम्मान का समान तत्व प्रदान करेगा।

विकल्प चुनें। यौन स्वायत्तता के लिए सम्मान, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह पति और पत्नी के बीच समानता और उनमें से प्रत्येक द्वारा दूसरे की गरिमा की मान्यता पर आधारित है। कामुकता पर नियंत्रण प्रत्येक व्यक्ति में मानवीय तत्व से जुड़ा होता है। विवाह-चाहे वह संस्कार हो या अनुबंध-के परिणामस्वरूप एक पति या पत्नी की स्वायत्तता दूसरे को नहीं दी जाती है। *[*पैरा *59] [914-*ई-एफ*]*

35. एक मौलिक कारण है जो व्यभिचार के अपराधीकरण के खिलाफ है। इसकी उत्पत्ति इस तथ्य में निहित है कि

किसी कार्य को अपराधी बनाना विवाह के दायरे से बाहर यौन संबंध के लिए एक वैध संवैधानिक प्रतिक्रिया नहीं है। एक स्थायी वैवाहिक संबंध के दौरान व्यभिचार हो सकता है, और अक्सर रिश्ते के प्रति जीवनसाथी की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। कई मामलों में, विवाह के बाहर पति या पत्नी में से किसी एक के यौन संबंध वैवाहिक संबंध के अंत का कारण बन सकते हैं। लेकिन अन्य मामलों में, इस तरह का संबंध कारण नहीं हो सकता है, बल्कि वैवाहिक संबंध में पहले से मौजूद व्यवधान का परिणाम हो सकता है। अक्सर, जो पति-पत्नी अपरिवर्तनीय रूप से अलग हो गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत कारणों से जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है

न्यायसंगत, सभी आचरण जो अनुचित हैं, आपराधिक गलत कार्य में पदोन्नत होने को उचित नहीं ठहराते हैं। *[*पैरा *60] [914-*जी-एच*; 915-*ए-सी*]* *36.* राज्य के वैध उद्देश्यों को मान्यता दी जानी चाहिए, जो विवाह के ढांचे के भीतर कुछ कार्यों के लिए दंडात्मक प्रतिबंध लगाने तक विस्तारित हो सकते हैं। कुछ प्रकारों को अपराधी बनाने में

महिलाओं के खिलाफ गलत काम करने के मामले में, राज्य प्रत्येक महिला के सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है।

व्यभिचार एक अपराध के रूप में उस प्रतिमान के अनुरूप नहीं है। कुछ कृत्यों को अपराधी बनाने में, धारा *497* एक परिकल्पना पर आगे बढ़ी है जो महिलाओं की गरिमा के लिए गहरा अपमानजनक है। यह पितृत्ववाद में आधारित है, पितृसत्तात्मक मूल्यों की इच्छा रखता है और महिला को एक ऐसी स्थिति में अधीन करता है जहां कानून उसकी कामुकता की अवहेलना करता है।

एक महिला की कामुकता उसके मूल का हिस्सा है। न तो राज्य और न ही

विवाह की संस्था इसका अपमान कर सकती है। *[*पैरा *61] [915-*ई-एफ*;* जी-एच*; 916-*ए-बी*]*

37. धारा *497* को शून्य में *(*जैसा कि ***सौमित्र विष्णु मामले में किया गया था*)* या औपचारिक शब्दों में *(*जैसा कि ***रेवती मामले में किया गया था*)* अर्थ लगाया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के परिणामस्वरूप महिलाओं द्वारा झेली गई अधीनता को पहचानने और संबोधित करने से इनकार करना। धारा *497*

यह मूल समानता से इनकार है क्योंकि यह इस धारणा को फिर से पुष्ट करता है कि महिलाएं विवाह में असमान भागीदार हैं; एक कानूनी क्रम में यौन कार्य के लिए स्वतंत्र रूप से सहमति देने में असमर्थ हैं जो उन्हें अपने जीवनसाथी की यौन संपत्ति के रूप में मानता है। *[पैरा 65] [917-ई-एफ]*

38. आपराधिक कानून संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए। व्यभिचार पर कानून विवाह के निर्माण को लागू करता है।

जहाँ एक साथी को अपनी यौन स्वायत्तता दूसरे को सौंपनी होती है। स्वतंत्रता, गरिमा और समानता की संवैधानिक गारंटी के विरोधी होने के कारण, धारा *497* संवैधानिक रूप से पारित नहीं होती है। *[पैरा 67] [918-सी-डी]*

39. धारा *497* में सहमति से यौन गतिविधि को अपराध घोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से निर्धारित करने वाले सिद्धांत का अभाव है और यह स्पष्ट रूप से है।

मनमाना। धारा *497* मौलिक समानता से इनकार करती है क्योंकि यह विवाह और समाज में महिलाओं को दिए गए अधीनस्थ दर्जे को कायम रखती है। धारा *497* संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है; धारा *497* महिलाओं की भूमिका के बारे में लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित है और संविधान के अनुच्छेद *15* में सन्निहित गैर-भेदभाव सिद्धांत का उल्लंघन करती है; धारा *497* गरिमा, स्वतंत्रता, गोपनीयता और यौन स्वायत्तता की संवैधानिक गारंटी का खंडन है जो संविधान के अनुच्छेद *21* के लिए आंतरिक हैं। धारा *497* असंवैधानिक है। *[पैरा 67] [918-डी-एफ]*

शायरा बानो बनाम भारत संघ *(2017) 9* एससीसी *1: [2017] 7* एस. सी. आर. *797*-अनुसरण किया गया।

ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य *(1974) 4* एससीसी *3: [1974] 2* एस. सी. आर. *348;* नवतेज सिंह जौहर बनाम भारतीय संघ *(2018) 1* एस. सी. सी. *791;* अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया *(2008) 3* एस. सी. सी. *1: [2007] 12* एससीआर *991;*

ए पी बनाम पी बी विजयकुमार की सरकार *(1995) 4* एस सी सी *520 [1995] 1* पूरक। एस. सी. आर. *462;* स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ *(2017) 10* एस. सी. सी. *800;* के. एस. पुट्टास्वामी जोसेफ शाइन बनाम।

भारत का संघ

v भारत संघ *(2017) 10* एस. सी. सी. *1: [2017] 10* एस. सी. आर. *569* पर भरोसा किया। * सौमित्र विष्णु बनाम। भारत संघ *1985* पूरक एस. सी. सी. *137: [1985]* पूरक। एस. सी. आर. *741; * *** वी रेवती बनाम यूनियन ऑफ

भारत *(1988) 2* एससीसी *72: [1988] 3* एस. सी. आर. *73*-खारिज।

यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम बॉम्बे राज्य *[1954]* एससीआर *930;* भारत संघ बनाम एल्फिंस्टन कताई और बुनाई

कं. लिमिटेड *(2001) 4* एस. सी. सी. *139: [2001] 1* एस. सी. आर. *221*-संदर्भित।

आर बनाम मोग्रिज *(1707)* केल। *119 ;* युगांडा में महिलाओं के लिए कानून की वकालत *v.* युगांडा के महान्यायवादी, *(2007)* यू. जी. सी. सी. *1 (5* अप्रैल, *2007);* डी. ई. बनाम आर. एच., *[2015]* जेड. ए. सी. सी. *18;* थॉर्नबर्ग बनाम। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ, *476* यू. एस. *747 (1986);* डी. ई. बनाम आर. एच. *[2015]* जेड. ए. सी. सी. *18;* क्लीवलैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम। लाफ्लेर, *414* यू. एस. *623 (1973);* कैरी, बनाम। जनसंख्या सेवा। इंटल, *431* यू. एस. *678;* रॉबर्ट्स बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका जेसीज, *468* यू. एस. *609,618 (1984);* थॉर्नबर्ग बनाम। अमेरिकन कॉलेज ऑफ

प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, *476* यू. एस. *747 (1986);* आइजेनस्टैड बनाम। बेयर्ड, *405* अमेरिका *438,457 (1972)*-संदर्भित

को। रत्ना कपूर और ब्रेंडा कॉसमैन, विध्वंसक स्थलः भारत में कानून के साथ नारीवादी जुड़ाव, ऋषि

प्रकाशन *(1996);* पेट्रीसिया विलियम्स, द अल्केमी ऑफ रेस एंड राइट्स, कैम्ब्रिजः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(1991);* गायत्री स्पिवाक, द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिकः साक्षात्कार, रणनीतियाँ, संवाद, रूटलेज *(1990);* नथानिएल

हॉथोर्न, द स्कार्लेट लेटर, बैंटम बुक्स *(1850),* पृष्ठ *59* पर; डेविड टर्नर, द ऑक्सफोर्ड में व्यभिचार विश्व इतिहास में महिलाओं का विश्वकोश *(2008);* जेम्स ए. ब्रुंडज, लॉ, सेक्स, एंड क्रिश्चियन सोसाइटी इन

मध्यकालीन यूरोप, पृष्ठ *10* पर; फरामर्ज दभोईवाला, द ओरिजिन्स ऑफ सेक्सः प्रथम यौन क्रांति का इतिहास *(2012),* पृष्ठ *5* पर; वर्न बुल्लो, व्यभिचार की मध्यकालीन अवधारणाएँ, पृष्ठ *7* पर; विश्व इतिहास में महिलाओं का ऑक्सफोर्ड विश्वकोश, *(*बोनी जी स्मिथ संस्करण*)*। , ऑक्सफोर्ड; मार्टिन सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और *[2018] 11* एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान, खंड। *30* , जर्नल ऑफ फैमिली लॉ *(1991),* पृष्ठ *46* पर; जेम्स ए. ब्रुंडज, लॉ, सेक्स एंड क्रिश्चियन

मध्यकालीन यूरोप में समाज, पृष्ठ *27* पर; जेरेमी डी. वेनस्टीन, व्यभिचार, कानून और राज्यः ए हिस्ट्री, वॉल्यूम। *38* , हेस्टिंग्स लॉ जर्नल *(1986),* पृष्ठ *202* पर; आर. ह्यूबनर, ए हिस्ट्री ऑफ जर्मनिक प्राइवेट लॉ *(*एफ. फिलब्रिक ट्रांस।

1918) ; जेम्स आर. मेलो, हॉथोर्न की डिवाइडेड जीनियस, द विल्सन क्वार्टरली *(1982);* मैरी बेथ नॉर्टन, फाउंडिंग मदर्स एंड फादर्सः लैंगिक शक्ति और गठन

अमेरिकन सोसाइटी *(1996);* कीथ थॉमस, द प्युरिटन्स एंड एडल्टरीः *1650* के अधिनियम पर प्यूरिटन और क्रांतिकारियों में पुनर्विचार किया गयाः क्रिस्टोफर हिल *(*डोनाल्ड*)* को प्रस्तुत सत्रहवीं सदी के इतिहास में निबंध

पेनिंगटन, कीथ थॉमस, संस्करण।*) ;* चार्ल्स ई. टॉर्सिया, व्हार्टन का आपराधिक कानून, धारा *218, (1994)* पृष्ठ *528* पर;

जे. ई. लोफ्टिस, कांग्रेव्स वे ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉप्युलर क्रिमिनल लिटरेचर, स्टडीज इन इंग्लिश लिटरेचर, *1500-1900 36 (3) (1996)*, पृष्ठ *293* पर; जोआन बेली, अनक्विट लाइव्सः इंग्लैंड में विवाह और विवाह टूटना,

1660-1800 (2009) , पृष्ठ *143* पर; इंग्लैंड के कानूनों पर ब्लैकस्टोन की टिप्पणियां, पुस्तक *IV (1778);* विलियम

ब्लैकस्टोन, इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां। खण्ड. *I (1765)*, पृष्ठ *442-445* पर; वेरा बर्गल्सन, राज्य शक्ति पर कानूनी परिप्रेक्ष्य में बलात्कार-द्वारा-धोखाधड़ी पर पुनर्विचारः सहमति और नियंत्रण *(*क्रिस एशफोर्ड, एलन रीड और निकोला वेक, संस्करण*) (2016)*, पृष्ठ *161* पर; अभिनव सेखड़ी, द गुड, द बैड एंड द एडल्टरसः आपराधिक कानून

और भारत में व्यभिचार, सामाजिक-कानूनी समीक्षा *(2016)*, पृष्ठ *52* पर; मैकाले का मसौदा दंड संहिता *(1837)*, टिप्पणी प्रश्न; भारतीय दंड संहिता पर दूसरी रिपोर्ट *(1847)*, पृष्ठों पर *134-35*, भारत के विधि आयोग से उद्धृत, बयालीसवीं रिपोर्टः भारतीय दंड संहिता, पृष्ठ *365* पर; एक दंड संहिता

भारतीय विधि आयुक्तों *(1838)* द्वारा तैयार की गई, भारतीय दंड संहिता पर दूसरी रिपोर्ट, पृष्ठ *74* पर;

भारतीय विधि आयोग की *42* वीं रिपोर्टः भारतीय दंड संहिता *(1971)*, पृष्ठ *326* पर; आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर समिति की रिपोर्ट *(2003)*, पृष्ठ *190* पर; ब्रेंडा कॉसमैन और रत्ना कपूर, विध्वंसक साइटेंः भारत में कानून के साथ नारीवादी जुड़ाव *(1996);* जोसेफ शाइन बनाम।

भारत का संघ

कैथरीन टी. बार्टलेट, फेमिनिस्ट लीगल मेथड्स, हार्वर्ड लॉ रिव्यू *(1990);* महिलाओं के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूहः रिपोर्ट *(18* अक्टूबर, *201;* रॉयटर्सः *'* युगांडा ने *"*सेक्सिस्ट*"* व्यभिचार कानून को समाप्त कर दिया, *(5* अप्रैल, *2007);* मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और संविधान, जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991) 45;* डेबोरा रोड, व्यभिचारः बेवफाई और कानून, *(*हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2016);* आइरिस मैरियन यंग, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, प्रिंसटन

यूनिवर्सिटी प्रेस, *1990;* कैथी लाहे, नारीवादी सिद्धांत

समानता और न्यायिक निष्पक्षता में *(*में*)* समानता *(S.Martin* और *K.Mahoney (*संस्करण*) (1987);* महिला, समानता और संविधान पर रत्ना कपूरः के माध्यम से लिंग और राजनीति में नारीवाद का ग्लास देखना

इंडिया *(*निवेदिता मेनन संस्करण*) (1993);* मौरीन मालोनी, भारत में प्रत्यक्ष करों का विश्लेषणः ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट *(1988);* कैथरीन ए मैकिनन, भारत के संविधान के तहत यौन समानता। समस्याएं, संभावनाएं और व्यक्तिगत कानून *',* ऑक्सफोर्ड

(2006) ; फिलिस कोलमैन, मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है*?* यू एंड मी, एंड द स्टेट मेक्स थ्री, वॉल्यूम। *24* , भारतीय कानून समीक्षा *(1991);* महिलाओं का काम, पुरुषों की संपत्तिः लिंग और वर्ग की उत्पत्ति *(*एस कोंट्ज़ और पी हेंडरसन*)* एडीएस*.) (1986) ;* रोजमेरी कूम्बे, क्या कानून का कोई सांस्कृतिक अध्ययन है*?* , ए कम्पेनियन टू कल्चरल स्टडीज, टोबी मिलर

(एड.*)*, ऑक्सफोर्ड, *(2001);* ऑस्टिन शरत, जोनाथन साइमन, कानूनी यथार्थवाद से परे*? :* सांस्कृतिक विश्लेषण, सांस्कृतिक अध्ययन और कानूनी छात्रवृत्ति की स्थिति, येल जर्नल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, *(2001);* चार्ल्स जीन मैरी लेटोरनो, द इवोल्यूशन ऑफ मैरिज *(2011);* नंदिता हक्सर,

महिलाओं में प्रभुत्व, दमन और कानून और

कानूनः समकालीन समस्याएं *(*लोटिका सरकार और बी. शिवरामय्या संस्करण*)* , विकास पब्लिशिंग हाउस *(1994);* निवेदिता

मेनन, सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, ज़ुबान बुक्स *(2012)* पृष्ठ *35* पर-संदर्भित। इंदू मल्होत्रा, जे. *(*सहमत*)*

1.1 दंड संहिता *(*आई. पी. सी.*)* की धारा *497* एक पूर्व-संविधान है।

जो *1860* में अधिनियमित किया गया था।

[2018] में *11* एस. सी. आर. होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विसंगतियों और विसंगतियों से भरा हुआ, जैसे किः धारा *497* के तहत, केवल पुरुष प्रेमी ही व्यभिचार के अपराध के लिए दंडनीय है। वह स्त्री जो व्यभिचारी के साथ समान व्यवहार करती है पुरुष, दंडनीय नहीं है, यहां तक कि एक 'उकसाने वाले' के रूप में भी। व्यभिचारिणी महिला को केवल लिंग के आधार पर बाहर रखा जाता है और उस पर व्यभिचार के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह धारा केवल व्यभिचारी पत्नी के पति को मुकदमा चलाने का अधिकार देती है। दूसरी ओर, व्यभिचारी पुरुष की पत्नी को अपने पति या उसके प्रेमी पर मुकदमा चलाने का कोई समान अधिकार नहीं है। *Cr.P.C* की धारा *198 (2)* के साथ पठित धारा *497* केवल एक विवाहित पत्नी के पीड़ित पति को, जिसने व्यभिचार के अपराध के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए व्यभिचारी संबंध में प्रवेश किया है, अधिकार देती है। विवाहित पुरुष का अविवाहित या तलाकशुदा महिला के साथ यौन संबंध बनाने का कार्य धारा *497* के तहत 'व्यभिचार' नहीं है। यदि किसी पुरुष और विवाहित महिला के बीच व्यभिचार संबंध उसके पति की सहमति और मिलीभगत से होता है, तो यह व्यभिचार का अपराध नहीं होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा *497* में विसंगतियां और विसंगतियां इस प्रावधान को मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के आधार पर निरस्त करने के लिए उत्तरदायी बना देंगी। *[* पैरा *11] [942*-डी-जी*; 943*-ए-बी*]*

प्रिचर्ड वी। प्रिचर्ड और सिम्स *[1966] 3* ऑल ई. आर. *601;* ओलीवर्सन बनाम। वेस्ट वैली सिटी *875* एफ. सप. *1465 ;* हॉब्स वी। स्मिथ नंबर *15* सी. वी. एस. *5646 (2017) [*उत्तरी कैरोलिना का सुपीरियर कोर्ट*);* लॉरेंस वी। टेक्सास *539* यूएस *558 (2003);*

डी. ई. वी. आरएच *(594/2013) [2014]* जेडएएसीए *133 (25)*

सितंबर *2014);* ग्रीन बनाम। फिट्जगेराल्ड *1914* ईस्वी *88* का उल्लेख किया गया है।

ऑथवेट, आर. बी. *(2007)*। द राइज एंड फॉल ऑफ द इंग्लिश एक्लेसियेस्टिकल कोर्ट, *1500-1860;* कैम्ब्रिज, यूकेः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; फर्नांडीज, एंजेला "टैपिंग रीव, नाथन डेन और जेम्स केंटः

श्री फेडिंग जोसेफ शाइन वी। भारत का संघ

वैवाहिक एकता पर संघवादी; विवाहित महिलाएँ और

कानूनः इंग्लैंड एंड द कॉमन लॉ वर्ल्ड में आवरण, टिम स्ट्रेटन और क्रिस्टा जे. केसेलरिंग, मैकगिल द्वारा संपादित

क्वीन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, *2013*, पीपी। *192-216 ;* इंग्लैंड के कानूनों पर ब्लैकस्टोन की टिप्पणियां, पुस्तकें *III* और *IV*

(8), 1778; ब्रैक्टनः इंग्लैंड के कानूनों और रीति-रिवाजों पर ब्रैक्टन

ब्रैटन के हेनरी, सी। *1210-1268)* खण्ड *III*, पृष्ठ। *115 ; "* उसकी छाया से बाहरः पत्नियों का लंबा संघर्ष

अंग्रेजी कानून के तहत "ऑक्सफोर्डशायर के उच्च शेरिफ"

9 अक्टूबर को लॉर्ड विल्सन द्वारा दिया गया वार्षिक विधि व्याख्यान

2012 ; उमा चक्रवर्ती, गेन्डरिंग कास्ट थ्रू ए

नारीवादी लेंस, स्ट्री प्रकाशन *(2003);* 'भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार एक दंड संहिता, *(1838),*

लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले के नोट्स, नोट क्यू; भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार एक दंड संहिता, *(1838),* भारतीय दंड संहिता पर दूसरी रिपोर्ट; आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर समिति की रिपोर्ट, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति वी. एस. मलिमथ, *(2003);* इलिनोइस क्रिमिनल

कोड, *720* आई. एल. सी. एस. *5/11-35*, व्यभिचार; मार्टिन सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और संविधान, *30*

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ *45,51-52 (1991);* एच. मेयर्स, "जापान के आपराधिक संहिता का संशोधन" वाशिंगटन लॉ रिव्यू एंड स्टेट बार जर्नल, वॉल्यूम। *25 , (1950)* पीपी में। *104 134 ;* अनयासा महकेमेसी, *1996/15,1996/34 (*सितंबर *23,1996);* व्यभिचार मामला, *27-1 (A) KCCR 20*, फरवरी *26,*

2015 ; - संदर्भित किया गया।

2.1 धारा *497* की संवैधानिक वैधता की जांच की जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत। कोई भी कानून

जो समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करता है, या केवल लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है, उसे संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन करने वाला माना जा सकता है, जो मनमानेपन के खिलाफ स्तंभ बनाते हैं और

भेदभाव। *[* पैरा *12.1] [943*-सी-डी*]*

2.2 अनुच्छेद *14* वर्ग विधान को मना करता है; हालाँकि, यह उचित वर्गीकरण को सख्त मना करता है। एक उचित वर्गीकरण *[2018] 11* एस. सी. आर. है।

2.3 किए गए वर्गीकरण के संदर्भ में धारा *497* में भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए। द. वर्गीकरण का कुछ तर्कसंगत आधार या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए। सहमति से दो वयस्कों द्वारा किए गए व्यभिचार के अपराध के संबंध में, केवल लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। *[* पैरा *12.2] [943*-एफ-जी*; 944*-ए*]*

ई. वी. चिन्नायाह बनाम ए. पी. राज्य *(2005) 1* एस. सी. सी. *394:*

[2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. *972*-पर निर्भर।

2.4 आई. पी. सी. की धारा *497* दो वर्गीकरण करती हैः पहला वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि किसके पास मुकदमा चलाने का अधिकार हैः यह है।

केवल विवाहित महिला का पति जो व्यभिचार में लिप्त है, उसे पीड़ित व्यक्ति माना जाता है, जिसे अधिकार दिया गया है -

व्यभिचार के अपराध के लिए मुकदमा चलाएँ। इसके विपरीत, एक विवाहित

जो महिला व्यभिचारी पुरुष की पत्नी है, उसे अपने पति या उसके प्रेमी पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। व्यभिचार करने के लिए केवल व्यभिचारी पुरुष पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है, और व्यभिचारी महिला पर नहीं, भले ही संबंध सहमति से हो; व्यभिचारी महिला को अपराध के लिए "उत्प्रेरक" भी नहीं माना जाता है। उपरोक्त वर्गीकरण *1860* में ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित थे जब आई. पी. सी. लागू किया गया था। उस समय, महिलाओं को अपने पति से स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं था, और उन्हें अपने पति की संपत्ति या 'संपत्ति' के रूप में माना जाता था। इसलिए, व्यभिचार के अपराध को पति के लिए एक चोट के रूप में माना जाता था, क्योंकि इसे उसकी संपत्ति की 'चोरी' माना जाता था, जिसके लिए वह अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ सकता था। उक्त वर्गीकरण अब प्रासंगिक या वैध नहीं है, और अनुच्छेद *14* की कसौटी का सामना नहीं कर सकता है, और इसलिए अकेले इसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। *[* पैरा *12,2] [944*-ए-एफ*]*

2.5 एक ऐसा कानून जो महिलाओं को मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है,

लिंग-तटस्थ नहीं है। धारा *497* के तहत, जोसेफ शाइन की पत्नी *v.*

व्यभिचारी पुरुष, अपने पति पर वैवाहिक बेवफाई के लिए मुकदमा नहीं चला सकता है। इसलिए यह प्रावधान महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है। धारा *497* जैसा कि यह है आज, अनुच्छेद *14* के विवेकपूर्ण प्रकाश के खिलाफ छाया में नहीं छिप सकता है जो कुछ भी अनुचित है,

भेदभावपूर्ण और मनमाना। *[* पैरा *12.3] [944-*जी-एच*]*

3.1 एक कानून जिसे समय के साथ इसके अधिनियमन के समय उचित ठहराया जा सकता था, वह पुराना हो सकता है और

समाज के विकास के साथ भेदभावपूर्ण और परिवर्तित

जिसमें इसे तैयार किया गया था, डेढ़ सदी से अधिक समय बीतने के साथ, अप्रचलित और पुरातन हो सकता है। एक प्रावधान पहले असंवैधानिक नहीं माना जाता था, इसे लैंगिक समानता सहित समाज में बाद के विकास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

[पैरा *13] [945-*ए-बी*]*

मोटर जनरल ट्रेडर्स बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य *(1984) 1* एस. सी. सी. *222: [1984] 1* एससीआर *594;* रतन आर्य बनाम। तमिलनाडु राज्य *(1986) 3* एस. सी. सी. *385: [1986] 2* एस. सी. आर. *596;* जॉन वल्लामट्टम बनाम। भारत संघ *(2003) 6* एस. सी. सी.

611 : [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. *638-*पर निर्भर।

'भारतीय कानून द्वारा तैयार एक दंड संहिता

कमिश्नर, *(1838),* नोट्स ऑफ लॉर्ड थॉमस
बैबिंगटन मैकाले, नोट क्यू-संदर्भित।

3.2 आई. पी. सी. की धारा *497* को ऐतिहासिक संदर्भ में बनाया गया था कि पत्नी की बेवफाई के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि

1860 के दशक के दौरान इस देश में महिलाओं की दुर्दशा। महिलाओं की शादी तब होती थी जब वे अभी भी बच्चे थीं, और अक्सर कम उम्र में ही उपेक्षा की जाती थी, कई प्रतिद्वंद्वियों के साथ पति का ध्यान साझा करती थीं। यह स्थिति प्रावधान के *155* साल बाद भी सही नहीं है।

फंसाया गया था। समय बीतने के साथ, शिक्षा, नागरिक-राजनीतिक अधिकारों में विकास और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में स्थिति में भारी बदलाव आया है। जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में धारा *497* बनाई गई थी, वह अब समकालीन समाज में प्रासंगिक नहीं है। *[* पैरा *13] [945-*सी-डी*]* *3.3* इस आधार पर आगे बढ़ना अवास्तविक होगा कि सहमति से यौन संबंध में भी, एक विवाहित महिला, जो *[2018] 11* एस. सी. आर.

जानबूझकर और स्वेच्छा से यौन संबंध में प्रवेश करता है

एक अन्य विवाहित पुरुष, एक 'पीड़ित' है, और पुरुष अपराधी 'प्रलोभक' है। धारा *497* पुरुषों और महिलाओं दोनों को समाज में समान रूप से स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में मानने में विफल रहती है। *[* पैरा *13] [945-*ई*]*

अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया *(2008) 3* एससीसी

1 : [2007] 12 एससीआर *991-*पर निर्भर।

इसलिए, *1860* में बनाई गई आई. पी. सी. की धारा *497* को क़ानून की पुस्तक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। *[* पैरा *13] [946-*ई*-*एफ*]* *4.* संविधान का अनुच्छेद *15 (3)* एक सक्षम प्रावधान है जो राज्य को पक्ष में लाभकारी कानून बनाने की अनुमति देता है।

महिलाओं और बच्चों का, नागरिकों के इस वर्ग की रक्षा और उत्थान के लिए। धारा *497* व्यभिचार के अपराध के लिए एक दंडात्मक प्रावधान है, एक ऐसा कार्य जो वैवाहिक बंधन से भटक गए दो वयस्कों के बीच सहमति से किया जाता है। ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता है

संविधान के अनुच्छेद *15 (3)* के अंतर्गत आने वाला एक लाभकारी विधान माना जाता है। सकारात्मक कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य महिलाओं का उत्थान करना और उन्हें सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। एक ऐसा कानून जो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के अधिकारों को छीन लेता है इसे 'लाभकारी कानून' नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद का उद्देश्य

15 (3) महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक समानता को आगे बढ़ाना है। यह विशेष वर्गों के लिए विशेष कानून की अनुमति देता है। हालांकि, अनुच्छेद *15 (3)* किसी अपराध से छूट के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम नहीं कर सकता है।

दंडात्मक परिणाम होना। एक धारा जो महिलाओं के उत्पीड़न को कायम रखती है, कानून में अस्थिर है, और

सुरक्षात्मक भेदभाव की आड़ में संरक्षण नहीं ले सकते। *[* पैरा *14] [946-*जी*-*एच*; 947-*ए, डी*-*ई*]*

थोटा शेषरथम्मा और अन्न। वी. थोटा माणिक्यम्मा
(मृत*)* एलआर द्वारा। और ओआरएस। *(1991) 4* एस. सी. सी. *312-*पर निर्भर।

5.1 अनुच्छेद *21* के तहत निजता के अधिकार में दो वयस्कों का विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने का अधिकार शामिल होगा। हालाँकि, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है; जब वैध सार्वजनिक हित शामिल होता है तो यह उचित प्रतिबंधों के अधीन होता है। *[* पैरा *15] [947-*एफ*]* जोसेफ शाइन बनाम।

5.2 गोपनीयता यू/आर्ट का आक्रमण। *21* , राज्य द्वारा एक ऐसे कानून के आधार पर न्यायसंगत ठहराया जाना चाहिए जो उचित और वैध हो। इस तरह की आक्रमण को तीन गुना आवश्यकता को पूरा करना चाहिए: *(i)* वैधता, जो कानून के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करती है; *(ii)* आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य

हित के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, और *(iii)* आनुपातिकता, जो उद्देश्य और साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है।

अपनाया गया। धारा *497*, जैसा कि आज भी है, तीन गुना आवश्यकता को पूरा करने में विफल रही है, और इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। *[* पैरा *15] [948-*ए-बी*]*

केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ *(2017) 10* एससीसी *1:*

[2017] 10 एस. सी. आर. *569* पर भरोसा किया।

6.1 आपराधिक मंजूरी को उचित ठहराया जा सकता है जहां गलत में एक सार्वजनिक तत्व है, जैसे कि राज्य सुरक्षा के खिलाफ अपराध, और इसी तरह। ये सार्वजनिक गलतियाँ हैं जहाँ पीड़ित व्यक्ति नहीं है, बल्कि समग्र रूप से समुदाय है। व्यभिचार निस्संदेह पति या पत्नी और परिवार के लिए एक नैतिक गलत है। तत्व का

सार्वजनिक निंदा, दंडात्मक परिणामों के साथ अपराधी का दौरा करना और व्यक्तिगत अधिकारों पर हावी होना, केवल तभी उचित होगा जब समाज इस तरह के आचरण से सीधे प्रभावित हो। वास्तव में, एक अधिक मजबूत औचित्य की आवश्यकता होती है जहां एक अपराध कारावास से दंडनीय है। राज्य को अपराधों के अपराधीकरण में न्यूनतम दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पसंद करने की स्वायत्तता। *[* पैरा *17] [950-*ए-डी*]* *6.2* गरिमा के साथ जीने के अधिकार में सार्वजनिक निंदा और राज्य द्वारा सजा के अधीन नहीं होने का अधिकार शामिल है।

सिवाय जहाँ बिल्कुल आवश्यक हो। क्या निर्धारित करने के लिए

आचरण के लिए आपराधिक मंजूरी के माध्यम से राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, राज्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या नागरिक उपचार उद्देश्य को पूरा करेगा। जहाँ किसी गलत कार्य के लिए एक नागरिक उपचार पर्याप्त है, वहाँ यह राज्य द्वारा आपराधिक मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता है।

[पैरा *17] [950-*डी-ई*]*

'एंड्रयू एशवर्थ द्वारा आपराधिक कानून के सिद्धांत और

जेरेमी हॉर्डर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *(7* वीं संस्करण*)* मई *2013;* मिल, जॉन एस., अध्याय *I:* परिचयात्मक, ऑन लिबर्टी, लंदन में प्रकाशितः लॉन्गमैन, रॉबर्ट्स एंड ग्रीन कं. *1869*, चौथा संस्करण। *;* ए पी सिमेस्टर और एंड्रियास वॉन हिर्श, अपराध, नुकसान और गलतियाँः *[2018]* के सिद्धांतों पर *11* एस।

अपराधीकरण, ऑक्सफोर्डः हार्ट पब्लिशिंग *(2011) -*
संदर्भित किया गया।

7. इसलिए धारा *497* को निरस्त कर दिया गया है।

असंवैधानिक होना संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *21* का उल्लंघन है। आई. पी. सी. की धारा *198 (2),* जिसमें आई. पी. सी. के अध्याय *20* के तहत अभियोजन की प्रक्रिया शामिल है, केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि यह लागू होती है।

आई. पी. सी. की धारा *497* के तहत व्यभिचार का अपराध। *[* पैरा *18] [950*

शफीन जहां बनाम। अशोकन के. एम. और अन्य। *2018* एससीसी ऑनलाइन

एससी *343;* के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ *(2017) 10*
एससीसी *1;* ई. वी. चिन्नायाह बनाम एपी राज्य, *(2005) 1* एससीसी

(1991) 4 एस. सी. सी. *312*-पर निर्भर।
सौमित्र विष्णु बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *(1985)* सप्लीमेंट

एससीसी *137: [1985]* पूरक। एस. सी. आर. *741;* वी. रेवती बनाम यूनियन

भारत *(1988) 2* एस. सी. सी. *72: [1988] 3* एससीआर *73;* डब्ल्यू।

कल्याणी वी. राज्य *(2012) 1* एस. सी. सी. *358*-निरस्त।

यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम बॉम्बे राज्य *[1954]* एस. सी. आर. *930*

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

दीपक मिश्रा के फैसले में, सीजेआईः

[1954] एससीआर *930*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[1985] पूरक। एससीआर *741*

खारिज कर दिया गया

पैरा *4*

[1988] 3 एससीआर *73*

खारिज कर दिया गया

पैरा *4*

(2012) 1 एस. सी. सी. *358*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[2004] 6 पूरक। एससीआर *1054*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[1988] 3 एससीआर *73*

खारिज कर दिया गया

पैरा *16*

(2012) 1 एस. सी. सी. *358*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[2017] 7 एससीआर *797*

पीछा किया।

पैरा *18*

(1968) 1 एससीआर *349*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

[1976] एससीआर *347*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19* जोसफ शाइन *v.* भारत का संघ

2 एससीआर *348*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

पैरा *19*

2 एससीआर *621*

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर *646*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

2 एससीआर *79*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर *395*

पैरा *19*

2 एससीआर *690*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

1 एससीआर *392*

पैरा *19*

संदर्भित किया गया है

9 एससीआर *303*

पैरा *25*

संदर्भित किया गया है

7 एससीआर *998*

पैरा *27*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *28*

3 एससीआर *458*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31*

5 एससीसी *705*

5 एससीआर *111*

पैरा *32*

संदर्भित किया गया है

12 एससीआर *259*

संदर्भित किया गया है

पैरा *33*

संदर्भित किया गया है

7 एससीसी *192*

पैरा *34*

संदर्भित किया गया है

पैरा *36*

10 एससीसी *1* *5* एस. सी. सी. *438*

संदर्भित किया गया है

पैरा *38*

उस पर भरोसा करें

पैरा *39*

8 एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

2 एससीआर *278*

पैरा *47*

10 एस. सी. आर. *303*

पैरा *50*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

2 एससीआर *594*

पैरा *51*

आर. एफ. नरीमन, जे. *:*

पैरा *12*

आई. एल. आर. बम *449*

संदर्भित किया गया है

एससीआर *930*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

953 बम *311*

पैरा *13*

संदर्भित किया गया है

पूरक। एससीआर *741*

खारिज कर दिया गया

पैरा *17*

खारिज कर दिया गया

पैरा *18*

3 एससीआर *73*

उस पर भरोसा करें

पैरा *23*

7 एससीआर *797*

उस पर भरोसा करें

10 एससीसी *1*

पैरा *26 [2018] 119*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्णय में, जे. : *[1954]* एससीआर *930*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 एससीआर *221*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

[1985] पूरक। एससीआर *741*

खारिज कर दिया गया

पैरा *8*

[1988] 3 एससीआर *73*

खारिज कर दिया गया

पैरा *12*

[1974] 2 एससीआर *348*

उस पर भरोसा करें

पैरा *33*

[2017] 7 एससीआर *797*

पीछा किया।

पैरा *33*

(2018) 1 एस. सी. सी. *791*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

[2007] 12 एससीआर *991*

उस पर भरोसा करें

पैरा *45*

[1995] 1 पूरक। एससीआर *462*

उस पर भरोसा करें

पैरा *47*

(2017) 10 एससीसी *800*

उस पर भरोसा करें

पैरा *47*

(2017) 10 एससीसी *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *50*

इंदु मल्होत्रा के निर्णय में, जे। *:*

[1954] एससीआर *930*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

(2017) 10 एससीसी *1*

उस पर भरोसा करें

पारा*!*

[2004] 5 पूरक। एससीआर *972*

पैरा *1*

उस पर भरोसा करें

[1984] 1 एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

पैरा *1*

[1986] 2 एससीआर *596*

उस पर भरोसा करें

पैरा *1*

उस पर भरोसा करें

[2003] 1 पूरक। एससीआर *638*

पैरा *1*

[2007] 12 एससीआर *991*

उस पर भरोसा करें

पैरा *1*

(1991) 4 एस. सी. सी. *312*

उस पर भरोसा करें

पैरा *1*

[1985] पूरक। एससीआर *741*

खारिज कर दिया गया

पैरा *1*

[1988] 3 एससीआर *73*

खारिज कर दिया गया

पैरा *1*

(2012) 1 एस. सी. सी. *358*

खारिज कर दिया गया

पैरा *1* जोसेफ शाइन *v.* भारत का संघ

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

(आपराधिक*) 2017* की सं. *194*

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत।

पिंकी आनंद, एएसजी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कलीश्वरम राज, सुश्री तुलसी के. राज, सुश्री मैत्रेयी हेगड़े, सुविदत्त एम. एस., बालेन्दु शेखर, सुश्री माधवी दीवान, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री स्निधा मेहरा, सुमित तेतरवाल, हेमंत आर्य, सुश्री कीर्ति दुआ, आर. बालासुब्रमण्यन, सचिन शर्मा, आरती शर्मा, बी. वी. बलराम दास, राहुल नारायण, सुश्री लिज़ मैथ्यू, भावना दास, नवनीत आर., निशांत जेत्रा, अभिषेक

आनंद राय *(*डॉ. सुशील बलवाड़ा के लिए*)*, सुनील फर्नांडीस, सुश्री तृप्ति टंडन, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री अंजू थॉमस, सुश्री प्रियांशा शर्मा, सुश्री आंचल सिंह, सूरज सनप, सुश्री प्रियम लिजमेरी, श्रीमती आभा सिंह, मुनव्वर नसीम, सुश्री पलक मिश्रा, सुश्री प्रभजोत होरा, धीरज ए. फिलिप, के. परमेश्वर, सुश्री जयना कुथारी, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, सुश्री आरती कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

दीपक मिश्रा, सीजेआई *(*अपने लिए और ए. एम. खानविलकर, जे.*)*

1. भारतीय संविधान की सुंदरता यह है कि इसमें 'आई' 'यू' और 'वी' शामिल हैं। इस तरह का एक शानदार, दयालु और विशाल दस्तावेज जोरदार समावेशिता का प्रतीक है जिसे आगे और बढ़ावा दिया गया है।

न्यायिक संवेदनशीलता जब इसने मौलिक अधिकारों के स्वर्णिम त्रिकोण की अवधारणा विकसित की है। अगर हमें ए के मापदंडों को लागू करना है

मौलिक अधिकार, यह न्यायिक संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है जो संविधान की सुंदरता को और बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में, महिलाओं के अधिकारों की अनिवार्यता को मुख्य भवन के अनुलग्नक में जगह के बजाय व्यक्तिगत गरिमा के रहने वाले कमरे में वास्तविक आवश्यक जगह मिलती है। यही चिंता की अभिव्यक्ति है।

संवेदनशीलता। सभ्य समाज में व्यक्तिगत गरिमा का एक पवित्र क्षेत्र होता है। सभ्यता की सभ्यता गर्मजोशी और सम्मान अर्जित करती है जब वह एक महिला के व्यक्तित्व का अधिक सम्मान करती है। उक्त अवधारणा को तब और अधिक महत्व मिलता है जब एक महिला के साथ एक पुरुष के साथ समानता की वास्तविक भावना के साथ व्यवहार किया जाता है। एक महिला के साथ अपमान, असमानता और असमानता का व्यवहार करने वाली कोई भी प्रणाली या भेदभाव संविधान के प्रकोप को आमंत्रित करता है। कोई भी प्रावधान, जिसे कुछ दशक पहले, शांत अनुमोदन की मुहर मिल गई थी, उसे समय के प्रवाह और बढ़ते संवैधानिक उपदेशों और प्रगतिशील धारणा के साथ अपने प्रतीक को पूरा करना पड़ सकता है। एक महिला को एक पुरुष के रूप में या समाज की इच्छा के अनुसार सोचने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस तरह का विचार घृणित है, क्योंकि यह उसकी मूल पहचान को नष्ट कर देता है। और, यह कहने का समय है कि पति स्वामी नहीं है। समानता शासी मापदंड है।

धारणाएँ वाष्पित हो जानी चाहिए और उनके संस्मरण लिखे जाने चाहिए। यह सलाह दी जाती है

जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो देखा था उसे याद करने के लिए:

"एक लिंग का दूसरे के प्रति कानूनी अधीनता-अपने आप में गलत है, और अब मानव के लिए मुख्य बाधाओं में से एक है।
सुधार; और यह कि इसे पूर्ण समानता की एक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, एक पर कोई शक्ति और विशेषाधिकार स्वीकार नहीं करना चाहिए

एक तरफ, न ही दूसरी तरफ अक्षमता "।

हम उपरोक्त प्रारंभिक टिप्पणी के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीय दंड संहिता *(*आई. पी. सी.*)* की धारा *497* और दंड प्रक्रिया संहिता *(*सी. आर. पी. सी.*)* की धारा *198* की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर रहे हैं।

शासन करें। कानून में प्रगति और अवधारणात्मक बदलाव वर्तमान को अतीत की ओर एक मर्मस्पर्शी नज़र रखने के लिए मजबूर करता है। *3.* जब हम ऐसा कहते हैं, तो हो सकता है कि हम यह न समझें कि पूर्ववर्ती को इस तरह से नहीं माना जाना चाहिए कि अवधारणात्मक परिवर्तन के बहाने पूर्ववर्ती की बाध्यकारी प्रकृति को अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

या डाइल्यूट होने दें। जब एक संवैधानिक न्यायालय इस तरह का सामना करता है

चुनौती, अर्थात्, कानून के अन्य क्षेत्रों में हुए मानक परिवर्तनों के कारण एक पूर्ववर्ती द्वारा रोके जाने या उसी से बाहर निकलने के लिए और पूर्ववर्ती प्राप्त करना सुसंगत रूप से उसी में फिट नहीं होता है, सामंजस्यपूर्ण समायोजन की अवधारणा बढ़ती कानूनी व्याख्या के अनुरूप होनी चाहिए और विश्लेषण अलग होना चाहिए, विशेष रूप से, जहां उभरती अवधारणा संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* जैसे मौलिक अधिकार के डिब्बे में लगाए जाने के लिए एक विशेष अधिकार को मान्यता देती है। ऐसी पृष्ठभूमि में, जब किसी प्रावधान की संवैधानिकता पर हमला किया जाता है, तो न्यायालय विकसित और प्रगतिशील व्याख्या के संदर्भ में प्रावधान की गहन जांच करने के लिए मजबूर होता है। एक संवैधानिक न्यायालय एक मिसाल पर कायम नहीं रह सकता है, क्योंकि विवाद उन मनुष्यों के जीवन से संबंधित है जो दिव्य रूप से बढ़ते हैं। यह निश्चित रूप से घोषित किया जा सकता है कि परिवर्तनकारी

संविधानवाद हर पल खुद पर जोर देता है और खुद पर जोर देता है महिलाओं की अधीनता पर, अध्याय *1 (*जॉन स्टुअर्ट मिल, *1869)*

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उसका स्थान। यह किसी भी प्रकार के प्रतिगामी दृष्टिकोण के लिए घृणित है। पूरा।

बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जो एक समय पर स्वीकार्य हो सकता है वह दूसरे समय में पूरी तरह से महत्वहीन हो सकता है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि महसूस किया गया परिवर्तन कल्पना या व्यक्तिगत आकर्षण के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे स्थापित किया जाना चाहिए। समाज ने परिवर्तन के ठोस आधार को देखा है, जिन क्षेत्रों में विधायिका ने प्रतिक्रिया दी है और जिन अधिकारों पर संवैधानिक अदालतों ने जोर दिया है। व्याख्या करने के लिए, प्रगतिशील मानदंडों के भीतर महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करने के बावजूद

न्यायशास्त्र और विस्तृत संवैधानिक दृष्टि, न्यायालय यह कल्पना नहीं कर सकता कि महिलाओं को अभी भी पुरुषों की संपत्ति के रूप में माना जा रहा है, और दूसरा,

जहाँ पति और पत्नी के बीच नाजुक संबंध ऐसा नहीं रहता है, वहाँ किसी आपराधिक अपराध को प्रवेश करने और किसी तीसरे पक्ष को दोषी बनाने की अनुमति देना असंभव प्रतीत होता है।

4. हम वर्तमान में लिस की प्रकृति बता सकते हैं।

5. आई. पी. सी. की धारा *497* की वैधता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत तत्काल रिट याचिका दायर की गई है। ए तीन

न्यायाधीश पीठ, पहले अवसर पर, यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम में अधिकारियों पर ध्यान देते हुए। बॉम्बे राज्य *2*, सौमित्र विष्णु बनाम। भारत संघ और अन्य *3*, वी. रेवती बनाम। भारत संघ और अन्य और डब्ल्यू. कल्याणी बनाम। पुलिस निरीक्षक और अन्य लोगों के माध्यम से राज्य और

के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों की सराहना करना

याचिकाकर्ता ने प्रावधान की संवैधानिकता पर फिर से विचार करने की आवश्यकता महसूस की। उस समय न्यायालय ने कहा था किः

"प्रथम दृष्टया, भारतीय दंड संहिता की धारा *497* के अवलोकन पर

कोड, हम पाते हैं कि यह पत्नी को पीड़ित के रूप में व्यवहार करके राहत देता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब दोनों द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो एक आपराधिक अपराध के लिए उत्तरदायी होता है लेकिन दूसरा दोषमुक्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह एक सामाजिक धारणा पर आधारित है।

आम तौर पर, आपराधिक कानून लैंगिक तटस्थता पर आगे बढ़ता है लेकिन इस प्रावधान में, जैसा कि हम समझते हैं, उक्त अवधारणा अनुपस्थित है। इसके अलावा, यह देखा जाना चाहिए कि जब महिलाओं को कोई सकारात्मक अधिकार प्रदान किया जाता है, तो क्या यह उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की हद तक जा सकता है
पीड़ित, सभी परिस्थितियों में, पति के खतरे के लिए। काफी हद तक

2 1954 एससीआर *930:* ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *321 3 (1985)* पूरक एस. सी. सी. *137:* ए. आई. आर *1985* एस. सी. *1618 4 (1988) 2* एस. सी. सी. *72*

5 (2012) 1 एससीसी *358 [2018] 11* एस. सी. आर.

इसके अलावा, धारा में प्रयुक्त भाषा से यह समझ में आता है कि पति की सहमति या मिलीभगत स्थापित होने के बाद अपराध का आधार नष्ट हो जाता है। उक्त परिदृश्य से देखने पर, यह प्रावधान वास्तव में एक महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्र पहचान पर एक सेंध लगाता है जब पति की मिलीभगत या सहमति पर जोर दिया जाता है। यह एक महिला के अधीनता के समान है जहां संविधान समान दर्जा प्रदान करता है। एक समय आ गया है जब समाज को यह महसूस करना चाहिए कि एक महिला हर क्षेत्र में एक पुरुष के बराबर है। यह प्रावधान, प्रथम दृष्टया, काफी पुरातन प्रतीत होता है। जब समाज प्रगति करता है और अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो नए

विचारों की उत्पत्ति होती है, और इसलिए, हम नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक हैं।

इस तरह यह मामला हमारे सामने रखा गया है।

6. इस स्तर पर, एक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस समय

तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई में, यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(*उपरोक्त*)* मामले में निर्णय का हवाला दिया गया और उद्धृत विधि रिपोर्ट से पता चलता है कि निर्णय चार विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिया गया था और बाद में, यह देखा गया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों से पता चलता है, कि निर्णय इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया था।

7. उक्त तथ्यात्मक खोज हमें और नहीं रोकेगी। यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(*उपरोक्त*)* मामले में, न्यायालय उस विवाद पर विचार कर रहा था जो एक अलग तथ्य स्थिति से निपटने के दौरान इस न्यायालय में आया था। उक्त मामले में, यह सवाल उठा कि क्या धारा *497* भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन करती है। उक्त मामले में, अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा *497* के तहत व्यभिचार का मुकदमा चलाया जा रहा था। के रूप में

जैसे ही शिकायत दर्ज की गई, पति ने संविधान के अनुच्छेद *228* के तहत संवैधानिक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में आवेदन किया। संविधान पीठ ने धारा *497* का उल्लेख करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"*3.* धारा *497* के तहत व्यभिचार का अपराध केवल

एक पुरुष द्वारा किया गया लेकिन इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के अभाव में महिला को उकसाने वाले के रूप में दंडित किया जाएगा। धारा *497* में अंतिम वाक्य इसे प्रतिबंधित करता है। यह चलता है। "ऐसे मामले में पत्नी को उकसाने वाले के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा। " यह.

कहा जाता है कि यह अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन करता है।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

अनुच्छेद *15* का वह भाग जिस पर अपीलार्थी निर्भर करता है वह यह हैः

"राज्य किसी भी नागरिक के साथ आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

केवल. सेक्स "।

लेकिन वह जिस बात की अनदेखी करता है वह यह है कि वह खंड *(3)* के अधीन है जो

जिस प्रावधान की शिकायत की गई है वह एक विशेष प्रावधान है और यह महिलाओं के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे खंड *(3)* द्वारा सहेजा गया है। *4.* यह तर्क दिया गया कि खंड *(3)* को उन प्रावधानों तक सीमित रखा जाना चाहिए जो महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं और जिनका उपयोग उन्हें अपराध करने और बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस देने के लिए नहीं किया जा सकता है। हम खंड में इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को पढ़ने में असमर्थ हैं और न ही हम इस बात से सहमत हैं कि

5. अनुच्छेद *14* सामान्य है और इसे अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का दायरा निर्धारित करते हैं। लिंग एक ठोस वर्गीकरण है और हालांकि उस आधार पर सामान्य रूप से कोई

भेदभाव नहीं हो सकता है, संविधान स्वयं महिलाओं और बच्चों के मामले में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ये दोनों लेख भारतीय दंड संहिता की धारा *497* में आक्षेपित खंड को एक साथ पढ़ें।

6. अपीलार्थी भारत का नागरिक नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि वह उस कारण से अनुच्छेद *14* और *15* का आह्वान नहीं कर सकते थे। द हाई अदालत ने अन्यथा निर्णय दिया। यह तय करना हमारे लिए जरूरी नहीं है।

दूसरे मुद्दे पर हमारे फैसले को देखते हुए सवाल।

उपरोक्त परिच्छेदों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि प्रावधान को महिलाओं के लिए बनाया गया एक विशेष प्रावधान माना जाता है, जो अनुच्छेद *15* के खंड *(3)* द्वारा सहेजा गया है। इस प्रकार, न्यायालय ने सकारात्मक कार्रवाई की नींव रखी।

8. इस संदर्भ में, हम दाउदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड में शिक्षा पीठ द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख कर सकते हैं।

नोथर वी। महाराष्ट्र राज्य और दूसरा एक बड़ी पीठ का गठन करते हुए। उक्त आदेश इस प्रकार हैः

"12. पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और उपरोक्त निर्णयों में संविधान पीठों द्वारा निर्धारित कानून की जांच करने के बाद, हम निम्नलिखित शब्दों में कानूनी स्थिति का सारांश देना चाहेंगेः

(1) इस न्यायालय द्वारा अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित कानून कम या समान संख्या वाली किसी भी बाद की पीठ के लिए बाध्यकारी है।

(2) कम कोरम वाली पीठ अधिक कोरम वाली पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण से असहमत या असहमत नहीं हो सकती है। मामले में

सन्देह के कारण कम कोरम वाली पीठ केवल मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित कर सकती है और इस मामले पर विचार करने का अनुरोध कर सकती है

पीठ की तुलना में अधिक गणपूर्ति वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया, जिसका निर्णय विचार के लिए आया है। यह केवल समान संख्या वाली पीठ के लिए पहले की पीठ द्वारा लिए गए विचार की शुद्धता पर संदेह करते हुए राय व्यक्त करने के लिए खुला होगा।

समान शक्ति का मामला, जिसके बाद मामले को सुनवाई के लिए उस पीठ के समक्ष रखा जा सकता है जिसमें उस पीठ से बड़ी कोरम हो, जिसने कानून को निर्धारित करने वाले निर्णय की घोषणा की थी, जिसकी शुद्धता पर संदेह है।

(3) उपरोक्त नियम दो अपवादों के अधीन हैं: *(i)* उपर्युक्त नियम मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार को बाध्य नहीं करते हैं, जिसमें रोस्टर तैयार करने की शक्ति निहित है और जो किसी विशेष मामले को किसी भी शक्ति की किसी विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दे सकता है; और *(ii)* ऊपर निर्धारित नियमों के बावजूद, यदि मामला पहले ही बड़ी कोरम की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आ चुका है और वह पीठ स्वयं महसूस करती है कि कम कोरम की पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण में, जो विचार संदेह में है, सुधार या पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो अपवाद के रूप में *(*और नियम के रूप में नहीं*)* और उसके द्वारा दिए गए कारणों से, वह मामले की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ सकता है और मामले की शुद्धता की जांच कर सकता है। एक विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता या पीठ का गठन करने वाले मुख्य न्यायाधीश के आदेश और ऐसी सूचीकरण के संबंध में प्रश्नगत पूर्व निर्णय। रघुबीर सिंह और हंसोली देवी *8* में ऐसी स्थिति थी।

भारत और एन. आर. वी. एलआरएस द्वारा रघुबीर सिंह *(*मृत*)*। आदि, *(1989) 2* भारत का एस. सी. सी. *754* और ए. एन. आर. वी. हंसोली देवी और अन्य। , *(2002) 7* एस. सी. सी. *273* जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उपरोक्त आदेश के आलोक में, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करना आवश्यक था। जिस तरह से हम मामले से निपटने का इरादा रखते हैं, उस पर विचार करते हुए जैसा कि उल्लेख किया गया है, एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना आवश्यक है।

9. आई. पी. सी. की धारा *497* और *498* इस प्रकार हैः

जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसे वह जानता है या जिसके पास उस पुरुष की सहमति या मिलीभगत के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी होने का विश्वास करने का कारण है, तो ऐसा यौन संबंध संभोग जो बलात्कार के अपराध के बराबर नहीं है, व्यभिचार के अपराध का दोषी है, और उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पत्नी नहीं होगी

एक उकसाने वाले के रूप में दंडनीय।

धारा *498* के तहत प्रलोभन देना या उसे ले जाना या हिरासत में लेना एक विवाहित महिला का आपराधिक इरादा

किसी व्यक्ति के साथ संभोग करना, या उस इरादे से किसी ऐसी महिला को छिपाना या हिरासत में रखना, दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक हो सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

10. सी. आर. पी. सी. की धारा *198* विवाह अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान करती है। धारा *198* नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

" 198. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। *(1)* कोई भी न्यायालय इसके तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर भारतीय दंड संहिता *(1860* का *45)* का अध्याय *XX:*

बशर्ते कि *(क)* जहाँ ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है या मूर्ख या पागल है, या बीमारी या दुर्बलता से शिकायत करने में असमर्थ है, या ऐसी महिला है जिसे स्थानीय रीति-रिवाजों और शिष्टाचार के अनुसार, *[2018] 11* एस. सी. आर. में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक रूप से, कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, अपनी ओर से शिकायत कर सकता है;

(ख) जहाँ ऐसा व्यक्ति पति है और वह संघ के किसी भी सशस्त्र बल में ऐसी शर्तों के तहत सेवा कर रहा है जो - उसके कमांडिंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया कि उसे अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त करने से रोक दिया गया है ताकि वह व्यक्तिगत रूप से शिकायत कर सके, पति द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति

उप-धारा *(4)* के प्रावधानों के अनुसार उसकी ओर से शिकायत की जा सकती है।

(ग) जहां भारतीय दंड संहिता *(1860* का *45)* की धारा *494* या धारा *495* के तहत दंडनीय अपराध से पीड़ित व्यक्ति पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पिता, मां, भाई, बहन, बेटे या बेटी या उसके पिता या मां के भाई या बहन *2,* या अदालत की अनुमति से, उसके रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है। *(2)* उप-धारा *(1)* के प्रयोजनों के लिए, महिला के पति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी के द्वारा व्यथित नहीं समझा जाएगा।

उक्त संहिता की धारा *497* या धारा *498* के तहत दंडनीय अपराधः बशर्ते कि पति की अनुपस्थिति में, कोई व्यक्ति

(3) जब किसी भी मामले में उप-धारा *(1)* के परंतुक के खंड *(ए)* के तहत आने वाली शिकायत अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की ओर से या एक पागल की ओर से की जानी चाहिए। वह व्यक्ति जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाबालिग या पागल व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय संतुष्ट है कि इस प्रकार एक संरक्षक नियुक्त किया गया है या

घोषित किया गया, न्यायालय, छुट्टी के लिए आवेदन देने से पहले, ऐसे अभिभावक को नोटिस देगा और उसे एक

सुनने का उचित अवसर। *(4)* उप-धारा *(1)* के परन्तुक के खंड *(ख)* में निर्दिष्ट प्राधिकरण, लिखित रूप में होगा, पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा सत्यापित किया जाएगा, जिसमें इस आशय का एक बयान होगा कि उसे उन आरोपों के बारे में सूचित किया गया है जिन पर -

शिकायत को स्थापित किया जाना है, उसके द्वारा जवाबी हस्ताक्षर किए जाएंगे कमांडिंग ऑफिसर, और उनके साथ एक प्रमाण पत्र जोसेफ शाइन *v* होगा।

उस अधिकारी द्वारा इस प्रभाव के लिए हस्ताक्षरित कि अनुपस्थिति की छुट्टी

व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने का उद्देश्य कुछ समय के लिए नहीं हो सकता है।
पति को दिया जाता है।

(5) ऐसा प्राधिकरण होने का तात्पर्य रखने वाला कोई भी दस्तावेज और
उप-धारा *(4)* के प्रावधानों का पालन करना और

किसी भी

धारा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, के रूप में माना जाएगा
वास्तविक और साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

(6) कोई भी न्यायालय धारा के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

376 भारतीय दंड संहिता *(1860* का *45)*, जहां ऐसा अपराध
एक पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना,

पत्नी की आयु *3 [*अठारह वर्ष*]* से कम हो, यदि एक से अधिक हो

अपराध करने की तारीख से वर्ष बीत चुका है।
(7) इस धारा के प्रावधान उकसाने पर लागू होते हैं, या

अपराध करने का प्रयास एक अपराध है जैसा कि वे अपराध पर लागू होते हैं।

11. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि

महिला के पति को पीड़ित व्यक्ति माना गया है आई. पी. सी. की धारा *497* और *498* के तहत दंडनीय अपराध। शेष परंतुक एक अपवाद बनाता है कि पति के अनुपस्थित रहने पर कौन शिकायत दर्ज करने का हकदार है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपराध संज्ञेय नहीं है।

12. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को संदर्भित करते हुए संक्षिप्त में कहा था कि

प्रावधान के प्रभाव पर ध्यान दिया। संवैधानिक की सराहना करने के लिए

वैधता, सबसे पहले, हम पहले की घोषणाओं और उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे और हम ऐसे प्रावधानों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण कैसे रख सकते हैं। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि क्या कहा गया है

यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(*ऊपर*)*।

13. सौमित्र विष्णु *(*ऊपर*)* में, अनुच्छेद के तहत एक याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

32 संविधान ने आई. पी. सी. की धारा *497* की वैधता को चुनौती दी। हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विज्ञापन करने का इरादा नहीं रखते हैं। तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि धारा *497* पति को व्यभिचारी पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन यह पत्नी को उस महिला पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जिसके साथ उसके पति ने व्यभिचार किया है; कि धारा *497* पत्नी को उस पति पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जिसने दूसरी महिला के साथ

व्यभिचार किया है; और यह कि धारा *497* ऐसे मामलों में नहीं लेती है जहां पति एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध रखता है जिसके परिणामस्वरूप पति को मुफ्त *[2018] 11* एस. सी. आर. मिलता है।

अविवाहित महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंध रखने के लिए कानून के तहत लाइसेंस। इसके अलावा, यह दलील दी गई कि धारा *497* 'लैंगिक भेदभाव', 'विधायी निरंकुशता' और 'पुरुष वर्चस्ववाद' का एक स्पष्ट उदाहरण है। पहली नज़र में, ऐसा लग सकता है कि यह महिलाओं के हितों की सेवा करने के उद्देश्य से एक लाभकारी कानून है, लेकिन निकट भविष्य में।

जाँच करने पर यह पाया जाएगा कि इस खंड में निहित प्रावधान एक प्रकार का "रोमांटिक पितृत्ववाद" है जो इस धारणा से उत्पन्न होता है कि महिलाएं, संपत्ति की तरह, पुरुषों की संपत्ति हैं।

14. न्यायालय ने प्रस्तुतियों का उल्लेख किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

..... तर्क वास्तव में इस पर आता है कि परिभाषा होनी चाहिए

लेकिन यह विधानमंडल को विचार करना है कि क्या धारा *497* को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके -
" "समाज जिस परिवर्तन से गुजरा है"।

आगे बढ़ते हुए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अपराध

उस धारा में परिभाषित व्यभिचार केवल एक पुरुष द्वारा किया जा सकता है, न कि एक महिला द्वारा। वास्तव में, धारा में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पत्नी को उकसाने वाले के रूप में भी दंडित नहीं किया जाएगा। तब कोई शिकायत नहीं की जा सकती है कि धारा पत्नी को पति पर व्यभिचार के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देती है। कानून का विचार, स्पष्ट रूप से, यह है कि पत्नी, जो किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध में शामिल है, एक पीड़ित है और जोसेफ शाइन *v*।

अपराध का लेखक नहीं। धारा *497* में परिभाषित व्यभिचार के अपराध को विधानमंडल द्वारा वैवाहिक घर की पवित्रता के खिलाफ अपराध माना जाता है, एक ऐसा कार्य जो एक पुरुष द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह

आम तौर पर है। इसलिए, जो लोग उस पवित्रता को अशुद्ध करते हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाता है। एक अर्थ में, वही मुद्दा वापस किया जाता है; कौन मुकदमा चला सकता है जिसके लिए अपराध निर्भर करता है, पहला, अपराध की परिभाषा पर और दूसरा, मुकदमा चलाने के अधिकार पर प्रक्रिया के कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर।

15. न्यायालय ने आगे कहाः

"..... चूंकि धारा *497* में यह प्रावधान नहीं है कि उसे अभियोजन पक्ष के लिए एक आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या वह सुनवाई का हकदार होगी, इसलिए धारा को खराब कहा जाता है। वकील सही है कि धारा *497* में सुनवाई का प्रावधान नहीं है

विवाहित महिला जिसके साथ आरोपी के होने का आरोप है

व्यभिचार किया। लेकिन, यह इस प्रस्ताव को उचित नहीं ठहराता है कि वह मुकदमे में सुनवाई की हकदार नहीं है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि पत्नी निचली अदालत में आवेदन करती है कि व्यभिचार के सवाल पर निष्कर्ष दर्ज करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए, तो आवेदन पर अदालत से उचित विचार किया जाएगा। मूल या विशेषण आपराधिक कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदालत को किसी पक्ष को सुनवाई करने से रोकता हो।
जो न्यायालय के निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से और तुरंत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। वास्तव में, आपराधिक कानून में ऐसे उदाहरण अज्ञात नहीं हैं, जहां अभियोजन पक्ष लोक अभियोजक के प्रभारी होने के बावजूद, निजी शिकायतकर्ता को कार्यवाही की देखरेख करने की अनुमति दी जाती है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए, पत्नी को सुनवाई की अनुमति दी जा सकती थी, इससे पहले कि एक प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज किया जाए कि, जैसा कि उसके पति ने आरोप लगाया है, आरोपी ने उसके साथ व्यभिचार किया था। सुनवाई का अधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक सहवर्ती है, हालांकि सभी स्थितियों में नहीं। उस अधिकार को उचित मामलों में कानून में पढ़ा जा सकता है। इसलिए, यह तथ्य कि पत्नी की सुनवाई का प्रावधान धारा *497* में निहित नहीं है।

उस धारा को अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक नहीं बना सकते।

ऐसा कहने के बाद, अदालत ने यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(ऊपर)* पर भरोसा रखा और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन नहीं करता है और यह राय दी कि विवाह की स्थिरता तिरस्कार करने के लिए एक आदर्श नहीं है। इस दृष्टिकोण के कारण, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

16. वी. रेवती बनाम। भारत संघ और अन्य, न्यायालय ने प्रावधान की रूपरेखा का विश्लेषण किया और फैसला सुनाया किः

"..... इस प्रकार कानून न तो उल्लंघन करने वाली पत्नी के पति को अपनी पत्नी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है और न ही कानून पत्नी को उल्लंघन करने वाले पति पर उसके प्रति विश्वासघात करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इस प्रकार
पति और पत्नी दोनों आपराधिक कानून के हथियार से एक-दूसरे पर प्रहार करने में अक्षम हैं। याचिकाकर्ता पत्नी का तर्क है कि कानून पति को अपनी विश्वासघाती पत्नी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है या नहीं, पत्नी को अपने विश्वासघाती पति पर मुकदमा चलाने से कानूनी रूप से अक्षम नहीं किया जा सकता है।

इसने सौमित्र विष्णु *(ऊपर)* में तीन न्यायाधीशों की पीठ पर भारी निर्भरता रखी और कहा कि समुदाय उस 'बाहरी व्यक्ति' को दंडित करता है जो वैवाहिक घर में घुसता है और पति या पत्नी में से किसी एक के साथ अवैध संबंध विकसित करके वैवाहिक संबंध की पवित्रता का उल्लंघन करता है, बशर्ते कि गलती करने वाले

'पुरुष' को ही दंडित किया जा सके और गलती करने वाली महिला को नहीं। इसने आगे कहा कि यह दोनों पति-पत्नियों को आपराधिक कानून के हथियार से एक-दूसरे को मारने के लिए हथियार नहीं देता है। यही कारण है कि न तो पति पत्नी पर मुकदमा चला सकता है और न ही उसे जेल भेज सकता है और न ही पत्नी पति पर मुकदमा चला सकती है और उसे जेल भेज सकती है। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जबकि वैवाहिक घर की पवित्रता का उल्लंघन करने वाले बाहरी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, एक सवार जोड़ा गया है कि यदि बाहरी व्यक्ति एक महिला है, तो उसे दंडित नहीं किया जाता है।

इस प्रकार, महिला के खिलाफ होने के बजाय उसके पक्ष में विपरीत भेदभाव किया जाता है। कानून में एक-दूसरे के कहने पर किसी भी पति-पत्नी को दंडित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं है।

महिला के खिलाफ जहाँ तक उसे अपने पति पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। एक पति को अनुमति नहीं है क्योंकि कानून की नजर में पत्नी को अपराधी के रूप में नहीं माना जाता है। पत्नी को अनुमति नहीं है क्योंकि धारा *198 (2)* के साथ पठित धारा *198 (1)* उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। अंतिम विश्लेषण में, कानून ने एक-दूसरे पर मुकदमा चलाने या एक-दूसरे को कैद करने के मामले में दोनों को समान रूप से न्याय दिया है। इस प्रकार, कोई भेदभाव नहीं किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *198 (2)* के दायरे को सीमित करना और इसे इस तरह से तैयार करना कि व्यभिचारी पर मुकदमा चलाने का अधिकार व्यभिचारिणी के पति तक ही सीमित है, लेकिन व्यभिचारी की पत्नी तक इसका विस्तार नहीं किया गया है। इस विचार को व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रावधान शत्रुतापूर्ण भेदभाव के आरोप के प्रति संवेदनशील नहीं है।

9 9 (1988) 2 एस. सी. सी. *72* जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

17. डब्ल्यू. कल्याणी बनाम। राज्य के पुलिस निरीक्षक और

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 10. इस प्रावधान की वर्तमान में एक मजबूत लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाने के लिए कुछ वर्गों से आलोचना हो रही है क्योंकि यह एक विवाहित महिला की स्थिति को लगभग उसके पति की संपत्ति बनाता है। लेकिन कानून के संदर्भ में, जैसा कि यह खड़ा है, यह धारा के एक सादे पठन से स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और व्यभिचार के अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। वास्तव में, धारा में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पत्नी को उकसाने वाले के रूप में भी दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी एक महिला है, उसे व्यभिचार के आरोप से पूरी तरह से मुक्त बनाता है और उसके खिलाफ उस अपराध के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

यह ध्यान दिया जाए कि संवैधानिक वैधता का मुद्दा इसमें नहीं उठा था

मामला।

18. इस मोड़ पर, हमें लगता है कि यह कहना प्रतीत होता है कि हम केवल आई. पी. सी. की धारा *497* और सी. आर. पी. सी. की *198* की संवैधानिक वैधता पर विचार करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता का विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि रोविजन अपनी प्रकृति से मनमाना है और संविधान के अनुभाग *14* की निंदा को आमंत्रित

करता है। शायरा बानो बनाम। भारत संघ और धारा *1 1,* नरीमन, जे. के माध्यम से बोलने वाले बहुमत ने इस प्रकार शासन कियाः

" 60. हमने जितना प्रयास किया, इस निर्णय में किसी भी अनुपात का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि निर्णय का एक हिस्सा दूसरे भाग के विपरीत है। यदि एक विशेष वैधानिक अधिनियम पहले से ही चुनौती के दायरे में है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसी तरह के अन्य अधिनियम

चुनौती दी गई याचिका का भी इस न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं किया जाना चाहिए था। उपरोक्त के अलावा, प्रेम चंद गर्ग *(*उपरोक्त*)* के आलोक में इस तरह की गिरावट की सराहना करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यह निर्णय इस हद तक कि यह कम से कम दो संविधान *346* पीठ के फैसलों के विपरीत है, संभवतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है -

अच्छा कानून बनो।

61. यह इस बिंदु पर है कि यह देखना आवश्यक है कि क्या *1937* के अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है क्योंकि यह न्यायालयों में कानून के नियम के रूप में तीन तलाक को लागू करने का प्रयास करता है।

भारत।

2) 1 एससीसी *358 7) 9* एससीसी *1 [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62. भारत के संविधान का अनुच्छेद *14* स्थिति और अवसर की समानता का एक पहलू है जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है।

संविधान। अनुच्छेद स्वाभाविक रूप से खुद को दो भागों में विभाजित करता है।

(1) कानून के समक्ष समानता, और *(2)* कानून का समान संरक्षण। इस न्यायालय के निर्णयों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा यू. के. में कानून से ली गई है, और कानूनों का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के *14* वें संशोधन से लिया गया है। एक स्पष्ट निर्णय में, जे. सुब्बा राव, असहमति जताते हुए,

यू. पी. राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, *(1961) 1* एस. सी. आर. *14* में *34* ने आगे कहा कि जहां कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है, वहीं कानून के समान संरक्षण में सकारात्मक सामग्री है। इस न्यायालय के प्रारंभिक निर्णयों में अनुच्छेद *14* के "भेदभाव" पहलू का उल्लेख किया गया था और एक नियम विकसित किया गया था जिसके द्वारा विषयों को वर्गीकृत किया जा सकता था। यदि *347* वर्गीकरण था "जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह अनुच्छेद *14* के भेदभाव विरोधी पहलू के तहत पारित होगा। पुनः, सुब्बा राव, जे., लक्ष्मण दास बनाम में असहमत हैं। पंजाब राज्य, *(1963) 2* एस. सी. आर. *353* ने *395* पर चेतावनी दी कि

" *50* ..... वर्गीकरण के सिद्धांत पर अत्यधिक जोर देना या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का एक चिंतित और निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से वंचित कर सकता है।
इसकी शानदार सामग्री का लेख "।

उन्होंने उक्त अनुच्छेद को व्यावहारिक सामग्री देने के लिए अदालतों द्वारा विकसित "सहायक नियम" के रूप में वर्गीकरण के सिद्धांत का उल्लेख किया।

63. 1974 से पहले के युग में, इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख था -

अनुच्छेद *14* का "कानून का शासन" या "सकारात्मक" पहलू, जिसका सहवर्ती यह है कि यदि कोई कार्रवाई मनमाना और इसलिए अनुचित पाई जाती है, तो यह अनुच्छेद *14* में निहित कानून के समान संरक्षण को नकार देगा और इस आधार पर रद्द कर दिया जाएगा। एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ, *(1967) 2* एस. सी. आर. *703*, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" इस संदर्भ में इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन की पहली आवश्यकता है जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक प्रणाली आधारित है। कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली में, कार्यकारी अधिकारियों को प्रदान किए जाने पर, स्पष्ट रूप से परिभाषित जोसफ शाइन *v* के भीतर सीमित रहना चाहिए।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

[342 यूएस *98]*,
" *9* ..... जब इसने मनुष्य को किसी शासक के असीमित विवेक से मुक्त कर दिया हो। … … .....जहाँ विवेक निरपेक्ष होता है, वहाँ मनुष्य ने हमेशा पीड़ा झेली है। यह इस अर्थ में है कि कानून के शासन को सनक का कट्टर दुश्मन कहा जा सकता है। विवेक, लॉर्ड मैन्सफील्ड के रूप में

जॉन विल्क्स *[(1770) 4* बर के मामले में इसे क्लासिक शब्दों में कहा गया है। *2528 2539* पर*]*,

66..... इसका अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित ठोस विवेकाधिकार। इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि हास्य द्वाराः यह मनमाना नहीं होना चाहिए,

अस्पष्ट और काल्पनिक। ""

यह सेवा नियमों के वरिष्ठता नियम होने के संदर्भ में था, जो आयकर विभाग पर लागू होते हैं।

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है।

19. इसके बाद, हमारे विद्वान भाई ने मैसूर राज्य बनाम में अधिकारियों का उल्लेख किया। एस. आर. जयराम *1 2 2*, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज

नारायण *1 3*, ई. पी. रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य *1 4*, मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *1 5*, ए. एल. कालरा बनाम। भारतीय परियोजना और उपकरण निगम *Ltd.*[1]*6 16*, अजय हसिया बनाम। खालिद मुजीब सहरावर्दी ", के. आर. लक्ष्मणन बनाम। मिथु बनाम में *T.N.18* की स्थिति और दो अन्य संविधान पीठ के निर्णय। पंजाब राज्य *1 9 19* और सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन *20* और, अंततः, इस प्रकार आयोजित किया गयाः

14 (1974) 4 एससीसी *3* *15 (1978) 1* एस. सी. सी. *248*

16 (1984) 3 एस. सी. सी. *316*

17 (1981) 1 एस. सी. सी. *722*

18 (1996) 2 एससीसी *226*

19 (1983) 2 एस. सी. सी. *277*

20 (1978) 4 एससीसी *494 [2018] 11* एस. सी. आर.

"इसलिए, उपरोक्त दो संविधान पीठ के फैसलों को पढ़ने से भी यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *14* को सांविधिक कानून की सांविधिक अयोग्यता के संदर्भ में यह दिखाने के लिए संदर्भित किया गया है कि यदि ऐसा सांविधिक कानून "मनमाना" पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

और फिर सेः

"..... इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, स्पष्ट मनमानेपन का परीक्षण अनुच्छेद *14* के तहत अमान्य कानून के साथ-साथ अधीनस्थ कानून पर भी लागू होगा। प्रकटीकरण इसलिए, मनमानी विधायिका द्वारा मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना की जानी चाहिए। इसके अलावा, जब कुछ ऐसा किया जाता है जो अत्यधिक और असमान है, तो ऐसा कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होगा। इसलिए हमारा विचार है कि ऊपर बताए गए स्पष्ट मनमानेपन के अर्थ में मनमानेपन इन पर लागू होगा -

अनुच्छेद *14* के तहत भी कानून को अस्वीकार करें।

20. हम सम्मानपूर्वक उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं।

21. यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(ऊपर)* में, अदालत ने महिलाओं के संरक्षण को भेदभावपूर्ण नहीं बल्कि सकारात्मक के रूप में समझा।

संविधान के अनुच्छेद *15* के खंड *(3)* के तहत प्रावधान। हम विस्तारित क्षितिज का मार्ग अपनाना चाहते हैं क्योंकि इस न्यायालय द्वारा लैंगिक न्याय का विस्तार किया गया है।

22. अब हम उपरोक्त सिद्धांतों की कसौटी पर प्रावधान का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रावधान को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि जब पुरुष की मिलीभगत या सहमति होती है, तो कोई अपराध नहीं होता है। यह महिला को एक चटेल के रूप में मानता है। यह उसे मनुष्य की संपत्ति के रूप में मानता है और पूरी तरह से स्वामी की इच्छा के अधीन है। यह उस सामाजिक प्रभुत्व का प्रतिबिंब है जो उस समय प्रचलित था जब दंडात्मक प्रावधान था

तैयार किया गया।

23. जैसा कि हम देखते हैं, प्रावधान एक विवाहित महिला को पति की संपत्ति के रूप में मानता है। दिलचस्प बात यह है कि आई. पी. सी. की धारा *497* इसके दायरे में अविवाहित महिला या विधवा के साथ अतिरिक्त वैवाहिक संबंध नहीं आता है। "व्यभिचार" का शब्दकोश अर्थ है कि एक विवाहित व्यक्ति व्यभिचार करता है यदि वह किसी ऐसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है जिसके साथ उसने विवाह नहीं किया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, जोसेफ शाइन वी।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

सी. आर. पी. सी. एक "पीड़ित व्यक्ति" से संबंधित है। धारा *198* की उप-धारा *(2)* महिला के पति को पीड़ित मानती है। आई. पी. सी. की धारा *497* के तहत किया गया अपराध और पति की अनुपस्थिति में, कोई व्यक्ति जिसने उस समय अपनी ओर से महिला की देखभाल की थी जब

ऐसा अपराध अदालत की अनुमति से किया गया था। यह व्यभिचारी की पत्नी को पीड़ित व्यक्ति नहीं मानता है। अपराध

और एक व्यथित व्यक्ति की मानित परिभाषा, जैसा कि हम पाते हैं, पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह तर्कसंगत भी नहीं लगता है और यह जोर देकर कहा जा सकता है कि यह पति को पत्नी के साथ अपनी पसंद के अनुसार व्यवहार करने का लाइसेंस प्रदान करता है जो अत्यधिक है और

असमान। हम ऐसा सोचने के लिए विवश हैं, क्योंकि यह एक महिला को उकसाने वाले के रूप में नहीं मानता है, बल्कि एक महिला की रक्षा करता है और साथ ही, यह पत्नी को पति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दायर करने में सक्षम नहीं बनाता है। निस्संदेह, वह दीवानी कार्रवाई कर सकती है लेकिन पति भी दीवानी कार्रवाई करने का हकदार है। हालाँकि, यह प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं मानता है। यह मामले का एक पहलू है। यदि पूरे प्रावधान को आर्गस-आईड के रूप में स्कैन किया जाता है, तो हम देखते हैं कि एक ओर, यह एक महिला की रक्षा करता है और दूसरी ओर, यह दूसरी महिला की रक्षा नहीं करता है। प्रावधान का तर्क तर्कसंगतता के अभाव से ग्रस्त है

24. वर्तमान में, हम संविधान के अनुच्छेद *21* की पृष्ठभूमि में इस मुद्दे को संबोधित करेंगे। उक्त प्रयोजन के लिए, यह आवश्यक है कि - महिलाओं की गरिमा और लैंगिक समानता की अवधारणा के संबंध में कुछ स्थान दें।

25. अरुण कुमार अग्रवाल और एक अन्य वी। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य *2 1,* मानदंड से संबंधित मुद्दा

सड़क दुर्घटना में मरने वाली महिला के आश्रितों को देय मुआवजे का निर्धारण। उनकी कोई नियमित आय नहीं थी। सिंघवी, जे. मुआवजे के निर्धारण से संबंधित रुख को खारिज करते हुए एक गृह पत्नी की तुलना एक गृहस्वामी या एक नौकर या एक कर्मचारी से की गई जो

21 (2010) 9 एससीसी *218 [2018] 11* एस. सी. आर.

एक निश्चित अवधि के लिए काम करता है। विद्वान न्यायाधीश ने इसे अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनुचित माना। उस संदर्भ में, विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

"*26.* भारत में अदालतों ने माना है कि घर में पत्नी द्वारा किया गया योगदान अमूल्य है और इसकी गणना धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। बच्चों और अपने पति के प्रति सच्चे प्यार और स्नेह के साथ पत्नी द्वारा प्रदान की जाने वाली अनावश्यक सेवाओं और घरेलू मामलों का प्रबंधन दूसरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बराबर नहीं हो सकता है। एक पत्नी/माँ घड़ी-घड़ी काम नहीं करती हैं। वह पूरे दिन और रात परिवार की निरंतर उपस्थिति में रहती है जब तक कि वह कार्यरत न हो और
विशेष घंटों के लिए नियोक्ता के काम में भाग लेना आवश्यक है। वह पति और बच्चों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है जिसमें खाना पकाना, कपड़े धोना आदि शामिल हैं। वह छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं और उनके भविष्य के जीवन के लिए उन्हें अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक हाउसकीपर या नौकरानी घर का काम कर सकती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े और बर्तन धोना, घर को साफ रखना आदि, लेकिन वह कभी भी एक ऐसी पत्नी/माँ का विकल्प नहीं हो सकती है जो अपने पति की निस्वार्थ सेवा करती है।

बच्चे "।

26. जे. गांगुली ने अपनी सहमति वाली राय में ऑस्ट्रेलियाई पारिवारिक संपत्ति कानून का उल्लेख किया और कहा कि उक्त कानून ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून को अपनाया है।

लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण। विद्वान न्यायाधीश ने पुनः कहाः

"विवाह में पक्षकारों द्वारा गठित परिवार और विवाह के किसी भी बच्चे के कल्याण के लिए किसी पक्षकार द्वारा किया गया योगदान, जिसमें विवाह में किया गया कोई भी योगदान शामिल है।
एक गृहिणी या माता-पिता की क्षमता।

27. मध्य प्रदेश राज्य में *v.* मदनलाल *22,* न्यायालय ने निर्णय दियाः

"स्त्री की गरिमा उसके नाश न होने वाले और अमर स्व का एक हिस्सा है।

और किसी को भी इसे मिट्टी से रंगने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कोई समझौता या समझौता नहीं हो सकता क्योंकि यह उसके सम्मान के खिलाफ होगा जो सबसे अधिक मायने रखता है। यह पवित्र है। कभी-कभी यह सांत्वना दी जाती है कि अपराध के अपराधी ने उसके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया है जो और कुछ नहीं बल्कि एक कुशल तरीके से दबाव डालना है; और हम जोर देकर कहते हैं कि अदालतों को मामले में नरम दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस छल से पूरी तरह से दूर रहना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के उदार दृष्टिकोण को शानदार त्रुटि के डिब्बे में डालना होगा। या इसे अलग तरीके से कहें तो यह त्रुटि के अभयारण्य के दायरे में होगा।

22 (2015) 7 एस. सी. सी. *681* जोसेफ शाइन बनाम।

28. पवन कुमार बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य में महिला की समानता और गरिमा की अवधारणा के साथ न्यायालय ने कहाः

" 47 ..... सभ्य समाज में छेड़छाड़ से शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, रेलवे में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है

स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थान जो केवल यह दिखाने के लिए जाते हैं कि

खेती की जाती है। एक पुरुष की तरह एक महिला की भी अपनी जगह होती है। वह आनंद लेती है। संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत उतनी ही समानता है जितनी एक व्यक्ति के लिए है। संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत गारंटी के अनुसार गरिमा के साथ जीने के अधिकार का छेड़छाड़ के अप्रिय कृत्य में लिप्त होकर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह लैंगिक संवेदनशीलता और न्याय की मौलिक अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत एक महिला के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह एक महिला के अधिकार में एक लाइलाज सेंध लगाता है जो संविधान के अनुच्छेद *15* के तहत उसके पास है। सोचने के लिए मजबूर और विवश किया जाता है

इस देश में महिलाओं को शांति से रहने और गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सशक्त जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है। यह ध्यान में रखना होगा कि उसे जीवन का अधिकार है और वह अपनी पसंद के अनुसार प्रेम करने का हकदार है। उसके पास एक व्यक्तिगत विकल्प है जिसे कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। सामाजिक रूप से इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी महिला को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। उसके पास है

अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार।

48. सभ्य समाज में पुरुष वर्चस्ववाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान महिलाओं को सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है

और उक्त अधिकार अनुच्छेद *15* से बोधगम्य हैं

संविधान। जब संविधान के तहत अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह समझना होगा कि कोई उपेक्षा नहीं है। एक आदमी को अपने अहंकार या उस मामले के लिए, मर्दानगी को एक आधार पर नहीं रखना चाहिए और सभ्यता की अवधारणा को नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार को झुकना ही होगा

कानून। समानता को सर्वोपरि माना जाना चाहिए

इस संदर्भ में संवैधानिक सिद्धांत "।

29. आर वी में लॉर्ड कीथ। आर *2 4* ने घोषणा कीः

" आधुनिक समय में विवाह को बराबरी की साझेदारी माना जाता है, और अब ऐसा नहीं है जिसमें पत्नी को अधीन होना चाहिए।

पति की संपत्ति "।

7) 7 एससीसी *780*

1] 4 पी पर सभी ई. आर. *481*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. लॉर्ड डेनिंग *25* कहता हैः

"एक पत्नी अब अपने पति की संपत्ति नहीं है। उसे कानून द्वारा उन सभी मामलों में भागीदार माना जाने लगा है जो उनके हैं।

आम चिंता "।

31. शमीमा फारूकी बनाम। शाहिद खान *2 6*, अदालत ने फैसला सुनाया किः

सामंती विशालतावादी विचारों या उस मामले में, किसी भी प्रकार के अपमानजनक रवैये के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें प्राचीन जंगलों में भेजा जाना तय है, और नए क्षितिज में लोगों को जाना चाहिए अपने विचारों और अधिकार की घोषणा करें।

और फिर सेः

"पुरुष वर्चस्ववाद के आह्वान में गाया गया कोई भी अन्य विचार या कोई भी गीत एक विदेशी, पूरी तरह से अजनबी का प्रस्ताव है -

एक बाहरी व्यक्ति। यही परम सत्य है। "

32. स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम। संघ का

भारत *2 7*, हममें से एक *(*दीपक मिश्रा, जे.*)* ने अपनी सहमति में कहा कि महिलाओं को पुरुषों के जीवन में समान भागीदार माना जाना चाहिए और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समाज में उनकी समान भूमिका है, यानी सोच, भागीदारी और नेतृत्व में। कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित मुद्दा और यह इस प्रकार कहा गया थाः

"*21.* जब कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो बच्चे की मां बनने वाली हर महिला को याद रखना चाहिए कि वह मां होने के बावजूद अपने ही बच्चे की हत्या कर रही है। सामाजिक दृष्टि से गर्भपात का यही अर्थ होगा। अपनी अवधारणा में एक महिला बच्चे का गर्भपात

घटना एक महिला की हत्या की ओर ले जाती है। कानून इसे मना करता है; शास्त्र इसे मना करते हैं; दर्शन इसकी निंदा करता है; नैतिकता इसकी निंदा करती है, नैतिकता इसकी निंदा करती है और सामाजिक विज्ञान इसका तिरस्कार करता है। हेनरिक इबसेन ने जोर दिया

स्त्री के व्यक्तिवाद पर। जॉन मिल्टन ने उन्हें भगवान के सभी कार्यों में सबसे अच्छा माना। इस संदर्भ में, यह उचित होगा कि

एलेक्सिस डी टोक्वीविल द्वारा अमेरिका में लोकतंत्र की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैंः

"अगर मुझसे पूछा जाए कि अद्वितीय समृद्धि और विकास क्या है?

उन लोगों *(*अमेरिकियों*)* की ताकत को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए,

मुझे जवाब देना चाहिएः उनकी महिलाओं की श्रेष्ठता के लिए "।

25 द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ *(*लंदन, बटरवर्थ, *1980*, पृष्ठ *212* पर*) 26 (2015) 5* एस. सी. सी. *705 27 (2013) 4* एस. सी. सी. *1* जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

22. इस स्तर पर, मैं लाभ के साथ दो अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत कर सकता हूं। अजीत सावंत मजगवाई बनाम। कर्नाटक राज्य *2 8: (* एससीसी पीपी।

113-14 , पैरा *3* और *4)*

मानव जाति की मादा प्रजातियों की प्रशंसा की है और उनके स्वभाव का वर्णन करने के लिए हमेशा सुंदर विशेषणों का उपयोग किया जाता था और

व्यक्तित्व और तब भी उस रास्ते से विचलित नहीं हुए हैं

कभी-कभी उसके अजीब व्यवहार के बारे में बात करते हुए। यहाँ तक कि व्यंग्य में, वे

साहित्यिक सीमा को पार नहीं किया है और एक विशेष का पालन किया है

भाषा की कुलीनता का मानक। यहां तक कि जब उसका कोई सदस्य

अपनी ही प्रजाति, मैडम डी स्टेल ने टिप्पणी की 'मुझे खुशी है कि मैं हूँ

एक पुरुष नहीं; तब के लिए मुझे एक महिला से शादी करनी चाहिए ', वहाँ था

प्रथा पुरानी, उसकी अनंत विविधता ', वहाँ फिर से बुद्धि थी। इसके बावजूद इन लेखकों ने सम्मान के लिए जोर-जोर से चिल्लाया है

'महिला' के लिए, इसके बावजूद कि शिलर ने कहा 'महिलाओं का सम्मान करें!

इसके बावजूद कि महाभारत ने उनका उल्लेख किया है मोक्ष का स्रोत, 'महिला' के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है और

आज, निस्संदेह, खतरनाक अनुपात में बढ़ गया है। *4.* यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे युग में जहां लोगों का वर्णन किया जाता है

सभ्य रूप से, महिलाओं के खिलाफ अपराध तब भी किया जाता है जब बच्चा गर्भ में होता है क्योंकि महिला भ्रूण अक्सर होता है

वह एक पत्नी और आने वाले समय में एक माँ बन जाती है। वह हिला देती है अपने शिशु का पालन-पोषण करने के लिए पालना, उस पर अपना सारा प्यार देता है

बच्चा और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह बच्चे को सब कुछ देती है

जो उसके अपने व्यक्तित्व में है। वह नियति को आकार देती है।

और बच्चे का चरित्र। ऐसे प्राणी के प्रति क्रूर होना है

अकल्पनीय। एक पत्नी को यातना देना केवल के रूप में वर्णित किया जा सकता है

मनुष्य का सबसे घृणित और उपहासात्मक कार्य "।

[जोर दिया गया*]*

लाभः

" 23. मधु किश्वर बनाम। बिहार राज्य *29* इस न्यायालय ने कहा था कि

कि भारतीय महिलाओं ने पीड़ित किया है और भेदभाव का सामना कर रही हैं

मौन में।

) 7 एस. सी. सी *110*

) 5 एससीसी *125 [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. जिस तरह से महिलाओं ने पीड़ित किया था, वह एक लेखक द्वारा उचित रूप से प्रतिबिंबित किया गया है जिसने काफी संवेदनशीलता के साथ बात की हैः "दहेज महिलाओं के लिए एक असाध्य बीमारी है, आत्म-सम्मान को नष्ट करने के लिए तीरों का बिस्तर है, लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के बिना।

"महिलाओं के अधिकारों का विस्तार सभी सामाजिक प्रगति का मूल सिद्धांत है। *26.* अतीत से पुनरावृत्ति करते हुए, मैं स्मृति में कुछ कहावतों का उल्लेख कर सकता हूं जो महिलाओं को एक उच्च स्थिति में रखती हैं। निक्कू राम मामले *4* में इस अदालत ने पहले ही पहली पंक्ति को पुनः प्रस्तुत कर दिया था

श्लोक से। उसी की दूसरी पंक्ति जो भी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार हैः

यह स्थिति *"*न पू ज्ञान ते व्यवस्था*":* राफेलः करी या

यात्रा न पूजनीय सर्वस्तत्रफलाह क्रिया

उपरोक्त का एक मुफ्त अनुवाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः "सभी कार्य एक ऐसी जगह पर अनुत्पादक हो जाते हैं, जहाँ उनके साथ उचित सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है।

27. अतीत के एक और बुद्धिमान व्यक्ति के पास इसे रखने का अपना तरीका थाः

भात भारत कृति जक्रित श्री विश्वश्री श्री दे रवारेः*:*।
बंधु मी और श्व त्रिरायः पू ज्ञान भू ज्ञानछादन *"::*।

भारत व्रत पितृजनती स्वस्रुस्वासुरदेवरायह

बंधुभिस्का स्त्रियाह पुज्याह भुस्त्राछदनसाईह

उपरोक्त का एक मुफ्त अनुवाद इस प्रकार हैः

"महिलाओं को पति, भाई, पिता, रिश्तेदारों, ससुराल वालों और अन्य रिश्तेदारों के समान सम्मान दिया जाना चाहिए और सम्मान करते हुए महिलाओं को आभूषण, वस्त्र आदि जैसे उपहार दिए जाने चाहिए।

सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाना चाहिए। जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

28. फिर भी, यह दूरदर्शिता निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हुईः

अतुल तात्र तत्तेजः सर्वेश्वरश्रीराज।
अपने आप को सक्षम बनाएँ।

अतुलम यात्रा तत्तेजा सर्वदेवसारिराजम

एकादम तडाभुन्नारी व्यापलोकत्रयम त्विसा

उपरोक्त का एक मुफ्त अनुवाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"सभी देवताओं के भौतिक ढांचे से उत्पन्न अतुलनीय वीरता *(*प्रस्फुटन*)*, अपनी चमक से तीनों दुनियाओं को फैलाती है।

और एक साथ मिलकर एक महिला का रूप ले लिया। " "

29. अतीत से, मैं वर्तमान की यात्रा करता हूं और सम्मानपूर्वक ध्यान देता हूं कि लॉर्ड डेनिंग ने महिलाओं और महिलाओं की समानता के बारे में क्या कहा था।

समाज में उनकी भूमिकाः

"एक महिला उतना ही उत्सुकता से महसूस करती है, उतना ही स्पष्ट रूप से सोचती है जितना कि एक पुरुष। वह अपने क्षेत्र में उतना ही उपयोगी काम करती है जितना कि मनुष्य अपने क्षेत्र में करता है। उसे एक पुरुष के रूप में अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने की स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है। जब वह शादी करती है, तो वह पति की नहीं बनती है। सेवक लेकिन उसका बराबर का साथी। यदि उसका काम समुदाय के जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसका काम परिवार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों में से कोई भी दूसरे के बिना नहीं रह सकता। न तो दूसरे से ऊपर है और न ही नीचे

अन्य। वे बराबर हैं "।

33. चारू खुराना और अन्य बनाम। भारत संघ और *30* , महिलाओं की गरिमा के बारे में बोलते हुए, न्यायालय ने कहाः

"*33. .....* जैसा कि कहा जाए, गरिमा एक उत्कृष्ट गुण है।

व्यक्तित्व और एक मानव ढांचा हमेशा में रहने की इच्छा रखता है

गरिमा की हवेली, क्योंकि यह एक अत्यधिक पोषित मूल्य है। खंड *(जे)* को इस पृष्ठभूमि में समझना होगा कि भारत एक कल्याणकारी देश है।

राज्य और इसलिए, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न्याय को बढ़ावा दे, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करे और यह देखे कि वे आर्थिक असमानता के कारणों से वंचित न हों। यह राज्य का कर्तव्य भी है कि वह नीतियां बनाए ताकि पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। यह भी नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे ताकि राष्ट्र लगातार उन्नति कर सके।

प्रयास और उपलब्धि के स्तर "।

34. शक्ति वाहिनी बनाम में। भारत संघ और अन्य *3 1,* यह एक अलग संदर्भ में था। न्यायालय ने जोसेफ जे. के एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया।

एलिस जो वर्तमान उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक है। इसमें लिखा है:

"हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जिसमें अब सम्मान की एक भी परिभाषा मौजूद नहीं है, और यह एक मूर्ख है जो पारंपरिक मानकों पर टिका हुआ है और उम्मीद करता है कि दुनिया उसके चारों ओर आएगी।

35. उक्त मामले में, एक तर्क दिया गया था कि एक महिला का अस्तित्व पूरी तरह से उसकी प्रतिष्ठा के पुरुष दृष्टिकोण पर निर्भर है।

परिवार, समुदाय और परिवेश। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा:

"*5. .....* सामूहिक रूप से एक पितृसत्तात्मक सम्राट की तरह व्यवहार करता है जो पत्नियों, बहनों और बेटियों के साथ अधीनस्थ व्यवहार करता है, यहां तक कि गुलाम या आत्म-त्याग करने वाले, शारीरिक ढांचे में चलने वाले व्यक्ति जिनके पास कोई व्यक्तिगत स्वायत्तता, इच्छा और पहचान नहीं है। स्थिति की अवधारणा को समुदाय के पुरुष सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया जाता है और मर्दाना प्रभुत्व की भावना एकमात्र शासी कारक बन जाती है।
बोधगम्य सम्मान "।

36. हमने उपरोक्त का उल्लेख किया है क्योंकि हमारा विचार है कि बेटी पर पितृसत्तात्मक राजशाही नहीं हो सकती है या उसके लिए

37. स्वायत्तता, इच्छा, विकल्प और पहचान के संदर्भ में एक महिला की गरिमा के बारे में कहने के बाद, के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य मामले में हाल ही में बड़े पीठ के फैसले का उल्लेख करना अनिवार्य है। संघ का भारत और अन्य *3 2* जो यह निर्धारित करते हुए कि निजता संविधान के अनुच्छेद *21* का एक पहलू है, एक व्यक्ति की गरिमा पर अत्यधिक जोर देता है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है:

" 108. पिछले चार दशकों में, हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र ने सम्मान के साथ जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच अविभाज्य संबंध को मान्यता दी है। संवैधानिक मूल्य के रूप में गरिमा की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में मिलती है। संवैधानिक दृष्टिकोण न्याय *(*सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक*)* की प्राप्ति चाहता है*;* स्वतंत्रता *(*विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की*);* समानता *(*व्यक्तियों के साथ मनमाने व्यवहार के खिलाफ गारंटी के रूप में*)* और बंधुत्व।

31 (2018) 7 एससीसी *192 32 (2017) 10* एससीसी *1* जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन देता है*)*। ये संवैधानिक सिद्धांत एक मानवीय और दयालु समाज की सुविधा के लिए एकता में मौजूद हैं। व्यक्ति केंद्र बिंदु है

संविधान क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ति में ही समुदाय का सामूहिक कल्याण निर्धारित होता है। मानव गरिमा संविधान का एक अभिन्न अंग है। गरिमा के प्रतिबिंब मनमानी के खिलाफ गारंटी *(*अनुच्छेद *14),* स्वतंत्रता के दीपक *(*अनुच्छेद *19)* और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार *(*अनुच्छेद *21)* में पाए जाते हैं।

XXXX

XXX

XXX

119. जीना सम्मान के साथ जीना है। संविधान के प्रारूपकों ने उस समाज के बारे में अपनी दृष्टि को परिभाषित किया जिसमें संवैधानिक मूल्य हैं

अन्य स्वतंत्रताओं के साथ-साथ स्वतंत्रता और गरिमा पर जोर देकर इसे प्राप्त किया जाएगा। गरिमा इतनी मौलिक है कि यह भाग *III* द्वारा व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों के मूल में व्याप्त है। गरिमा वह मूल है जो मौलिक अधिकारों को एकजुट करता है क्योंकि मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्तित्व की गरिमा प्राप्त करना चाहते हैं।

XXX

XXX

XXX

XXX

" 298. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।

गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा एक अधिकार या संवैधानिक रूप से एक अधिकार है।

अपने आप में संरक्षित ब्याज। अपने वाद्य पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। व्यक्ति की रक्षा करने की क्षमता

निजता का क्षेत्र जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य की अनुभूति को सक्षम बनाता है। स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। फिर भी अन्य को केवल एक निजी स्थान के भीतर पूरा किया जा सकता है। निजता व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

एक बार निजता की वास्तविक प्रकृति और उन मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंध के कारण इसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था जो

स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं समझा जाता है। गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है। समानता की गारंटी एक *[2018] 11* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी। यह राज्य को रोकता है

व्यक्तियों के बीच भेदभाव करना। द्वारा विनाश

एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान की स्थिति चाहे वह शरीर की हो या

मन मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन करता है।

शरीर की निजता एक व्यक्ति को शरीर की अखंडता का अधिकार देती है।

व्यक्तित्व के शारीरिक पहलू। एक के बीच का प्रतिच्छेदन

मानसिक अखंडता और गोपनीयता व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देती है

आत्मनिर्णय का "। *XXX*

XXX

XXX

" 525. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बंधुत्व का मूल मूल्य है।

जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। *359* की गरिमा

व्यक्ति के विकास के अधिकार को शामिल करता है

अपनी क्षमता का पूरा विस्तार। और यह विकास केवल हो सकता है

यदि किसी व्यक्ति को मूलभूत व्यक्तिगत विकल्पों पर स्वायत्तता है और व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार पर नियंत्रण जो

मौलिक अधिकार अध्याय, इनमें से प्रत्येक को दर्शाता है पूर्ण रूप से संवैधानिक मूल्य, और इसके अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए

इन मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ जो हमारे पास हैं

संदर्भित किया गया। अंतिम विश्लेषण में, का मौलिक अधिकार

गोपनीयता, जिसमें इतने सारे विकासशील पहलू हैं, केवल हो सकते हैं

एक मामले के आधार पर विकसित किया गया। विशेष के आधार पर जिस पहलू पर भरोसा किया जाता है, या तो अनुच्छेद *21* अपने आप में या संयोजन में

अन्य मौलिक अधिकारों के साथ आकर्षित होंगे।

ई. एस. प्राधिकरण वी. भारत संघ और अन्य *33* जिसमें ए. के. सीकरी, जे.गरिमा की अवधारणा पर जोर देते हुए, सहमत राय है

"व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत सभी देशों, विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों के लिए समान है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हम मानव की स्वतंत्र भावना का सम्मान करें और उसे विकसित करें जो मानव इतिहास की सभी प्रगति के लिए जिम्मेदार है। लोकतंत्र भी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और अवसर देने का प्रयास करते हैं

-) 5 एस. सी. सी. *438* जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना। इसकी स्थापना की गई है

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोगात्मक जीवन। यदि लोकतंत्र मनुष्य के व्यक्तित्व और गरिमा की मान्यता पर आधारित है, तो एक शक्ति के रूप में हमें एक मनुष्य के अधिकार को पहचानना होगा

अपनी लिंग/लिंग पहचान चुनें जो उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और आत्मनिर्णय की गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है। वास्तव में, यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि किसी राष्ट्र के विकास का वास्तविक पैमाना आर्थिक विकास नहीं है।

मानव गरिमा "।

39. हाल ही में, कॉमन कॉज *(*ए रजिस्टर्ड सोसाइटी*) v.*

भारत और अन्य *3 4* में से हम में से एक ने कहा हैः

"..... मानव गरिमा परिभाषा से परे है। यह कभी-कभी वर्णन की अवहेलना कर सकता है। कुछ लोगों के लिए, यह अमूर्तता की दुनिया में प्रतीत हो सकता है और कुछ लोग इसे अहंकार या मुखर विलक्षणता की विशेषता के रूप में भी मान सकते हैं। यह भावना पूर्ण सनकीपन की जड़ों से आ सकती है। लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि गरिमा के बिना जीवन एक ऐसी ध्वनि की तरह है जिसे सुना नहीं जाता है। गरिमा बोलती है, इसकी अपनी ध्वनि है, यह स्वाभाविक और मानवीय है। यह विचार और भावना का एक संयोजन

है, और जैसा कि पहले कहा गया है, यह तब भी सम्मान का पात्र है जब व्यक्ति मर चुका हो और "शरीर" के रूप में वर्णित हो।

लाभः

"गरिमा की अवधारणा और मूल्य को और विस्तार की आवश्यकता है क्योंकि हम इसे जीवन के अधिकार के एक अटूट पहलू के रूप में देख रहे हैं जो एक व्यक्ति को प्राप्त सभी मानवाधिकारों का सम्मान करता है। जीवन मूल रूप से आत्म-प्रतिपादन है। एक व्यक्ति के जीवन में, संघर्ष और दुविधा सामान्य घटना होने की उम्मीद है। ओलिवर वेंडेल होम्स ने अपने एक संबोधन में एक लैटिन कवि की एक पंक्ति का हवाला दिया, जिसने यह संदेश दिया था-मृत्यु मेरे कान तोड़ती है और कहती है,

जियो-मैं आ रहा हूँ। यही जीवन का महत्व है। लेकिन जब कोई रोगी वास्तव में यह नहीं जानता है कि वह मृत्यु तक जीवित है या नहीं और उसके पास जीने की कोई उम्मीद के बिना निरंतर पीड़ा होती है,

क्या किसी को इंतजार करने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या उसे मरने का श्राप दिया जाना चाहिए क्योंकि जीवन धीरे-धीरे उसके अस्तित्व से बाहर निकल जाता है? क्या उसे नवीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी के कारण जीना चाहिए या उस मामले के लिए, क्या उसे समर्थन प्रणाली के साथ रहना चाहिए जैसा कि उसके आसपास के लोग सोचते हैं कि विज्ञान अपने प्रगतिशील आविष्कार में है।

क्या इलाज का एक नया तरीका लाया जा सकता है? इसे अलग तरह से कहने के लिए, क्या उसे किसी प्रकार के प्रयोग के लिए गिनी पिग होना चाहिए? इसका जवाब एक जोरदार होना चाहिए, इसलिए नहीं कि इतना व्यर्थ इंतजार किया जा रहा है। मार्श जीवन की प्राचीन अवधारणा, 139 के सार को नष्ट करता है

गरिमा और अंतिम विकल्प के तथ्य को नष्ट करता है जो महत्वपूर्ण है

गोपनीयता "।

महमूद नय्यर आज़म बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

दृढ़ विश्वास और विनम्रता के साथ उच्चारण किया गया, " जीवन मुझे नैतिकता पर मेरा मौलिक सिद्धांत प्रदान करता है। द.

उपरोक्त अभिव्यक्ति एक व्यक्तिवादी प्रतीत हो सकती है

एक महान व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, लेकिन, जब इसे समझा जाता है

पूर्ण अर्थ में, यह वास्तव में अपनी अवधारणा में दर्शाता है

अनिवार्यता, और इसके मैक्रोकॉस्म में, मौलिक

जीवन द्वारा दिए जाने वाले सम्मान के बारे में एक विचारक की धारणा। जीवन की श्रद्धा अविभाज्य रूप से एक ऐसे मनुष्य की गरिमा से जुड़ी हुई है जो मूल रूप से दिव्य है, न कि गुलाम। एक मानव।
व्यक्तित्व संभावित अनंतता से संपन्न होता है और यह खिलता है

जब गरिमा बनी रहती है। इस तरह की गरिमा का निर्वाह है

प्रत्येक संवेदनशील आत्मा की उत्कृष्ट चिंता होना। द.

गरिमा के सार को कभी भी प्रकाश की क्षणिक चिंगारी या उस मामले के लिए, 'एक संक्षिप्त मोमबत्ती' या 'एक खोखले बुलबुले' के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जब मनुष्य का इलाज किया जाता है तो जीवन की चिंगारी और अधिक चमकती है।

बिना अपमान के गरिमा के साथ, क्योंकि हर आदमी से नेतृत्व करने की अपेक्षा की जाती है

एक सम्मानजनक जीवन जो रचनात्मकता का एक शानदार उपहार है।

बुद्धिमत्ता "

40. उक्त निर्णय में, ए. के. सीकरी, जे. ने प्रथम न्यायाधीश एच. आर. खन्ना मेमोरियल में सोर उपेंद्र बख्शी के व्याख्यान से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया।

ई जो इस प्रकार हैः

"मुझे अभी भी यह कहने की आवश्यकता है कि गरिमा का विचार एक अति नैतिक है, यानी यह एक कठिन क्षेत्र को चिह्नित करता है और मानचित्रित करता है कि 'मानव' होने और 'मानव' बने रहने का क्या अर्थ हो सकता है, या 'स्वयं', 'दूसरों' और 'समाज' के बीच संबंध को दूसरे तरीके से रखा जा सकता है। इस सूत्रीकरण में 'सम्मान' शब्द मुख्य शब्द हैः गरिमा है

स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर एक व्यक्ति के लिए सम्मान

और चुनाव करने की क्षमता और एक अच्छी या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जोसेफ शाइन *v* है।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

जो 'संदर्भों' और 'शर्तों' को 'स्वतंत्र और सूचित विकल्प के स्रोत' के रूप में आश्वस्त करके गरिमा का सम्मान करता है। सम्मान के लिए सम्मान

इस प्रकार कल्पना समग्र रूप से सशक्त कर रही है और केवल इसलिए नहीं कि यह, भले ही महत्वपूर्ण रूप से, राज्य, कानून और विनियमों को सीमित करता है।

41. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने समय के साथ महिला की वैचारिक समानता और आवश्यक गरिमा को मान्यता दी है जो एक महिला की है। इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन, आई. पी. सी. की धारा *497* प्रभावी रूप से लैंगिक रूढ़ियों के आधार पर दुर्भावनापूर्ण भेद पैदा करके ऐसा ही करती है।

यह महिलाओं के अधीनता के समान है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह संविधान के अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करता है। *42.* एक अन्य पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो सवाल पूछना चाहते हैं वह यह है कि क्या व्यभिचार को आपराधिक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए।

यह मानते हुए भी कि व्यभिचार की नई परिभाषा अपने दायरे में एक अविवाहित महिला या विधवा के साथ यौन संभोग को समाहित करती है, व्यभिचार मूल रूप से विवाह की संस्था से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि विवाह को एक सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है और इस देश में सामाजिक इतिहास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, संसद ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए, आई. पी. सी. की धारा *498*-ए किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसे क्रूरता के अधीन करने से संबंधित है। संसद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, *2005* भी लाई है। यह अधिनियम महिलाओं की रक्षा करता है। यह वैवाहिक क्षेत्र में भी प्रवेश करता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध उस प्रावधान से अलग हैं जिसकी कल्पना आई. पी. सी. की धारा *497* के तहत की गई है या उस मामले के लिए व्यभिचार को आपराधिक अपराध के दायरे में लाने से संबंधित है। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि व्यभिचार किसी भी प्रकार के नागरिक गलत के लिए एक आधार हो सकता है। विवाह का विघटन। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इसे आपराधिक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार का सामाजिक लाइसेंस हो सकता है जो वैवाहिक घर को नष्ट कर देता है। यह एक आदर्श स्थिति है जब पत्नी और पति अपनी वफादारी बनाए रखते हैं। हम किसी भी आदर्श स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन

वास्तव में, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि क्या व्यभिचार के कार्य को आपराधिक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में, हमें याद दिलाया जाता है कि एडमंड एक प्रसिद्ध विचारक बर्क ने कहा था, "एक अच्छा कानून उपयुक्त होना चाहिए और *[2018] 11* एस. सी. आर.

हम इसे दो खंडों में रखना चाहेंगे, अर्थात् 'इक्विटी' और 'उपयोगिता'। यदि बर्क के सिद्धांत को ठीक से समझा जाता है, तो यह बताता है कि कानून औरएक अच्छे जीवन की सेवा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा आवश्यक है।

43. अपराध की अवधारणा से निपटने के लिए, यह कहा गया है

आपराधिक दायित्व के सिद्धांत *"35* इस प्रकारः

ताकि जनता को इसके दमन में रुचि हो। एक अपराध अक्सर एक नैतिक गलत होता है क्योंकि यह उस आचरण के बराबर होता है जो समुदाय की सामान्य नैतिक भावना के लिए शत्रुतापूर्ण है। हालाँकि, ऐसे कई अपराधों का उदाहरण देना संभव है जो दोनों में से किसी को भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। पूर्वगामी विशेषताएँ। संसद द्वारा किसी अधिनियम को केवल इसलिए आपराधिक बनाया जा सकता है क्योंकि यह नागरिक के बजाय आपराधिक प्रक्रिया है, जो विचाराधीन आचरण को नियंत्रित करने का अधिक प्रभावी साधन प्रदान करता है।

44. केनी की आपराधिक कानून की रूपरेखा में, *19* वीं संस्करण। , *1966* द्वारा

. डब्ल्यू. सेसिल टर्नर ने कहा हैः

"वास्तव में अपराध और यातना के बीच कोई मौलिक या अंतर्निहित अंतर नहीं है। कोई भी आचरण जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है

कुछ हद तक समाज को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से बना होता है; और इसलिए यद्यपि अपराध के बारे में यह कहना सही है कि यह समाज के खिलाफ अपराध है, लेकिन यह अपराध को यातना से अलग नहीं करता है। अंतर केवल एक डिग्री का है, और इसका प्रारंभिक इतिहास

सामान्य कानून से पता चलता है कि कैसे शब्द जो अब एक वास्तविक शब्द का सुझाव देते हैं

भेद भावना के प्रतीक के रूप में शुरू हुआ न कि शब्दों के रूप में

वैज्ञानिक वर्गीकरण "।

और फिर सेः

"जब तक अपराध सरकारी नीति द्वारा बनाए जाते हैं *(*जो अपरिहार्य प्रतीत होते हैं*)* तब तक अपराध की प्रकृति सही परिभाषा से परे रहेगी। फिर भी यह एक व्यापक रूप से सटीक विवरण है

मान लीजिए कि अपराध की लगभग हर घटना निम्नलिखित तीनों विशेषताओं को प्रस्तुत करती हैः *(1)* कि यह एक नुकसान है, जिसके कारण

5 हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण। , खण्ड. *11* पी।

11 , जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

मानव आचरण, जिसे राज्य में संप्रभु शक्ति रोकना चाहती है; *(2)* कि चयनित रोकथाम के उपायों में से सजा का खतरा है; *(3)* यह तय करने के लिए एक विशेष प्रकार की कानूनी कार्यवाही का उपयोग किया जाता है कि क्या आरोपी व्यक्ति ने वास्तव में नुकसान पहुंचाया है, और कानून के अनुसार, कानूनी रूप से आयोजित किया जाना है। ऐसा करने के लिए दंडनीय "।

45. स्टीफन एक "अपराध" को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

"अपराध एक गैरकानूनी कार्य या चूक है जो जनता के खिलाफ एक अपराध है, जो व्यक्ति को इस तरह के कार्य के लिए दोषी ठहराता है या चूक के लिए उत्तरदायी बनाता है।

कानूनी सजा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति

अभियोजन। आपराधिक कार्यवाही को पहले क्राउन की दलीलें कहा जाता था, क्योंकि राजा, जिसमें पूरे समुदाय की महिमा केंद्रित होती है, कानून द्वारा उस समुदाय से संबंधित सार्वजनिक अधिकारों के प्रत्येक उल्लंघन से घायल व्यक्ति माना जाता है। इसलिए वह सभी मामलों में उचित अभियोजक है। प्रत्येक सार्वजनिक अपराध के लिए।

46. ब्लैकस्टोन, अपराध की सामान्य प्रकृति पर चर्चा करते हुए,

घ अपराध इस प्रकार हैः

"एक अपराध, या दुराचार, एक सार्वजनिक कानून के उल्लंघन में किया गया या छोड़ा गया कार्य है, जो या तो इसे मना करता है या आदेश देता है। यह सामान्य परिभाषा अपराधों और दुराचारों दोनों को समझती है; जो, ठीक से बोलते हुए, केवल पर्यायवाची शब्द हैं: हालांकि, आम उपयोग में, "अपराध" शब्द को इस तरह के संकेत के लिए बनाया गया है अपराध जो एक गहरे और अधिक अत्याचारी रंग के होते हैं; जबकि छोटे दोष, और कम परिणाम की चूक, के तहत शामिल हैं

केवल "दुराचार" का सौम्य नाम।

47. इस संबंध में, हम आई. एल. इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य से कुछ पैराग्राफ को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।जो नाथ गांगुली *3 6*। वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

"*25.* मानव जाति की कहानी प्रगति से जुड़ी हुई है और प्रतिगमन। साम्राज्यों का उदय हुआ है और वे इतिहास की धूल में डूब गए हैं। सभ्यताएँ पोषित हुई हैं, अपने चरम पर पहुँच गई हैं और

निधन हो गया। वर्ष *1625* में, कैरू, सी. जे. ने उस अल्डर्मन के वंश से संबंधित विवाद में ऑक्सफोर्ड के अल्डर्मन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की राय देते हुए कहाः

"..... और फिर भी समय की अपनी क्रांति है, सभी लौकिक चीजों की एक अवधि और अंत होना चाहिए, अंतिम रूप से, नामों का अंत और

गरिमा, और जो कुछ भी टेरेन है।

परिवर्तन और प्रयोग, उत्थान और पतन, वृद्धि और क्षय, और प्रगति और प्रतिगामी का चक्र मनुष्य के इतिहास और सभ्यता के इतिहास में अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। टी. एस. एलियट में

"द रॉक" के फर्स्ट कोरस ने कहाः

हे विन्यासित तारों की शाश्वत क्रांति,

ओ निर्धारित ऋतुओं की निरंतर पुनरावृत्ति,

हे वसंत और शरद ऋतु की दुनिया, जन्म और मृत्यु; विचार और कार्य का अंतहीन चक्र,

अंतहीन आविष्कार, अंतहीन प्रयोग।

26. कानून उस समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद है जो उसके द्वारा शासित है। यदि कानून को समाज की जरूरतों को पूरा करने की अपनी निर्धारित भूमिका निभानी है, तो उसे उस समाज के विचारों और विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसे समाज के दिल की धड़कन और लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ समय बिताना चाहिए। समाज के रूप में

परिवर्तन, कानून अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता है। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में निबंधकार और बुद्धिमान सिडनी स्मिथ ने कहाः जब मैं किसी व्यक्ति को एक अपरिवर्तनीय कानून की बात करते सुनता हूं, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि वह एक अपरिवर्तनीय मूर्ख है। इसलिए कानून में बदलाव होना चाहिए।

समाज बदले हुए विचारों और विचारधाराओं के अनुरूप आगे बढ़ता है।

48. उसी को दोहराते हुए, सामान्य कारण में न्यायालय *(*ए

ईर्ड सोसाइटी*) (*ऊपर*)* ने कहा हैः

" 160. ऐसा कहने का उद्देश्य केवल इस बात को उजागर करना है कि कानून

बदलते समाज का संज्ञान लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए

विकासशील अवधारणाओं के साथ सामंजस्य। की आवश्यकता

वर्तमान को कानून की व्याख्यात्मक प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, यह देखा जाना चाहिए कि कितनी ताकत और मंजूरी मिल सकती है।

परिवर्तन को पूरा करने के लिए संविधान से लिया जाए

विचारधारा और इसे वास्तविकता में परिवर्तित करें। तत्काल जरूरतों को अदालत द्वारा व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है जब तक कि वे पूरी तरह से संवैधानिक ढांचे के बाहर नहीं आते हैं या संवैधानिक व्याख्या को मान्यता देने में विफल नहीं होती है।

ऐसी गतिशीलता "। जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

49. हमने यह समझने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों और अधिकारियों का उल्लेख किया है कि क्या वैवाहिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यभिचार को आपराधिक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसी कई स्थितियाँ हो सकती हैं और हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह धारा *498*-ए के तहत किए गए अपराध या घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, *2005* के किसी भी उल्लंघन या उस मामले के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *125* या आई. पी. सी. की धारा *306* या *304* बी या *494* के तहत परिकल्पित संरक्षण से अलग है। ये अपराध वैवाहिक संबंध और विवाह के दौरान एक विवाहित महिला के जीवन के विलुप्त होने से संबंधित विभिन्न अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं। व्यभिचार को अपराध मानना, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि यह राज्य के एक वास्तविक निजी क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा। मौजूदा प्रावधान के तहत, पति को पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जाता है और पत्नी को पीड़ित के रूप में नजरअंदाज किया जाता है। वर्तमान में, यह प्रावधान एक त्रिपक्षीय भूलभुलैया को दर्शाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहाँ पत्नी को स्थिति की समानता और मामला दायर करने का अधिकार प्रदान

किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में, पूरा परिदृश्य बेहद निजी है। यह दहेज, घरेलू हिंसा, किसी को भरण-पोषण न देने के लिए जेल भेजने या दूसरी शादी के लिए शिकायत दर्ज करने की मांग के विपरीत है। व्यभिचार उपरोक्त अपराधों से अलग आधार पर खड़ा है। हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। हम यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि हम कानून या कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि केवल यह कह रहे हैं कि एक विशेष कार्य, यानी व्यभिचार, अपराध की अवधारणा में फिट नहीं बैठता है। हम दोहराने की कीमत पर दोहरा सकते हैं कि यदि इसे एक अपराध के रूप में माना जाता है, तो वैवाहिक क्षेत्र की चरम गोपनीयता में भारी घुसपैठ होगी। तलाक के लिए एक आधार के रूप में छोड़ दिया जाना बेहतर है। किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जैसा कि संसद ने किसी भी समय माना है या मान सकती है, इसे आपराधिक अपराध के रूप में मानना अपराध होगा। संविधान के अनुच्छेद *21* के दो पहलू, अर्थात्, पति और पत्नी की गरिमा, जैसा भी मामला हो, और दोनों के बीच संबंधों से जुड़ी गोपनीयता। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, किसी भी कल्पना के विस्तार से, कोई भी यह नहीं कह सकता है कि धारा *498*-ए या कोई अन्य प्रावधान, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वैवाहिक संबंध के निजी क्षेत्र में भी प्रवेश करता है। उक्त अपराधों के मामले में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है। यह पति और उसके रिश्तेदार हैं। कानून द्वारा सही लागू नहीं किया गया है

दहेज की मांग करना या महिलाओं के साथ क्रूरता से व्यवहार करना ताकि उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा सके। उक्त गतिविधियों को दंडित किया जाना चाहिए और कानून ने उचित रूप से ऐसा प्रावधान किया है।

50. इस संबंध में, हम यह भी नोट कर सकते हैं कि कैसे विवाहेतर संबंध

संबंध को आई. पी. सी. की धारा *376* के तहत अपराध करने के लिए एक अधिनियम के रूप में नहीं माना जा सकता है। पिनाकिन महिपत्रेय रावल बनाम। गुजरात राज्य ", न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

" *27.* धारा*306* आत्महत्या के लिए उकसाने को संदर्भित करती है जो कहती है कि

यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो इस कार्य को करने में सहायता करता है

ऐसी आत्महत्या को एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा।

जो *10* वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आत्महत्या करने की कार्रवाई भी मानसिक कारणों से होती है।
मानसिक और शारीरिक क्रूरता के कारण होने वाली गड़बड़ी। गठन के लिए

धारा *307* के तहत एक अपराध, अभियोजन पक्ष को स्थापित करना होगा

कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है और आत्महत्या के लिए उकसाया गया था

उचित संदेह है कि मृतक ने आत्महत्या की और
अभियुक्त ने आत्महत्या के लिए उकसाया। लेकिन इसके लिए

कथित विवाहेतर संबंध, जो यदि साबित हो जाता है तो हो सकता है
अवैध और अनैतिक होने के कारण, कुछ भी सामने नहीं आया है

अभियोजन यह दिखाने के लिए कि अभियुक्त ने उकसाया था, उकसाया था

या पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया।

[जोर दिया गया*]*

51. धारा *498*-ए के संदर्भ में, न्यायालय, घुसाभाई में

रायसंगभाई चोरसिया बनाम। गुजरात राज्य *3* ने राय दी है कि अगर अवैध संबंध साबित भी हो जाता है, जब तक कि इतनी उच्च स्तर की मानसिक क्रूरता को स्थापित करने के लिए कुछ अन्य स्वीकार्य सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाते हैं, तो आई. पी. सी. की धारा *498*-ए का स्पष्टीकरण *(ए)*, जिसमें महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की क्रूरता शामिल है, आकर्षित नहीं होगा। उक्त प्राधिकारी से संबंधित अंश नीचे निकाला गया हैः

"21. ..... यह सच है, अवैध के बारे में कुछ सबूत हैं

संबंध और भले ही वही साबित हो, हम हैं

माना जाता है कि क्रूरता, जैसा कि पहले अंग के तहत परिकल्पित है

धारा *498*-ए आई. पी. सी. आकर्षित नहीं होगी। मुश्किल होगी।

यह मानने के लिए कि मानसिक क्रूरता इस हद तक थी कि यह

पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करें। केवल विवाहेतर संबंध,
भले ही साबित हो जाए, यह अवैध और अनैतिक होगा, जैसा कि कहा गया है

पिनाकिन महिपत्रेय रावल, लेकिन यह एक अलग समय लेगा

चरित्र यदि अभियोजन पक्ष अभिलेख पर कुछ साक्ष्य लाता है

37 (2013) 10 एससीसी *48* *38 (2015) 11* एस. सी. सी. *753* जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तत्काल मामले में, अभियुक्त कर सकता है
अपीलार्थी *4* के साथ अवैध संबंध में शामिल रहे हैं, लेकिन

अभिलेख पर कुछ अन्य स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में

जो इस तरह की उच्च स्तर की मानसिक क्रूरता स्थापित कर सकता है,

आई. पी. सी. की धारा *498*-ए का स्पष्टीकरण जिसमें वाहन चलाने के लिए क्रूरता शामिल है।
एक महिला आत्महत्या करने के लिए, आकर्षित नहीं होगी।

[जोर दिया गया*]*

52. उपरोक्त अधिकारियों को संदर्भित करने का उद्देश्य है -

इस बात पर प्रकाश डालें कि कैसे आई. पी. सी. की धारा *376* और *498*-ए के संदर्भ में व्यभिचार को अलग से विशेष स्थान नहीं दिया गया है।

53. व्यभिचार के मामले में, कानून पक्षों से वफादार रहने की अपेक्षा करता है

और पूरे समय निष्ठा बनाए रखें और व्यभिचारी को दोषी भी बनाते हैं। कानून द्वारा यह अपेक्षा एक आदेश है जो गोपनीयता के मूल में आता है। इसके अलावा, यह एक भेदभावपूर्ण आदेश है और एक सामाजिक-नैतिक भी। दो व्यक्ति उक्त आधार पर अलग हो सकते हैं लेकिन उसी के साथ आपराधिकता जोड़ना अनुचित है।

54. हम यहाँ उपयोगी रूप से यह भी नोट कर सकते हैं कि अपराध के रूप में व्यभिचार कोई अपराध नहीं है।

चीन जनवादी गणराज्य, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में अधिक प्रचलित है। उन में संस्कृति की विविधता

देशों पर न्यायिक रूप से ध्यान दिया जा सकता है। व्यभिचार का गैर-अपराधीकरण, इसके अलावा जो हमने यहाँ ऊपर कहा है, कुछ अन्य पहलुओं से साबित किया जा सकता है। जब विवाह के पक्षकार रिश्ते के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता खो देते हैं, तो यह विवाह में एक सेंध लगाता है और यह पक्षकारों पर निर्भर करेगा कि वे स्थिति से कैसे निपटते हैं। कुछ दोषमुक्त हो सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं और कुछ तलाक ले सकते हैं। यह अपने चरम पर बिल्कुल गोपनीयता का मामला है। सजा के सिद्धांत, चाहे निवारक हों या सुधारात्मक, स्थिति को नहीं बचा पाएँगे। यदि उनमें से किसी एक या किसी तीसरे पक्ष को सजा दी जाती है, तो सजा से प्रतिबद्धता स्थापित होने की संभावना नहीं है। व्यभिचार, कुछ स्थितियों में, एक दुखी विवाह का कारण नहीं हो सकता है। यह परिणाम हो सकता है। ऐसी स्थितियों की पूर्ण रूप से कल्पना करना मुश्किल है। जिस मुद्दे को निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या उक्त 'अधिनियम' को आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब कुछ अवसरों पर, यह कारण हो सकता है और कुछ स्थितियों में, यह परिणाम हो सकता है। यदि इस अधिनियम को एक अपराध के रूप में माना जाता है और सजा प्रदान की जाती है, तो यह उन लोगों को दंडित करने के समान होगा जो वैवाहिक संबंधों में नाखुश हैं और कोई भी कानून जो व्यभिचार को अपराध बना देगा *[2018] 11* एस. सी. आर.

जिन व्यक्तियों की शादी टूट गई है और जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है, दोनों को अंधाधुंध रूप से दंडित करना होगा। व्यभिचार को अपराध के रूप में दंडित करने वाला कानून इन दो प्रकार के विवाहों के बीच अंतर नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा कानून बनने के लिए बाध्य है जो

प्रकट मनमानेपन के दायरे में आते हैं।

55. इस संबंध में एक अन्य पहलू भी ध्यान देने योग्य है। इंग्लैंड में न्यायशास्त्र, जिसे काफी हद तक इस देश द्वारा अपनाया गया है, ने कभी भी व्यभिचार को अपराध के रूप में नहीं माना है, सिवाय प्यूरिटनिकल ओलिवर क्रॉमवेल के शासनकाल में दस साल की अवधि के। जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अधिकांश देशों ने व्यभिचार को अपराध के रूप में समाप्त कर दिया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कब इस तरह के कार्य को अपराध के रूप में माना जाता है और यह संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* के विरोध का सामना कैसे करता है। अपराध की दृष्टि से व्यभिचार के बारे में सोचना एक

प्रतिगामी कदम। इस न्यायालय ने परिवर्तनकारी संविधानवाद के मार्ग पर यात्रा की है और इसलिए, एक टाइम मशीन में एक अलग युग में बैठना बिल्कुल अनुचित है जहां मशीन प्रतिगमन के मार्ग पर चलती है। इसलिए, व्यभिचार को अपराध के रूप में मानना कानून में अनुचित होगा।

56. जैसा कि हमने माना है कि आई. पी. सी. की धारा *497* असंवैधानिक है और व्यभिचार को अपराध के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए धारा *198* सी. आर. पी. सी. घोषित करना उचित है जो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है।

व्यभिचार के अपराध को असंवैधानिक मानने के संबंध में। जब मूल प्रावधान चला जाता है, तो प्रक्रियात्मक प्रावधान को वही रास्ता बनाना पड़ता है।

57. पूर्वगामी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, सौमित्र विष्णु *(*ऊपर*)* और वी. रेवती *(*ऊपर*)* में निर्णय खारिज कर दिए गए हैं और पूर्ववर्ती के बाद किसी भी अन्य निर्णय को भी खारिज कर दिया गया है।

आर. एफ. नरीमन, जे. *(*सहमति*) 1.* इस रिट याचिका में हमारे सामने जो है वह एक पुरातन प्रावधान की संवैधानिक वैधता है भारतीय दंड संहिता *(*आई. पी. सी.*)*, अर्थात् धारा *497*, जो व्यभिचार को अपराध बनाती है। धारा *497* आई. पी. सी. के अध्याय *XX* में दिखाई देती है, जो विवाह से संबंधित अपराधों से संबंधित है। धारा *497* इस प्रकार है:

"497. व्यभिचार। जो कोई भी किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखता है

वह कौन है और जिसे वह जानता है या जिसके पास किसी अन्य पुरुष की पत्नी होने का विश्वास करने का कारण है, उस जोसेफ शाइन *v* की सहमति या मिलीभगत के बिना।

पुरुष, ऐसा संभोग जो बलात्कार के अपराध के बराबर नहीं है, व्यभिचार के अपराध का दोषी है, और उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में

पत्नी को उकसाने वाले के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा।

द्विविवाह का अपराध, जो उसी अध्याय की धारा *494* में निहित है, एक लंबी जेल की सजा के साथ दंडनीय है जो *7* साल तक बढ़ सकती है, लेकिन इस मामले में, पति या पत्नी, जैसा भी मामला हो, मुकदमा चलाने और दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है। धारा *494* इस प्रकार है:

"*494.* पति या पत्नी के जीवनकाल में फिर से शादी करना। जो कोई भी, जिसके पति या पत्नी जीवित हैं, किसी भी मामले में शादी करता है जिसमें ऐसी शादी ऐसे पति या पत्नी के जीवन के दौरान होने के कारण अमान्य है, उसे दंडित किया जाएगा -

सात वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण का कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अपवाद। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जिसके ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है।

और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन के दौरान विवाह करता है, यदि ऐसा पति या पत्नी, बाद के विवाह के समय, सात साल के अंतराल के लिए ऐसे व्यक्ति से लगातार अनुपस्थित रहा होगा, और
ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना गया है कि वह उस समय के भीतर जीवित है, बशर्ते कि ऐसी बाद की शादी करने वाला व्यक्ति, ऐसी शादी होने से पहले, उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके साथ ऐसी शादी की गई है, जहां तक उसकी जानकारी में तथ्यों की वास्तविक स्थिति है।

यह देखा जाएगा कि व्यभिचार का अपराध केवल तीसरे पक्ष को दंडित करता है। द्विविवाह के अपराध के खिलाफ पुरुष अपराधी, जो द्विविवाह करने वाले को दंडित करता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इसलिए जिसे 'व्यभिचार' के रूप में दंडित किया जाता है, वह स्वयं 'व्यभिचार' नहीं है, बल्कि एक विवाहित पुरुष का उसके जीवन में स्वामित्व हित है।

पत्नी। लगभग सभी प्राचीन धर्मों/सभ्यताओं ने व्यभिचार के पाप को दंडित किया। सबसे पुराने में से एक, अर्थात्, हम्मुराबी की संहिता में, व्यभिचार के पाप के लिए डूबने से मृत्यु निर्धारित की गई थी, चाहे वह पति या पत्नी द्वारा हो। रोमन कानून में, पति के लिए किसी गुलाम या अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाना पत्नी के खिलाफ अपराध नहीं था। रोमन लेक्स यूलिया डी *[2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सम्राट ऑगस्टस की बेटी जूलिया के नाम पर उचित रूप से नामित *17* ईसा पूर्व के एडल्टेरिस कोरेंडिस ने जूलिया को व्यभिचार के लिए निर्वासन के साथ दंडित किया। नतीजतन, आम तौर पर व्यभिचारियों के मामले में, दोनों दोषी पक्षों को अलग-अलग द्वीपों पर दंडित करने के लिए भेजा गया और उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा जब्त कर लिया गया।

2. यहूदी धर्म में, जो फिर से एक प्राचीन धर्म है, दस

सिनाई पर्वत पर मूसा को प्रभु द्वारा दी गई आज्ञाओं में सातवीं आज्ञा है-"तू व्यभिचार न कर"-जो पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में दी गई है। *1* समान रूप से, चूँकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पुराने नियम में लैव्यव्यवस्था की पुस्तक व्यभिचारी के साथ-साथ व्यभिचारिणी के लिए भी मृत्युदंड निर्धारित करती है। *2.*

3. ईसाई धर्म में, हम व्यभिचार की निंदा को अनैतिक पाते हैं

और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक पाप, जैसा कि कोरिंथियंस को सेंट पॉल के पत्र से प्रमाणित होता है। *3* यीशु ने स्वयं कहा कि एक पुरुष उसी क्षण पाप करता है जब वह एक महिला को कामुक इरादे से देखता है। *4* हालाँकि, जब व्यभिचार के लिए एक महिला को दंडित करने की बात आई, तो प्राचीन यहूदी कानून के अनुसार पथराव करके मौत की सजा देने की बात आई, तो यीशु ने प्रसिद्ध शब्दों का उच्चारण किया, "जिसने पाप नहीं किया है, वह पहला पत्थर फेंके। *995* "

4. इस देश में भी मनुस्मृति में अध्याय *4.1346* और

8.3527 उन लोगों के लिए सजा निर्धारित की गई है जो अन्य पुरुषों की पत्नियों के साथ संभोग करने के आदी हैं, जो आतंक का कारण बनते हैं, जिसके बाद निर्वासन होता है। धर्मसूत्र अलग-अलग आवाजों से बोलते हैं। अपस्तंब धर्मसूत्र में, व्यभिचार को एक अपराध के रूप में दंडनीय माना गया है, जो पुरुष और महिला के वर्ग या जाति के आधार पर दंडनीय है। *8*

हालाँकि, गौतम धर्मसूत्र में, यदि कोई पुरुष व्यभिचार करता है, तो उसे दो साल तक और यदि वह वैदिक विद्वान की पत्नी के साथ ऐसा करता है, तो तीन साल तक पवित्र जीवन का पालन करना चाहिए। *9* "
5. इस्लाम में, अन-नूर, अर्थात् कुरान के अध्याय *24* में, आयत *2* और *6* से *9* को इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

1 निर्गमन *20: 14 (* राजा जेम्स संस्करण*)*। *2* लैव्यव्यवस्था *20: 10 (* राजा जेम्स संस्करण*)*।

3 1 कुरिन्थियों *6: 9-10 (* राजा जेम्स संस्करण*)*। *4* मैथ्यू *5: 27-28 (* राजा जेम्स संस्करण*)*। *5* जॉन, *8: 7 (* अंग्रेजी मानक संस्करण*)*।

6 द लॉज़ ऑफ़ मनु *150 (*जी. बुहलर द्वारा अनुवाद, क्लेरेंडन प्रेस, यू. के., *1886)*। *1 7* आईडी। *, 315 .*
8 धर्मसूत्र-अपस्तम्ब, गौतम, बौधायन और वशिष्ठ के कानून संहिताएँ

70-71 (पैट्रिक ओलिवेल द्वारा अनुवाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *1999)*।

9 आईडी. *, 116-117 .*

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

"2. व्यभिचारिणी और व्यभिचारिणी, उनमें से प्रत्येक को सौ धारों से कोड़े मारो, और उन पर दया न करें जो आपको रोकते हैं।

अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता, यदि आप अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करते हैं, और

ईमान वालों का एक दल उनकी यातना का गवाह बने "। *10*

XXX XXX XXX *"6.* और जो अपनी पत्नियों पर आरोप लगाते हैं और उनके पास कोई गवाह नहीं होता

उन्हें छोड़कर, उनमें से एक चार बार गवाही दे।

अल्लाह गवाह है कि वह सच बोलने वालों में से है।
7. और पाँचवाँ *(*समय*)* कि अल्लाह का श्राप उस पर रहे, अगर वह

झूठ बोलने वालों में से है।

8. और यह उससे सजा को रोक देगा, अगर वह गवाही देती है

चार बार अल्लाह की गवाही देते हुए कि वह झूठ बोलने वालों में से है।
9. और पाँचवाँ *(*समय*)* कि अल्लाह का क्रोध उस पर होगा, अगर

वह उन लोगों में से है जो सच बोलते हैं। " *1 1*

दिलचस्प बात यह है कि यदि पति या पत्नी के अलावा कोई अन्य गवाह नहीं है, और पति चार बार गवाही देता है कि उसकी पत्नी ने व्यभिचार किया है, जो पत्नी द्वारा चार बार गवाही दी जाती है कि उसने नहीं किया है, तो सांसारिक सजा टाल दी जाती है। अल्लाह का क्रोध केवल उस व्यक्ति के सिर पर होगा जिसने झूठी गवाही दी है - जिसका क्रोध मृत्यु के बाद के जीवन में ही अनुभव किया जाएगा।

6. छठी शताब्दी के एंग्लो-सैक्सन इंग्लैंड में, कानून बनाया गया

"रचना की विस्तृत तालिकाएँ "जिन्हें नाराज पति रक्त प्रतिशोध के बदले में स्वीकार कर सकता था। ये पट्टियाँ पीड़ित पति को हुए नुकसान की मात्रा के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए योजनाएं थीं। हालाँकि, जैसे-जैसे इंग्लैंड में ईसाई धर्म फैलता गया,

व्यभिचार नैतिक रूप से गलत हो गया और इसलिए, एक पाप, साथ ही पति के खिलाफ एक गलत। *1066* के बाद, जो नॉर्मन सत्ता में आए, उन्होंने व्यभिचार को राज्य के खिलाफ अपराध के रूप में नहीं देखा, बल्कि चर्च द्वारा निपटाए गए एक चर्च संबंधी अपराध के रूप में देखा। इंग्लैंड का सामान्य कानून निर्धारित किया गया

पति के अपनी पत्नी में संपत्ति के हित के आधार पर संघ के नुकसान के लिए यातना में कार्रवाई। इस प्रकार, बातचीत के लिए कार्रवाई, जो कि मुआवजा या हर्जाना है, आमतौर पर मध्ययुगीन इंग्लैंड में तलाक प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। वास्तव में, सत्रहवीं शताब्दी के इंग्लैंड में व्यभिचार तलाक का एकमात्र आधार था, जिसे केवल दिया जाना था

10 कुरान *(*अल-कुरान*):* ए. आर. ए. बी. आई. सी.-मोहम्मद ए. द्वारा परिचय के साथ अंग्रेजी बिलिंग संस्करण। ए. आर. ए. एफ. ए. *363 (*मौलाना मुहम्मद अली अनुवाद, टेलर बुक्स,

2018) .

11 आईडी.

संसद द्वारा। दिलचस्प बात यह है कि *1649* में राजा चार्ल्स प्रथम का सिर कलम किए जाने के बाद ही व्यभिचार एक बड़ा अपराध बन गया था। वर्ष *1650* में क्रॉमवेल का प्यूरिटनिकल इंग्लैंड, जिसे राजा चार्ल्स द्वितीय के वापस आते ही रद्द कर दिया गया था, जिसे 'राजशाही की बहाली' के रूप में जाना जाता था। इसलिए यह देखा जाएगा कि इंग्लैंड में, ग्यारह साल की अवधि को छोड़कर जब इंग्लैंड पर प्यूरिटनों का शासन था, व्यभिचार को कभी भी आपराधिक अपराध नहीं माना जाता था। व्यभिचार केवल एक अत्याचार

था जिसके लिए पति को उसकी पत्नी में उसके स्वामित्व हित को देखते हुए नुकसान का भुगतान किया जाता था। *1 2* इस अपराध को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के *1904* के चार्ल्स ए. टिंकर बनाम मामले में दिए गए फैसले से जोड़ा गया है। फ्रेडरिक एल. कोलवेल, *193* यू. एस. *473 (1904),* इस प्रकार हैः

..... हम समझते हैं कि अधिकारियों से पता चलता है कि पति को अपने पति के संबंध में कुछ व्यक्तिगत और अनन्य अधिकार थे।

पत्नी जिन पर अपराधी द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और हमला किया जाता है

उसके साथ बातचीत; कि किसी अन्य पुरुष की ओर से ऐसा कार्य एक हमले का गठन करता है, भले ही, जैसा कि लगभग सार्वभौमिक रूप से साबित होता है, पत्नी वास्तव में इस कार्य के लिए सहमति देती है, क्योंकि पत्नी कानूनन गलत करने वाले के खिलाफ पति के अधिकारों को प्रभावित करने के लिए कोई सहमति देने में असमर्थ है, और इस प्रकृति के हमले को उचित रूप से पति के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति को नुकसान के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण दोनों है।

इरादतन..

हमला *vi* और सेना कानून की एक कल्पना है, जिसे पहले माना जाता है,

पति द्वारा उसकी आहत भावनाओं और सम्मान के लिए, विवाह के बिस्तर की अशुद्धता के लिए, और बच्चों की वैधता पर संदेह के लिए हर्जाना। *13*
"हमारा मानना है कि इस विषय पर कई मामलों में से कुछ के इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो गया है कि पति द्वारा कार्रवाई का कारण इस विचार पर आधारित है कि प्रतिवादी का कार्य उसकी पत्नी के रूप में पति के वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन है, और इसलिए प्रतिवादी का कार्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना है।

और पति के संपत्ति अधिकारों के लिए भी। *1 4*

1 2 लिंडा फिट्स मिस्लर, व्यक्तिगत नैतिकता पेशेवर नैतिकता के रूप में मास्करेडिंगः घरेलू संबंध वकीलों और उनके ग्राहकों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम, *23* हार्वर्ड महिला कानून जर्नल *1,21-22 (2000) ["*लिंडा फिट्स मिस्लर*"]*। *13* टिंकर वी. कोलवेल, *193* यू. एस. *473,481 (1904)*।

14 आईडी. , *485* .

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इसी तरह का प्रभाव प्रिचर्ड बनाम में निर्णय है। प्रिचर्ड और सिम्स, *[1966] 3* ऑल ई. आर. *601,* जिसने व्यभिचार या आपराधिक बातचीत की उत्पत्ति की पुष्टि कीः

" 1857 में, जब इंग्लैंड में विवाह अभी भी जीवन के लिए एक संघ था जिसे केवल संसद के निजी अधिनियम द्वारा तोड़ा जा सकता था, तो सामान्य कानून के तहत एक पति के लिए कार्रवाई के तीन अलग-अलग कारण उपलब्ध थे, जिनके अधिकार उसकी पत्नी में थेः

किसी तीसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन किया गया, जिसने उसे बहकाया, या जिसने उसे शरण दी या जिसने उसके साथ व्यभिचार किया। ..... व्यभिचार के लिए कार्रवाई में जिसे आपराधिक बातचीत के रूप में जाना जाता है, जो ब्रैक्टन के समय से पहले की है, और इसके परिणामस्वरूप मूल रूप से

अतिचार, व्यभिचार का कार्य ही कार्रवाई का कारण था और नुकसान बड़े पैमाने पर दंडात्मक था। यह निर्धारित करता है कि क्या व्यभिचार के परिणामस्वरूप पति ने अपनी पत्नी के समाज और सेवाओं को खो दिया या नहीं। कार्रवाई के तीनों कारण आम कानून द्वारा पति के अपनी पत्नी के व्यक्तित्व, उसकी सेवाओं और कमाई और उस संपत्ति में उसके स्वामित्व हित को दी गई मान्यता पर आधारित थे जो उसकी संपत्ति में होती अगर वह एकमात्र महिला होती। *15*

7. इंग्लैंड में, तलाक और वैवाहिक कारण अधिनियम, *1857* की धारा *LIX* ने आपराधिक बातचीत के लिए सामान्य कानूनी कार्रवाई को समाप्त कर दिया।

कानून सुधार *(*विविध प्रावधान*)* अधिनियम, *1970.16* द्वारा हाल ही में समाप्त कर दिया गया *8.* हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्यूरिटन जो अमेरिकी उपनिवेशों में रहने के लिए गए थे, अपने साथ क्रॉमवेल के अपराधी को ले गए।

15 [1966] 3 सभी ई. आर. *601,607*। *16* धारा *4*, विधि सुधार *(*विविध प्रावधान*)* अधिनियम, *1970*।

संयुक्त राज्य अमेरिका में क़ानून शायद ही कभी लागू किए जाते थे और इसलिए, उन्हें "मृत पत्र क़ानून" के रूप में संदर्भित किया जाता था। आदर्श दंड संहिता में व्यभिचार को अपराध के रूप में हटाने के लिए इसके साथ-साथ जबरन वसूली, ब्लैकमेल, जबरदस्ती आदि जैसे क़ानूनों से होने वाले संभावित दुरुपयोग को कारण बताया गया है। *17*

9. जब हम भारत आए, तो लॉर्ड मैकाले ने अपने दंड संहिता के मसौदे में, जिसे विधि आयुक्तों को प्रस्तुत किया गया था, व्यभिचार को दंडात्मक अपराध बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस प्रकार तर्क किया:

"निम्नलिखित पदों को हम पूरी तरह से स्थापित मानते हैं: पहला, कि व्यभिचार की सजा के लिए मौजूदा कानून उच्च वर्ग के घायल पतियों को कानून अपने हाथों में लेने से रोकने के उद्देश्य से पूरी तरह से अप्रभावी हैं; दूसरा, कि शायद ही उच्च वर्ग का कोई मूल निवासी कभी भी अपनी पत्नी या उसकी वीरता के खिलाफ निवारण के लिए व्यभिचार के मामले में अदालतों का सहारा लेता है; तीसरा, जो पति व्यभिचार के मामलों में अदालतों का सहारा लेते हैं, वे आम तौर पर गरीब पुरुष होते हैं जिनकी पत्नियां भाग गई हैं, कि इन पतियों को शायद ही कभी साज़िश के बारे में कोई नाजुक भावना होती है, लेकिन वे खुद को पलायन से घायल समझते हैं, कि वे अपनी पत्नियों को अपने छोटे घर के उपयोगी सदस्य मानते हैं, कि वे आम तौर पर अपने स्नेह को दिए गए घाव की शिकायत नहीं करते हैं। वह कल्पना जिसके द्वारा

ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी न्यायालयों में प्रलोभन को कार्रवाई का विषय बनाया गया है, जो मोफुसिल में व्यभिचार के लिए अधिकांश कार्यवाही का वास्तविक सार है। चोट के सार को पीड़ित द्वारा "प्रति क्वॉड सर्विसियम एमिज़िट" में पड़ा हुआ माना जाता है। जहाँ शिकायतकर्ता अपनी पत्नी को फिर से रखने के लिए नहीं कहता है, वह आम तौर पर होने की माँग करता है

अपनी शादी के खर्चों की प्रतिपूर्ति की।

ये बातें स्थापित होने पर हमें ऐसा लगता है कि व्यभिचार के लिए सजा देने से कोई लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसा लगता है कि आबादी दो वर्गों में विभाजित है-जिन्हें न तो मौजूदा सजा और न ही कोई ऐसी सजा जो हमें प्रस्तावित करने में उचित लगे, वे संतुष्ट करेंगे, और जो व्यभिचार से उत्पन्न चोट को ऐसा मानते हैं जिसके लिए एक आर्थिक मुआवजा पर्याप्त रूप से प्रायश्चित करेगा। जिनका

17 लिंडा फिट्स मिस्लर, ऊपर एन। *12 , 23-25 .*

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

XXX XXX XXX "इन तर्कों ने हमें संतुष्ट नहीं किया है कि व्यभिचार को कानून द्वारा दंडनीय बनाया जाना चाहिए। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि एक दंड संहिता को किसी भी तरह से नैतिकता का एक निकाय माना जाता है, कि

विधायिका को कृत्यों को केवल इसलिए दंडित करना चाहिए क्योंकि वे कार्य अनैतिक हैं, या क्योंकि किसी कार्य को बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जाता है, इसलिए विधायिका उस कार्य को निर्दोष मानती है। कई चीजें जो दंडनीय नहीं हैं, वे नैतिक रूप से कई चीजों से भी बदतर हैं।

जो दंडनीय हैं। जो व्यक्ति एक उदार परोपकारी के साथ कृतज्ञता और अपमान के साथ व्यवहार करता है, वह अधिक कठोर होने का हकदार है।

उस आदमी की तुलना में निंदा जो एक जुनून में एक प्रहार का लक्ष्य रखता है, या एक मस्ती में एक खिड़की तोड़ता है। फिर भी हमारे पास हमले और शरारत के लिए दंड हैं, और कृतघ्नता के लिए कोई नहीं। एक अमीर आदमी जो एक साथी प्राणी को मौत से बचाने के लिए चावल खाने से इनकार कर देता है, वह उस भूखे दुखी आदमी से कहीं बुरा हो सकता है जो चावल छीनकर खा जाता है। फिर भी हम बाद वाले को चोरी के लिए दंडित करते हैं, और हम पहले वाले को कठोरता के लिए दंडित नहीं करते हैं।

XXX XXX XXX

"एक और विचार है जिसे हम पूरी तरह से दृष्टि से बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। यद्यपि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव जाति के प्रिय हित महिलाओं की पवित्रता और विवाह अनुबंध की पवित्रता के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, हम यह महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि इस देश में समाज की स्थिति में कुछ विशिष्टताएँ हैं जो एक मानवीय पुरुष को पत्नियों की बेवफाई को दंडित करने का निर्णय लेने से पहले रुकने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इस देश की महिलाओं की स्थिति इंग्लैंड और फ्रांस की महिलाओं की स्थिति से बहुत अलग है। वे शादीशुदा हैं जबकि अभी भी बच्चे हैं। उन्हें अक्सर छोटी उम्र में ही अन्य पत्नियों के लिए उपेक्षित किया जाता है। वे कई प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक पति का ध्यान साझा करते हैं। पत्नी की असंयम को दंडित करने के लिए कानून बनाना, जबकि कानून स्वीकार करता है कि पति के विशेषाधिकार को महिलाओं के साथ अपने जेनाना को भरने के लिए, एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे हम अपनाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक हैं। हम इतने दूरदर्शी नहीं हैं कि कानून द्वारा हमला करना एक बुराई है इसलिए *[2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस देश के लोगों के शिष्टाचार में गहराई से निहित है

बहुविवाह। हम इसे धीमी गति पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम निश्चित पर भरोसा करते हैं

खुशी पर अपने कभी न टूटने वाले प्रभाव पैदा करना जारी रखता है और महिलाओं की सम्मान, हम एक में फेंकने के लिए इच्छुक नहीं हैं

पैमाने पर पहले से ही बहुत अधिक दबाव का अतिरिक्त वजन

दंडात्मक कानून। हमने उन कारणों को बताया है जो हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि इस विषय पर कोई भी अधिनियम निरर्थक होगा। और हम।

वे यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि यदि यह अपमानजनक नहीं है तो यह दमनकारी होगा।

यह पहले से ही बहुत मजबूत हाथों को मजबूत करेगा। यह एक को कमजोर करेगा

वर्ग पहले से ही बहुत कमजोर है। यह रक्षा करने के लिए पर्याप्त समय होगा

दंडात्मक प्रतिबंधों द्वारा वैवाहिक अनुबंध जब वह अनुबंध यह न्यायपूर्ण, उचित और पारस्परिक रूप से लाभदायक हो जाता है। *1 8*

10. हालाँकि, जब न्यायालय आयुक्तों ने दंड की समीक्षा कीउन्होंने महसूस किया कि यह महत्वपूर्ण है कि व्यभिचार को अपराध बनाया जाए।

ऐसा करने के लिए संकेत इस प्रकार दिए गए हैं:

"353. इस विषय पर परिपक्व विचार करने के बाद, हमारे पास है,

कुछ हिचकिचाहट के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि यह नहीं है

इस अपराध को संहिता से बाहर रखने की सलाह दी जाती है। हम सोचते हैं कि

इसे संज्ञान के लिए एक विषय के रूप में जारी रखने के कारण

आपराधिक न्यायालयों की प्रमुखता है। हम कल्पना करते हैं कि कर्नल

साबित करने की कठिनाई के बारे में स्लीमैन शायद सही हैं।

मुसलमान की आवश्यकता के अनुसार अपराध

साक्ष्य का कानून, जो सकारात्मक प्रमाण की मात्रा की मांग करता है

कि शायद ही कभी इस तरह के एक मामले में किया जा करने के लिए, कुछ होने के रूप में

मिलावटखोरों पर मुकदमा चलाने से मूल निवासियों को रोकने में प्रभाव

हमारी अदालतें, हालांकि विनियम दोषसिद्धि की अनुमति देते हैं

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली प्रबल धारणा। यह कठिनाई, यदि इसका प्रभाव माना गया है, तो इसे हटा दिया जाएगा, चाहिए

संहिता को अपनाया जाए। कर्नल स्लीमैन का प्रतिनिधित्व

वर्तमान प्रणाली के वास्तविक परिणाम, जो, जबकि

अपराध को पहचानता है, मूल निवासियों की राय में इसे प्रस्तुत करता है,

किसी अपराधी को न्याय के कटघरे में लाना लगभग असंभव है, यह देखा जाएगा,

श्री लिविंगस्टोन के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है और व्यावहारिक रूप से पुष्टि करता है
अपेक्षित परिणाम की जब कानून इसे दंडित करने से इनकार कर देता है

सभी कोड भारतीय कानून आयोगों द्वारा तैयार किए गए हैं, और परिषद *91-93 (GH)* में भारत के कमांडर गवर्नर जनरल द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। हटमैन, द बंगाल

आरवाई ऑर्फन प्रेस, *1837)*।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

अपराध। घायल पक्ष इसे अपने लिए करेगा; बड़े अपराध, हत्याएं, जहर, परिणाम होंगे। कर्नल स्लीमन कहते हैं कि यहाँ कानून इनकार नहीं करता है, लेकिन यह अपराध को दंडित करने में विफल रहता है, और इसका परिणाम जहर देना है।

354. कर्नल स्लीमैन का मानना है कि आयुक्तों ने गलत तरीके से यह मान लिया है कि यह मौजूदा कानून की नरमी है कि मूल निवासियों द्वारा इसकी शिकायत की जाती है, और उनका मानना है कि वे अपराध के लिए वर्तमान कानून की अनुमति से कम सजा से संतुष्ट होंगे। सात वर्ष के लिए कारावास, यदि अपराधी का पीछा करना निश्चित था। वह प्रस्तावित करता है कि ए की सजा

"दूसरे की पत्नी को बहकाने का दोषी" व्यक्ति कारावास होगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, या पति को देय जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। "व्यभिचार के लिए दोषी" एक विवाहित महिला की सजा दो साल के कारावास तक सीमित होगी। हम इस बात से अवगत नहीं हैं कि क्या वह उन शब्दों में अंतर करना चाहते हैं जो एक के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते थे। क्रमशः पुरुष और महिला के खिलाफ सबूत की प्रकृति में अंतर।

355. जबकि हम सोचते हैं कि व्यभिचार के अपराध को संहिता से हटा नहीं दिया जाना चाहिए, हम इसके संज्ञान को व्यभिचार तक सीमित रखेंगे।

एक विवाहित महिला के साथ किया गया अपराध, और यह देखते हुए कि नोट क्यू में अंतिम टिप्पणी में इस देश की महिला की स्थिति के बारे में बहुत अधिक महत्व है, हम इसके सम्मान में केवल पुरुष अपराधी को ही सजा के लिए उत्तरदायी ठहराएंगे। हालाँकि, हम व्यभिचार के अभियुक्त पक्षों पर एक साथ मुकदमा चलाएंगे, और अदालत को, उनकी दोषसिद्धि की स्थिति में, दोषी महिला के खिलाफ तलाक की डिक्री सुनाने का अधिकार देंगे, यदि पति इसके लिए मुकदमा करता है, उसी समय जब उसके प्रेमी को कारावास या जुर्माने की

सजा सुनाई जाती है। मिस्टर लिविंगस्टोन कोड के अनुसार, महिला अपने "वैवाहिक लाभ" को खो देती है, लेकिन अन्य सजा के लिए उत्तरदायी नहीं है।

356. हम पुरुष अपराधी की सजा के बारे में कर्नल स्लीमन के सुझाव को अपनाएंगे, इसे वर्तमान में अनुमत सात साल के बजाय पांच साल से अधिक के कारावास तक सीमित करेंगे, और एक विकल्प के रूप में पति को देय जुर्माने के अधिरोपण को मंजूरी देंगे, या इसके अलावा। *357.* लुइसियाना संहिता द्वारा निर्धारित सजा छह महीने से अधिक की कैद या *[2018] 11* एस. सी. आर. से अधिक का जुर्माना नहीं है।

2,000 डॉलर, या दोनों। फ्रांसीसी संहिता के अनुसार, अधिकतम अवधि

कारावास की अवधि दो वर्ष है, जुर्माने के अतिरिक्त, जो हो सकता है
2, 000 फ्रैंक की राशि।

358. यदि व्यभिचार के अपराध को दंड संहिता में स्वीकार किया जाता है,

प्रक्रिया संहिता में प्रतिबंध लगाने का प्रावधान होना चाहिए

घायल पति पर मुकदमा चलाने का अधिकार, सहमति से

धारा *2,1845* का अधिनियम *2*। *' 9919*

(जोर दिया गया*)*

ये कुछ कारण हैं जिनके कारण आई. पी. सी. की धारा *497* लागू की गई।

11. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा *199* द्वारा

दंड प्रक्रिया संहिता, *1898,* यह केवल पति था जिसे आई. पी. सी. की धारा *497* के तहत दंडनीय अपराध से पीड़ित माना जाना था। इस प्रकार, धारा *199* ने कहाः

" 199. व्यभिचार या विवाहित को लुभाने के लिए अभियोजन

महिला। - कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा *497* या धारा *498 (*भारतीय दंड संहिता की धारा *497)*

1860) , पति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर

उस समय उसकी ओर से ऐसी महिला जब ऐसा अपराध किया गया था
प्रतिबद्ध "।

*12.*यहां तक कि जब इस संहिता को आपराधिक संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

प्रक्रिया *("सी. आर. पी. सी".), 1973*, सी. आर. पी. सी., *1973* की धारा *198* ने एक प्रावधान के साथ उसी प्रावधान को जारी रखा कि पति की अनुपस्थिति में, कोई व्यक्ति जिसने उस समय उसकी ओर से महिला की देखभाल की थी जब

ऐसा अपराध किया गया था, न्यायालय की अनुमति से, उसकी ओर से शिकायत कर सकता है। उक्त खंड इस प्रकार हैः

भारतीय दंड संहिता का अध्याय *XX (1860* का *45)* सिवाय इसके कि -
अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतः

बशर्ते कि -

(क*)* जहाँ ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है, या है

एक बेवकूफ या एक पागल, या बीमारी या दुर्बलता से असमर्थ है

19 भारतीय कानून आयोग की विशेष रिपोर्टों की प्रतियाँ *76 (*जेम्स सी. मेलविल,

ईस्ट इंडिया हाउस, *1847)*।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

शिकायत करना, या एक महिला है जिसे स्थानीय रीति-रिवाजों और शिष्टाचार के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से,

उसकी ओर से शिकायत करें;

(ख*)* जहां ऐसा व्यक्ति पति है और वह संघ के किसी भी सशस्त्र बल में उन शर्तों के तहत सेवा कर रहा है जो उसके कमांडिंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं जो उसे व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने में सक्षम बनाने के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त करने से रोकते हैं, तो पति द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति

उप-धारा *(4)* के प्रावधानों के अनुसार,

उसकी ओर से शिकायत; *(* ग*)* जहां भारतीय दंड संहिता *(1860* का *45)* की धारा *494* या धारा *495* के तहत दंडनीय अपराध से पीड़ित व्यक्ति पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पिता, मां, भाई, बहन, बेटे या बेटी या उसके पिता या मां के भाई या बहन या अदालत की अनुमति से उसके रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है।

(2 *)* उप-धारा *(1)* के प्रयोजनों के लिए, महिला के पति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी के द्वारा व्यथित नहीं समझा जाएगा।

उक्त संहिता की धारा *497* या धारा *498* के तहत दंडनीय अपराधः

बशर्ते कि पति की अनुपस्थिति में, कोई व्यक्ति जो

वह व्यक्ति जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाबालिग या पागल व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय संतुष्ट है कि इस प्रकार एक संरक्षक नियुक्त किया गया है या घोषित किया गया, न्यायालय, छुट्टी के लिए आवेदन देने से पहले, ऐसे अभिभावक को नोटिस देगा और उसे एक

सुनने का उचित अवसर। *(4)* उप-धारा *(1)* के परंतुक के खंड *(*बी*)* में निर्दिष्ट प्राधिकरण, लिखित रूप में होगा, पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा सत्यापित किया जाएगा, जिसमें *[2018] 11* एस. सी. आर. के प्रभाव का एक विवरण होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि उन्हें उन आरोपों के बारे में सूचित किया गया है जिन पर

शिकायत को स्थापित किया जाना है, उसके द्वारा जवाबी हस्ताक्षर किए जाएंगे

कमांडिंग ऑफिसर, और उसके साथ उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र होगा, जिसके अनुसार व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने के उद्देश्य से अनुपस्थिति की छुट्टी कुछ समय के लिए नहीं दी जा सकती है।

पति को दिया जाता है।

(5) ऐसा प्राधिकरण होने का तात्पर्य रखने वाला कोई भी दस्तावेज और

उप-धारा *(4)* के प्रावधानों का अनुपालन करने वाला और उस उप-धारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होने का तात्पर्य रखने वाला कोई भी दस्तावेज, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगाः

वास्तविक और साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

(6) कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता *(1860* का *45)* की धारा *376* के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जहां ऐसे अपराध में किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना शामिल है, जिसकी पत्नी की आयु अठारह वर्ष से कम है, यदि अपराध करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। *(7)*
इस धारा के प्रावधान किसी अपराध के लिए उकसाने या करने के प्रयास पर लागू होते हैं क्योंकि वे अपराध पर लागू होते हैं।

इस स्तर पर, उच्च न्यायालयों और हमारे न्यायालय के कुछ निर्णयों का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम। राज्य, *1952* आई. एल. आर. बम *449*, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, जिसमें एम. सी. चगला, सी. जे. और पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. शामिल थे, ने अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा *497* संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन नहीं करती है। हालांकि, एक निर्देशात्मक अंश में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहाः

"..... श्री पीरभॉय सही कहते हैं कि

धारा *497* का विचार यह है कि पत्नियाँ अपने पतियों की संपत्ति हैं। यह तथ्य कि यह अपराध केवल पति की सहमति से ही संज्ञेय है, इस दृष्टिकोण पर जोर देता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि धारा *497* को किसी भी आधुनिक कानून संहिता में जगह नहीं मिलनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि वे दिन बीत चुके होंगे जब महिलाओं को उनके पति संपत्ति के रूप में देखते थे। लेकिन यह धारा *497* को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में एक तर्क है। *20*

यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम में इस न्यायालय में एक अपील। बॉम्बे राज्य, *1954* एस. सी. आर. *930, ("*यूसुफ अब्दुल अज़ीज़*")* को भी यही परिणाम मिला।

इस न्यायालय ने, न्यायमूर्ति विवियन बोस के माध्यम से, यह अभिनिर्धारित किया कि धारा *497* का अंतिम भाग, जिसमें कहा गया है कि पत्नी दंडनीय नहीं होगी।

20 1952 आई. एल. आर. बॉम्बे *449,454*।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

व्यभिचार का अपराध, अनुच्छेद *15 (3)* में निहित बचत प्रावधान को देखते हुए अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन नहीं करता है, जो महिलाओं के पक्ष में किया गया एक विशेष प्रावधान है।

यह होमर के सिर हिलाने का एक उदाहरण है। एक सीमित तर्क पर आधारित सीमित अनुपात के अलावा, निर्णय एक संवैधानिक प्रावधान को लागू करता है जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *15 (3)* के रूप में लागू नहीं होता है, जिसमें कहा गया है कि, "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

महिला, "राज्य" को या तो संसद या राज्य विधानमंडलों या केंद्र या राज्यों की कार्यकारी सरकार के रूप में संदर्भित करेगी, जो इसके लागू होने के बाद संविधान के तहत स्थापित की गई है। धारा *497* संवैधानिक भाषा में एक "मौजूदा कानून" है जो गुणों के आधार पर जारी है। अनुच्छेद *372 (1)* को लागू करने के लिए, और इसलिए, इसे "राज्य" द्वारा बनाया गया कानून नहीं कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में से कोई भी।

13. हमने डिवीजन बेंच के एक फैसले पर ध्यान दिया है

बंबई उच्च न्यायालय ने दत्तात्रेय मोतीराम मोरे बनाम. बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. *1953* बम *311*, जिसमें डिवीजन बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद *15 (3)* भारत के संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए कानूनों तक ही सीमित है और मौजूदा कानून पर भी इस प्रकार लागू होगाः

" 8. श्री पटेल ने एक तर्क दिया कि कला। *15 (3)* केवल भविष्य के कानूनों पर लागू होता है और जहाँ तक सभी कानूनों का संबंध है

संविधान के प्रारंभ से पहले बल थे
संबंधित, उन कानूनों का परीक्षण केवल कला द्वारा किया जा सकता है। *15 (1)* और कला द्वारा नहीं। *15 (1)* कला के साथ पढ़ें। *15 (3) .* श्री पटेल का कहना है कि यह कला है। *15 (3)* राज्य को भविष्य में महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, लेकिन जिस हद तक लागू कानून कला से संबंधित हैं। *15 (1)* लागू होता है, और यदि लागू कानून कला के साथ असंगत हैं। *15 (1)* , उन कानूनों को अमान्य माना जाना चाहिए।

कला की ओर मुड़ना। *13 (1)* , यह प्रदान करता हैः

"इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, इस हद तक

इस तरह की विसंगति के लिए, शून्य हो "।

इसलिए, इससे पहले कि किसी लागू कानून को अमान्य घोषित किया जा सके, उसे मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग *III* के प्रावधानों में से किसी एक के साथ असंगत पाया जाना चाहिए, और -
मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद के तहत नागरिक को सुरक्षित किया गया है।

महिलाएँ यदि संविधान लागू होने से पहले कानून पारित किए गए थे, लेकिन विधानमंडल को पक्ष में कानून पारित करने की अनुमति दी गई थी
संविधान लागू होने के बाद महिलाओं की संख्या। अगर कोई कानून

महिलाओं के पक्ष में भेदभाव करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा कानून क़ानून की पुस्तक में बना रहे। कला की पूरी योजना। *13* उन कानूनों को, जो भाग *III* के साथ असंगत हैं, शून्य बनाना है, न केवल यदि वे संविधान के प्रारंभ से पहले लागू थे, बल्कि यह भी कि वे संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किए गए थे। श्री पटेल कला के विभिन्न प्रावधानों पर निर्भर हैं। *19* और उनका कहना है कि उन सभी प्रावधानों में मौजूदा कानूनों और भविष्य में कानून बनाने वाले राज्य का भी विशेष उल्लेख किया गया है। अब, कला की योजना। *19* कला की योजना से अलग है। *15.* कला के लिए प्रोविसोस। *19* संदर्भ में कानून से संबंधित है चाहे वह राज्य द्वारा मौजूदा हो या भविष्य में बनाया जाना है, जबकि कला। *15 (3)* यह केवल कानूनों से संबंधित नहीं है, बल्कि आम तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए किसी विशेष प्रावधान से संबंधित है, और इसलिए यह कला में आवश्यक नहीं था। *15 (3)* को

भविष्य में बनाए जाने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों दोनों का उल्लेख करें। लेकिन कला को अपवाद बनाया गया। *15 (1)* कला द्वारा। *15 (3)* एक अपवाद है जो मौजूदा कानूनों और कानूनों दोनों पर लागू होता है जो राज्य

भविष्य में कर सकते हैं। "

14. हमारा विचार है कि यह अनुच्छेद कानून का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वास्तव में, अनुच्छेद *19 (2)-(6)* स्पष्ट रूप से "मौजूदा कानून" को "कोई भी कानून बनाने वाले राज्य" से अलग होने के रूप में संदर्भित करता है, जो दर्शाता है कि कोई भी कानून बनाने वाला राज्य "मौजूदा कानून" के विपरीत संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए कानून होंगे, जो संविधान के लागू होने से पहले अधिनियमित पूर्व-संवैधानिक कानून हैं, जैसा कि अनुच्छेद *366 (10)* में निहित "मौजूदा कानून" की परिभाषा से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार हैः

XXX XXX XXX *(10)* " विद्यमान
विधि "से कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम अभिप्रेत है जो जोसेफ शाइन *v* के प्रारंभ से पहले पारित या बनाया गया हो।

भारत संघ *[आर. एफ. नरीमन, जे.]*

इस संविधान को किसी भी विधानमंडल, प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा
ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम या विनियम बनाने की शक्ति।

15. अनुच्छेद *15 (3)* कानून बनाने वाले राज्य को संदर्भित करता है जो इसलिए, स्पष्ट रूप से मौजूदा कानून को शामिल नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद *15 (3)* इस उत्तर में है।

अनुच्छेद *16 (4)* के समान, जो निम्नानुसार है:

"16. सार्वजनिक मामलों में अवसर की समानता

रोजगार।
XXX XXX XXX

(4) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग का पक्ष, जो राज्य की राय में, के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है

राज्य।

इस प्रकार एक ओर अनुच्छेद *15 (3)* और *16 (4)* और दूसरी ओर अनुच्छेद *19 (2)-(6)* के बीच भाषा में महत्वपूर्ण अंतर को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

16. यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(*उपरोक्त*)* की ओर वापस आते हुए, अनुच्छेद *15 (3)* और अनुच्छेद *19 (2)-(6)* के बीच भाषा में अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया। इस निर्णय का सीमित अनुपात केवल अंतिम वाक्य को संदर्भित करता है

धारा *497* जिसका वह समर्थन करता है। इसका अनुपात प्रावधान की संपूर्णता को बनाए रखने या समग्र रूप से प्रावधान को निरस्त करने के लिए हमारे सामने दिए गए किसी भी तर्क का उल्लेख करने तक नहीं फैला है।

17. इसके बाद हम सौमित्र विष्णु बनाम पर आते हैं। भारत संघ और एएनआर। *, (1985)* मान लीजिए एस. सी. सी. *137, ("*सौमित्र विष्णु*")*। इस मामले में, एक अनुच्छेद *32* याचिका ने दंड संहिता की धारा *497* की संवैधानिक वैधता को तीन आधारों पर चुनौती दी जो फैसले के पैराग्राफ *6* में दिए गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से, उस मामले में विद्वान वकील ने तर्क दिया कि धारा *497* 'लैंगिक भेदभाव', 'विधायी निरंकुशता' और 'पुरुष रूढ़िवाद' का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया

यह कहकर खारिज कर दिया गया कि व्यभिचार के अपराध के दायरे में महिला को भी दंडनीय बनाया जाना चाहिए। इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि इस तरह के तर्क कानून की नीति पर जाते हैं न कि इसकी संवैधानिकता पर। यह इस आधार पर था कि आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि यह पुरुष है जो प्रलोभक है न कि महिला। *1985* में भी न्यायालय ने *[2018] 11* एस. सी. आर. को स्वीकार कर लिया।

कि इस पुरातन स्थिति में वर्षों से कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन यह विधायिका को विचार करना है कि क्या धारा *497*

उचित रूप से संशोधन किया गया ताकि समाज में हुए परिवर्तन पर ध्यान दिया जा सके। न्यायालय ने तब *42* वें विधि आयोग की रिपोर्ट, *1971* का उल्लेख किया।

जिसने धारा *497* को बनाए रखने की सिफारिश की, इस संशोधन के साथ कि पत्नी, जिसका अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध है, को भी व्यभिचार के लिए दंडनीय बनाया जाना चाहिए। श्रीमती अन्ना चंडी के असहमत नोट पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें असंतुष्ट ने कहा कि इस सवाल पर विचार करने का यह सही समय है कि क्या व्यभिचार का अपराध, जैसा कि धारा *497* में परिकल्पित है, विवाह में महिलाओं की स्थिति के बारे में हमारी वर्तमान धारणाओं के अनुरूप है।

दूसरा आधार यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि एक महिला अपराध की शिकार होती है, और व्यभिचार के अपराध को वैवाहिक घर की पवित्रता के खिलाफ अपराध माना जाता है, केवल उन पुरुषों को जो उस पवित्रता को अपवित्र करते हैं, कानून के दायरे में लाया जाता है। इसलिए, यह कोई क्षण नहीं है कि धारा *497* पत्नी को उस पति पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जिसने किसी अन्य महिला के साथ व्यभिचार किया है।

तीसरा आधार, कि धारा *497* कम समावेशी है क्योंकि एक पति जिसका एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध है, कानून के दायरे में नहीं है, यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एक विश्वासघाती पति पत्नी द्वारा अलगाव के लिए दीवानी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है, और यह कि विधानमंडल को उस बुराई से निपटने का अधिकार है जहां इसे महसूस किया जाता है और देखा जाता है।

अनुच्छेद *21* के आधार पर एक चुनौती को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह तथ्य कि पत्नी की सुनवाई का प्रावधान धारा *497* में निहित नहीं है, उस धारा को असंवैधानिक नहीं बना सकता है। इस अदालत ने तब यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(ऊपर)* के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि यह *1954* का फैसला था, और तब से *30* साल बीत चुके थे, इसलिए यह अदालत थी

नए सिरे से स्थिति की जाँच करें। न्यायालय ने इस उपदेश के साथ समापन किया, "विवाह की स्थिरता तिरस्कार करने के लिए एक आदर्श नहीं है।"

18. वी. रेवती बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , *(1988) 2* एससीसी *72,*

इस न्यायालय ने सौमित्र विष्णु *(ऊपर)* का उल्लेख करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* की धारा *198* को इसी तरह की चुनौती को खारिज कर दिया। सौमित्र विष्णु *(ऊपर)* का उल्लेख करने के बाद, चूंकि धारा *497,* आई. पी. सी. और धारा *198,* सी. आर. पी. सी. साथ-साथ चलते हैं और एक बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए व्यभिचार के अपराध से निपटने के लिए एक 'विधायी पैकेट' का गठन करते हैं, इसलिए उक्त धारा को चुनौती देने में विफल रहे।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

19. दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय रुझान भी संकेत देते हैं कि बहुत कम

राष्ट्र व्यभिचार को एक अपराध के रूप में मानना जारी रखते हैं, हालांकि अधिकांश राष्ट्र तलाक कानूनों के उद्देश्यों के लिए व्यभिचार को बनाए रखते हैं। इस प्रकार, व्यभिचार जारी है

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों, अल्जीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, मोरक्को और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में एक आपराधिक अपराध।

दूसरी ओर, कई न्यायालयों ने व्यभिचार को अपराध के रूप में समाप्त कर दिया है। चीन जनवादी गणराज्य, जापान, ब्राजील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड गणराज्य, बारबाडोस, बरमूडा, जमैका, त्रिनिदाद और

टोबैगो, सेशेल्स आदि कुछ ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जिनमें इसे समाप्त कर दिया गया है। दक्षिण कोरिया*1* और ग्वाटेमाला में, धारा *497* के समान *22* प्रावधानों को उन देशों की संवैधानिक अदालतों द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

23

20. नामीबिया के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देशात्मक निर्णय में,

इस बात में गया कि क्या व्यभिचार का आपराधिक अपराध सुरक्षा प्रदान करेगा

विवाह और व्यभिचार की घटनाओं को कम करना। इसमें कहा गया हैः

" [45] लेकिन क्या यह कार्रवाई विवाह को व्यभिचार से बचाती है*?* के लिए

एस. सी. ए. और संवैधानिक दोनों द्वारा व्यक्त कारण

अदालत, मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई विवाह की रक्षा कर सकती है

यह एक कमजोर विवाह को मजबूत नहीं करता है या जीवन में सांस नहीं लेता है।

83 (सीसी*) (*दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक न्यायालय*)* पैरा *49]*। द. एस. सी. ए. द्वारा निर्धारित तर्क हितकर है और दोहराया जाता हैः

'लेकिन सवाल यह हैः यदि विवाह का संरक्षण इसमें से एक है

मुख्य लक्ष्य, क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्रवाई सफल है*?* द.

स्पॉटलाइट निर्देशित होने पर प्रश्न अधिक केंद्रित हो जाता है।

निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंः

(ए) सबसे पहले, जैसा कि जर्मन द्वारा बताया गया था *Bundesgericht* निर्णय से मार्ग में *(JZ 1973,*

668) जिनसे मैंने पहले उद्धृत किया है, हालाँकि शादी है

21 2009 हुन-बा *17, (26.02.2015) [*दक्षिण कोरिया का संवैधानिक न्यायालय*]*। *22* एक्सपिडिएन्टे *936-95, (07.03.1996),* रिपब्लिक डी ग्वाटेमाला कोर्टे डी कॉन्स्टीट्यूशनलिदाद

[ग्वाटेमाला का संवैधानिक न्यायालय*]*।

23 जेम्स सिबोंगो बनाम। लिस्टर लुटोंबी चाका और अन्र। *(* केस नं. *SA 77-14) (19.08.2016) [*नामीबिया का सर्वोच्च न्यायालय*]*।

[2018] 11 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

'एक मानव संस्था जो कानून द्वारा विनियमित है और संविधान द्वारा संरक्षित है और जो बदले में, वास्तविक कानूनी कर्तव्यों का निर्माण करती है। इसका सार है। . . विवाह के पक्षकारों की इसे बनाने और बनाए रखने के लिए नैतिकता में स्थापित तैयारी में शामिल है।

यदि विवाह के पक्षकार उस नैतिक प्रतिबद्धता को खो चुके हैं, तो विवाह विफल हो जाएगा, और किसी तीसरे पक्ष को दी गई सजा से इसे बदलने की संभावना नहीं है। *(ख)* कार्रवाई के निवारक प्रभाव के बारे में कई लोगों द्वारा गंभीर संदेह व्यक्त किए जाते हैं। अधिकांश अन्य देशों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कार्रवाई *(*अब नहीं*)* का कोई निवारक प्रभाव है और मेरे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि हमारे समाज में स्थिति इतनी अलग है। शायद एक कारण यह है कि व्यभिचार अलग-अलग परिस्थितियों में होता है। हर बार ऐसा होता है

बिना किसी पूर्वधारणा के, जब प्रतिरोध मुश्किल से एक खेल खेलता है भूमिका. पैमाने के दूसरे छोर पर, व्यभिचार की कभी-कभी सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है और प्रतिभागियों को विश्वास होता है कि यह

से*)* यौन संभोग। *(ग)* यदि निरोध मुख्य उद्देश्य है, तो किसी ने सोचा होगा कि आपराधिक प्रतिबंधों को लागू करके या दोनों दोषियों के खिलाफ निर्दोष पति या पत्नी के पक्ष में निर्णय देकर इसे बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है।

पति या पत्नी और तीसरा पक्ष भविष्य में व्यभिचार के कृत्यों को रोकने के लिए। लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं, व्यभिचार का अपराध बन गया था ठीक *100* साल पहले दुरुपयोग के माध्यम से निरस्त किया गया था जबकि व्यभिचार के खिलाफ एक प्रतिबंध हमारे द्वारा कभी नहीं दिया गया है

अदालतें *(*उदाहरण के लिए, *352H-353H* पर उपरोक्त, वासेनार बनाम जेम्सन देखें*)*। वासेनार में दिए गए कुछ कारण कि कोई रोक उचित क्यों नहीं होगा, काफी ज्ञानवर्धक हैं और नुकसान के दावे की उपयुक्तता पर समान रूप से लागू होंगे। इनमें, सबसे पहले, यह शामिल है कि दोषी पति या पत्नी के खिलाफ कोई निर्णय संभव नहीं है क्योंकि वह कोई अपराध नहीं करता है। दूसरा, कि किसी तीसरे पक्ष जोसफ शाइन *v* के विरुद्ध।

'यह हस्तक्षेप करता है, और उन अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है जो तीसरे पक्ष को आम तौर पर अपने शरीर का उपयोग करने और उसका निपटान करने के लिए होता है जैसा वह चाहता है। . . यह दावेदार के जीवनसाथी के साथ तीसरे पक्ष के संबंध को भी प्रभावित करता है, जो निर्णय का पक्षकार है और नहीं हो सकता है, और

इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है, और उसके अधिकारों और उसके शरीर का उपयोग करने और उसका निपटान करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। *[353* ई पर।*]*

(घ*)* इसके अलावा निरोध तर्क अलग प्रतीत होता है

विवाह टूटने के कारण कहीं अधिक जटिल हैं। अक्सर व्यभिचार को एक दुखी वैवाहिक संबंध का कारण नहीं बल्कि परिणाम पाया जाता है। इसके विपरीत, एक विवाह जिसमें पति-पत्नी सद्भाव में रह रहे हैं, शायद ही एक तिहाई से टूटने की संभावना है।
पार्टी। *99, 924*

21. धारा *497* पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि व्यभिचार की बाड़ का गठन करने के लिए, निम्नलिखित को स्थापित किया जाना चाहिएः

((i) विवाहित महिला और पुरुष के बीच यौन संबंध

जो उसका पति नहीं है*;*

((ii) वह पुरुष जो विवाहित के साथ यौन संबंध रखता है।

स्त्री को यह पता होना चाहिए या उसके पास यह मानने का कारण होना चाहिए कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है।

((iii) इस तरह का संभोग उसकी सहमति से होना चाहिए।

अर्थात, यह बलात्कार नहीं होना चाहिए*;*

((iv) विवाहित महिला के साथ यौन संबंध होना चाहिए।

उसके पति की सहमति या सहमति के बिना।

22. इन अवयवों को सरसरी रूप से पढ़ने पर जो स्पष्ट होता है वह यह है कि

विवाहित पुरुष, जो एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध रखता है, व्यभिचार का अपराध नहीं करता है। और अगर एक आदमी

सहमति या मिलीभगत से किसी विवाहित महिला के साथ संभोग करना।

आर पति, वह व्यभिचार का अपराध नहीं करता है। व्यभिचार करने वाली महिला की सहमति केवल यह दिखाने के लिए सामग्री है कि सी. ई. एक और अपराध नहीं है, अर्थात् बलात्कार।*17-19 .*

23. जिस पृष्ठभूमि में यह प्रावधान लागू किया गया था, अब उसे बताए जाने की आवश्यकता है। *1860* में, जब दंड संहिता लागू की गई थी, तो इस देश की अधिकांश आबादी, अर्थात् हिंदुओं के पास तलाक का कोई कानून नहीं था क्योंकि विवाह को एक संस्कार माना जाता था। समान रूप से, एक हिंदू पुरुष *1955* तक कितनी भी महिलाओं से शादी कर सकता था। इसलिए, यह देखना दूर की बात नहीं है कि एक विवाहित पुरुष का एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाना अपराध का विषय क्यों नहीं था। चूंकि तलाक कानून में व्यभिचार एक आधार के रूप में मौजूद नहीं था, इसलिए कोई तलाक कानून नहीं था, और चूंकि एक पुरुष हिंदुओं में से किसी भी संख्या में पत्नियों से शादी कर सकता था, इसलिए यह स्पष्ट था कि एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए एक विवाहित पुरुष को दंडित करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वह बाद में आसानी से उससे शादी कर सकता था। इस पुरातन कानून के दो मौलिक आधार या आधार तब से चले गए हैं। *1955-1956* के बाद, "हिंदू संहिता" के आगमन के साथ, कहने के लिए, एक हिंदू पुरुष केवल एक ही पत्नी से शादी कर सकता है; और व्यभिचार किया गया है।

हिंदू कानून में तलाक के लिए आधार बनाया।

संपत्ति का उपयोग करें या "लाइसेंसर" द्वारा संपत्ति का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, अर्थात् पति, कोई अपराध नहीं किया गया है। नतीजतन, व्यभिचार करने वाली पत्नी अपराध का विषय नहीं है, और इस कारण से कि उसे केवल संपत्ति माना जाता है, उसे उकसाने वाले के रूप में भी दंडित नहीं किया जा सकता है। यह भी इस रूढ़िवादी कारण से है कि तीसरे पक्ष के पुरुष ने उसे 'बहकाया' है, क्योंकि वह उसकी शिकार है। इसलिए, जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि यह पुरातन नियम लंबे समय से अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है। आज की संवैधानिक नैतिकता के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया था, वह तब से स्पष्ट रूप से मनमाना हो गया है, बहुत पहले अपना तर्क खो चुका है और आज के दिन और युग में पूरी तरह से तर्कहीन हो गया है। केवल इसी आधार पर, कानून को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ, अनुच्छेद *14* अमल में आता है और इस तरह के कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के रूप में रोकता है। उस विधान को स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर निरस्त किया जा सकता है, अब किसी भी संदेह के लिए खुला नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने शायरा बानो बनाम में कहा है। भारत संघ और ओआरएस। , *(2017) 9* एस. सी. सी. *1*, निम्नानुसार हैः

" 101. ..... इसलिए, स्पष्ट मनमानेपन को विधायिका द्वारा मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या जोसेफ शाइन *v* के बिना किया जाना चाहिए।

भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत। इसके अलावा, जब कुछ ऐसा किया जाता है जो अत्यधिक और असमान है, तो ऐसा कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होगा। इसलिए हमारा मानना है कि

जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा इंगित किया गया है, स्पष्ट मनमानेपन के अर्थ में मनमानेपन अनुच्छेद *14* के तहत अस्वीकार करने वाले कानून पर भी लागू होगा।

24. इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा *497* का प्रत्यक्ष उद्देश्य, जैसा कि राज्य द्वारा अनुरोध किया गया है, राज्य की पवित्रता की रक्षा और संरक्षण करना है।

विवाह, वास्तव में धारा *497* का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। विवाह की पवित्रता को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है

विवाहित पुरुष का अविवाहित महिला या विधवा के साथ यौन संबंध होना, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। इसके अलावा, यदि पति इस तरह के यौन संभोग में सहमति देता है या साजिश करता है, तो अपराध नहीं किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि यह विवाह की पवित्रता नहीं है जिसे संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि पति का स्वामित्व अधिकार है। दूसरा, कोई भी निवारक प्रभाव मौजूद या कभी मौजूद नहीं दिखाया गया है, जो आपराधिक कानून बनाने वाले राज्य के लिए एक वैध विचार हो सकता है। इसके अलावा, उन मामलों में भी स्पष्ट मनमानेपन लिखा जाता है जहां अपराधी एक विवाहित महिला होती है जिसकी शादी टूट गई है, जिसके परिणामस्वरूप वह अब अपने पति के साथ नहीं रहती है, और वास्तव में, अपने पति के खिलाफ न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री प्राप्त कर सकती है, जो तलाक दिए जाने की तैयारी है। यदि, इस अवधि के दौरान, वह किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, तो दूसरा पुरुष तुरंत अपराध का दोषी होता है।

25. उपरोक्त प्रावधान भी भेदभावपूर्ण है और इसलिए, अनुच्छेद *14* और अनुच्छेद *15 (1)* का उल्लंघन करता है। जैसा कि हमारे द्वारा आयोजित किया गया है इसके ऊपर, इस उद्देश्य के लिए एक महिला को संपत्ति के रूप में मानने में

प्रावधान, यह स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान महिलाओं के खिलाफ केवल लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, और इस आधार पर भी इसे निरस्त किया जाना चाहिए। धारा *198*, सी. आर. पी. सी. भी एक स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण प्रावधान है, जिसमें यह अकेले पति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति है जो इस अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। नतीजतन, धारा *198* को भी संवैधानिक रूप से कमजोर माना जाना चाहिए।

26. हमारे पास, न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और ए. एन. आर. के मामले में हमारे हालिया फैसले में है। वी. भारत संघ और ओआरएस। *, (2017) 10* एस. सी. सी. *1, (*"पुट्टास्वामी*")* ने अभिनिर्धारित कियाः

" 108. पिछले चार दशकों में हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र

सम्मान के साथ जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच अविभाज्य संबंध को मान्यता दी है। संवैधानिक मूल्य के रूप में गरिमा की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में मिलती है। संवैधानिक दृष्टि *[2018] 11* एस. सी. आर. की मांग करती है।

न्याय *(*सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक*)* की प्राप्ति; स्वतंत्रता *(*विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की*)*; समानता *(*व्यक्तियों के साथ मनमाने व्यवहार के खिलाफ गारंटी के रूप में*)* और बंधुत्व *(*जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन देता है*)*। ये संवैधानिक सिद्धांत एक मानवीय और दयालु समाज की सुविधा के लिए एकता में मौजूद हैं। व्यक्ति केंद्र बिंदु है

संविधान क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ति में ही समुदाय का सामूहिक कल्याण निर्धारित होता है। मानव गरिमा संविधान का एक अभिन्न अंग है। गरिमा के प्रतिबिंब मनमानी के खिलाफ गारंटी *(*अनुच्छेद *14)*, स्वतंत्रता के दीपक *(*अनुच्छेद *19)* और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार *(*अनुच्छेद *21)* में पाए जाते हैं।

XXX XXX XXX

" 298. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है। गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा एक अधिकार या संवैधानिक रूप से एक अधिकार है। अपने आप में संरक्षित ब्याज। इसके वाद्य पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। निजता के क्षेत्र की रक्षा करने की व्यक्ति की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य का एहसास करने में सक्षम बनाती है। स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। फिर भी अन्य को केवल एक निजी स्थान के भीतर पूरा किया जा सकता है। निजता व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। व्यक्ति की स्वायत्तता निर्णय लेने की क्षमता है

जीवन के लिए चिंता के महत्वपूर्ण मामले। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

एक बार जब निजता की वास्तविक प्रकृति और उन मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंध, जो स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं, को समझा जाता है, तो उसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है। समानता की गारंटी राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। यह राज्य को व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से रोकता है। राज्य द्वारा एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान का विनाश, चाहे वह शरीर का हो या मन का, मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन है। शरीर की गोपनीयता एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार देती है। एक के बीच का प्रतिच्छेदन मानसिक अखंडता और गोपनीयता व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और जोसेफ शाइन *v.*

भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

आत्मनिर्णय। जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं जो उन सभी की रक्षा करता है

ऐसे तत्व जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी गरिमा के अभिन्न अंग हैं।

व्यक्ति से। इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की निजता यह निर्धारित करने के एक अलंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाएगा। एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा रूप चुप रहना है। मौन गोपनीयता के एक क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। एक कलाकार एक रचनात्मक

प्रयास में आत्मा का प्रतिबिंब पाता है। एक लेखक विचार की प्रक्रिया के परिणाम को व्यक्त करता है। एक संगीतकार उन स्वरों पर विचार करता है जो संगीत की दृष्टि से मौन की ओर ले जाते हैं। द.

मौन, जो भीतर निहित है, विचारों और विचारों को व्यक्त करने या दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका चुनने की क्षमता को दर्शाता है। ये व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अनुच्छेद *19* के तहत स्वतंत्रताओं को पूरा किया जा सकता है जहां व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने का हकदार है। अनुच्छेद *21* के साथ पढ़ा जाए तो स्वतंत्रता व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वरीयताओं का चयन करने में सक्षम बनाती है, जिसमें कोई क्या और कैसे खाएगा, कोई कैसे कपड़े पहनेगा, कोई किस विश्वास का पालन करेगा और असंख्य अन्य मामले शामिल हैं जिन पर स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए मन की गोपनीयता के भीतर एक विकल्प की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद *25* के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में एक विश्वास चुनने की क्षमता और दुनिया के सामने उन विकल्पों को व्यक्त करने या न करने की स्वतंत्रता निहित है। ये हैं कुछ चित्र

जिस तरह से गोपनीयता स्वतंत्रता की सुविधा प्रदान करती है और स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए आंतरिक है। संविधान में एक अलग अनुच्छेद नहीं है जो हमें बताता है कि निजता को एक अलग अनुच्छेद घोषित किया गया है।

मौलिक अधिकार। न ही हमने भाग *III* के प्रावधानों को एक अल्फा-प्रत्यय गोपनीयता के अधिकार के साथ टैग किया हैः यह न्यायिक पुनर्लेखन का कार्य नहीं है। गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। दोनों जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्यों के भीतर रहते हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह एक संवैधानिक है

मूल्य जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और स्वयं के क्षेत्र की रक्षा करता है

दृढ़ संकल्प "।

XXX XXX XXX *" 482.* श्री सुंदरम ने तर्क दिया है कि मौलिक अधिकार अध्याय *[2018] 11* एस. सी. आर. में स्पष्ट रूप से बताए गए अधिकारों का सीधा पता लगाया जाना चाहिए।

संरक्षण प्राप्त करने के ऐसे अधिकारों के लिए संविधान की धारा, और गोपनीयता उनमें से एक नहीं है। यह ध्यान दिया जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा एक प्रमुख मूल्य है, जिसे व्यक्त किया गया है

संविधान की प्रस्तावना। इस तरह की गरिमा को मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्पष्ट रूप से एक अधिकार के रूप में नहीं कहा गया है, बल्कि इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा गया है। गरिमा के साथ जीने के अधिकार को जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम के फैसले द्वारा अनुच्छेद *21* में स्पष्ट रूप से पढ़ा गया है। बैंक ऑफ कोचीन *[जॉली जॉर्ज]* वर्गीज वी. बैंक ऑफ कोच्चि, *(1980) 2* एस. सी. सी. *360],* पैरा *10* पर। इसी तरह, बार की बेड़ियों और हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार है

सुनील बत्रा बनाम में निर्णय द्वारा किसी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग को अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया था। दिल्ली प्रशासन। *[* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। *, (1978) 4* एससीसी *494: 1979* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 155]*, पैरा *192,197*-बी, *234* और *241* पर और प्रेम शंकर शुक्ला बनाम। दिल्ली प्रशासन। *[* प्रेम शंकर शुक्ला बनाम। दिल्ली प्रशासन। *, (1980) 3* एससीसी *526: 1980* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 815]*, पैरा *21* और *22* पर। यह पता लगाने में बहुत देर हो चुकी है कि एक मौलिक अधिकार को व्यक्त करने के लिए पता लगाया जाना चाहिए

संविधान के भाग *III* में भाषा। जैसा कि इस फैसले में बाद में बताया जाएगा, संविधान को इस तरह से पढ़ना होगा कि शब्द उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं जिनका पालन किया जाना है और यदि इसे ध्यान में रखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि गोपनीयता की अवधारणा न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निहित है, बल्कि लोगों की गरिमा में भी निहित है।

व्यक्तिगत "।

" 525. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बंधुत्व का मूल मूल्य है जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। *[1834* में, जैक्स चार्ल्स ड्यूपॉन्ट डी ल 'यूरे ने रेब्यू रिपब्लिकेन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तीन शब्दों को एक साथ जोड़ा, जो उन्होंने निम्नलिखित रूप में संपादन कियाः कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता की आकांक्षा रखता है, लेकिन वह इसे अन्य पुरुषों की सहायता के बिना, बंधुत्व के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे कई निर्णय मानव गरिमा को मौलिक अधिकारों के अध्याय का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। के लिए

उदाहरण के लिए, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम देखें। दिल्ली प्रशासन। *, (1980) 3* पैरा *21* पर एस. सी. सी. *526,* फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, *(1981) 1* एस. सी. सी. *608* पैरा *6,7* और *8* पर, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ, *(1984) 3* एस. सी. सी. *161* पैरा

10 , महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम सच्चिकित्सा प्रसार मंडल, *(2010) 3* एस. सी. सी. *786* पैरा जोसफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

37 , शबनम वी. भारत संघ, *(2015) 6* एस. सी. सी. *702* पैरा *12.4* और *14* पर और जीजा घोष बनाम। भारत संघ, *(2016) 7* एस. सी. सी. *761* पैरा *37* पर।*]* व्यक्ति की गरिमा में व्यक्ति का अपनी क्षमता की पूरी सीमा तक विकास करने का अधिकार शामिल है। और यह विकास तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति को मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर स्वायत्तता हो और प्रसार पर नियंत्रण हो।
व्यक्तिगत जानकारी जिसका उल्लंघन किया जा सकता है

ऐसी जानकारी का अनधिकृत उपयोग। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *21,* मौलिक अधिकार अध्याय के किसी भी अन्य अनुच्छेद की तुलना में, इन संवैधानिक मूल्यों में से प्रत्येक को पूरी तरह से दर्शाता है, और

इन मूल्यों के अनुरूप पढ़ने के लिए और

अंतर्राष्ट्रीय करार जिनका हमने उल्लेख किया है। अंतिम विश्लेषण में, निजता का मौलिक अधिकार, जिसके कई विकासशील पहलू हैं, केवल मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित किया जा सकता है। उस विशेष पहलू के आधार पर जिस पर भरोसा किया जाता है, या तो

अनुच्छेद *21* स्वयं या अन्य मौलिक अधिकारों के संयोजन में

आकर्षित होंगे। "

व्यक्ति की गरिमा, जिसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद *21* का एक पहलू है। प्राचीन अतीत से संबंधित एक वैधानिक प्रावधान जो एक महिला की स्थिति को नीचा दिखाता है या नीचा दिखाता है, स्पष्ट रूप से आधुनिक इतिहास के अनुरूप नहीं है।

संवैधानिक सिद्धांत और इसे इस आधार पर भी निरस्त किया जाना चाहिए।

जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, किसी भी मामले में, इसका अनुपात अत्यंत सीमित है क्योंकि इसने एक पत्नी को उकसाने वाले के रूप में दंडनीय नहीं होने को बरकरार रखा है जो आई. पी. सी. की धारा *497* में निहित है। उपरोक्त निर्णय में इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था कि क्या समग्र रूप से प्रावधान संवैधानिक रूप से कमजोर होगा। इस स्तर पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में मुख्य न्यायाधीश चागला की दूरदर्शिता का विज्ञापन करना आवश्यक है जो यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ *(*उपरोक्त*)* में इस अदालत के समक्ष अपील में आया था। मुख्य न्यायाधीश चागला ने कहा था कि चूंकि धारा *497* का अंतर्निहित विचार यह है कि पत्नियां अपने पतियों की संपत्ति हैं, इसलिए धारा *497* को किसी भी आधुनिक कानून संहिता में जगह नहीं मिलनी चाहिए, और यह धारा *497* को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में एक तर्क है। वह दिन बहुत पहले आ गया है जब इस धारा को वास्तव में पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है और इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है।

28. सौमित्र विष्णु *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने धारा *497* को बरकरार रखते हुए इसे जारी रखने के खिलाफ तीन तर्कों को खारिज कर दिया, जैसा कि किया गया है। यहाँ ऊपर देखा गया। यह भी कहा जाना चाहिए कि इस फैसले को खारिज कर दिया गया है।

हाल के निर्णयों की ज्वारीय लहर से अनुच्छेद *14,15* और *21* में निहित मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। पुरुष के प्रलोभक होने और महिला के पीड़ित होने की प्राचीन धारणाएँ निर्णय में व्याप्त हैं, जो आज नहीं है। बदलते समय ने कानून को पीछे नहीं छोड़ा है जैसा कि हमने अभी देखा है, और जहां तक दंडात्मक कानून में सुधार किए जाने पर कानून निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने की बात है, हम जल्दबाजी में यह भी जोड़ा जा सकता है कि *1973* में जब सी. आर. पी. सी. को पूरी तरह से बदल दिया गया था, तब भी धारा *198* क़ानून की पुस्तक में बनी रही। आज भी आई. पी. सी. की धारा *497* क़ानून की पुस्तक में बनी हुई है। जब ये धाराएं पूरी तरह से पुरानी हो जाती हैं और अपना उद्देश्य पूरा कर लेती हैं, तो न केवल रोमन कानून की उक्ति, सेसांते राशन लेजिस, सेसैट इप्सा लेक्स, इन पर लागू होती है।

इस तरह के कानून में हस्तक्षेप करें, लेकिन जब ऐसा कानून संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है, तो यह इस न्यायालय का गंभीर कर्तव्य है कि वह कानून की प्रतीक्षा न करे, बल्कि इस तरह के कानून को रद्द कर दे। जैसा कि हाल ही में शायरा बानो *(*उपरोक्त*)* में, यह केवल खेहर, सी. जे. आई. और एस. अब्दुल नजीर, जे. का अल्पमत दृष्टिकोण है कि किसी को सामाजिक सुधार के माध्यम से कानून को विधायी रूप से बदलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुमत का विचार बिल्कुल विपरीत था, यही कारण है कि तीन तलाक को संवैधानिक

रूप से कमजोर पाया गया और बहुमत ने इसे खारिज कर दिया। साथ ही, हमारा विचार है कि इस निर्णय में यह कथन कि विवाह की स्थिरता तिरस्कार करने के लिए एक आदर्श नहीं है, इस प्रावधान पर शायद ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि वैवाहिक स्थिरता वह उद्देश्य नहीं है जिसके लिए यह प्रावधान अधिनियमित किया गया था। इन सभी मामलों में, इसलिए, हम सौमित्र विष्णु *(*उपरोक्त*)* के फैसले को खारिज करते हैं। समान रूप से, वी. रेवती *(*उपरोक्त*)* में निर्णय, जिसने धारा *198* की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, समान कारणों से, अब अच्छा कानून नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, हम घोषणा करते हैं कि भारतीय दंड संहिता, *1860* की धारा *497* और दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* की धारा *198* भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,15 (1)* और *21* का उल्लंघन करती है और इसलिए, अमान्य होने के रूप में खारिज कर दी जाती है।

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

लिंगः विवादास्पद संघर्ष

ए.

व्यभिचार पर न्यायिक प्रवचन जोसेफ शाइन *v.*

बी.

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सी.

अतीत के अवशेष

डी.

सीमाओं के पार

ई पितृसत्ता का सामना करना

एफ.

'अच्छी पत्नी '

एफ. *1* द एनट्रैपिंग केज

पहचान को नकारना-महिलाओं को यौन संपत्ति के रूप में

जी.

जी*1*

निष्ठा दिखानाः विवाह की अंतरंगताएँ

एच परिवर्तनकारी न्याय की ओर

लिंगः विवादास्पद संघर्ष

ए.

1. हमारा संविधान अधिकारों का भंडार है, असंख्य स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं का उत्सव है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना करता है जहाँ

समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के आदर्श निहित पूर्वाग्रहों और अन्यायों पर विजय प्राप्त करते हैं। एक न्यायपूर्ण, समतावादी समाज का निर्माण एक प्रक्रिया है। इसमें अक्सर संकीर्ण सामाजिक रूढ़ियों पर सवाल उठाया जाता है और उन्हें मिटा दिया जाता है जो संवैधानिक नैतिकता के विरोधी हैं। यह मामला इस संवैधानिक अदालत को कानूनी व्यवस्था में पितृसत्तात्मक मूल्यों के कपटी पारगमन और लैंगिक अन्याय को बनाए रखने में इसकी भूमिका की जांच करने का आदेश देता है।

2. कानून और समाज आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और दमनकारी सामाजिक मूल्य अक्सर कानूनी संरचनाओं में अभिव्यक्ति पाते हैं। कानून समाज को भी प्रभावित करता है लेकिन सामाजिक मूल्य कानून द्वारा दिखाए गए संकेतों के अनुकूल होने में धीमे हैं। व्यभिचार पर कानून को अलग से नहीं समझा जा सकता है। इसकी प्रकृति और प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए, प्रत्येक विधायी प्रावधान को सामाजिक संरचना के बारे में 'प्रवचन' के रूप में समझा जाना चाहिए। *1* तथापि, कानून का विमर्श समरूप नहीं है। *2* विशेष रूप से धारा *497* के संदर्भ में, यह व्यक्तियों को 'लैंगिक नागरिक' मानता है। *3* ऐसा करने में, कानून मौजूदा सामाजिक रूढ़ियों के आधार पर लैंगिक भूमिकाओं का निर्माण और निर्धारण करता है।

कानून को एक 'प्रवचन' के रूप में समझने से 'लैंगिक पहचान' बनाने में कानून की भूमिका को मान्यता मिलेगी। *4* *1* रत्ना कपूर और ब्रेंडा कॉसमैन, विध्वंसक स्थलः के साथ नारीवादी संबंध

पेज *40* पर लॉ इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन *(1996)*

2 पृष्ठ *41* पर लिखा है

3 इबिद

4 इबिद *[2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. वर्षों से, सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को बदलने में कानूनी सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह मामलों में देखा जाता है।

विरासत और घरेलू हिंसा से सुरक्षा के संबंध में। हालांकि, कुछ मामलों में, कानून महिलाओं के लिए एक असमान दुनिया को बनाए रखने के लिए काम करता है। इस प्रकार, जिस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, उसके आधार पर कानून सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक ठहराव के एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। विद्वान पेट्रीसिया विलियम्स, जिन्होंने क्रिटिकल रेस थ्योरी पर काफी काम किया है, कानून के निर्माण की संभावना के बारे में आशावादी हैं। प्रगतिशील सामाजिक रूपांतरणः

"यह मेरा गहरा विश्वास है कि सैद्धांतिक कानूनी समझ और

सामाजिक परिवर्तन ऑक्सीमोरोनिक होने की आवश्यकता नहीं है "

मुक्ति में से एक बनना। उदार दृष्टिकोण से उपयोग किए जाने पर, कानून लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर एक ऐसे साधन के रूप में जो यथास्थिति बनाए रखता है, कानून रूढ़िवादिता को बनाए रखता है और पूर्व-मौजूदा सामाजिक भेदभाव के आधार पर असमान संबंधों को वैध बनाता है। लगातार विकसित होते हुए, कानून एक महत्वपूर्ण "विवेचनात्मक संघर्ष के स्थल" के रूप में कार्य करता है, जहाँ आदर्श प्रतिस्पर्धा करते हैं और नए दृष्टिकोण आकार लेते हैं। कानून के बारे में "विवेचनात्मक संघर्ष के स्थल" के रूप में, उन संस्थानों और संरचनाओं की जांच करना अनिवार्य हो जाता है जिनके भीतर कानूनी विमर्श संचालित होता हैः *7*

"तटस्थ संवाद का विचार एक ऐसा विचार है जो इतिहास को नकारता है,

संरचना से इनकार करता है, विषयों की स्थिति से इनकार करता है। *8*

महिलाओं के अधिकारों पर निर्णय लेने में, न्यायालय को उन संस्थानों और मूल्यों की दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए जिन्होंने महिलाओं को अब तक एक बंधन में बंधने के लिए मजबूर किया है। महिलाओं के जीवन और पहचान को आकार देने में कानून और समाज की भूमिका को पूरी तरह से पहचानना, यह भी सुनिश्चित करना है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यों और कानूनी मानदंडों को हमारे देश की महिलाओं द्वारा संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग में और बाधा डालने की अनुमति नहीं है।

4. विगत वर्षों में, न्यायालय ने स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत अधिकार को प्रधानता प्रदान करते हुए अधिकारों का एक न्यायशास्त्र विकसित किया है।

5 पेट्रीसिया विलियम्स, द अल्केमी ऑफ रेस एंड राइट्स, कैम्ब्रिजः हार्वर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस *(1991)*

6 रत्ना कपूर और ब्रेंडा कॉसमैन, विध्वंसक स्थलः के साथ नारीवादी संबंध

पेज *41* पर लॉ इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन *(1996)*

7 इबिद *8* गायत्री स्पिवाक, द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिकः साक्षात्कार, रणनीतियाँ, संवाद, रूटलेज

(1990)

जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संविधान, हम धारा *497* की वैधता की जांच करने के लिए निकल पड़े भारतीय दंड संहिता। ऐसा करते हुए, हम महिलाओं के नैतिक और सामाजिक विनियमन की संवैधानिकता और कानून के माध्यम से उनके अंतरंग जीवन का भी परीक्षण करते हैं।

व्यभिचार पर न्यायिक विमर्श

बी.

5. इस न्यायालय ने पहले के अवसरों पर भारतीय दंड संहिता की धारा *497* के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *198 (2)* की संवैधानिकता का परीक्षण किया है।

धारा *497* इस प्रकार हैः

"जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसे वह जानता है या जिसे उस पुरुष की सहमति या मिलीभगत के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी मानने का कारण है, तो ऐसा यौन संबंध

संभोग जो बलात्कार के अपराध के बराबर नहीं है, व्यभिचार के अपराध का दोषी है, और उसे पांच साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, या
ठीक के साथ, या दोनों के साथ। ऐसी स्थिति में पत्नी नहीं होगी

उकसाने वाले के रूप में दंडनीय "।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *198 (2)* इस प्रकार हैः

"*(2)* उप-धारा *(1)* के प्रयोजनों के लिए, महिला के पति के अलावा कोई भी व्यक्ति उक्त संहिता की धारा *497* या धारा *498* के तहत दंडनीय किसी भी अपराध से व्यथित नहीं समझा जाएगाः बशर्ते कि पति की अनुपस्थिति में, कोई व्यक्ति जिसने उस समय उसकी ओर से महिला की देखभाल की थी

जब ऐसा अपराध किया गया हो तो न्यायालय की अनुमति से उसकी ओर से शिकायत की जा सकती है।

6. यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम बॉम्बे राज्य 'मामले में संविधान पीठ का निर्णय एक ऐसे मामले से उत्पन्न हुआ जहां अपीलार्थी पर धारा *497* के तहत व्यभिचार के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। दायर की जा रही एक शिकायत पर, उन्होंने अनुच्छेद *228* के तहत प्रावधान की वैधता के बारे में संवैधानिक प्रश्न निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चागला ने धारा *497* में अंतर्निहित धारणा के बारे में एक टिप्पणी कीः

9 1954 एससीआर *930*

10 आकाशवाणी *1951* बम *470 [2018] 11* एस. सी. आर.

"श्री पीरभॉय सही कहते हैं कि धारा *497* का अंतर्निहित विचार यह है कि पत्नियाँ अपने पतियों की संपत्ति हैं। यह तथ्य कि अपराध केवल पति की सहमति से ही संज्ञेय है, उस दृष्टिकोण पर जोर देता है। यह तर्क दिया जा सकता है
कि धारा *497* को किसी भी आधुनिक कानून संहिता में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वे दिन बीत गए जब महिलाओं को संपत्ति के रूप में देखा जाता था

उनके पतियों द्वारा।

इस न्यायालय के समक्ष एक संकीर्ण चुनौती का समाधान किया गया था। न्यायमूर्ति विवियन बोस के फैसले में चुनौती की प्रकृति को दर्ज किया गया हैः

"*3.* धारा *497* के तहत व्यभिचार का अपराध केवल

एक पुरुष द्वारा किया गया लेकिन इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के अभाव में महिला को उकसाने वाले के रूप में दंडित किया जाएगा।

धारा *497* में अंतिम वाक्य इसे प्रतिबंधित करता है। यह चलता है -

"ऐसे मामले में पत्नी को उकसाने वाले के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि यह अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन करता है।

इसलिए, चुनौती केवल पत्नी के साथ उकसाने वाले के रूप में व्यवहार करने पर प्रतिबंध के लिए थी। यह वह चुनौती थी जिससे निपटा गया और इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अनुच्छेद *14* को भाग *III* के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों की सीमा निर्धारित करते हैं। पत्नी के साथ उकसाने वाले के रूप में व्यवहार करने पर प्रतिबंध को एक विशेष प्रावधान के रूप में बरकरार रखा गया था जिसे अनुच्छेद *15 (3)* द्वारा बचाया गया है। निष्कर्ष यह था किः

"*5.* अनुच्छेद *14* सामान्य है और इसे अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करते हैं। लिंग एक ठोस वर्गीकरण है और हालांकि उस आधार पर सामान्य रूप से कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, संविधान स्वयं महिलाओं और बच्चों के मामले में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ये दोनों लेख

भारतीय दंड संहिता की धारा *497* में आक्षेपित खंड को एक साथ पढ़ें।

7. चुनौती धारा *497* के एक सीमित हिस्से के लिए थीः जो एक महिला को उकसाने वाले के रूप में मुकदमा चलाने से रोकता था। व्यापक मुद्दे। जैसे कि क्या *(i)* व्यभिचार के लिए दंड अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करता है; *(ii)* वैधानिक प्रावधान स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है; *(iii)*

विधायिका ने, विवाह की पवित्रता की रक्षा करते हुए, महिलाओं की गरिमा पर आक्रमण किया है; और *(iv)* धारा *497* लिंग रूढ़िवादिता को लागू करके अनुच्छेद *15 (1)* का उल्लंघन करती है और न ही इस न्यायालय के समक्ष संबोधित किया गया था।

न ही उनसे निपटा गया।

जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस न्यायालय ने महिलाओं को आपराधिक प्रतिबंधों से दी गई छूट को महिलाओं के लाभ के लिए एक 'विशेष प्रावधान' के रूप में माना और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद *15 (3)* के तहत संरक्षित किया। भारत संघ बनाम एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड में, *1 1 11* ए संविधान पीठ

इस न्यायालय ने कहाः

*" 17 ... .*जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में सवाल उठता है तो उस प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ना न केवल वैध है बल्कि उचित भी है। संदर्भ का अर्थ है समग्र रूप से क़ानून, कानून की पिछली स्थिति, समान सामग्री में अन्य क़ानून, क़ानून का सामान्य दायरा और यह शरारत कि यह था

समाधान करने का इरादा। *"1 2*

महिलाओं और विवाह में उनकी अधीनस्थ भूमिका के बारे में रूढ़िवादी धारणाएँ। व्यभिचार पर कानून के पितृसत्तात्मक आधार तब स्पष्ट हो जाते हैं जब प्रावधान को समग्र रूप से माना जाता है। *8.* सौमित्र विष्णु बनाम भारत संघ मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के बाद के फैसले में, अदालत ने इस आधार पर आगे बढ़ाया कि यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ मामले में पहले के फैसले ने संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* पर आधारित चुनौती के खिलाफ धारा *497* को बरकरार रखा था। यह निर्णय का सही अध्ययन या व्याख्या नहीं है।

9. सौमित्र विष्णु ने वास्तव में इस आधार पर व्यापक संवैधानिक चुनौती पर विचार किया कि तीस के पारित होने के बाद

वर्षों में, विशेष रूप से कथित सामाजिक परिवर्तन के प्रकाश में

लिंग के मामलों में महिलाओं के व्यवहार के प्रतिमान ", यह आवश्यक हो गया था कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाए। सौमित्र विष्णु एक ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुए जब अपीलार्थी द्वारा अपने पति के खिलाफ त्याग के आधार पर तलाक की याचिका को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया कि यह अपीलार्थी ही था जिसने अपने पति को छोड़ दिया था। अपीलार्थी के पति ने तब त्याग और व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए मुकदमा दायर किया। इस याचिका का सामना करते हुए,

1 1 11 (2001) 4 एस. सी. सी. *139 12* आई. बी. आई. डी. पृष्ठ *164 13 1985* सप एस. सी. सी. *137 [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी ने आग्रह किया कि त्याग के आधार पर तलाक के लिए डिक्री पहले की याचिका में निष्कर्षों के आधार पर पारित की जा सकती है। हालाँकि, उसने व्यभिचार का आधार बनाने के लिए पति के प्रयास का विरोध किया। जबकि निचली अदालत ने व्यभिचार के आधार पर दावा करने के लिए पति की याचिका को स्वीकार कर लिया, उच्च न्यायालय ने संशोधन में कहा कि तलाक की डिक्री त्याग के आधार पर पारित की जा सकती है, जिससे व्यभिचार की जांच करना अनावश्यक हो जाता है। जबकि तलाक की याचिका अपीलार्थी के खिलाफ लंबित थी, उसके पति ने उस व्यक्ति के खिलाफ धारा *497* के तहत शिकायत दर्ज की, जिसके साथ अपीलार्थी पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी ने तब धारा *497* की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।

तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से संकेत मिलता है कि इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तीन आधारों को संबोधित किया गया था: पहला, जबकि धारा *497*

पति को व्यभिचारी पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करता है, यह पत्नी को उस महिला पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है जिसके साथ उसके पति ने व्यभिचार किया है; दूसरा, धारा *497* पत्नी को अपने पति पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान नहीं करती है जिसने किसी अन्य महिला के साथ व्यभिचार किया है; और तीसरा, धारा *497* ऐसे मामलों को शामिल नहीं करती है जहां एक पुरुष के अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध हैं। इस न्यायालय के समक्ष निवेदन था कि धारा *497* के तहत वर्गीकरण तर्कहीन और 'मनमाना' था। इसके अलावा, यह भी आग्रह किया गया कि हालांकि चेहरे पर, यह प्रावधान एक महिला के लिए फायदेमंद प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में पितृत्व की धारणा पर आधारित है "जो इस धारणा से उपजी है कि महिलाएं, संपत्ति की तरह, पुरुषों की संपत्ति हैं"।

10. सौमित्र विष्णु में निर्णय ने औपचारिक और बल्कि संकीर्ण शब्दों में समानता से इनकार पर प्रवचन तक पहुँचकर संवैधानिक चुनौती से निपटा। चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि परिभाषा के अनुसार, व्यभिचार का अपराध हो सकता है एक पुरुष द्वारा किया गया, न कि एक महिला द्वारा। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को एक सुझाव के रूप में माना कि परिभाषा को इस तरह से पुनर्गठित किया जाना चाहिए जो अपराध को लिंग तटस्थ बनाए। अदालत ने यह कहते हुए जवाब दिया कि यह विधायी नीति का मामला है और अदालत केवल तभी प्रावधान को अमान्य कर सकती है जब संवैधानिक उल्लंघन स्थापित हो। न्यायालय का तर्क, इस प्रभाव के लिए कि एक वैधानिक परिभाषा का दायरा बढ़ाना एक ऐसा मामला है जिसके लिए विधायी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, असाधारण है। कानून में संशोधन करने की शक्ति विधायिका के पास होती है। लेकिन यह केवल इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अदालत अपराध जोसफ शाइन बनाम बनाकर विधायी प्रिस्क्रिप्शन का विस्तार नहीं कर सकती है।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

लिंग तटस्थ। यह इस बुनियादी मुद्दे का जवाब नहीं देता है कि क्या व्यभिचार के लिए सजा संवैधानिक रूप से वैध है। सौमित्र विष्णु में त्रुटि यह मानने में निहित है कि कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ था। फैसले में कहा गया है कि:

" 7 ..... यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि यह पुरुष है जो प्रलोभक है न कि महिला। हो सकता है कि इस पद पर कुछ अनुभव हुए हों।

वर्षों से परिवर्तन होता रहा है लेकिन यह विधानमंडल को विचार करना है कि क्या धारा *497* को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि समाज में हुए "परिवर्तन" पर ध्यान दिया जा सके। भारत के विधि आयोग ने अपनी *42* वीं रिपोर्ट, *1971* में धारा *497* को बनाए रखने की सिफारिश की थी।

इस संशोधन के साथ प्रस्तुत रूप है कि, यहाँ तक कि पत्नी, जो अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, को भी व्यभिचार के लिए दंडनीय बनाया जाना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन को विधानमंडल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। श्रीमती अन्ना चंडी, जो अल्पमत में थीं, ने इस आधार पर धारा *497* को हटाने के पक्ष में मतदान किया कि "यह इस सवाल पर विचार करने का सही समय है कि क्या धारा *497* में उल्लिखित व्यभिचार का अपराध विवाह में महिला की स्थिति के बारे में हमारी वर्तमान धारणाओं के अनुरूप है"। विधि आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि कानून की पुस्तक में धारा *497* में निहित प्रावधान को बनाए रखने की वांछनीयता पर दो राय हो सकती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते।

उस खंड को इस आधार पर हटा दें कि इसे हटाना वांछनीय है

यह। " *14*

इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि संवैधानिक चुनौती थी

विशुद्ध रूप से इस तर्क के दृष्टिकोण से संबोधित किया गया कि धारा *497* लिंग तटस्थ नहीं है, केवल पुरुष को अनुमति देने में लेकिन यौन संबंध में महिला को मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि

धारणा, जिसे यह "आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि यह पुरुष है जो प्रलोभक है न कि महिला।" यह देखते हुए कि इस स्थिति में कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वर्षों से, निर्णय में कहा गया है कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर विधायिका को विचार करना है और धारा *497* को हटाने की वांछनीयता अमान्य होने का आधार नहीं है।

11. सौमित्र विष्णु में निर्णय ने उस मौलिक चुनौती को अनुत्तरित छोड़ दिया है जिसका न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था। अनुच्छेद *14* के तहत, चुनौती यह थी कि वैधानिक प्रावधान एक महिला को विशुद्ध रूप से उसके पति की संपत्ति के रूप में मानता है। कि एक महिला को इससे अधिक नहीं माना जाता है

14 आइबीआइडी।

उसके पति के कब्जे के रूप में धारा *497* में एक से अधिक संदर्भों में प्रमाणित किया गया है। प्रावधान में कहा गया है कि एक पुरुष जो यौन संबंध रखता है

किसी अन्य की पत्नी के साथ संभोग अपराध का दोषी नहीं होगा यदि महिला का पति सहमति देता है या *(*इससे भी बदतर, सांठगांठ करता है*)*। इसमें, यह स्पष्ट है कि विधायिका महिला को किसी भी एजेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है।

एक विवाहित पुरुष एकल महिला के साथ यौन संभोग के कार्य में संलग्न होना। उसकी पत्नी को कानून द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है जिसकी एजेंसी और गरिमा प्रभावित होती है। एक विवाहित पुरुष द्वारा एकल महिला के साथ यौन कृत्य को दंडित नहीं करने का अंतर्निहित आधार यह है कि वह *(*एक विवाहित महिला के विपरीत*)* एक पुरुष की संपत्ति नहीं है *(*जैसा कि कानून उसे मान लेगा यदि

वह शादीशुदा है*)*। प्रावधान पर मनमानेपन को व्यापक रूप से लिखा गया है। धारा *497* के साथ समस्या केवल कम समावेशन का मामला नहीं है। सौमित्र विष्णु के मामले में अदालत ने माना कि एक कम समावेशी परिभाषा आवश्यक रूप से भेदभावपूर्ण नहीं है और विधायिका को बुराई से निपटने का अधिकार है जहां इसे सबसे अधिक महसूस किया जाता है और देखा जाता है। जिस संकीर्ण और औपचारिक अर्थ में अनुच्छेद *14* के प्रावधानों का अर्थ लगाया गया है, वह निम्नलिखित टिप्पणियों से फिर से स्पष्ट है:

"8 ..... कानून का विचार, स्पष्ट रूप से, यह है कि पत्नी, जो किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध में शामिल है, एक है

पीड़ित और अपराध का लेखक नहीं। धारा *497* में परिभाषित व्यभिचार के अपराध को विधानमंडल द्वारा एक अपराध के रूप में माना जाता है।

वैवाहिक घर की पवित्रता के खिलाफ अपराध, एक अधिनियम

जो एक आदमी द्वारा किया जाता है, जैसा कि आम तौर पर होता है। इसलिए, जो लोग उस पवित्रता को अशुद्ध करते हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाता है। एक अर्थ में, हम उसी बिंदु पर लौटते हैंः कौन मुकदमा चला सकता है जिसके लिए अपराध निर्भर करता है, पहला, अपराध की परिभाषा पर और दूसरा, कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर

मुकदमा चलाने के अधिकार पर प्रक्रिया।

तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय धारा *497* की वैधता के लिए केंद्रीय चुनौती का समाधान नहीं करता है। धारा *497*, अपने प्रयास में *15* आइबीआइडी।

पृष्ठ *142* पर जोसफ शाइन *v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

विवाह की पवित्रता की रक्षा करते हुए, विवाह की धारणा को अपनाया है जो पुरुष और महिला को समान भागीदार नहीं मानता है। यह आगे बढ़ता है।

स्त्री के अपने पति की इच्छा के अधीन होने पर। ऐसा करने में, धारा *497* महिला को हीनता की स्थिति में डाल देती है।

उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, जो अनुच्छेद *21* का मूल है। महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद *21* के तहत चुनौती को भी उस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एक संकीर्ण ढांचे में संबोधित किया गया था। इस अदालत के समक्ष तर्क यह था कि धारा *497* के तहत किए गए कथित अपराध से जुड़े मुकदमे में, जिस महिला के साथ आरोपी पर यौन संबंध बनाने का आरोप है, उसे सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होगा। यह केवल यही पहलू था जिसे सौमित्र विष्णु में संबोधित किया गया था जब अदालत ने कहा था कि सुनवाई के इस तरह के अधिकार को एक उपयुक्त मामले में पढ़ा जा सकता है। अंततः, अदालत ने कहा किः

"12 ..... समाज के हितों की दृष्टि से यह बेहतर है कि कम से कम एक सीमित वर्ग के व्यभिचारी संबंधों को कानून द्वारा दंडनीय माना जाए। शादियों की स्थिरता तिरस्कार योग्य आदर्श नहीं है। *16*

सौमित्र विष्णु इस प्रकार इस तर्क पर आगे बढ़े हैं कि किसी अपराध को निर्दिष्ट करने में, यह विधायिका को परिभाषित करना है कि अपराध क्या है। इसके अलावा, कौन मुकदमा चला सकता है और किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये ऐसे मामले हैं जो कानून के दायरे में आते हैं। फैसले का स्पष्ट प्रमुख आधार यह है कि व्यभिचार के लिए अभियोजन विवाह की स्थिरता की रक्षा करने का एक प्रयास है और यदि विधायिका ने केवल 'व्यभिचार संबंधों' के एक सीमित वर्ग पर मुकदमा चलाने की मांग की है, तो इसकी पसंद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सौमित्र विष्णु 'संवैधानिक न्यायशास्त्र के मूल पहलुओं से निपटने में विफल रहते हैं जिनका धारा *497* की वैधता पर असर पड़ता हैः मनमानी के खिलाफ एक वास्तविक सुरक्षा के रूप में समानता की गारंटी, गरिमा, स्वायत्तता और गोपनीयता की एक आवश्यक मान्यता के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और सबसे बढ़कर लैंगिक समानता को वास्तव में समान समाज की आधारशिला के रूप में। इन कारणों से, सौमित्र विष्णु के निर्णय को संवैधानिक स्थिति की सही व्याख्या नहीं माना जा सकता है। सौमित्र विष्णु को खारिज कर दिया जाता है।

12. वी रेवती बनाम भारत संघ *1 7* में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में धारा *497 (*दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *198 (2)* के साथ पठित*)* को चुनौती दी गई थी जो एक पत्नी को मुकदमा चलाने से अक्षम करती है।

उसका पति एक व्यभिचारी संबंध में शामिल होने के लिए। अदालत ने

16 आइबीआइडी। पृष्ठ *144* पर

17 (1988) 2 एससीसी *72 [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह उल्लेख किया गया है कि धारा *497* न तो उल्लंघन करने वाली पत्नी के पति को उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है और न ही यह पत्नी को अपने उल्लंघन करने वाले पति पर विश्वासघात करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। समानता की यह औपचारिक भावना पाई गई न्यायालय द्वारा स्वीकृति। सौमित्र विष्णु के निर्णय पर भरोसा करके चुनौती को दूर कर दिया गया। यह देखते हुए कि धारा *497* और धारा *198 (2)* एक *"*विधायी पैकेट*"* का गठन करती है, अदालत ने कहा कि प्रावधान न तो पत्नी को गलती करने वाले पति या पति को गलती करने वाली पत्नी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। अदालत के विचार में, यह संकेत देता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इस दृष्टि से

अदालत के बारे में:

" 5 ..... कानून में किसी को भी सजा देने की परिकल्पना नहीं की गई है।

एक-दूसरे के उदाहरण पर पति-पत्नी। अतः ऐसा कुछ नहीं है

महिला के खिलाफ भेदभाव क्योंकि उसे अपने पति पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। एक पति को अनुमति नहीं है क्योंकि कानून की नजर में पत्नी को अपराधी के रूप में नहीं माना जाता है। पत्नी को अनुमति नहीं है क्योंकि धारा *198 (2)* के साथ पठित धारा *198 (1)* उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। अंतिम विश्लेषण में कानून ने

एक-दूसरे पर मुकदमा चलाने या एक-दूसरे को कैद करने के मामले में दोनों को समान न्याय दिया गया

अन्य। इस प्रकार धारा *198 (2)* के दायरे को सीमित करने और इसे बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है ताकि

व्यभिचारी पर मुकदमा चलाना उसके पति तक ही सीमित है।

व्यभिचारिणी लेकिन उसकी पत्नी तक विस्तारित नहीं की गई है
व्यभिचारी "। *18*

13. रेवती में लिया गया निर्णय सौमित्र विष्णु की पुनरावृत्ति है। यह समानता के सिद्धांत और औपचारिक अर्थों में लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ निषेध को लागू करता है। फैसले का तर्क यह है कि चूंकि पति

या पत्नी *(*पुरुष या महिला*)* में से कोई भी गलती करने वाले पति या पत्नी पर मुकदमा नहीं चला सकता है, इसलिए प्रावधान लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। संकीर्ण सीमा में समानता को पढ़ने के अलावा, निर्णय प्रावधान की संवैधानिकता से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित नहीं है। रेवती, सौमित्र विष्णु की तरह सही कानूनी व्यवस्था नहीं करती हैं।

सिद्धांत।

अतीत के अवशेष

एस.

"हमारी मैसाचुसेट्स मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ हमारे धार्मिक कानून की चरम सीमा को लागू करने का साहस नहीं किया है। सजा

18 आइबीआइडी।

पृष्ठ *76* पर जोसफ शाइन *v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

यही मृत्यु है। लेकिन अपनी महान दया और दिल की कोमलता में उन्होंने मालकिन प्रिन को केवल एक जगह के लिए खड़ा होने के लिए बर्बाद कर दिया है
स्तंभ के मंच पर तीन घंटे, और फिर और उसके बाद, उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए शर्म का निशान पहनने के लिए

उसकी छाती पर। *19*

14. भारतीय दंड संहिता, *1860* की धारा *497* व्यभिचार को "जो कोई भी किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है, उसके खिलाफ दंडनीय अपराध बनाती है। वह कौन है और जिसे वह जानता है या जिसके पास उस पुरुष की सहमति या मिलीभगत के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी होने का विश्वास करने का कारण है। इसमें आगे कहा गया है कि, "ऐसे मामले में पत्नी को उकसाने वाले के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा।" अपराध केवल व्यभिचार करने वाले पुरुष पर लागू होता है। एक महिला।

व्यभिचार को अपराध के लिए "उत्प्रेरक" नहीं माना जाता है। व्यभिचार के लिए मुकदमा चलाने की शक्ति केवल पति के पास होती है। महिला।

धारा *497* की लैंगिक प्रकृति को समझने के लिए प्रावधान की उत्पत्ति के साथ-साथ व्यभिचार के अपराध की अधिक व्यापक रूप से जांच की आवश्यकता है। व्यभिचार का इतिहास पुरुष और महिला बेवफाई के प्रति असमान दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, और कानून और नैतिकता में दोहरे मानक को प्रकट करता है जो पुरुषों और महिलाओं पर लागू किया गया है। *20*

15. पूरे इतिहास में, व्यभिचार को एक अपराध के रूप में माना गया है; इसे एक धार्मिक उल्लंघन के रूप में माना गया है, जो एक योग्य अपराध है।

कठोर दंड, एक निजी गलती के रूप में, या इनके संयोजन के रूप में। *21* व्यभिचार के खिलाफ सबसे पहले दर्ज किए गए आदेश बेबीलोन के राजा हम्मुराबी के प्राचीन संहिता में पाए जाते हैं, जो लगभग *1750* ईसा पूर्व के हैं। संहिता में निर्धारित किया गया है कि व्यभिचार में पकड़ी गई एक विवाहित महिला को उसके प्रेमी से बांध

दिया जाए और पानी में फेंक दिया जाए ताकि वे एक साथ डूब जाएं। *22* इसके विपरीत, असीरियाई कानून व्यभिचार को एक निजी गलत मानता था जिसके लिए व्यभिचार करने वाली महिला का पति या पिता कर सकता था।

दाभोईवाला ने नोट किया कि इन कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा करना था पुरुषों के संपत्ति अधिकारः

19 नथानिएल हॉथोर्न, द स्कार्लेट लेटर, बैंटम बुक्स *(1850)*, पृष्ठ *59 2 0 20* पर डेविड टर्नर, द ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वीमेन इन वर्ल्ड हिस्ट्री में व्यभिचार देखें।

(2008)

21 आई. बी. आई. डी. *22* जेम्स ए. ब्रुन्डेज, लॉ, सेक्स एंड क्रिश्चियन सोसाइटी इन मेडिवल यूरोप, पेज *10 23* आई. बी. आई. डी., पेज *11 [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"वास्तव में, इतिहास की शुरुआत से ही हर सभ्यता ने कम से कम किसी न किसी प्रकार की यौन अनैतिकता के खिलाफ कठोर कानून निर्धारित किए थे। द.

सबसे पुराने जीवित कानूनी कोड *(c.2100-1700 BCE)*, द्वारा तैयार किया गया

बेबीलोन के राजाओं ने व्यभिचार को मौत की सजा दी और

अधिकांश अन्य निकट पूर्वी और शास्त्रीय संस्कृति ने भी इसे एक के रूप में माना

गंभीर अपराध। इस तरह के कानूनों की मुख्य चिंता आमतौर पर थी

पिताओं, पतियों के सम्मान और संपत्ति के अधिकारों को बनाए रखना और उच्च स्थिति समूह। *"24*

16. प्राचीन यूनानी-रोमन समाजों में, एक यौन संबंध था।

दोहरा मानक जिसके अनुसार व्यभिचार एक पति की अपनी पत्नी तक अनन्य यौन पहुंच का उल्लंघन है, जिसके लिए कानून बदला लेने के कृत्यों की अनुमति देता है। *25 17* ईसा पूर्व में, सम्राट ऑगस्टस ने लेक्स जूलिया डी एडल्टेरिस कोरेंडिस पारित किया, जिसमें निर्धारित किया गया था कि एक पिता को अपने पति के घर में व्यभिचार करते हुए पकड़े जाने पर अपनी बेटी और उसके साथी को मारने की अनुमति थी। *26* जबकि यहूदी विश्वास में व्यभिचार व्यभिचारिणी और उसके साथी दोनों के लिए पथराव करके मृत्यु के योग्य था, *27* ईसाई धर्म ने व्यभिचार को सार्वजनिक अपराध की तुलना में नैतिक और आध्यात्मिक विफलता के रूप में अधिक देखा। *28* लेक्स जूलिया के दंड को ईसाई सम्राटों द्वारा और अधिक कठोर बना दिया गया था। उदाहरण के लिए, सम्राट कांस्टेनटाइन ने पेश किया व्यभिचार के लिए मृत्युदंड, जो पति को अपनी पत्नी को मारने का अधिकार देता है यदि वह व्यभिचार करती है। *29* लेक्स जूलिया के तहत, व्यभिचार मुख्य रूप से एक महिला अपराध था, और कानून उच्च वर्ग के रोमन पुरुषों की भावनाओं को दर्शाता था। *30*

17. एक बार ब्रिटेन में एकविवाह को आम तौर पर स्वीकार किया जाने लगा।

चौथी और पाँचवीं शताब्दी के बीच व्यभिचार को मान्यता मिली।

एक गंभीर गलती के रूप में जो अपनी पत्नी पर पति के "अधिकारों" में हस्तक्षेप करती है। *31* व्यभिचार पर आपराधिक प्रतिबंधों का अधिरोपण भी काफी हद तक था *24* फरामर्ज दभोईवाला, सेक्स की उत्पत्तिः पहली यौन क्रांति का इतिहास

(2012) , पृष्ठ *5* पर

25 डेविड टर्नर, विश्व इतिहास में महिलाओं के ऑक्सफोर्ड विश्वकोश में व्यभिचार

(2008) , पृष्ठ *30* पर

26 वर्न बुल्लो, व्यभिचार की मध्यकालीन अवधारणाएँ, पृष्ठ *7 27* पर विश्व इतिहास में महिलाओं का ऑक्सफोर्ड विश्वकोश, *(*बोनी जी स्मिथ संस्करण*),*

ऑक्सफोर्ड, पृष्ठ *27* पर

28 मार्टिन सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और संविधान, खंड। *30* ,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ *(1991),* पृष्ठ *46* पर

29 वर्न बुल्लो, व्यभिचार की मध्यकालीन अवधारणाएँ, पृष्ठ *7 30* पर जेम्स ए. ब्रुंडज, लॉ, सेक्स एंड क्रिश्चियन सोसाइटी इन मेडिवल यूरोप, पृष्ठ *27 31* पर जेरेमी डी. वेनस्टीन, व्यभिचार, कानून और राज्यः ए हिस्ट्री, वॉल्यूम। *38* , हेस्टिंग्स लॉ जर्नल *(1986),* पृष्ठ *202* पर; आर. ह्यूबनर, ए हिस्ट्री ऑफ जर्मनिक प्राइवेट लॉ *(*एफ.

फिलब्रिक ट्रांस। *1918)*

जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सामाजिक और नैतिक आधार के रूप में विवाह पर नया जोर दिया गया आदेश दें। *33* मार्टिन लूथर और जॉन केल्विन सहित सोलहवीं शताब्दी के कई प्रमुख सुधारकों ने तर्क दिया कि बेवफाई से विवाह अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उन्होंने ऐसे मामलों में तलाक की वकालत की। *34*

सुधार के बाद से इंग्लैंड में प्रचलित "नैतिक भ्रष्टाचार" से चिंतित, मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में प्यूरिटन्स ने व्यभिचार करने के लिए मौत की सजा की शुरुआत की। *3 5* प्रारंभिक काल की कठोर नैतिकता अंग्रेजी उपनिवेशवादियों को नथानिएल हॉथोर्न के प्रसिद्ध *1850* के उपन्यास 'द स्कार्लेट लेटर' में प्रतिबिंबित किया गया है, जिसमें एक अविवाहित महिला जिसने व्यभिचार किया और विवाह से बाहर एक बच्चे को जन्म दिया, जब वह सार्वजनिक रूप से बाहर गई तो उसे ए *(*व्यभिचारी के लिए*)* अक्षर पहनने के लिए कहा गया था; उसके प्रेमी को इतना टैग नहीं किया गया था, यह सुझाव देते हुए कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक कठोर दंड दिया गया था।

व्यभिचार, विशेष रूप से जब उनके पास सबूत के रूप में एक बच्चा था। *36*

18. 1650 में, इंग्लैंड ने अनाचार, व्यभिचार और व्यभिचार के घृणित पापों को दबाने के लिए कुख्यात अधिनियम लागू किया, जिसने एक विवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मौत की सजा की शुरुआत की। *37* अधिनियम का उद्देश्य इस प्रकार थाः

"घृणित और रोते हुए पापों को दबाने के लिए

. व्यभिचार. जिसके साथ यह भूमि बहुत अशुद्ध है, और

सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यधिक अप्रसन्न है; चाहे वह अधिनियमित हो। कि यदि कोई विवाहित महिला शारीरिक रूप से किसी भी पुरुष द्वारा जानी जाएगी *(अन्य)*

अपने पति की तुलना में*)*. साथ ही पुरुष के रूप में महिला. पीड़ित होगा

मृत्यु "।

यह अधिनियम यौन अपराधों के बारे में लंबे समय से चली आ रही नैतिक चिंताओं, वैवाहिक मामलों को विनियमित करने के निरंतर प्रयासों की पराकाष्ठा थी। *32* जेम्स ए. ब्रुन्डेज, लॉ, सेक्स, एंड क्रिश्चियन सोसाइटी इन मेडीवल यूरोप, पृष्ठ *6 33* पर डेविड टर्नर, एडल्टरी इन द ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वीमेन इन वर्ल्ड हिस्ट्री

(2008) , पृष्ठ *30* पर

34 आइबीआइडी। *3 5* विश्व इतिहास में महिलाओं का ऑक्सफोर्ड विश्वकोश, *(*बोनी जी स्मिथ संस्करण*)*,

ऑक्सफोर्ड, पृष्ठ *30* पर

36 जेम्स आर. मेलो, हॉथोर्न का डिवाइडेड जीनियस, द विल्सन क्वार्टरली *(1982)* *37* मैरी बेथ नॉर्टन, संस्थापक माताएँ और पिताः लैंगिक शक्ति और गठन

अमेरिकन सोसाइटी *(1996)*।

धर्मनिरपेक्ष, और सामाजिक-नैतिक सुधार का एक समकालीन राजनीतिक एजेंडा। *3 8* इसे *1660* में पुनर्स्थापना के दौरान निरस्त कर दिया गया था। हालाँकि, सामान्य कानून अभी भी विरासत और संपत्ति के अधिकारों पर एक विवाहित महिला द्वारा व्यभिचार के प्रभाव से संबंधित था। इसने "उसके संदेहहीन पति पर नकली संतानों को थोपने और उसके परिवार में एक अवैध उत्तराधिकारी लाने के स्पष्ट खतरे" को मान्यता दी। *39* तदनुसार, धर्मनिरपेक्ष अदालतों ने व्यभिचार को एक निजी चोट और आपराधिक बातचीत के लिए एक यातना के रूप में माना

इसे *17* वीं शताब्दी के अंत में पेश किया गया था, जिसने पति को अपनी पत्नी के प्रेमी पर वित्तीय मुआवजे के लिए मुकदमा करने की अनुमति दी। *40*

19. 19 वीं शताब्दी के ब्रिटेन में, विवाहित महिलाओं को माना जाता था

उनके दामाद की संपत्ति, और महिला व्यभिचार के अधीन किया गया था पुरुष व्यभिचार की तुलना में बहिष्कार कहीं अधिक बुरा है क्योंकि यह अवैध बच्चों के माध्यम से संपत्ति विरासत के लिए समस्या का कारण बन सकता है।

41

नतीजतन, कई समाजों ने शुद्धता को, विनम्रता जैसे संबंधित गुणों के साथ, एक पुरुष की तुलना में महिला के सम्मान और प्रतिष्ठा के अधिक केंद्रीय घटकों के रूप में देखा। *42* व्यभिचार कानूनों का उद्देश्य एक महिला की शारीरिक अखंडता की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उसके पति को अनुमति देना था अपनी रक्त-रेखा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी कामुकता पर नियंत्रण रखें। अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार में लिप्त व्यक्ति की हत्या को हत्या नहीं, बल्कि हत्या माना जाता था। *43* आर बनाम मोग्रिज में, *44* न्यायाधीश होल्ट ने लिखा हैः

> "..... *[A]* पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ व्यभिचार में ले जाया जाता है, यदि
>
> पति व्यभिचारी को छुरा घोंप देगा, या उसके दिमाग को बाहर निकाल देगा, यह है
>
> नग्न हत्याः क्योंकि ईर्ष्या एक आदमी का क्रोध है और
>
> व्यभिचार संपत्ति पर सबसे बड़ा आक्रमण है। *(* जोर दें।
>
> आपूर्ति की गई*)*

38 कीथ थॉमस, द प्युरिटन्स एंड एडल्टरीः *1650* के अधिनियम पर प्यूरिटन में पुनर्विचार किया गया

और क्रांतिकारीः सत्रहवीं सदी के इतिहास में निबंध

क्रिस्टोफर हिल *(*डोनाल्ड पेनिंगटन, कीथ थॉमस, संस्करण*)*, पृष्ठ *281* पर।

39 चार्ल्स ई. टॉर्सिया, व्हार्टन का आपराधिक कानून, धारा *218, (1994)* पृष्ठ *528 4 0* जे. ई. लॉफ्टिस, कांग्रेस वे ऑफ द वर्ल्ड और लोकप्रिय आपराधिक साहित्य, अध्ययन

अंग्रेजी साहित्य में, *1500-1900 36 (3) (1996)*, पृष्ठ *293* पर

41 जोआन बेली, अनक्विट लाइव्सः इंग्लैंड में विवाह और विवाह टूटना, *1660*

1800 (2009) , पृष्ठ *143* पर

42 डेविड टर्नर, विश्व इतिहास में महिलाओं के ऑक्सफोर्ड विश्वकोश में व्यभिचार

(2008) , पृष्ठ *28* पर

43 इंग्लैंड के कानूनों पर ब्लैकस्टोन की टिप्पणियां, पुस्तक *IV (1778),*

पृष्ठ *191* पर

192

44 (1707) केल।

119 जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

20. इंग्लैंड के कानूनों पर अपनी टिप्पणियों में, विलियम

ब्लैकस्टोन ने लिखा है कि सामान्य कानून के तहत, "महिला का अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व विवाह के दौरान निलंबित कर दिया गया था, या कम से कम पति के अस्तित्व में शामिल और समेकित किया गया थाः के तहत

जिनके पंख, सुरक्षा और आवरण, वह सब कुछ करती है। " *45* समर्थन और सुरक्षा के बदले में, पत्नी ने अपने पति को कानूनी दायित्वों के "संघ" का भुगतान किया, जिसमें यौन संबंध शामिल थे। *46* चूँकि व्यभिचार पति के अनन्य अधिकारों में हस्तक्षेप करता था, इसलिए इसे चोरी के समान "संपत्ति पर सबसे अधिक संभावित आक्रमण" माना जाता था। *47* वास्तव में, व्यभिचार के लिए नागरिक कार्रवाई एक नौकर को एक मालिक से दूर करने और इस तरह मालिक को उसकी सेवाओं में अर्ध स्वामित्व हित से वंचित करने के कार्यों से विकसित हुई। *48*

फरामर्ज दभोईवाला ने नोट किया कि एक आदमी की पत्नी को उसकी संपत्ति माना जाता था, और दूसरे आदमी का उसके साथ "गैरकानूनी मैथुन" के लिए दंड की आवश्यकता होती थीः

> ..... *[*टी*]* वह सबसे शुरुआती अंग्रेजी कानून संहिताएँ, जो इस समय से हैं,
>
> एक ऐसे समाज को जागृत करें जहाँ महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता था और वे रहती थीं
>
> लगातार पुरुषों के संरक्षण में। इन मामलों में भी
> सहमति से यौन संबंध, इसकी न्याय प्रणाली मुख्य रूप से संबंधित थी
>
> एक व्यक्ति को गैरकानूनी के लिए दूसरे को मुआवजा देना चाहिए
>
> उसकी महिला चरवाहे के साथ मैथुन। "

21. जब आई. पी. सी. का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब व्यभिचार अपराध नहीं था

सामान्य कानून में अपराध। इसे एक चर्च संबंधी गलत माना जाता था "कैनन लॉ के नियमों के अनुसार, आध्यात्मिक न्यायालय के कमजोर जबरदस्ती पर छोड़ दिया गया था।" *49* लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले, भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष और आई. पी. सी. के प्रमुख वास्तुकार, भारत में व्यभिचार को अपराध घोषित करने की संभावना पर विचार किया गया और अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि इससे बहुत कम उद्देश्य पूरा होगा। *50* भगवान के अनुसार

45 विलियम ब्लैकस्टोन, इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां। खण्ड. *I (1765),* पृष्ठों पर

442-445

46 वेरा बर्गल्सन, राज्य शक्ति पर कानूनी परिप्रेक्ष्य में बलात्कार-द्वारा-धोखाधड़ी पर पुनर्विचारः सहमति और नियंत्रण *(*क्रिस एशफोर्ड, एलन रीड और निकोला वेक, संस्करण*) (2016),* पर

पृष्ठ *161*

47 आर वी। मावग्रिज, *(1707)* केल। *119 48* वेरा बर्गल्सन, राज्य शक्ति पर कानूनी परिप्रेक्ष्य में बलात्कार-द्वारा-धोखाधड़ी पर पुनर्विचारः सहमति और नियंत्रण *(*क्रिस एशफोर्ड, एलन रीड और निकोला वेक, संस्करण*) (2016),* पर

पृष्ठ *161*

49 इंग्लैंड के कानूनों पर ब्लैकस्टोन की टिप्पणियां, पुस्तक *IV (1778),* पृष्ठों पर *64-65 50* अभिनव सेखड़ी, द गुड, द बैड, एंड द एडल्टरसः आपराधिक कानून और

भारत में व्यभिचार, सामाजिक-कानूनी समीक्षा *(2016),* पृष्ठ *52 [2018] 11* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मैकाले, व्यभिचार अपराध से संभावित लाभ आर्थिक मुआवजे के माध्यम से बेहतर तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। *51 51* लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किए गए पहले मसौदा दंड संहिता में धारा *497* को जगह नहीं मिली। व्यभिचार को अपराध घोषित करने की व्यवहार्यता के बारे में तीनों राष्ट्रपतियों से एकत्र किए गए तथ्यों और राय के मूल्यांकन पर, उन्होंने आई. पी. सी. के अपने टिप्पणियों में निष्कर्ष निकाला किः

..... व्यभिचार की सजा के लिए सभी मौजूदा कानून उच्च वर्ग के घायल पतियों को कानून अपने हाथों में लेने से रोकने के उद्देश्य से पूरी तरह से अप्रभावी हैं; दूसरा; कि शायद ही उच्च वर्ग का कोई मूल निवासी कभी भी अपनी पत्नी या उसके वीरता के खिलाफ निवारण के लिए व्यभिचार के मामले में अदालतों का सहारा लेता है; तीसरा, कि जो पति व्यभिचार के मामले में अदालतों का सहारा लेते हैं, वे आम तौर पर गरीब पुरुष होते हैं जिनकी पत्नियां भाग गई होती हैं, कि इन पतियों को शायद ही कभी साज़िश के बारे में कोई नाजुक भावना होती है, लेकिन वे खुद को पलायन से घायल मानते हैं, कि वे पत्नियों को अपने छोटे घरों के उपयोगी सदस्य मानते हैं।

कि वे आम तौर पर अपने स्नेह के लिए दिए गए घाव की शिकायत नहीं करते हैं, न कि अपने सम्मान पर दाग की, बल्कि एक मामूली घाव के खोने की शिकायत करते हैं जिसे वे आसानी से बदल नहीं सकते हैं, और आम तौर पर उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को वापस भेजा जा सकता है। ये बातें स्थापित होने पर, हमें ऐसा लगता है कि व्यभिचार के लिए सजा देने से कोई लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम समझते हैं कि व्यभिचार को केवल एक नागरिक चोट के रूप में मानना सबसे अच्छा है। *52*

(जोर दिया गया*)*

22. विधि आयुक्तों ने दंड संहिता के मसौदे पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में लॉर्ड मैकाले के दृष्टिकोण से असहमति जताई। भारी रखना भारत में महिलाओं की स्थिति पर भरोसा करते हुए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला किः

"जबकि हम सोचते हैं कि व्यभिचार के अपराध को संहिता से हटा नहीं दिया जाना चाहिए, हम इसके संज्ञान को एक विवाहित महिला के साथ किए गए व्यभिचार तक सीमित रखेंगे, और यह देखते हुए कि नोट क्यू में अंतिम टिप्पणी में महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत अधिक महत्व है, इस देश में, इसके सम्मान

में, हम अकेले पुरुष अपराधी को सजा के लिए उत्तरदायी बना देंगे। हालाँकि, हम व्यभिचार के अभियुक्त पक्षों पर "एक साथ" मुकदमा चलाएंगे, और

51 आइबीआइडी। *52* मैकाले का मसौदा दंड संहिता *(1837)*, नोट क्यू जोसेफ शाइन बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

न्यायालय को उनकी दोषसिद्धि की स्थिति में दोषी महिला के खिलाफ तलाक की डिक्री सुनाने का अधिकार, यदि पति इसके लिए मुकदमा करता है, उसी समय जब उसके प्रेमी को सजा सुनाई जाती है

कारावास या जुर्माने की सजा "। *53*

आई. पी. सी. में धारा *497* डालने का विधि आयुक्तों का निर्णय व्यभिचार के मामलों में चोट का बदला लेने के लिए "मूल निवासियों" के अवैध उपायों का सहारा लेने की संभावना के बारे में उनकी चिंता में निहित थाः

" *[*कर्नल स्लीमन*]* दावा करते हैं कि व्यभिचार के मामलों में निवारण की अदालतों का सहारा लेने के लिए मूल निवासियों का पिछड़ेपन, "उनकी ओर से पूरी तरह से निराशा से उत्पन्न होता है।

हमारे न्यायालयों में किसी भी साक्ष्य पर दोषसिद्धि जो ऐसे मामले स्वीकार करते हैं; "अर्थात, उन न्यायालयों में जिनमें महामादान कानून का पालन किया जाता है।" अमीर आदमी. न केवल इस आश्वासन को महसूस करता है कि वह दोषसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि अपनी शर्म और अपनी पत्नी के अपमान को साबित करने के लिए एक के बाद एक अदालत में सार्वजनिक रूप से पेश होने के अपमान से डरता है। वह गुप्त रूप से जहर का सहारा लेता है, या

उसकी पत्नी की सहमति से; और वह आम तौर पर इसे सड़कों पर एक अपमानित निर्वासित में बदलने के बजाय ले जाएगी। प्रलोभन देने वाला दंड से बच निकलता है, उसे कुछ भी नहीं भुगतना पड़ता है, जबकि उसके गरीब पीड़ित को वह सब भुगतना पड़ता है जो मानव प्रकृति सहन करने में सक्षम है। दंड संहिता की खामोशी से प्रलोभन देने वालों को और भी अधिक दंड से मुक्ति मिलेगी, जबकि चार में से तीन मामलों में उनके पीड़ितों की हत्या कर दी जाएगी।

या आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जहाँ पतियों को निवारण के कानूनी साधनों के अभाव में अपनी दोषी पत्नियों को जहर देने की आदत होती है, वे कभी-कभी उन लोगों को जहर दे देते हैं जिन पर अपर्याप्त आधारों पर संदेह किया जाता है, और निर्दोष लोगों को नुकसान होगा। *54*

धारा *497* और धारा *198* को पुरुषों और महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करने के लिए देखा जाता है।

क्योंकि स्त्रियाँ व्यभिचार के लिए अभियोजन के अधीन नहीं हैं, और स्त्रियाँ अपने पतियों पर व्यभिचार के लिए अभियोजन नहीं चला सकती हैं। इसके अतिरिक्त, यदि व्यभिचार करने वाली महिला के पति की "सहमति या मिलीभगत" है, तो कोई अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता है। अपनी *42* वीं रिपोर्ट में, भारत के विधि आयोग ने धारा *497* के विधायी इतिहास और व्यभिचार के लिए आपराधिक प्रतिबंधों के कथित लाभ पर विचार किया। समिति ने निष्कर्ष निकाला *53* भारतीय दंड संहिता *(1847)* पर दूसरी रिपोर्ट, पृष्ठ *1* पर, भारत के विधि आयोग की बयालीसवीं रिपोर्ट से उद्धृत हैः भारतीय दंड संहिता, पृष्ठ *365 54* ए पर भारतीय विधि आयुक्तों *(1838)* द्वारा तैयार दंड संहिता, दूसरा

पृष्ठ *74 [2018] 11* एस. सी. आर. पर भारतीय दंड संहिता पर रिपोर्ट करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि, "हालांकि हम में से कुछ व्यक्तिगत रूप से इस धारा को निरस्त करने की सिफारिश करने के लिए इच्छुक थे, हम समग्र रूप से सोचते हैं कि मौजूदा स्थिति में इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन करने का समय अभी नहीं आया है।" इसने सिफारिश की कि धारा *497* को बरकरार रखा जाए, लेकिन व्यभिचार करने वाली महिलाओं को भी उत्तरदायी बनाने के लिए एक संशोधन के साथ।

23. अपनी *156* वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने एक प्रस्ताव दिया, जो उसका मानना है कि समाज में हुए "परिवर्तन" को दर्शाता है, *2003* में न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने सिफारिश की कि धारा *497* को लिंग-तटस्थ बनाया जाए, प्रावधान के शब्दों को "जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के जीवनसाथी के साथ यौन संबंध बनाता है वह व्यभिचार का दोषी है"। *57* समिति ने

अपराध को निरस्त नहीं करने के लिए, लेकिन लिंगों के लिए दायित्व को बराबर करने के लिए पहले के प्रस्तावों का समर्थन कियाः

"इस धारा का उद्देश्य विवाह की पवित्रता को बनाए रखना है। समाज वैवाहिक बेवफाई का तिरस्कार करता है। इसलिए, उस पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार न करने का कोई कारण नहीं है जो किसी पुरुष *(*अपने पति के अलावा*)* के साथ यौन संबंध रखती है। *58*

न तो विधि आयोग और न ही मलिमथ समिति की सिफारिशों को विधानमंडल द्वारा स्वीकार किया गया है। हालाँकि महिलाओं को धारा *497* के तहत अभियोजन से छूट दी गई है, लेकिन जिस अंतर्निहित धारणा पर प्रावधान है, जो महिलाओं को संपत्ति के रूप में मानता है, वह बेहद हानिकारक है। मुकदमा चलाने की शक्ति केवल पति के पास है *(*और उन मामलों में पत्नी के पास नहीं जहां उसका पति व्यभिचार करता है*)*, और क्या अपराध स्वयं किया गया है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पति कथित रूप से व्यभिचार के लिए सहमति प्रदान करता है या नहीं। " "

24. इसलिए, कानून में महिलाओं के लिए एक सीमित स्थान हैः व्यभिचार करने के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही वे अपने पति की संपत्ति के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर इससे व्यथित हो सकते हैं। धारा *497* यौन रूढ़िवादिता पर भी आधारित है जो महिलाओं को निष्क्रिय और यौन एजेंसी से रहित के रूप में देखती है। यह धारणा कि महिलाएँ व्यभिचार की 'शिकार' होती हैं और इसलिए धारा *497* के तहत लाभकारी छूट की आवश्यकता होती है, नारीवादी विद्वानों द्वारा गहरी आलोचना की गई है, जो तर्क देते हैं कि महिलाओं की स्थिति की ऐसी समझ अपमानजनक है और ऐसा करने में विफल रहती है।

55 भारतीय विधि आयोग की *42* वीं रिपोर्टः भारतीय दंड संहिता *(1971),*

पृष्ठ *326* पर

56 भारतीय विधि आयोग की *156* वीं रिपोर्टः भारतीय दंड संहिता *(1997)* पृष्ठ *172 57* पर आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार समिति की रिपोर्ट *(2003),* पृष्ठ *190 58* आई. बी. आई. डी. पर।

जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उन्हें समाज में समान रूप से स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में मान्यता दें। *59* प्रभावी रूप से, भारतीय न्यायशास्त्र ने लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी की व्याख्या अंतर व्यवहार के औचित्य के रूप में की हैः पुरुषों का इलाज करना और

अंततः महिलाओं को अलग तरीके से महिलाओं के हितों के लिए काम करना होता है। *60* महिलाओं के लाभ के लिए काम करने वाले "विशेष प्रावधान" *1* के रूप में धारा *497* की स्थिति, इसलिए, परोपकारी पितृसत्ता का एक प्रतिमान उदाहरण है।

25. पूरे इतिहास में, कानून महिला से पूछने में विफल रहा है

सवाल करते हैं। *62* यह सामान्यीकरण या रूढ़िवादिता पर सवाल उठाने में विफल रहा है।

लिंगों की प्रकृति, चरित्र और क्षमताओं के बारे में जिन पर कानून निर्भर करते हैं, और ये धारणाएं महिलाओं और कानून के साथ उनकी बातचीत को कैसे प्रभावित करती हैं। एक महिला की 'शुद्धता' और उसके अनन्य यौन अधिकार के लिए एक पुरुष की वैवाहिक 'पात्रता' उन्नीसवीं शताब्दी की प्राचीन सामाजिक और यौन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित कर सकती है, लेकिन उन्हें आज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह इतिहास में किसी भी समय राज्य की "सामान्य नैतिकता" नहीं है, बल्कि संवैधानिक नैतिकता है, जिसे कानून का मार्गदर्शन करना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में, संवैधानिक नैतिकता के लिए कुछ अधिकारों के आश्वासन की आवश्यकता होती है जो समाज के सभी सदस्यों के स्वतंत्र, समान और गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं। संवैधानिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमें कानून के समक्ष समानता, लिंग के कारण गैर-भेदभाव और गरिमा की संवैधानिक गारंटी को लागू करने की आवश्यकता होती है, जो सभी धारा *497* के संचालन से प्रभावित होते हैं।

डी सीमाओं के पार

26. पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के कई देशों ने व्यभिचार कानूनों की लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रकृति के साथ-साथ इस आधार पर कि वे गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, व्यभिचार के अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि, प्रगतिशील कार्रवाई मुख्य रूप से इस आधार पर की गई है कि व्यभिचार को दंडित करने वाले प्रावधान या तो कानून के बावजूद या उनके कार्यान्वयन में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं। व्यवहार में एक अधिक समतावादी समाज प्राप्त करने की दिशा में सुधार भी सक्रिय द्वारा संचालित किया गया है *59* अभिनव सेखड़ी, द गुड, द बैड एंड द एडल्टरसः आपराधिक कानून और

भारत में व्यभिचार, सामाजिक-कानूनी समीक्षा *(2016),* पृष्ठ *63* पर

60 ब्रेंडा कॉसमैन और रत्ना कपूर, विध्वंसक स्थलः के साथ नारीवादी संबंध

भारत में कानून *(1996)*

61 यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम। बॉम्बे राज्य, *1954* एस. सी. आर. *930* *62* 'महिला प्रश्न' उन महान मुद्दों में से एक था जो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में व्याप्त था, अर्थात् महिलाओं का सामाजिक उद्देश्य। इसका उपयोग कानून में महिलाओं की स्थिति और वे कैसे बातचीत करते हैं और इससे कैसे प्रभावित होते हैं, यह

जानने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है; कैथरीन टी. बार्टलेट, फेमिनिस्ट लीगल मेथड्स, हार्वर्ड लॉ देखें।

समीक्षा *(1990)*

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा उठाए गए उपाय, जहां इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यभिचार को अपराध मानने वाले लैंगिक-तटस्थ प्रावधान भी महिलाओं पर असमान बोझ डालते हैं: *63*

"महिलाओं के साथ निरंतर भेदभाव और असमानताओं को देखते हुए,

जिसमें पितृसत्तात्मक और निम्न भूमिकाएँ शामिल हैं जो उनके लिए जिम्मेदार हैं।

पुरुषों के साथ उनके संबंधों में पारंपरिक दृष्टिकोण और शक्ति असंतुलन, व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में बनाए रखने का मात्र तथ्य, भले ही यह महिलाओं और पुरुषों दोनों पर लागू हो, व्यवहार में इसका मतलब है कि महिलाओं को मुख्य रूप से अत्यधिक कमजोरियों और गरिमा, गोपनीयता और समानता के अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता रहेगा।

व्यभिचार का उन्मूलन विधायिकाओं और अदालतों द्वारा समान पैमाने पर किया गया है। जब दुनिया भर में न्यायपालिका द्वारा निर्णय दिए गए हैं, तो इसने अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र के एक समृद्ध निकाय का निर्माण किया है। यह खंड उन देशों की अदालतों से निकले कुछ चुनिंदा तुलनात्मक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जहाँ व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाले प्रावधान को न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है। इन अदालतों के निर्णयों से पता चलता है कि समय के साथ और बदलते सामाजिक मूल्यों के आलोक में व्यभिचार के प्रति कानून का व्यवहार कैसे विकसित हुआ है।

27. 2015 में, दक्षिण कोरियाई संवैधानिक न्यायालय, *64* ने *7-2* के बहुमत से आपराधिक कानून के अनुच्छेद *241* को रद्द कर दिया; एक प्रावधान जो दो साल के कारावास की अवधि के साथ अपराधीकृत व्यभिचार

असंवैधानिक है। ऐसा करने में, दक्षिण कोरिया एशिया और वास्तव में दुनिया भर के देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने उपाय किया है

विकसित हो रहे सार्वजनिक मूल्यों और सामाजिक प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए, कानून की पुस्तकों से व्यभिचार के अपराध को समाप्त करना। संवैधानिक न्यायालय ने

65 ने पहले चार बार प्रावधान की वैधता पर विचार-विमर्श किया, लेकिन *2015* में जब यह उसके सामने आया तो अदालत के फैसले ने उनके निजी जीवन में व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में सार्वजनिक धारणा को स्वीकार करते हुए इसे रद्द करने का फैसला किया।

63 महिलाओं के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह: रिपोर्ट *(18* अक्टूबर, *2012),* उपलब्ध

यहाँः एचटीटीपीः //समाचार संग्रह। ओहचर। *org/EN/*समाचार कार्यक्रम/पृष्ठ /

समाचार प्रदर्शित करें। एएसपीएक्स*?* न्यूज़आईडी *= 12672* और लैंगआईडी = ई

64 मामला संः *2009* हुन-बा *17, (*व्यभिचार मामला*),* दक्षिण कोरिया संवैधानिक न्यायालय *(26* फरवरी, *2015),* पर उपलब्ध है। //अंग्रेजी। कोर्ट। जाओ। के. आर./सी. के. एच. ओ. एम./ई. एन. जी./फैसले/बड़े फैसले/प्रमुख विवरण। करें।

65 फर्स्टपोस्ट, दक्षिण कोरियाई अदालत ने व्यभिचार को अवैध बनाने वाले कानून को समाप्त कर दिया, *(26* फरवरी, *2015),* जो यहां उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. फर्स्ट पोस्ट। कॉम/वर्ल्ड/साउथ-कोरियन-कोर्ट ने कानून-कहावत-व्यभिचार-अवैध-*2122935* को समाप्त कर दिया। एच. टी. एम. एल. जोसेफ शाइन बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अदालत की बहुमत राय सात न्यायाधीशों में से पांच *66* द्वारा सहमत थी जिन्होंने प्रावधान को रद्द कर दिया था। बहुमत ने स्वीकार किया कि आपराधिक प्रावधान का एक वैध विधायी उद्देश्य था "अच्छी यौन संस्कृति और अभ्यास और एकविवाह के आधार पर विवाह प्रणाली को बढ़ावा देना और पति-पत्नी के बीच वैवाहिक निष्ठा को बनाए रखना।" हालाँकि, न्यायालय ने विवाह की संस्था को बढ़ावा देने में विधायिका के वैध हित और वैवाहिक निष्ठा के साथ-साथ किसी व्यक्ति के आत्मनिर्णय के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, जिसमें यौन-आत्मनिर्णय शामिल था, और जिसे उनके संविधान के अनुच्छेद *10* के तहत गारंटी दी गई थी। *67* अदालत ने आयोजितः

"आत्मनिर्णय का अधिकार यौन आत्मनिर्णय के अधिकार को दर्शाता है जो यौन गतिविधियों और भागीदारों को चुनने की स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ है कि इस मुद्दे पर प्रावधान व्यक्तियों के यौन आत्मनिर्णय के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, प्रावधान

इस मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद *17* के तहत संरक्षित निजता के अधिकार को भी प्रतिबंधित करता है क्योंकि यह इससे उत्पन्न होने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है
अंतरंग निजी क्षेत्र से संबंधित यौन जीवन। "

पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और परिवार के सदस्यों की एक प्रकार की भूमिका से लेकर उदार विचार और व्यक्तिवाद द्वारा संचालित यौन विचारों तक। यह स्वीकार करते हुए कि वैवाहिक बेवफाई अनैतिक और अनैतिक है, अदालत ने कहा कि प्रेम और यौन जीवन अंतरंग चिंताएं थीं, और वे आपराधिक कानून के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की यौन स्वायत्तता और सामाजिक नैतिकता के बीच संतुलन पर टिप्पणी करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"..... समाज एक ऐसे समाज में बदल रहा है जहाँ यौन स्वायत्तता के निजी हित को यौन नैतिकता और परिवारों के सामाजिक हित से पहले गरिमा और खुशी के दृष्टिकोण से रखा जाता है।

व्यक्तियों "। *68*

66 न्यायमूर्ति पार्क हान-चुल, न्यायमूर्ति ली जिन-सुंग, न्यायमूर्ति किम चांग-जोंग की राय,

न्यायमूर्ति सेओ की-सेओग और न्यायमूर्ति चो योंग-हो *(*व्यभिचार असंवैधानिक है*)*

67 दक्षिण कोरियाई संविधान का अनुच्छेद *10* "सभी नागरिकों को मानवीय मूल्य और गरिमा का आश्वासन दिया जाता है और उन्हें खुशी का पीछा करने का अधिकार है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के मौलिक और अलंघनीय मानवाधिकारों की पुष्टि और गारंटी दे। सुप्रा, नोट *64*, भाग *V-A (3) (1) (*शीर्ष के तहत 'जनता की कानूनी जागरूकता में परिवर्तन' *68*

'साधनों की उपयुक्तता और कम से कम प्रतिबंध'*)*

इसके बाद, न्यायालय ने व्यभिचार के अपराध पर अंकुश लगाने में दंडात्मक दंड की उपयुक्तता और प्रभावशीलता का विश्लेषण किया। इस सवाल को संबोधित करते हुए कि क्या व्यभिचार को विनियमित किया जाना चाहिए, न्यायालय ने कहा कि आधुनिक आपराधिक कानून यह निर्धारित करता है कि राज्य को ऐसे कार्य में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो सामाजिक रूप से हानिकारक या कानूनी हितों के लिए हानिकारक न हो, केवल इसलिए कि यह नैतिकता के लिए प्रतिकूल है। इसके अलावा, यह माना गया कि राज्य का कोई व्यवसाय नहीं है

किसी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश में जो उसकी निजता और स्वयं के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के दायरे में थे। दृढ़ संकल्प।

हाथ में प्रावधान की प्रभावशीलता की ओर बढ़ते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि व्यभिचार को अपराधी बनाने से असफल विवाह को बचाने में मदद नहीं मिली। अदालत ने टिप्पणी की कि यह स्पष्ट था कि एक बार जब पति या पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाता था, तो इसका परिणाम आम तौर पर पति या पत्नी के बीच संघर्ष को तेज कर देता था

पारिवारिक सद्भाव की संभावना के विपरीत

"अधिकार के आह्वान के साथ मौजूदा परिवारों को टूटने का सामना करना पड़ता है

आरोप लगाने के लिए। आरोप निरस्त होने के बाद भी,

पति-पत्नी के बीच भावनात्मक सुधार की उम्मीद करना मुश्किल है।

इसलिए, व्यभिचार अपराध अब इसमें योगदान नहीं दे सकता है

वैवाहिक प्रणाली या पारिवारिक व्यवस्था की रक्षा करना। इसके अलावा वहां

इस बात की बहुत कम संभावना है कि एक व्यक्ति जिसे व्यभिचार के लिए दंडित किया गया था

उस पति या पत्नी से पुनर्विवाह करेंगे जिसने उनके खिलाफ आरोप लगाया था
स्वयं/स्वयं। सौहार्दपूर्ण परिवार की रक्षा करना न तो संभव है

में पति-पत्नी के बीच तीव्र संघर्ष के कारण आदेश

व्यभिचार के आपराधिक दंड की प्रक्रिया "। *69.*

इस चिंता को संबोधित करते हुए कि दंडात्मक परिणाम के उन्मूलन के परिणामस्वरूप "यौन नैतिकता में अराजकता" या व्यभिचार के कारण तलाक में वृद्धि होगी, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उन देशों में इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई डेटा नहीं है जहां व्यभिचार को निरस्त किया जाता है, यह कहते हुए:

"बल्कि, व्यभिचार के लिए सामाजिक निंदा की डिग्री की गई है

यौन स्व के अधिकार को महत्व देने की सामाजिक प्रवृत्ति के कारण कम हो गया

लिंग पर दृढ़ संकल्प और बदली हुई मान्यता, इसके बावजूद

व्यभिचार की सजा। तदनुसार, यह अनुमान लगाना कठिन है कि

व्यभिचार के लिए सामान्य और विशेष निवारक प्रभाव

आपराधिक नीति का दृष्टिकोण क्योंकि यह विनियमन का कार्य खो देता है
व्यवहार "। *70*

69 सुप्रा, नोट *64*, भाग वी-ए *(3) (3) ('*आपराधिक सजा की प्रभावशीलता', के तहत

'साधनों की उपयुक्तता और कम से कम प्रतिबंध' के प्रमुख*)*

70 आइबीआइडी।

जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

न्यायालय ने इस तर्क का भी विश्लेषण किया कि व्यभिचार के प्रावधान संरक्षित हैं।

महिलाएँ:

"यह सच है कि अतीत में कोरियाई समाज में व्यभिचार अपराधों के अस्तित्व ने महिलाओं की रक्षा करने का काम किया। महिलाएँ सामाजिक और

आर्थिक रूप से वंचित, और व्यभिचार के कृत्य मुख्य रूप से थे

महिला पति या पत्नी को मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाया
व्यभिचार के आरोप को रद्द करने की शर्त पर पुरुष पति या पत्नी से दुःख या विभाजित संपत्ति के लिए।

हालाँकि, हमारे समाज के परिवर्तनों ने व्यभिचार के आपराधिक दंड के औचित्य को कम कर दिया। इन सबसे ऊपर, चूंकि अधिक सक्रिय सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ महिलाओं की कमाई करने की शक्ति और आर्थिक क्षमताओं में सुधार हुआ है, यह आधार कि महिलाएं आर्थिक रूप से वंचित हैं, सभी विवाहितों पर लागू नहीं होता है।
जोड़ों "।

अंत में, न्यायालय ने यह मानते हुए अपने विश्लेषण का समापन किया कि एकविवाह को लागू करने, विवाह की रक्षा करने और वैवाहिक निष्ठा को बढ़ावा देने के हित,

निजता और यौन स्वायत्तता के अधिकारों में राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ संतुलित होना स्पष्ट रूप से अत्यधिक था और इसलिए कम से कम प्रतिबंध की परीक्षा में विफल रहा। *71*

28. 2007 में, युगांडा की संवैधानिक अदालत ने कानून की वकालत की

युगांडा में महिलाओं के लिए बनाम युगांडा के महान्यायवादी को दंड संहिता की धारा *154* की संवैधानिकता पर इस आधार पर फैसला देने के लिए कहा गया था कि यह युगांडा के संविधान द्वारा दी गई विभिन्न सुरक्षाओं का उल्लंघन करता है और महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। कानून के अनुसार एक विवाहित पुरुष को एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति थी। इसके अलावा, केवल एक पुरुष व्यभिचार के अपराध का दोषी हो सकता है जब वह एक विवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाता है। हालाँकि, यही प्रावधान एक विवाहित महिला को दंडित करता है जो शादी के बाहर एक अविवाहित या विवाहित पुरुष के साथ यौन संबंध में संलग्न है। अपराध के लिए दंड भी महिलाओं के लिए उनके पुरुषों की तुलना में बहुत सख्त सजा निर्धारित करता है। *71* सुप्रा, टिप्पणी *64*, भाग *5*-ए *(5) (*हितों और निष्कर्ष का संतुलन*) 72* संवैधानिक याचिकाएं संख्या। *13 / 05 / & 05 / 06* युगांडा में महिलाओं के लिए कानूनी वकालत बनाम। युगांडा के महान्यायवादी, *(2007)* यू. जी. सी. सी. *1 (5* अप्रैल, *2007),* उपलब्ध

में *HTTPS: //*उलिया। ओ. आर. जी./यू. जी./फैसला/संवैधानिक-अदालत*/2007/1 [2018] 11* एस. सी. आर.

समकक्ष। *73* यह चुनौती मुख्य रूप से युगांडा के संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत लाई गई थी, जो कानून के तहत समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद *24* जो मानव गरिमा और सुरक्षा के लिए सम्मान को अनिवार्य करता है।

अमानवीय व्यवहार और अनुच्छेद *33 (1),* जो संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। *74* प्रत्यर्थी ने प्रार्थना की कि न्यायालय व्यभिचार के प्रावधान को पूरी तरह से निरस्त करने के बजाय पुरुषों और महिलाओं के साथ उसके व्यवहार में समान बनाने पर विचार करे। हालाँकि, अपने निर्णय में, न्यायालय ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह मानते हुए कि वह क़ानून को बदलने के लिए दंडात्मक कानून के तहत सजा निर्धारित नहीं कर सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड संहिता की धारा *154* संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के रूप में पूरी तरह से असंवैधानिक थी, और टिप्पणी कीः

> ..... प्रत्यर्थी ने हमें उन क्षेत्रों की ओर इशारा नहीं किया जो उसका न्यायालय कर सकता है
>
> या उन्हें अनुरूप लाने के लिए संशोधित और अनुकूलित करना चाहिए
>
> संविधान के प्रावधान। यह धारा दंडात्मक है और यह
>
> हमारी सुविचारित राय में न्यायालय ऐसा वाक्य नहीं बना सकता है जो
>
> अदालतें व्यभिचारी पति-पत्नी पर आरोप लगा सकती हैं।
>
> नतीजतन, यह हमारा निष्कर्ष है कि धारा *154* का प्रावधान

दंड संहिता अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के साथ असंगत है
संविधान और यह अमान्य है। *75*

29. 2015 में, डी. ई. बनाम आर. एच., *76* में दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि एक व्यथित पति या पत्नी अब व्यभिचार के मामलों में किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ हर्जाना नहीं मांग सकता है। जे. मदलंगा ने विवाह के संरक्षण पर मार्मिक टिप्पणी कीः

..... यद्यपि विवाह एक मानव संस्था है जो विनियमित है।

कानून द्वारा और संविधान द्वारा संरक्षित और जो, बदले में,

वास्तविक कानूनी कर्तव्यों का सृजन करता है। इसका सार। . . में शामिल है

विवाह के पक्षकारों की नैतिकता में स्थापित तैयारी

इसे बनाएँ और बनाए रखें '। अगर शादी के पक्ष हार गए हैं

कि नैतिक प्रतिबद्धता, विवाह विफल हो जाएगा और सजा होगी

किसी तीसरे पक्ष को दिए जाने से इसे बदलने की संभावना नहीं है। *77*

73 रॉयटर्सः 'युगांडा ने "सेक्सिस्ट" व्यभिचार कानून को समाप्त कर दिया, *(5* अप्रैल, *2007),* जो *HTTPS* पर उपलब्ध हैः /

/डब्ल्यू. डब्ल्यू. रॉयटर्स। कॉम/लेख/यूएस-युगांडा-व्यभिचार/युगांडा-स्क्रैप्स-सेक्सिस्ट-व्यभिचार-कानून

आई. डी. यू. एस. एल. *0510814320070405*

74 संवैधानिक याचिका संख्या। *13 / 05 / & 05 / 06* युगांडा में महिलाओं के लिए कानून की वकालत बनाम। युगांडा के महान्यायवादी, *[2007]* यू. जी. सी. सी. *1 (5* अप्रैल, *2007),* उपलब्ध

*HTTPS: //*उलिया। ओआरजी/यूजी/फैसला/संवैधानिक-अदालत/*2007/1*

75 आइबीआइडी।

76 DE v RH, [2015] ZACC 18 *77* आई. बी. आई. डी., पैरा *34* में जोसेफ शाइन वी.

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निजता के मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले

"बेहतर या बदतर के लिएः" शीर्षक वाले एक तीखे लेख में उनका विश्लेषण किया गया है। व्यभिचार, अपराध और संविधान "*78,* मार्टिन सीगल द्वारा। वह प्रस्तुत करता है। तीन तरीके जिनसे व्यभिचार गोपनीयता के अधिकार को निहित करता है। पहला यह है कि व्यभिचार को संवैधानिक रूप से संरक्षित वैवाहिक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा, कि कुछ व्यभिचारी संबंध संघ की स्वतंत्रता द्वारा संरक्षित हैं और अंत में, कि व्यभिचार एक ऐसी कार्रवाई का गठन करता है जो यौन गोपनीयता द्वारा संरक्षित

है। एक संक्षिप्त अध्ययन भी किया जाता है कि क्या व्यभिचार को दंडित करने वाली कार्रवाई राज्य का वैध हित है।

व्यभिचार में गोपनीयता का पहला हित वैवाहिक पसंद का अधिकार है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह में 'मौलिक स्वतंत्रता', 'पसंद की स्वतंत्रता' और 'निजता के अधिकार' के मूल्यों को बरकरार रखा है। लेखक का तर्क है कि इस न्यायशास्त्र के साथ, यह अजीब होगा यदि व्यभिचार करने के निर्णय को विवाह और पारिवारिक जीवन के मामले के रूप में नहीं माना जाता है

जैसा कि क्लीवलैंड बोर्ड *8 0 80* में व्यक्त किया गया है, 'विवाह में होने वाला एक कार्य', जैसा कि ग्रिसवोल्ड्स *1* में आयोजित किया गया है या 'विवाह और पारिवारिक जीवन का मामला' जैसा कि कैरी में स्पष्ट किया गया है। *82*

सीगल का मानना है कि व्यभिचार करने का निर्णय 'विवाह और पारिवारिक संबंधों से संबंधित' निर्णय है और इसलिए यह अधिकार क्षेत्र में आता है।

संरक्षित निजी विकल्प। वह देखता है कि अपराध का सार वास्तव में अभिनेताओं में से एक की विवाहित स्थिति है, और केवल यह तथ्य कि अधिनियम के कमीशन में केवल एक यौन कार्य या उनकी एक श्रृंखला शामिल थी, कानूनी रूप से अप्रासंगिक है। यदि यह तर्क कि व्यभिचार, हालांकि अपरंपरागत है, विवाह से संबंधित एक कार्य है और इसलिए मौलिक रूप से निजी है, स्वीकार किया जाता है, तो यह समान सुरक्षा का हकदार है। सीगल ने 'अपरंपरागत रूपों' को स्वीकार करने पर लॉरेंस जनजाति का हवाला दिया, जो गोपनीयता का एक हिस्सा भी हैं:

"जैसा कि ग्रिसवोल्ड, लविंग वी द्वारा स्पष्ट किया गया है, "विवाह का अधिकार" चाहिए। वर्जीनिया, जबलाकी, बोडी बनाम। कनेक्टिकट और मूर में शादी के "अपरंपरागत रूप" भी शामिल हैं-इस मामले में व्यभिचारी मिलन? " *9 83*

78 मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिए: व्यभिचार, अपराध और संविधान,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991) 45*

79 इबिद, पृष्ठ *46* पर *80* क्लीवलैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम। लाफ्लेर, *414* यू. एस. *623 (1973)* *81* ग्रिसवोल्ड, *381* यू. एस. *1 (1967)*

82 कैरी, वी। जनसंख्या सेवा। इंटरनेशनल, *431* यू. एस. *678 83* मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिए: व्यभिचार, अपराध और संविधान,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991) 70 [2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल यह तथ्य कि समाज में व्यभिचार को अपरंपरागत माना जाता है, इसे गोपनीयता संरक्षण से वंचित करने को उचित नहीं ठहराता है। बनाने की स्वतंत्रता विकल्पों में 'अलोकप्रिय' विकल्प चुनने की

स्वतंत्रता भी शामिल है। यह न्यायमूर्ति ब्लैकमन द्वारा हार्डविक *84* में अपनी असहमति में व्यक्त किया गया था।

"व्यक्तियों को चुनने की स्वतंत्रता देने का एक आवश्यक परिणाम

उनके जीवन का संचालन कैसे किया जाए, यह इस तथ्य की स्वीकृति है कि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग विकल्प चुनेंगे। *85*

सीगल ने निष्कर्ष निकाला है कि विवाह के लिए दी जाने वाली गोपनीयता सुरक्षा का विस्तार विवाह के भीतर किए गए सभी विकल्पों तक होना चाहिए:

"विवाहों के बीच जटिलता और विविधता इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है कि उस संस्था से जुड़ी गोपनीयता को सभी प्रकार के विवाहों, यौन अनन्य के साथ-साथ खुले, 'अच्छे' के साथ-साथ 'बुरे' को शामिल करने के लिए समझा जाए। *86*

सीगल तब व्यभिचार में अगले गोपनीयता हित, संगठन के अधिकार की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। संघ की स्वतंत्रता का अधिकार 'निजता का एक करीबी संवैधानिक रिश्तेदार' *87* है, और वे अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए तरीके से बातचीत करते हैं। सीगल इस व्यभिचार की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ता है

इसे केवल सहमति से वयस्क यौन गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यौन गतिविधि केवल एक निरंतरता में एक तत्व हो सकती है

लोगों के बीच संवादः

"यौन गतिविधि एक विकासशील संघ के लिए प्रारंभिक या आकस्मिक हो सकती है, या यह इसकी अंतिम परिणति और मजबूती हो सकती है। किसी भी मामले में, यह केवल रिश्ते का एक और तत्व है। पहली मुलाकात में दो लोग यौन संबंध बना सकते हैं। इस मामले में, साहचर्य संबंधी रुचियां कम महत्वपूर्ण लगती हैं, हालांकि "प्रेमहीन मुलाकातें कभी-कभी सच्चे प्यार के लिए पूर्व शर्त होती हैं।"
संबंध; पूर्व को मना करना, इसलिए, रोकने के लिए है

बाद वाला "। "*88*

इसके बाद, सीगल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चश्मे के माध्यम से व्यभिचार के प्रशंसनीय संरक्षण की जांच करता है। चूँकि यौन गतिविधि में शामिल होने के कार्य की व्याख्या अभिव्यंजक के रूप में की जा सकती है, सीगल का दावा है कि व्यभिचार प्रथम संशोधन अधिकारों को भी निहित कर सकता है। समर्थन में उन्होंने ए बी का हवाला दिया

84 हार्डविक, *478 U.S.205*

85 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *206 86* पर मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिए: व्यभिचार, अपराध और संविधान,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991) 74*

87 इबिद, पृष्ठ *77* पर *88* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *78* पर, जोसेफ शाइन वी.

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

मामला कानून *8 9*, जहां अदालतों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम संशोधन अधिकार केवल मौखिक अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि 'अभिव्यंजक संघ' के अधिकार को भी शामिल करते हैं।

सहयोगी के अधिकार पर अपने खंड को समाप्त करते हुए, सीगल व्यभिचार को केवल एक यौन गतिविधि के रूप में वर्गीकृत करने के खतरों के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा करना रिश्ते के एक हिस्से की रक्षा करने और दूसरे को अपराधी बनाने के समान होगा। यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगाः

"सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से, दो लोगों के यौन संपर्कों को उनके बाकी यौन संपर्कों से अलग करना मुश्किल है।
संबंध-एक को अपराधी बनाना और दूसरे को मौलिक रूप से संवैधानिक रूप से संरक्षित करना। *90*

अंत में, सीगल व्यभिचार और यौन गोपनीयता के अधिकार के बीच संबंध पर चर्चा करता है। यह स्वीकार किया जाता है कि गोपनीयता का अधिकार किसी व्यक्ति की गहरी व्यक्तिगत पसंद की रक्षा करता है जिसमें सभी सहमति से वयस्क यौन गतिविधि की स्वाभाविक रूप से निजी प्रकृति को दी गई मान्यता शामिल है। *9 1 91* यौन गोपनीयता की इस समझ को यू. एस. सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिला, जो थॉर्नबर्ग बनाम अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन में है।

और स्त्री रोग विशेषज्ञ *2* ने चार्ल्स फ्राइड को अनुमोदन के साथ उद्धृत कियाः

"निजता की अवधारणा इस नैतिक तथ्य का प्रतीक है कि एक व्यक्ति स्वयं का है न कि दूसरों का और न ही पूरे समाज का। *9 9 3*

सीगल वयस्क सहमति यौन गतिविधि के अंतर्निहित अमूर्त मूल्य को दोहराते हैंः

"मनुष्यों के लिए कामुकता का वास्तविक महत्व, पहले से कहीं अधिक प्रभावी जन्म नियंत्रण की आज की दुनिया में, संभावनाओं में निहित है।

कल्पना, आंतरिक तनावों की मुक्ति, और फिर से स्वतंत्र बच्चा बनने की प्रतिगामी इच्छाओं की सार्थक और स्वीकार्य अभिव्यक्ति - नियंत्रण खोने के लिए निडर, चंचल, कमजोर, सहज, कामुक

प्यार किया "। *994*

89 रॉबर्ट्स बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका जेसीज, *468* यू. एस. *609,618 (1984)* *90 9 0* मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और संविधान,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991) 78*

9 1 मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और संविधान,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991) 82*

92 थॉर्नबर्ग बनाम। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, *476* यू. एस. *747*

(1986)

93 इबिद, पृष्ठ *777* पर *94 9 4* मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और संविधान,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991)* पृष्ठ *85 [2018] 11* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैवाहिक गोपनीयता और साहचर्य की स्वतंत्रता के बीच संबंधों को प्रतिबिंबित करते हुए, स्पीगल ने "अनुभव की विषमता" पर टिप्पणी की, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से व्यभिचारी संघ शामिल होता है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्तियों से समाज के कामुकता के विचार के अनुरूप होने की उम्मीद करना अवास्तविक हैः

"क्योंकि सेक्स हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए

यह उम्मीद न करें कि लोग इतने सारे अन्य तरीकों से अलग होंगे

यौन रूप से समान। कुछ लोगों के लिए, व्यभिचार एक क्रूर विश्वासघात है, जबकि

दूसरों के लिए यह सिर्फ वर्षों की पति-पत्नी की उपेक्षा के लिए भुगतान है। में।

कुछ शादियों में, सेक्स प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जबकि अन्य में
पति-पत्नी संयुक्त रूप से और खुशी से यौन एकविवाह को समाप्त करते हैं।

9995

निष्कर्ष में लेखक का कहना है कि पूर्ववर्ती तीन-स्तरीय विश्लेषण में इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची कि व्यभिचार विवाह का मामला था। इसलिए यह विवाह में होने वाले अन्य सभी मामलों की तरह संरक्षित होने के योग्य था और नियमित गोपनीयता-आधारित स्वतंत्रताओं को शामिल करता था, और इस तरह से व्यवहार करना अनिवार्य था। स्पीगल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को उद्धृत करते हुए निष्कर्ष निकाला

आइजेनस्टैड बनाम ब्रैड, विवाह में 'खराब' विकल्प चुनने की शक्ति की रक्षा के महत्व परः

"विवाह की गोपनीयता और स्वायत्तता सबसे अच्छा मार्ग है।

स्वतंत्रता और बहुलवाद की रक्षा करना। यह कम सच नहीं है जब

चुनने की शक्ति, जैसा कि यह अनिवार्य रूप से होगी, खराब विकल्पों में परिणाम देती है। यह है।

हमारे सिद्धांत को रेखांकित करने से कम कुछ भी नहीं में विश्वास
पूरा राजनीतिक क्रमः हमारी सरकार की व्यवस्था की आवश्यकता है कि

हमें व्यक्ति की बुद्धिमानी से निर्णय लेने की क्षमता में विश्वास है, यदि

केवल उसे ही विवाद के गुण-दोष के बारे में पूरी तरह से बताया जाता है। " *9 6*

विवाह की संस्था को संरक्षित करने में राज्य की रुचि को स्वीकार करते हुए, सीगल निम्नलिखित शब्दों में व्यभिचार के लिए आपराधिक प्रतिबंधों को जोड़ने की अक्षमता को स्पष्ट रूप से इंगित करता हैः

व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाले अपने कानूनों द्वारा धोखा दिए गए विशिष्ट पति/पत्नी, यह है यह विश्वास करना असंभव है कि एक पर आपराधिक दंड लगाया गया है

इसके बजाय पति-पत्नी किसी तरह से एक शादी को लाभान्वित करेंगे

अपने ताबूत में अंतिम नाखून का प्रतिनिधित्व करते हुए। और अगर प्रतिरोध

व्यभिचार लक्ष्य है, फिर गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने में राज्य की विफलता अपराधियों ने लंबे समय से कानूनी मंजूरी के किसी भी डर को दूर कर दिया है। *9 7*

96 आइजेनस्टैड बनाम। बेयर्ड, *405* यू. एस. *438,457 (1972)* *9 7* मार्टिन जे. सीगल, बेहतर या बदतर के लिए: व्यभिचार, अपराध और संविधान,

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ, *Vol.30, (1991) 89* जोसेफ शाइन बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

डेबोरा एल रोड ने अपनी पुस्तक "व्यभिचार" में तर्क दिया है कि "रुक-रुक कर" व्यभिचार निषेधों के विशिष्ट आह्वान वैवाहिक प्रतिज्ञाओं को लागू करने या कानून के शासन में विश्वास को मजबूत करने के लिए बहुत कम करते हैं। निजी, सहमति से यौन गतिविधि को नियंत्रित करने की तुलना में विवाह की संस्था के प्रति सम्मान और कानून प्रवर्तन के बेहतर उपयोग का संकेत देने के बेहतर तरीके हैं। *9 8*

ई पितृसत्ता का सामना करना

"मानदंड और आदर्श इस लालसा से उत्पन्न होते हैं कि यह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हैः यह इस तरह से नहीं होना चाहिए, यह अन्यथा भी हो सकता है। "*9 9 9*

30. याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि *(i)* आदर्श की पूर्ण प्राप्ति

संविधान के अनुच्छेद *14* में निहित समानता होनी चाहिए -

संभोग में या तो यह जानना चाहिए या यह मानने का कारण होना चाहिए कि महिला विवाहित है। हालाँकि एक पुरुष ने एक विवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाए हैं, लेकिन व्यभिचार का अपराध नहीं आता है। जहाँ उसने अपने पति की सहमति या मिलीभगत से ऐसा किया था।

धारा *497* के ये तत्व कई विशेषताओं को उजागर करते हैं जो अनुच्छेद *14* के तहत इसकी वैधता को चुनौती देते हैं। तथ्य यह है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन संबंध सहमति से होता है

अपराध के लिए महत्व, यदि अपराध के तत्व हैं

स्थापित किया गया। विधायिका ने जिसे एक आपराधिक अपराध के रूप में गठित किया है, वह एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन संभोग का कार्य है जो "दूसरे पुरुष की पत्नी" है। कोई अपराध मौजूद नहीं है जहाँ एक आदमी है जीवित वैवाहिक संबंध एकल महिला के साथ यौन संबंध में संलग्न होता है। हालांकि व्यभिचार को विवाह से संबंधित अपराध माना जाता है, लेकिन विधायिका एक विवाहित पुरुष और एकल महिला के बीच यौन संभोग को दंडित नहीं करती है। भले ही ऐसे मामले में पुरुष का जीवनसाथी है, लेकिन इसे परिभाषित करने के लिए कोई कानूनी प्रासंगिकता नहीं माना जाता है।

9 8 डेबोरा रोड, व्यभिचारः बेवफाई और कानून, *(*हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2016) 9 9* आइरिस मैरियन यंग, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी

उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है, शिकायत करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। यदि यौन कृत्य में शामिल महिला विवाहित नहीं है, तो कानून इसे बेपरवाह मानता है। कानून का आधार यह है कि यदि कोई महिला विवाहित पुरुष की संपत्ति नहीं है, तो परिभाषा के अनुसार उसके कार्य को 'व्यभिचार' नहीं माना जाएगा। *31.* अपराध का सार यह है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है। लेकिन जिस पुरुष से वह शादीशुदा है, अगर वह सहमति देता है या यौन संबंध में सांठगांठ भी करता है, तो व्यभिचार का अपराध स्थापित नहीं होगा। क्योंकि, कानून की नजर में, ऐसे मामले में वैवाहिक संबंध में पुरुष को यह तय करना है कि अपने जीवनसाथी के साथ यौन क्रिया में शामिल होने के लिए सहमत होना है या नहीं।

एक और। वास्तव में, भले ही दोनों पुरुषों *(*महिला का जीवनसाथी और वह पुरुष जिसके साथ वह यौन कृत्य में संलग्न है*)* की मिलीभगत हो, लेकिन व्यभिचार का अपराध नहीं माना जाएगा।

32. धारा *497* विनाशकारी है और एक महिला को उसकी एजेंसी, स्वायत्तता और गरिमा से वंचित करती है। यदि कानून का प्रत्यक्ष उद्देश्य है

'विवाह की संस्था' की रक्षा करते हुए, यह उस महिला की एजेंसी को मान्यता नहीं देने का कोई औचित्य प्रदान करता है जिसका जीवनसाथी विवाह के बाहर यौन संबंध में लगा हुआ है। वह न तो शिकायत कर सकती है और न ही

तथ्य यह है कि वह किसी भी महत्व के पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध में है

अपराध की सामग्री। कानून उस विवाहित महिला को भी उसकी एजेंसी से वंचित करता है जो किसी अन्य पुरुष के साथ यौन कृत्य में लिप्त है। वह। उसे अपने पति की संपत्ति माना जाता है। यही कारण है कि अगर उसका पति शादी के बाहर उसके यौन संबंध के लिए सहमति देता है तो व्यभिचार का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इससे भी बदतर, अगर महिला का जीवनसाथी उस व्यक्ति के साथ सांठगांठ करता है जिसके साथ उसने यौन संबंध बनाए हैं, तो कानून पलक झपकाता है। इस प्रकार धारा *497* इस धारणा पर आधारित है कि एक महिला विवाह करके अपनी आवाज, स्वायत्तता और एजेंसी खो देती है। प्रावधान पर स्पष्ट मनमानेपन को व्यापक रूप से लिखा गया है।

33. स्पष्ट मनमानेपन की कसौटी भारतीय न्यायशास्त्र में निहित है। ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य *1 00* मामले में, न्याय

भगवती ने समानता को एक "गतिशील निर्माण" के रूप में वर्णित किया जो मनमानेपन के विपरीत है: *100 (1974) 4* एस. सी. सी. *3* जोसेफ शाइन बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

" 85 ..... अब, इस महान बराबरी की सामग्री और पहुंच क्या है*?*

सिद्धांत*?* बोस के शब्दों का उपयोग करना एक संस्थापक विश्वास है। जे. ", ए.

जीवन का तरीका ", और इसे एक संकीर्ण पांडित्य के अधीन नहीं किया जाना चाहिए

पारंपरिक और सीमित के भीतर "घुसा हुआ, केबिन और सीमित" होना सैद्धांतिक सीमाएँ। सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता

मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और

एक गणराज्य में कानून का जबकि दूसरा, सनक और सनक के लिए एक पूर्ण सम्राट का। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वह है

तर्क और संवैधानिक कानून और इसलिए इसका उल्लंघन है अनुच्छेद *14*। *"101*

(जोर दिया गया*)*

शायरा बानो बनाम भारत संघ *1 02* में संस्था पीठ ने अभिनिर्धारित किया

तीन तलाक का ई असंवैधानिक होगा। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन,

सहमत राय, प्रकट मनमानेपन के परीक्षण को लागू किया

अभ्यास में संवैधानिक मस्टर पारित नहीं होता है:

" 87. तर्कसंगतता का धागा पूरे क्षेत्र में चलता है।

मौलिक अधिकार अध्याय। जो स्पष्ट रूप से मनमाना है स्पष्ट रूप से अनुचित है और नियम के विपरीत है

कानून का उल्लंघन, अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करेगा। इसके अलावा, एक स्पष्ट है

तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में विरोधाभास

मैकडॉवेल में *[*स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम। मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996) 3* एससीसी

709] जब यह कहा जाता है कि एक संवैधानिक चुनौती सफल हो सकती है

इस आधार पर कि कोई कानून "असमान, अत्यधिक या

बाद की चुनौती शामिल नहीं होगी लेकिन केवल एक शामिल होगी कानून का असमान, अत्यधिक या अन्यथा होना

स्पष्ट रूप से अनुचित। अतः उपरोक्त सभी आधार,

राज्य की कार्रवाई के बीच अंतर करने की कोशिश न करें प्रपत्र, जिनमें से सभी को बाधित किया जाता है यदि वे गलत होते हैं

पृष्ठ *38* पर

भाग *III* में व्यक्तियों और नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार

संविधान "। *103*

(जोर दिया गया*)*

विधान को अमान्य करने के लिए स्पष्ट मनमानेपन के परीक्षण के आवेदन पर, विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 101 ..... दो प्रकार के बीच कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है
अनुच्छेद के तहत चुनौती के इस आधार पर कानून बनाना

14. प्रकट मनमानेपन का परीक्षण, इसलिए, जैसा कि निर्धारित किया गया है

उपरोक्त निर्णय अमान्य किए गए विधान पर लागू होंगे
साथ ही अनुच्छेद *14* के तहत अधीनस्थ विधान। प्रकटीकरण

इसलिए, मनमानी विधायिका द्वारा की जानी चाहिए।

मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या पर्याप्त निर्धारण के बिना
सिद्धांत। इसके अलावा, जब कुछ ऐसा किया जाता है जो अत्यधिक हो और

असंगत, ऐसा विधान स्पष्ट रूप से मनमाना होगा।

जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा बताया गया है, स्पष्ट मनमानेपन इस पर लागू होगा
अनुच्छेद *14* के तहत भी कानून को अस्वीकार करें। " *1 04*

34. शायरा बानो में निर्णय, उस कानून या राज्य को मानता है

जो कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना है, उसमें मनमौजी और तर्कहीनता के तत्व होंगे और इसकी विशेषता पर्याप्त रूप से निर्धारित करने वाले सिद्धांत की कमी होगी। "पर्याप्त रूप से निर्धारित करने वाला सिद्धांत" एक ऐसा सिद्धांत है जो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। आपराधिक विधान के संबंध में, वह सिद्धांत जो "अधिनियम" को निर्धारित करता है जिसे अपराधीकृत किया जाता है

साथ ही जिन व्यक्तियों को आपराधिक रूप से दोषी ठहराया जा सकता है, उन्हें संवैधानिकता के आधार पर परखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत को नैतिकता की बहुसंख्यकवादी धारणाओं द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जो संवैधानिक नैतिकता के विपरीत हैं। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, *("नवतेज") 1 05* में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने आपराधिक प्रावधान में अंतर्निहित एक "ठोस" या "तर्कसंगत सिद्धांत" की आवश्यकता पर जोर दिया:

> "..... धारा *377* जहां तक सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध मानता है
>
> निजी तौर पर वयस्कों के बीच, किसी भी ध्वनि या तर्कसंगत पर आधारित नहीं है
> सिद्धांत।
>
> इसके अलावा, वाक्यांश "के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग"
> धारा *377* में "प्रकृति" एक दंड में एक निर्धारक सिद्धांत के रूप में
>
> प्रावधान, बहुत खुला है-समाप्त, दुरुपयोग की गुंजाइश को रास्ता देता है
>
> एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ "।

104 आइबीआइडी। पृष्ठ *99* पर *105 2016* की रिट याचिका *(*आपराधिक*)* संख्या *76* जोसेफ शाइन बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

35. व्यभिचार पर कानून का आधार बनने वाली परिकल्पना पितृसत्तात्मक व्यवस्था का निर्वाह है। धारा *497* नैतिकता की धारणा पर आधारित है जो उन मूल्यों के अनुरूप नहीं है जिन पर संविधान की स्थापना की गई है। स्वतंत्रताएँ जिनकी संविधान पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से गारंटी देता है। धारा *497* को लागू करते हुए, विधायिका ने विवाह की संस्था की रक्षा के लिए एक स्पष्ट प्रयास किया। जाहिरा तौर पर 'यह है, क्योंकि प्रावधान विवाह की एक धारणा को प्रस्तुत करता है जो विकृत करता है

पति-पत्नी की समानता। संवैधानिक शासन में विवाह की स्थापना की जाती है।

पति-पत्नी के बीच समानता पर। उनमें से प्रत्येक को उसी स्वतंत्रता का अधिकार है जिसकी गारंटी भाग *III* देता है। उनमें से प्रत्येक को अपनी अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है और प्रत्येक में मानवीय इच्छा को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। धारा *497* इस समझ पर आधारित है कि विवाह महिला की पहचान को नष्ट कर देता है। यह वैवाहिक अधीनता की धारणा पर आधारित है। इन धारणाओं को मान्यता देने, स्वीकार करने और लागू करने में, धारा *497* संविधान के लोकाचार के साथ असंगत है। धारा *497* एक महिला को उसके जीवनसाथी का अधिकार मानती है। आवश्यक मूल्य जिन पर संविधान

स्थापित है-स्वतंत्रता, गरिमा और समानता-विवाह के इस तरह के दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दे सकते हैं। धारा *497* स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है।

36. दंड संहिता के अध्याय *XX* में प्रावधान को शामिल करते हुए-"विवाह से संबंधित अपराधों"-विधायिका ने अपराध को विवाह के बारे में एक अंतर्निहित धारणा पर आधारित किया है। कानून जिस धारणा का प्रस्ताव करता है और जिसके लिए यह दंडात्मक कानून के प्रतिबंध लगाता है, वह यह है कि वैवाहिक संबंध महिला की भूमिका और स्थिति को अधीनस्थ करता है। में।

विवाह के बारे में उस दृष्टिकोण से, महिला निर्णय लेने, विकल्प चुनने और अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र अभिव्यक्ति देने की क्षमता से वंचित है। मानव कामुकता पहचान का एक अनिवार्य पहलू है। कामुकता के मामलों में विकल्प अभिव्यक्ति के लिए मानव इच्छा को दर्शाते हैं। लैंगिकता को विशुद्ध रूप से एक शारीरिक विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपनी सहयोगी विशेषताओं में, यह अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ अंतरंग होने की मानवीय इच्छा से जुड़ा हुआ है। शारीरिक अंतरंगताओं को साझा करना पसंद का प्रतिबिंब है। व्यक्तियों को सहमति के क्षेत्र में उन विकल्पों को करने की अनुमति देते हुए, संविधान स्वीकार करता है कि सबसे निजी क्षेत्रों में भी, व्यक्ति के पास आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। लैंगिकता को मानव व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, मनुष्य होने में सुख की खोज में यौन इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता शामिल है। में स्वायत्तता

इस प्रकार कामुकता के मामले एक गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व के लिए आंतरिक हैं। मानव गरिमा यौन विकल्प बनाने में व्यक्ति की स्वायत्तता को पहचानती है और उसकी रक्षा करती है। किसी व्यक्ति की यौन पसंद *[2018] 11* एस. सी. आर. नहीं हो सकती।

स्पष्ट रूप से समाज में दूसरों पर थोपा जाता है और सहमति देने वाले पक्षों द्वारा स्वैच्छिक स्वीकृति पर आधारित होता है। धारा *497* महिला का अपमान करती है।

मानव स्वतंत्रता और गरिमा का पहलू जिसकी संविधान रक्षा करता है। महिला को उस क्षमता से वंचित करने और केवल पुरुष में ही इसे मान्यता देने में, धारा *497* विवाह पर इसके अनुप्रयोग में पर्याप्त समानता के सार को पूरा करने में विफल रहती है। विवाह के पक्षकारों के बीच अधिकारों और अधिकारों की समानता संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुभाग *497* समानता की उस मूल भावना का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है।

37. दंड प्रक्रिया संहिता *1973* की धारा *198* में अधिनियमित प्रक्रियात्मक कानून अंतर्निहित रूढ़ियों को फिर से लागू करता है।

धारा *497* में। के अध्याय *XX* के तहत एक अपराध का संज्ञान दंड संहिता किसी व्यक्ति की शिकायत पर ही न्यायालय द्वारा ली जा सकती है।

दुखी हैं। धारा *497* के तहत दंडनीय अपराध के मामले में, केवल महिला के पति को अपराध से व्यथित माना जाता है। किसी भी स्थिति में, एक बार धारा *497* के प्रावधानों को अपराध के लिए अभिनिर्धारित किया जाता है

मौलिक अधिकारों के लिए, धारा *198* में निहित प्रक्रिया की कोई व्यावहारिक प्रासंगिकता नहीं रहेगी। *38.* धारा *497* मौलिक समानता से इनकार करने के बराबर है। सौमित्र और रेवती में लिए गए निर्णयों ने समानता की औपचारिक धारणा का समर्थन किया।

जो एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संवैधानिक दृष्टिकोण के विपरीत है। न्याय समानता को स्वीकार करता है। संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप, मूल समानता "वंचित समूहों के खिलाफ व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए निर्देशित है जो समाज में उनकी पूर्ण और समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भागीदारी को प्रभावी रूप से कमजोर करता है। " *1 0 6* समानता की एक औपचारिक धारणा से दूर जाने के लिए जो सामाजिक वास्तविकताओं की अवहेलना करती है, न्यायालय को नागरिकों के जीवन में नियम या प्रावधान के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए।

106 कैथी लाहे, समानता और न्यायिक तटस्थता में समानता के नारीवादी सिद्धांत

(S.Martin और *K.Mahoney (*संस्करण*) (1987)*

जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

मौलिक समानता की प्राप्ति की दिशा में न्यायालय द्वारा की जाने वाली प्राथमिक जांच यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या यह प्रावधान व्यक्तियों के एक वंचित समूह के अधीनता में योगदान देता है। *07* इस नुकसान का समाधान किसी महिला को 'कमजोर' समझकर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समान नागरिकता के लिए उसके अधिकार का अर्थ लगाया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती

महिलाओं के प्रति संरक्षणकारी दृष्टिकोण को वैध बनाता है। बाद वाला वास्तविक समानता को गरिमा की प्राप्ति से जोड़ता है। इस तरह के दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है न केवल कानून के तहत समान व्यवहार पर, बल्कि कानून के वास्तविक प्रभाव पर। इस प्रकार, धारा *497* की जांच मौजूदा सामाजिक संरचनाओं के आलोक में की जानी चाहिए जो विवाह में एक महिला की स्थिति को एक असमान प्रतिभागी के रूप में लागू करती है।

कैथरीन मैकिनन हमसे इस पारिवारिक क्षेत्र की वास्तविकता पर अधिक आलोचनात्मक रूप से देखने का आग्रह करती हैं, जिसे "व्यक्तिगत" कहा जाता है, और परिवार को "महिलाओं की असमान स्थिति और यौन, शारीरिक, आर्थिक और सभ्य रूप से अधीनस्थ व्यवहार" के रूप में देखें। " *109* एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जिसने महिलाओं पर कामुकता की पितृसत्तात्मक धारणाओं को लागू किया है और जो उन्हें विषमलैंगिक विवाहों में अपने जीवनसाथी के अधीन मानता है, धारा *497* पहले से मौजूद असमानता को कायम रखती है।

39. प्रत्यक्ष रूप से, कानून को आपराधिक प्रतिबंधों से छूट के रूप में संचालित किया जा सकता है। हालांकि, जब एक के संदर्भ में देखा जाता है

एफ 'अच्छी पत्नी' संविधान का अनुच्छेद *15* इस प्रकार कहता है:

> *" 15. (1)* राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा
>
> केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर
>
> उन्हें "। *(* जोर दिया गया*)*

107 महिला, समानता और संविधान पर रत्ना कपूरः थ्रू द लुकिंग ग्लास ऑफ फेमिनिज्म इन जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया *(*निवेदिता मेनन संस्करण*) (1993) 108* मौरीन मालोनी, एन एनालिसिस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज इन इंडियाः एक नारीवादी दृष्टिकोण,

जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट *(1988)*

109 कैथरीन ए मैकिनन, भारत के संविधान के तहत यौन समानता समस्याएं, संभावनाएं और 'व्यक्तिगत कानून', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय

विधि विद्यालय *(2006)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. अनुच्छेद *15* राज्य को केवल लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि *(i)* धारा *497*, जहां तक यह विवाह में पति और पत्नी को एक अलग आधार पर रखती है, लिंग भेदभाव को कायम रखती है*; (ii)* धारा *497* महिला की संपत्ति के रूप में पितृसत्तात्मक अवधारणा पर आधारित है, लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ाती है, और

परिणामस्वरूप अनुच्छेद *15* द्वारा प्रभावित।

भारतीय दंड संहिता की धारा *497* और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *198 (2)* के संयुक्त अध्ययन से निम्नलिखित प्रस्ताव आते हैं -

उभरते हैं:

आई.

एक विवाहित महिला द्वारा दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध

उसके पति की सहमति के बिना उसकी शादी के बाहर अपराध माना जाता है*;*
एक 'व्यभिचारी संबंध' में, आदमी को दंडित किया जाता है

ii.

व्यभिचार, जबकि स्त्री नहीं है *(*यहाँ तक कि एक सहायक के रूप में भी*);*

अविवाहित स्त्री के साथ विवाहित पुरुष द्वारा यौन संबंध

iii.

अपराधी नहीं हैं*;*

iv.

धारा *497* पति की सहमति को प्रधानता प्रदान करती है।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आपराधिकता उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसके पति या पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध हैं।

पूर्व में। महिला की सहमति या इच्छा अप्रासंगिक है।

अपराध के लिए;
एक आदमी जो दूसरे के जीवनसाथी के साथ यौन संबंध रखता है

वी.

पुरुष को अपराध से केवल तभी मुक्त किया जाता है जब उसके जीवनसाथी ने सहमति दी या, यहाँ तक कि मिलीभगत की; और

धारा *497*, आई. पी. सी., धारा *198*, *Cr.PC* के साथ पढ़ा जाता है,

vi.

व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने का एकमात्र अधिकार है और एक

आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से महिला।

41. धारा *497* का संचालन, परिभाषा के अनुसार, एक महिला के विवाह के बाहर यौन संबंधों तक ही सीमित है। एक पुरुष जो किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति या सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, उस पर धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, एक विवाहित पुरुष आपराधिक कानून में किसी भी प्रतिक्रिया के बिना एक महिला के साथ विवाह के बाहर यौन संबंध बना सकता है। यद्यपि अभियोजनसँ उन्मुक्ति देल गेल अछि, एकटा महिलाकेँ दंडात्मक कार्रवाईक संभावना पर विचार करबाक लेल मजबूर कयल जायत अछि जे ओहि व्यक्ति पर लागू होयत जकर सङ्ग ओ यौन कृत्यमे संलग्न होयत अछि। अपने जीवनसाथी की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, आदमी जोसेफ शाइन वी है।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

राज्य की आपराधिक मंजूरी का आह्वान करने की शक्ति दी गई। वास्तव में, उसके जीवनसाथी को उसकी यौन एजेंसी को कम करने का अधिकार है। पति की सहमति उसके जीवनसाथी की यौन एजेंसी के अभ्यास की कुंजी के रूप में कार्य करती है। यह कि विवाहित महिला सहमति से संबंध में है, संभावित अभियोजन के लिए कोई परिणाम नहीं है।

एक विवाहित पुरुष अपने साथी को अभियोजन के लिए खोलने के डर के बिना और अपने जीवनसाथी की सहमति के बिना एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बना सकता है जो उसकी पत्नी नहीं है। एक महिला को अपने पति के खिलाफ कोई सहारा नहीं दिया जाता है जो शादी के बाहर यौन संबंध बनाता है। धारा *497* का प्रभाव एक विवाहित महिला की यौन एजेंसी को पूरी तरह से उसके पति की सहमति या मिलीभगत पर निर्भर होने की अनुमति देना है। हालांकि धारा *497* व्यभिचार में लिप्त महिला को उकसाने वाले के रूप में दंडित नहीं करती है, एक विवाहित पुरुष और एक विवाहित महिला को उनके कार्यों के संबंध में अलग-अलग पदों पर रखा जाता है। विवाहित महिला को अभियोजन से प्रतिरक्षा देने के बावजूद, धारा *497* का प्रभाव उसकी यौन एजेंसी के अभ्यास के साथ गलत काम करने की धारणा को जोड़ना है।

उसे अभियोजन से छूट देने के बावजूद, उसकी यौन एजेंसी का अभ्यास पति की सहमति या मिलीभगत पर निर्भर है। एक पति को कानून द्वारा एक व्यथित पक्ष माना जाता है यदि उसकी पत्नी शादी में शामिल होती है।

किसी अन्य पुरुष के साथ संभोग में, लेकिन पत्नी नहीं है, अगर उसका पति भी ऐसा ही करता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, धारा *497* एक विवाहित पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव करती है। इस तरह के भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद *15* में गैर-भेदभाव की गारंटी द्वारा निषिद्ध किया गया है। धारा *497* में एक महिला को विवाह के दायरे में रखा गया है और जिस पुरुष के साथ वह विवाह के बाहर यौन संबंध साझा करती है, उसे भी एक अलग आधार पर रखा गया है।

42. धारा *497* उस पुरुष के आचरण को अपराध मानती है जो अपनी सहमति के बिना दूसरे की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है। इससे छूट मिलती है।

आपराधिक दायित्व से महिलाएँ। इस छूट के आधार पर यह धारणा है कि यौन एजेंसी से वंचित होने के कारण महिलाओं को कानून का 'संरक्षण' दिया जाना चाहिए। यौन संबंध में संलग्न अभियुक्त को अपराधी बनाने में, कानून एक लिंग रूढ़िवादिता को कायम रखता है कि यौन एजेंसी रखने वाले पुरुष प्रलोभन देने वाले होते हैं, और महिलाएं, यौन एजेंसी से रहित निष्क्रिय प्राणियों के रूप में, प्रलोभन देने वाली होती हैं। यह धारणा कि एक महिला 'विनम्र' है, या इससे भी बदतर 'नादान' है, एक उदार संविधान के विमर्श में कोई वैधता नहीं है। यह समानता के लिए गहरा अपमानजनक है और महिला की गरिमा के लिए विनाशकारी है। इस रूढ़िवादिता पर, धारा *497* केवल अभियुक्त व्यक्ति को ही अपराधी ठहराती है।

43. वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक यह है कि प्रावधान केवल पति को व्यभिचार के लिए मुकदमा शुरू करने की अनुमति देता है। सहमति या

पति की मिलीभगत अभियोजन को रोकती है। अगर कोई पति सहमति देता है, उनके पति

प्रभावी रूप से अपनी यौन एजेंसी का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है

किसी और के साथ। यह पति को अपने जीवनसाथी की यौन एजेंसी पर कुछ हद तक नियंत्रण की गारंटी देता है। विक्टोरियन नैतिकता के अवशेष के रूप में, पति या पत्नी की यौन एजेंसी पर यह नियंत्रण, पत्नी को पति की संपत्ति के रूप में देखता है। स्त्री की निष्ठा और उस पर पति के नियंत्रण को पत्नी में पति के 'संपत्ति' हित को बनाए रखने के रूप में देखा जाता है। *110* इस दृष्टिकोण में, एक महिला उन चीजों से भ्रमित होती है जो धारण की जा सकती हैं। जीवनसाथी को एक निष्क्रिय या निर्जीव वस्तु के रूप में समझने में, व्यभिचार पर कानून उस व्यक्ति को दंडित करने का प्रयास करता है जो पति की संपत्ति की चोरी का प्रयास करता है। कोंट्ज़ और हेंडरसन लिखते हैं कि संपत्ति के अधिकारों के स्थिरीकरण और किसी की संपत्ति को वैध उत्तराधिकारियों को देने की इच्छा ने पुरुषों को अपनी पत्नियों के यौन व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित किया। *111*

44. धारा *497* के तहत एक लिंग रूढ़िवादिता है कि पुरुषों की बेवफाई सामान्य है, लेकिन एक महिला की बेवफाई अस्वीकार्य है। निंदा करने में

महिला की यौन एजेंसी, केवल पति को, 'पीड़ित' पक्ष के रूप में अभियोजन शुरू करने का अधिकार दिया जाता है। एक बार कार्यवाही शुरू होने के बाद, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने अपने जीवनसाथी पर 'चोरी' या 'अतिचार' का कार्य किया है। इसलिए एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध को पति की संपत्ति की चोरी माना जाता है। अपनी पत्नी की कामुकता पर पुरुष का नियंत्रण सुनिश्चित करना धारा *497* का वास्तविक उद्देश्य था।

एक विवाह में महिलाओं की निष्ठा को विशेषाधिकार देने की मांग में निहित, यह धारणा है कि एक महिला अपनी यौन एजेंसी को अनुबंध करती है जब

एक शादी में प्रवेश करें। कि एक महिला, विवाह द्वारा, अपने पति के साथ यौन संबंधों के लिए पहले से सहमति देती है या अपने पति की अनुमति के बिना विवाह के बाहर यौन संबंधों से बचना अपमानजनक है। स्वतंत्रता और गरिमा। इस तरह की धारणा का संवैधानिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। यौन स्वायत्तता प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का एक अलंघनीय मूल है। हर किसी को गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों के केंद्र में

व्यक्ति चयन की प्रधानता और अपने कार्यों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता है। एक महिला की यौन स्वायत्तता को कम करना या मान लेना *11* फिलिस कोलमैन, मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? आप और मैं, और राज्य

मेकस श्री, वॉल्यूम। *24* , भारतीय विधि समीक्षा *(1991)*

11 महिलाओं का काम, पुरुषों की संपत्तिः लिंग और वर्ग की उत्पत्ति *(*एस. कोंट्ज़ और पी.

हेंडरसन एड.*) (1986)*

जोसेफ शाइन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक बार शादी में प्रवेश करने के बाद सहमति की कमी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

काम करता है। अपने संचालन में, कानून "रोजमर्रा के जीवन और ज्ञान से व्याप्त है और अविभाज्य है, और यह *(*कानूनी*)* चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।" *112* कानून के एक प्रासंगिक अध्ययन से पता चलता है कि यह सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करता है, और "शक्ति की विषमताओं को, यदि अदृश्य नहीं, तो प्राकृतिक और सौम्य" बनाता है। *113* महिलाओं की यौन संस्था पर धारा *497* का महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पड़ता है। यह मौजूदा लिंग पर आधारित है। रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह और उन्हें आगे बनाए रखता है। सांस्कृतिक रूढ़िवादिता एक महिला की तुलना में एक पुरुष के यौन संबंधों में शामिल होने के लिए अधिक क्षमाशील हैं। तब महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पहले पवित्र और समय के दौरान वफादार रहें

शादी। महिलाओं की यौन एजेंसी को प्रतिबंधित करने में, धारा *497* सामाजिक रूप से भेदभावपूर्ण और लिंग आधारित मानदंडों को कानूनी मान्यता देती है। एक महिला के लिए यौन संबंध कानूनी और सामाजिक रूप से अनुमत थे जब यह उसकी शादी के भीतर था। व्यभिचार या गैर-वैवाहिक यौन संबंध बनाने वाली महिलाओं को अनैतिक, शर्मनाक करार दिया जाता था और उनकी आपराधिक निंदा की जाती थी। अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, *1 1 4* में इस न्यायालय ने पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1914* की धारा *30* को निरस्त कर दिया, जो उन परिसरों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाती है जहां जनता द्वारा शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन किया जाता था। यह मानते हुए कि कानून "रूढ़िवादी नैतिकता

और यौन भूमिका की अवधारणा के लाइलाज निर्धारण" से पीड़ित है, अदालत ने "पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंडों के साथ-साथ समाज में सामान्य माहौल की स्थिति" को भी ध्यान में रखा और कहा कि "किसी भी कानून को अपने अंतिम प्रभाव में महिलाओं के उत्पीड़न को कायम नहीं रखना चाहिए"।

नवतेज में हममें से एक *(जे. चंद्रचूड़)* ने इस प्रकार कहाः

"संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्य का परीक्षण किया जाएगा। एक भेदभाव संवैधानिक जांच से नहीं बचेगा जब यह एक वर्ग के गठन के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं को कायम रखता है। अनुच्छेद *15 (1)* में निषिद्ध आधारों द्वारा। अगर कोई आधार

112 रोजमेरी कूम्बे, क्या कानून का कोई सांस्कृतिक अध्ययन है*?*, ए कम्पेनियन टू कल्चरल

अध्ययन, टोबी मिलर *(संस्करण)*, ऑक्सफोर्ड, *(2001)*

113 ऑस्टिन शरत, जोनाथन साइमन, कानूनी यथार्थवाद से परे*? :* सांस्कृतिक विश्लेषण, सांस्कृतिक अध्ययन और कानूनी छात्रवृत्ति की स्थिति, येल जर्नल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज,

(2001) , पृष्ठ *19* पर

114 (2008) 3 एससीसी *1 [2018] 11* एस. सी. आर.

भेदभाव, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, एक पर आधारित है
लिंग की भूमिका की रूढ़िवादी समझ, यह नहीं होगी

केवल लिंग के आधार पर अनुच्छेद *15* द्वारा निषिद्ध भेदभाव से अलग किया जा सकता है। यदि कुछ विशेषताएँ रूढ़िवादिता पर आधारित हैं, तो उन्हें पूरे वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए।
अनुच्छेद *15 (1)* में निषिद्ध किसी भी आधार द्वारा समूहों के रूप में गठित लोगों का, जो भेदभाव करने का अनुमेय कारण स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भेदभाव अनुच्छेद *15 (1)* में भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन होगा।

46. धारा *497* महिलाओं और यौन निष्ठा के बारे में रूढ़िवादिता पर आधारित है और इसे कायम रखती है। महिलाओं की यौन एजेंसी को कम करने में, यह सटीक है आदर्श के रूप में महिलाओं से यौन निष्ठा। यह इस धारणा को कायम रखता है कि एक महिला निष्क्रिय है और यौन स्वतंत्रता का प्रयोग करने में असमर्थ है। ऐसा करने में, यह उसे अभियोजन से 'सुरक्षा' प्रदान करता है। धारा *497* एक महिला को उसके स्वतंत्र व्यायाम को सशर्त बनाने में उसकी यौन स्वायत्तता से वंचित करती है।

अपने जीवनसाथी की सहमति पर। ऐसा करने में, यह इस धारणा को कायम रखता है कि एक महिला विवाह में प्रवेश करने पर सीमित स्वायत्तता के लिए सहमति देती है। यह प्रावधान महिलाओं की यौन एजेंसी को समाज कैसे देखता है, इस पर एक गहरा सामाजिक प्रभाव डालता है। पितृसत्तात्मक संरचना को मजबूत करने में, जो उसकी नियंत्रित कामुकता की मांग करती है, धारा *497* विवाह की पवित्रता के संरक्षण के लिए परिकल्पित प्रावधान के रूप में कार्य करती है। लैंगिक रूढ़िवादिता की बेड़ियों को तोड़ने और समान

नागरिकता की गारंटी देने के संघर्ष की विशेषता वाली संवैधानिक दृष्टि के संदर्भ में, धारा *497* रूढ़िवादिता और भेदभाव की मौजूदा संरचनाओं को मजबूत करती है और संवैधानिक व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है।

एफ. *1* द एनट्रैपिंग केज

47. धारा *497* एक महिला को सजा से छूट देती है।

सहायक। इस छूट के आधार पर यह धारणा है कि एक महिला एक ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध में बहकाने की शिकार होती है जो उसका पति नहीं है। यह मानते हुए कि महिला की कोई यौन एजेंसी नहीं है, छूट को महिलाओं के लिए फायदेमंद और संविधान के अनुच्छेद *15 (3)* के तहत संरक्षित प्रावधान होने के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। यह उस उपाय के विपरीत है जिसे अनुच्छेद *15 (3)* में शामिल करने की कोशिश की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. बी. विजयकुमार मामले में, *1 1 5* इस मामले की दो न्यायाधीशों की पीठ

न्यायालय ने आंध्र के नियम *22*-ए के उप-नियम *(2)* को चुनौती दी *115 (1995) 4* एस. सी. सी. *520* जोसेफ शाइन बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, जो महिलाओं को एक

प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में वरीयता। न्यायालय की ओर से न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 7. महिलाओं के संबंध में अनुच्छेद *15* के खंड *(3)* को शामिल करना इस तथ्य की मान्यता है कि सदियों से इस देश की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से विकलांग रही हैं। नतीजतन, वे समानता के आधार पर राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ हैं। यह महिलाओं के इस सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करने और उन्हें इस तरह से सशक्त बनाने के लिए है जो प्रभावी होगा।

पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता कि अनुच्छेद *15 (3)* को अनुच्छेद *15* में रखा गया है। इसका उद्देश्य स्थिति को मजबूत करना और सुधारना है

महिलाएँ। *"116*

स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ, *1 1 7 117* में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, अनुच्छेद *15 (3)* के इतिहास का मसौदा तैयार करने के बारे में कहा और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 55. डॉ. अम्बेडकर द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वे निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों के पक्षधर थे।

उन्हें समाज में एकीकृत करने और उन्हें बाहर निकालने की दृष्टि से

पितृसत्तात्मक नियंत्रण। *118*

56. इस चर्चा से जो बात स्पष्ट रूप से सामने आती है वह यह है कि अनुच्छेद

9 (2) संविधान के मसौदे *[*अब अनुच्छेद *15 (3)]* का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के पक्ष में भेदभाव करना था-एक रूप

उनके लाभ के लिए सकारात्मक कार्रवाई "। *119.*

48. अनुच्छेद *15 (3)* 'सुरक्षात्मक' की धारणा को समाहित करता है।

इसका उपयोग इस तरह से किया जाता है जो 'संरक्षण' की पैतृक धारणाओं को मजबूत करता है। सुरक्षा का यह बाद वाला दृष्टिकोण केवल महिलाओं को पिंजरे में रखने का काम करता है। अनुच्छेद *15 (3)* अलग से मौजूद नहीं है। अनुच्छेद *14* से *18,* समानता पर एकल संहिता के घटक होने के नाते, एक दूसरे के पूरक हैं और एक गैर-भेदभाव सिद्धांत को शामिल करते हैं। न तो अनुच्छेद *15 (1)* और न ही अनुच्छेद *15 (3)* महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की अनुमति देता है। पैतृक और पितृसत्तात्मक धारणाओं में आधारित भेदभाव का दावा नहीं किया जा सकता है

117 (2017) 10 एससीसी *800* *118* आइबीआइडी। पृष्ठ *837* पर

119 आइबीआइडी।

पृष्ठ *837 [2018] 11* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *15 (3)* का संरक्षण। महिलाओं को आपराधिक अभियोजन से छूट देने में, धारा *497* का तात्पर्य है कि एक महिला की कोई यौन एजेंसी नहीं है और उसे यौन संबंध में 'बहकाया' गया था। यौन एजेंसी की अनुमानित कमी को देखते हुए, महिला को उसकी 'रक्षा' करने के लिए आपराधिक छूट दी जाती है। धारा *497* के तहत महिलाओं को दी जाने वाली 'सुरक्षा' यौन एजेंसी की कमी को उजागर करती है जो धारा एक महिला। अनुच्छेद *15 (3)* जब भाग *III* के अन्य अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाता है, तो सदियों से महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे भेदभाव और पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय के रूप में कार्य करता है। एक सक्षम प्रावधान के रूप में अनुच्छेद *15 (3)* का उद्देश्य पूर्ण अर्थों में पर्याप्त समानता लाना है। मौलिक समानता के लिए गरिमा और स्वायत्तता महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, अनुच्छेद *15 (3)* एक वैधानिक प्रावधान की रक्षा नहीं करता है जो पितृसत्तात्मक धारणाओं को लागू करता है।

महिलाओं की रक्षा करना।

जी पहचान को नकारना-महिलाओं को यौन संपत्ति के रूप में

49. चार्ल्स जीन मैरी ने केंद्रीय रूपों के बारे में *191-1120* में लिखा था।

अपराध के रूप में व्यभिचार। व्यभिचार का अपराधीकरण एक सामाजिक कीमत पर आयाः एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में एक महिला की एजेंसी की अवहेलना करना।

"सभी कानूनों में विवाहित महिला कमोबेश खुलकर होती है।

पति की संपत्ति मानी जाती है और अक्सर
भ्रमित, पूरी तरह से भ्रमित, कब्जे वाली चीजों के साथ। को।

इसलिए, उसका उपयोग उसके मालिक के अधिकार के बिना करना चोरी है। लेकिन

व्यभिचार कोई आम चोरी नहीं है। एक वस्तु, एक निष्क्रिय अधिकार,
निष्क्रिय चीजें हैं; उनका मालिक चोर को अच्छी तरह से दंडित कर सकता है जो

उन्हें ले लिया है, लेकिन केवल उसे। व्यभिचार में, लूट का उद्देश्य,
पत्नी, एक संवेदनशील और विचारशील प्राणी है-अर्थात, एक

उसके पति की संपत्ति पर प्रयास में सहयोगी
अपना व्यक्ति; इसके अलावा वह आम तौर पर उसे अपने पास रखता है।

"

व्यभिचार पर कानून पितृसत्ता का एक संहिताबद्ध नियम है। पितृसत्ता सदियों से महिलाओं के जीवन में व्याप्त है। जाहिरा तौर पर, यौन व्यवहार का न्याय करने के लिए समाज में नैतिकता के मानकों के दो समूह हैं। *1 2 1* एक सेट महिला सदस्यों के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। *1 22* समाज एक महिला के लिए असंभव गुणों का श्रेय देता है और अनुरूपता की अपेक्षा से उसे व्यवहार के एक संकीर्ण क्षेत्र तक सीमित रखता है। *123 1 2 3* एक महिला की परवरिश करना

120 चार्ल्स जीन मैरी लेटोरनो, द इवोल्यूशन ऑफ मैरिज *(2011) 121* नंदिता हक्सर, डोमिनेंस, सप्रेशन एंड द लॉ इन वुमेन एंड द लॉः

समकालीन समस्याएं *(*लोटिका सरकार और बी. शिवरामय्या संस्करण*)* , विकास प्रकाशन

हाउस *(1994)*

122 आई. बी. आई.

123 इबिद जोसेफ शाइन वी। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

घर के अंदर। यह महिलाओं के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस बारे में पुरुषों की धारणाओं के आधार पर महिलाओं को एक पायदान पर उठाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। महिला। यह धारणा कि
महिलाएँ, जो अपने पुरुष समकक्षों के समान रूप से संविधान की सुरक्षा की हकदार हैं, उन्हें अपने अधिकार में रखने में सक्षम वस्तुओं के रूप में माना जा सकता है, अधीनता और अपमान का एक अभ्यास है। 'पवित्रता' और 'सम्मान' की कालातीत अवधारणाओं ने महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को निर्देशित किया है, जिससे उन्हें संविधान में निहित गरिमा और गोपनीयता की गारंटी से वंचित किया गया है।

50. निजता का अधिकार व्यक्तियों द्वारा स्वायत्तता और एजेंसी के प्रयोग पर निर्भर करता है। ऐसी स्थितियों में जहाँ नागरिक अक्षम हैं

इन आवश्यक विशेषताओं का प्रयोग करते हुए, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि गरिमा को पूर्ण अर्थों में महसूस किया जाए। पारिवारिक संरचनाओं को निजी स्थानों के रूप में

नहीं माना जा सकता है जहां संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। व्यक्तियों के अधिकारों की घेराबंदी की स्थितियों में प्रतिरक्षा प्रदान करना, संविधान के प्रकट होने वाले दृष्टिकोण में बाधा डालना है। के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ *1 24* में चार न्यायाधीशों की ओर से दी गई राय ने "पितृसत्तात्मक प्रभुत्व और महिलाओं के दुरुपयोग के लिए एक लिबास के रूप में गोपनीयता के उपयोग" के खतरों को मान्यता दी है। गोपनीयता की रक्षा के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच नाजुक संतुलन पर भी

घरेलू क्षेत्र में महिलाओं की गरिमा, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"इस क्षेत्र में चुनौती राज्य को घरेलू क्षेत्र में महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेने में सक्षम बनाना है।

जबकि एक ही समय में लिंग और स्वतंत्रता की पहचान पर आधारित महिलाओं के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करना।

51. "सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट" में निवेदिता मेनन ने पितृसत्तात्मक परिवार को "समाज में महिलाओं की माध्यमिक स्थिति के आधार" के रूप में मान्यता दी है। *1 25* मेनन टिप्पणी करते हैं कि 'व्यक्तिगत राजनीतिक है'। *1 26* उनकी विद्वता

124 (2017) 10 एस. सी. सी. *125* निवेदिता मेनन, सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, ज़ुबान बुक्स *(2012)* पृष्ठ *35 126* पर।

काम हमें उन स्थानों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें व्यक्तिगत माना जा सकता है जैसे कि शयनकक्ष और रसोईघर। ये स्थान बिजली में डूबे हुए हैं।

महिलाओं की कामुकता पर नियंत्रण प्रमुख पितृसत्तात्मक धारणा है जो परिवार और विवाह का आधार है। *1 28* जब यह इसके विपरीत 'जनता' में स्थानांतरित हो जाता है 'निजी' के लिए, स्त्री-द्वेष और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। *1 2 9* धारा *497* में इसका समावेश है। प्रावधान के संचालन द्वारा, महिलाओं की कामुकता को कई तरीकों से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले, पति और वह अकेले उस पुरुष पर मुकदमा चलाने में सक्षम हैं जिसके साथ उसकी पत्नी के यौन संबंध हैं। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां संबंध महिला की सहमति पर आधारित है, कानून इसे एक अपराध के रूप में मानता है, एक महिला को अस्वीकार करता है जिसने स्वेच्छा से अपनी यौन एजेंसी की सहमति से संबंध बनाया है। दूसरा, ऐसा संबंध दंडात्मक कानून की पहुंच से बाहर होगा यदि उसका पति इसके लिए सहमति देता है। दूसरी शर्त आपराधिक प्रावधान में अंतर्निहित पितृसत्तात्मक धारणा का एक स्पष्ट प्रतिबिंब हैः कि पति पत्नी की यौन एजेंसी का मालिक है।

52. अन्यायों को दूर करने में, न्यायालय 'व्यक्तिगत' और इसके परिणामस्वरूप, 'जनता' में जाने से नहीं कतराता है। हो जाता है।

हमारे लिए हस्तक्षेप करना अनिवार्य है जब पितृसत्ता में गहराई से निहित अन्याय और उत्पीड़न की संरचनाएं संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी हैं। लेकिन, महिलाओं के अधिकारों पर निर्णय लेने में, न्यायालय

पितृत्ववादी भूमिका नहीं ले रहा है और अधिकार "प्रदान" नहीं कर रहा है। न्यायालय केवल संविधान के पाठ की व्याख्या कर रहा है ताकि यह फिर से कहा जा सके कि महिलाएं इस राष्ट्र की समान नागरिक हैं और देश की सुरक्षा की हकदार हैं।

संविधान। कोई भी कानून जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को इन संवैधानिक गारंटी से वंचित किया जाता है, संवैधानिकता की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता है।

पितृसत्ता और पितृत्व धारा *497* का आधार हैं। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यौन नियंत्रण की स्त्री-द्वेष और पितृसत्तात्मक धारणाओं को संवैधानिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिलती है जिसने गरिमा को किसी व्यक्ति के लिए आंतरिक रूप से मान्यता दी है, स्वायत्तता इस अधिकार का एक आवश्यक घटक है। धारा *497* के संचालन से पता चलता है कि 'व्यभिचारी महिलाएं' वस्तुतः किसी भी एजेंसी का प्रयोग नहीं करती हैं; या कम से कम उन्हें आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त एजेंसी नहीं है। *1 3 0* उनका निर्माण पीड़ितों के रूप में किया जाता है। पीड़ितों के रूप में,

127 आइबीआइडी। *128* आइबीआइडी।

129 आइबीआइडी। *130* रत्ना कपूर और ब्रेंडा कॉसमैन, विध्वंसक स्थलः के साथ नारीवादी संबंध

पेज *119* पर लॉ इन इंडिया, सेज पब्लिकेशंस *(1996)* जोसेफ शाइन बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उन्हें आपराधिक प्रकृति के प्रतिबंधों से छूट देकर संरक्षित किया जाना है। *1 31* न केवल यौन अभिकरण से इनकार किया जाता है, बल्कि महिलाओं को भी

अपराध से आहत होते हुए नहीं देखा गया। *132* इस प्रकार, यह प्रावधान केवल वैवाहिक संबंध की पवित्रता की रक्षा करने के बारे में नहीं है। यह "अपनी पत्नी की कामुकता तक विशेष पहुंच" में पति के हितों की रक्षा करने के बारे में है।

53. धारा *497* महिला को कामुकता की पूर्ववर्ती धारणाओं से जोड़ती है। नवतेज में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जोर देकर कहा कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में यौन स्वायत्तता का महत्व, इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत संरक्षित हैः

"अपना यौन साथी चुनने के लिए किसी व्यक्ति की यौन स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण स्तंभ और यौन संबंधों का एक अविभाज्य पहलू है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जब एक भी व्यक्ति की स्वतंत्रता

समाज को कुछ अस्पष्ट और अभिलेखीय शर्तों के तहत दबा दिया जाता है कि यह प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है या इस धारणा के तहत कि बहुसंख्यक आबादी ऐसे व्यक्ति के होने पर परेशान होती है।
इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह की स्वतंत्रता का प्रयोग उसके निजी स्थान की सीमा के भीतर है, तब जीवन का संकेत पिघल जाता है और जीवन एक खाली निर्वाह बन जाता है

और परिणामस्वरूप, ऐसी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार

व्यक्ति संक्षिप्त है "।

नवतेज में, हममें से एक *(जे. चंद्रचूड़)* ने माना कि किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की मान्यता व्यक्तिगत विकल्प चुनने की व्यक्ति की क्षमता के प्रति राज्य के सम्मान की स्वीकृति हैः

"निजता का अधिकार किसी व्यक्ति को सामाजिक अपेक्षाओं की चमक से दूर अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। मानव व्यक्तित्व का बोध किसी व्यक्ति की स्वायत्तता पर निर्भर करता है। एक उदार लोकतंत्र में, व्यक्ति को एक स्वायत्त व्यक्ति के रूप में मान्यता देना स्वतंत्र विकल्प चुनने की व्यक्ति की क्षमता के प्रति राज्य के सम्मान की स्वीकृति है। निजता के अधिकार का अर्थ यह समझा जा सकता है कि न केवल कुछ कार्य अनैतिक हैं, बल्कि उन्हें करने का एक सकारात्मक नैतिक अधिकार भी मौजूद है।

एक महिला को एक निष्क्रिय वस्तु के रूप में चित्रित करना, एजेंसी से वंचित करना, स्वायत्तता से इनकार करना है। नवतेज में इसी फैसले में यौन संबंध को मान्यता दी गई है।

131 आइबीआइडी।

132 आइबीआइडी।

133 आइबीआइडी।

स्वायत्तता की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में विकल्प, जो व्यक्ति के आत्म-सम्मान से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हैः

"यह समझने के लिए कि यौन विकल्प कैसे आवश्यक हैं

स्वायत्तता की विशेषता, सामाजिक अनुबंध पर जॉन रॉल्स के सिद्धांत को संदर्भित करना उपयोगी है। रॉल्स की 'मूल स्थिति' की अवधारणा "अज्ञानता के आंशिक आवरण" के पीछे पसंद की धारणा को स्पष्ट करने के लिए एक रचनात्मक मॉडल के रूप में कार्य करती है। पर्दा के पीछे के व्यक्तियों को तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से उदासीन व्यक्ति माना जाता है, जो समाज में अपनी स्थिति से अनजान होते हैं। रॉल्स द्वारा नियोजित रणनीति वस्तुओं की एक श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक व्यक्ति

'अच्छे' के बारे में व्यक्तियों की अवधारणा चाहे जो भी हो, वे चाहते हैं। इन तटस्थ रूप से वांछनीय वस्तुओं को रॉल्स द्वारा 'प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं' के रूप में वर्णित किया गया है और इन्हें अधिकारों, स्वतंत्रताओं, शक्तियों, अवसरों, आय, धन और इसके घटकों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

आत्म-सम्मान। रॉल्स की आत्म-सम्मान की अवधारणा, एक प्राथमिक मानव भलाई के रूप में, इस विचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है

स्वायत्तता। आत्म-सम्मान किसी व्यक्ति की अपनी मूल क्षमताओं का सक्षम तरीके से प्रयोग करने की क्षमता पर आधारित है।

(जोर दिया गया*)*

जी. *1* निष्ठा का प्रदर्शनः विवाह की अंतरंगताएँ

54. एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह में बदलाव आया है। शिक्षा तक पहुंच और आर्थिक और सामाजिक प्रगति से प्रेरित होकर, महिलाओं को अपनी पसंद का दावा करने की अधिक स्वतंत्रता मिली है और

वरीयताएँ। कानून को विवाह में उनकी स्थिति को समान रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए, जो गोपनीयता और गरिमा की संवैधानिक गारंटी का हकदार है। पुट्टास्वामी में चार न्यायाधीशों की ओर से दी गई राय इस प्रकार थीः

" 130 ..... जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, वैसे-वैसे संवैधानिक सिद्धांत भी विकसित होना चाहिए। संविधान द्वारा बनाए गए संस्थानों को तेजी से बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीले ढंग से अनुकूलन करना चाहिए। इन सबसे ऊपर, संवैधानिक व्याख्या केवल इसे प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है

प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा। *134*

नवतेज में, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने इस दावे का विरोध किया कि न्यायालय को इस प्रकार अभिनिर्धारित करके *"*बदलते सामाजिक रूढ़ियों की संरक्षकता लेने में लिप्त नहीं होना चाहिए*":*

" ..... भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय का उद्देश्य स्वतंत्रता के विषय को वापस लेना है और

134 आइबीआइडी।

पृष्ठ *414* पर जोसफ शाइन *v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

व्यक्ति की गरिमा और इस तरह के विषय को पहुंच से बाहर रखें
बहुसंख्यक सरकारों की ताकि संवैधानिक नैतिकता कर सके

इस न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाए,

नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार
चुनाव के परिणाम पर निर्भर नहीं है। और ऐसा नहीं है।

बहुसंख्यक सरकारों को यह निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया कि क्या होगा सामाजिक नैतिकता से संबंधित मामलों में रूढ़िवादी रहें। द.

मौलिक अधिकारों का अध्याय उत्तरी तारे की तरह है

भारत में संविधानवाद का ब्रह्मांड। संवैधानिक

स्थानांतरण और विभिन्न बहुसंख्यकवादी द्वारा सामाजिक नैतिकता का शासन "।

(जोर दिया गया*)*

55. धारा *497* विवाह के निर्माण के संरक्षण की मांग करती है।

जिसमें महिला निष्ठा को कानून के पत्र और राज्य के दंडात्मक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है। इस तरह की अवधारणा इस न्यायालय के अधिकार आधारित न्यायशास्त्र की भावना के खिलाफ है, जो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसकी "अंतरंग व्यक्तिगत पसंद" की रक्षा करना चाहता है। यह नहीं माना जा सकता है कि महिला के विवाह में प्रवेश करने के बाद ये अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

56. महिला की पहचान उसके भीतर एक 'व्यक्ति' के रूप में होनी चाहिए।

अपना अधिकार '। इस मायने में, उसकी शादी के परिणामस्वरूप उसकी पहचान डूबती नहीं है। धारा *497* इस मानक को निर्धारित करती है कि एक विवाहित महिला की पहचान उसके जीवनसाथी की पत्नी के रूप में है। आदर्श के आधार पर महिला पर नियंत्रण और अधीनता की धारणा है। इस तरह की धारणाएं एक उदार संविधान के तहत जांच का सामना नहीं कर सकती हैं। नवतेज में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने 'पहचान' और 'स्वायत्तता' के बीच अंतर्संबंध पर ध्यान आकर्षित किया है:

..... स्वायत्तता व्यक्तिवादी है। स्वायत्तता सिद्धांत के तहत,

व्यक्ति की अपने शरीर पर संप्रभुता है। वह कर सकता है

अपनी स्वायत्तता को जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दें और उनकी निजता में अंतरंगता उनकी पसंद का विषय है। ऐसी अवधारणा

पहचान न केवल पवित्र है बल्कि इसकी मान्यता में भी है

स्वायत्तता पहचान और उक्त पहचान को अंतिम रूप से स्थापित करती है। घटना, एक व्यक्ति में गरिमा का एक हिस्सा बन जाता है।

उस पुरुष/महिला के लिए विशेष है जिसे संवैधानिक मानदंडों के अनुसार अपने जीवन का आनंद लेने का अधिकार है और उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
यह सूख जाता है और मशरूम की तरह नष्ट हो जाता है। यह वैचारिक मैक्रोकोसम से संज्ञानात्मक माइक्रोकोसम की ओर एक दिशात्मक बदलाव है। जब ऐसी संस्कृति विकसित होती है, तो एक सकारात्मक कदम उठाया जाता है

समावेशी और समतावादी समाज "।

पुट्टास्वामी में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, जिसमें समाज में व्यक्ति की स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

"*271.*समाज में सामाजिक वर्ग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति अंतरंगता और स्वायत्तता का हकदार है जो गोपनीयता की रक्षा करता है। यह एक आंतरिक और मुख्य विशेषता के रूप में गोपनीयता है
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो एक व्यक्ति को जबरन नसबंदी के कार्यक्रम के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाती है। फिर से, यह है

गोपनीयता जो एक शक्तिशाली गारंटी है यदि राज्य गैर-सहमति वाले पुरुषों या महिलाओं के अनिवार्य दवा परीक्षण शुरू करता है। विवाह की पवित्रता, प्रजनन की स्वतंत्रता, पारिवारिक जीवन का चुनाव और होने की गरिमा ऐसे मामले हैं जो सामाजिक स्तर या आर्थिक कल्याण की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को चिंतित करते हैं। खुशी की खोज स्वायत्तता पर आधारित है।

और गरिमा। दोनों गोपनीयता की आवश्यक विशेषताएं हैं जो व्यक्तियों के जन्म चिन्हों के बीच कोई अंतर नहीं करती हैं। *135*

57. इस न्यायालय के उन निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी होगा जिनमें संबंधों में विकल्पों के संबंध में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। नवतेज में, मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने उस व्यक्ति के अपमान पर प्रकाश डाला जब "उनके व्यक्तिगत क्षेत्र के भीतर के कार्यों" को प्रतिगामी सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अपराधी बनाया जाता हैः

"सदियों पुरानी सामाजिक धारणा के कारण अपने निजी क्षेत्र के भीतर कुछ कृत्यों में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति की पसंद को अपराधी बनाकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरह के एक आवश्यक निर्णय का उपयोग करना, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिवाद को परिभाषित करता है, इसे आपराधिकता के साथ कलंकित करके व्यक्ति के गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करेगा और इसे बिना किसी भावना के केवल अक्षरों तक सीमित कर देगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि "सहमति देने वाले वयस्कों" के बीच "अंतरंग संबंधों का संगठन" पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला है

135 आइबीआइडी।

पृष्ठ *484* पर जोसफ शाइन *v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

और "निजी सुरक्षात्मक क्षेत्र और व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता के क्षेत्र" को एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में वर्णित कियाः

"यह सच है कि चयन का सिद्धांत कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता है।

एक उदार संविधान के तहत और कानून एक व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है

विशेष रूप से सहमति देने वाले वयस्कों के बीच व्यक्तिगत पसंद। यह.
निजी सुरक्षा के दायरे में आने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अधिकार है

व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता का क्षेत्र और क्षेत्र। इस तरह

प्रगतिशील प्रवृत्ति की जड़ें संविधान में निहित हैं
संरचना और मानव स्वभाव का एक अटूट हिस्सा है।

(जोर दिया गया*)*

शक्ति वाहिनी में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद *19* और *21* के तहत एक साथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। शफीन जहां में, "अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों" को एक संरक्षित क्षेत्र माना गया था, जिसमें हम में से एक *(*जे चंद्रचूड़*)* ने कहा थाः

यह प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। की अंतरंगताएँ
विवाह गोपनीयता के एक मूल क्षेत्र के भीतर होता है, जो अलंघनीय है।

58. नवतेज में, हम में से एक *(*जे चंद्रचूड़*)* ने माना कि

यौन गोपनीयता एक प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता के लिए मौलिक और गरिमा की आत्मा है। धारा *497* का लागू होना इनका घोर उल्लंघन है।

अधिकारों का प्रतिपादन किया। क्या व्यभिचार को साबित करने के लिए एक परीक्षण पत्नी को अपनी निष्ठा का सबूत देने के लिए प्रेरित करेगा*?* नवतेज में इस सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट किया गया थाः

"सहमति से अंतरंगता की रक्षा करने के लिए, संविधान एक

सरल सिद्धांतः राज्य के पास इनमें घुसपैठ करने का कोई काम नहीं है

व्यक्तिगत मामले "।

जहाँ तक दो व्यक्ति सहमति के आधार पर कार्यों में संलग्न हैं, कानून हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस निजी क्षेत्र में कोई भी घुसपैठ स्वायत्तता और यौन एजेंसी से वंचित करने के बराबर होगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है।

पुट्टास्वामी में, यह माना गया था कि गरिमापूर्ण जीवन "मानव व्यक्तित्व के आंतरिक अंतराल" को "अवांछित घुसपैठ" से सुरक्षित रखता हैः

"*127.*निजता का अधिकार मानव गरिमा का एक तत्व है। द.
निजता की पवित्रता गरिमा के साथ इसके कार्यात्मक संबंध में निहित है।

निजता यह सुनिश्चित करती है कि एक व्यक्ति मानव व्यक्तित्व के आंतरिक अंतराल को सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

अवांछित घुसपैठ। निजता व्यक्ति की स्वायत्तता और जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले आवश्यक विकल्प चुनने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को मान्यता देती है। ऐसा करने में गोपनीयता यह स्वीकार करती है कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रताओं को पूरा करने के लिए एक इंसान के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना आवश्यक है जो स्वतंत्रता की आधारशिला हैं।

संविधान "। *136*

59. व्यभिचार को अपराध घोषित करने में, विधायिका ने अपने जीवनसाथी की कामुकता पर एक पुरुष द्वारा नियंत्रण पर अपना अधिकार लगाया है। ऐसा करने में, वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहता है

21. धारा *497* एक महिला को उसकी स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता से वंचित करती है। यह विवाह की धारणा को अपनाकर उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण को बढ़ाता है जो सच्ची समानता को नष्ट करता है। एक पुरुष और एक महिला के रिश्ते के लिए एक लिंग पक्षपाती दृष्टिकोण को दंडात्मक कानून के प्रतिबंधों को उधार देकर समानता को नष्ट कर दिया जाता है। क़ानून भ्रमित करता है

वैवाहिक स्थिरता की रक्षा के लिए एक साधन के रूप में पितृत्ववाद। यह विवाह की पवित्रता को एक पदानुक्रमित क्रम के संदर्भ में परिभाषित करता है जो महिला के खिलाफ तिरछा है। कानून एक रिश्ते में भागीदारों को असमान आवाज देता है। इस फैसले में यौन स्वायत्तता के महत्व को एक ऐसे मूल्य के रूप में रेखांकित किया गया है जो अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।

एक रिश्ते में व्यक्तियों, चाहे विवाह के भीतर या बाहर, की एक वैध अपेक्षा होती है कि प्रत्येक दूसरे को साहचर्य और विकल्पों के लिए सम्मान का समान तत्व प्रदान करेगा। यौन स्वायत्तता के लिए सम्मान, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह पति और पत्नी के बीच समानता और उनमें से प्रत्येक द्वारा गरिमा की मान्यता पर आधारित है।

दूसरे से। कामुकता पर नियंत्रण प्रत्येक व्यक्ति में मानवीय तत्व से जुड़ा होता है। विवाह-चाहे वह संस्कार हो या अनुबंध, इसके परिणामस्वरूप एक पति या पत्नी की स्वायत्तता दूसरे को नहीं दी जाती है।

60. प्रत्येक व्यक्ति में विरासत के रूप में यौन स्वायत्तता की मान्यता और गोपनीयता और गरिमा के तत्वों का वैवाहिक स्थितियों और परिणामों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका पर असर पड़ता है।

संबंध। एक मौलिक कारण है जो व्यभिचार के अपराधीकरण के खिलाफ है। इसकी उत्पत्ति इस तथ्य में निहित है कि किसी कार्य को अपराधी बनाना बाहर के यौन संबंध के लिए एक वैध संवैधानिक प्रतिक्रिया नहीं है।

136 आइबीआइडी।

पृष्ठ *413* पर जोसफ शाइन *v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

शादी की तह। एक स्थायी वैवाहिक संबंध के दौरान व्यभिचार हो सकता है, और अक्सर रिश्ते के प्रति जीवनसाथी की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। कई मामलों में, विवाह के बाहर पति या पत्नी में से किसी एक के यौन संबंध वैवाहिक संबंध के अंत का कारण बन सकते हैं। लेकिन अन्य मामलों में, इस तरह का संबंध कारण नहीं हो सकता है, बल्कि वैवाहिक संबंध में पहले से मौजूद व्यवधान का परिणाम हो सकता है। अक्सर,

जो पति-पत्नी अपरिवर्तनीय रूप से अलग हो गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत कारणों से शादी के लिबास को जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए समाप्त हो गया है। अंतहीन लंबा

वैवाहिक संघर्षों के समाधान में कानून की देरी एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मानव अस्तित्व की वास्तविकताएँ इतनी जटिल हैं कि उन्हें सही और गलत की बंद श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता है और दंडात्मक कानून के प्रतिबंधों के साथ जो कुछ भी गलत माना जाता है, उसके अधीन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह कोई भी आचरण जो आपराधिक नहीं है, जरूरी नहीं कि नैतिक रूप से न्यायपूर्ण हो, सभी अनुचित आचरण आपराधिक गलत कार्य में पदोन्नत होने को उचित नहीं ठहराते हैं।

61. निःसंदिग्ध रूप से विवाह के कई पहलुओं को विनियमित करने में राज्य की वैध रुचि है। यही वह आधार है जिस पर राज्य

यह मुख्य रूप से अपनी नागरिक प्रकृति से संबंधित अधिकारों, अधिकारों और कर्तव्यों को विनियमित करता है। कानूनी मानदंड के पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा उल्लंघन विघटन या रद्द करने का आधार बन सकता है। जब राज्य इस तरह के कानून को लागू करता है और लागू करता है, तो वह इस धारणा पर ऐसा करता है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह का सामाजिक ताने-बाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा करने में, राज्य समान रूप से एक उदार संविधान के मानदंडों द्वारा शासित होता है जो गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को अपने मूल मूल्यों के रूप में महत्व देता है। राज्य के वैध उद्देश्यों को मान्यता दी जानी चाहिए, जो विवाह के ढांचे के भीतर कुछ कार्यों के लिए दंडात्मक प्रतिबंध लगाने तक विस्तारित हो सकते हैं। शारीरिक

और भावनात्मक दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता के उदाहरण हैं। भारतीय राज्य ने अन्य स्थितियों में वैध रूप से हस्तक्षेप किया है जैसे कि दहेज विरोधी कानून बनाकर या दहेज के लिए महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित अपराधों का निर्माण करके।

वैवाहिक संबंध। इसका कारण यह है कि यह आचरण को अपराधी बनाने के लिए राज्य के संप्रभु प्राधिकरण के लिए एक वैध सहारा है क्योंकि राज्य जिन कार्यों को प्रतिबंधित करता है वे मानव गरिमा के लिए हानिकारक हैं। महिलाओं के खिलाफ कुछ प्रकार के गलत कामों को अपराध बनाने में, राज्य प्रत्येक महिला के सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है। नतीजतन, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय *[2018] 11* एस. सी. आर. की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण और यहां तक कि राज्य के कर्तव्य पर भी सवाल नहीं उठाता है।

महिलाओं के मौलिक अधिकारों को असमान रूप से कुचले जाने से

सामाजिक संरचनाएँ। व्यभिचार एक अपराध के रूप में उस प्रतिमान के अनुरूप नहीं है। कुछ कृत्यों को अपराधी बनाने में, धारा *497* एक परिकल्पना पर आगे बढ़ी है जो महिलाओं की गरिमा के लिए गहरा अपमानजनक है। यह पितृत्ववाद में आधारित है, पितृसत्तात्मक मूल्यों की इच्छा रखता है और महिला को एक ऐसी स्थिति में अधीन करता है जहां कानून उसकी कामुकता की अवहेलना करता है। एक महिला की कामुकता उसके अलंघनीय मूल का हिस्सा है। न तो राज्य और न ही विवाह की संस्था इसका अपमान कर सकती है।

महिला को पीड़ित का दर्जा देकर और उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करके, व्यभिचार को दंडित करने का प्रावधान उपेक्षा करता है।

कुछ ऐसा जो मानव पहचान के लिए बुनियादी है। लैंगिकता पहचान की एक निश्चित अभिव्यक्ति है। अपनी कामुकता पर स्वायत्तता केंद्रीय रही है।

युगों के माध्यम से मानव के लिए आग्रह करता है। इसकी एक संवैधानिक नींव है जो स्वायत्तता के लिए आंतरिक है। इस मामले को देखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि धारा *497* समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

और स्वतंत्रता वास्तव में, अनुच्छेद *14* और *21* के दायरे में एक सार्थक जीवन जीने का अधिकार।

62. वास्तव में परिवर्तनकारी संविधान की विशेषता यह है कि यह सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है और जन्म देता है। एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में मानना

दूसरे की संपत्ति गरिमा के आदर्श के लिए अभिशाप है। धारा *497* आयु के आधार पर विवाहित महिला की व्यक्तिगत पहचान से इनकार करती है।

सामाजिक रूढ़िवादिता जो महिलाओं को उनके जीवनसाथी की संपत्ति के रूप में दर्शाती है। इन रूढ़ियों को तोड़ना और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना इस न्यायालय का कर्तव्य है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान नागरिक मानता है, चाहे इन क्षेत्रों को 'सार्वजनिक' या 'निजी' माना जाए। एच परिवर्तनकारी न्याय की ओर

63. संवैधानिक मूल्य कानून के अक्षर को अर्थ प्रदान करते हैं। अपनी परिवर्तनकारी दृष्टि के अनुसार, संविधान के पाठ में समय है

और फिर से, सत्ता की आधिपत्य संरचनाओं को चुनौती देने और अपने नागरिकों के लिए गरिमा और समानता के मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए व्याख्या की गई। देश में समान नागरिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक महिलाओं द्वारा लड़ी गई है। नारीवादियों ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है

भावी पीढ़ियों के लिए अधिक समतावादी अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए दुर्गम बाधाएं। हालाँकि, समानता की खोज जारी है। यद्यपि औपचारिक कानूनी प्रणाली में काफी हद तक सुधार हुआ है, महिलाओं के जीवन का एक पहलू है जहां उनकी अधीनता को ऐतिहासिक रूप से निंदा या उपचार से परे माना गया है। वह पहलू परिवार है। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जहाँ यह अधीनता जोसेफ शाइन *v* है।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

स्पष्ट रूप से, पितृसत्ता और रोमांटिक पितृत्ववाद की मजबूत संरचनाओं के साथ महिलाओं को समान अस्तित्व से कम में बांध दिया जाता है।

64. विक्टोरियन नैतिकता में कल्पना की गई व्यभिचार पर कानून, एक विवाहित महिला को अपने पति का अधिकार मानता हैः एक निष्क्रिय इकाई, जो अपने जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए एजेंसी से रहित है। यह प्रावधान केवल पति को हुए कथित नुकसान का निवारण करना चाहता है। यह धारणा विवाह में अनुमत कार्यों और महिलाओं की निष्क्रियता के बारे में रूढ़ियों पर आधारित है। केवल महिला जीवनसाथी से निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। यह

दोनों की कालातीत अवधारणा, एक महिला जिसने विवाह के साथ-साथ विवाह की संस्था में प्रवेश किया है, समानता, गरिमा और स्वायत्तता के संवैधानिक मूल्यों के विरोधी है। समानता के मौलिक अधिकार को लागू करने में, इस न्यायालय ने राज्य की कार्रवाई या कानून के खिलाफ एक जांच के रूप में नियोजित होने के लिए स्पष्ट मनमानेपन की एक परीक्षा विकसित की है जिसमें मनमौजी, तर्कहीनता के तत्व हैं या जिसमें पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत का अभाव है। वह सिद्धांत जिस पर धारा *497*

आराम एक विवाहित महिला की यौन विशिष्टता का संरक्षण है-उसके पति के लाभ के लिए, जो उसकी कामुकता का मालिक है। उल्लेखनीय है कि,

आपराधिक प्रावधान मंजूरी से छूट देता है यदि यौन कार्य पति की सहमति और मिलीभगत से किया गया था। धारा *497* के पितृसत्तात्मक आधार इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना बनाते हैं।

पितृसत्तात्मक आदेश के परिणामस्वरूप पीड़ित। धारा *497* ए है मौलिक समानता से इनकार करना इस धारणा को फिर से पुष्ट करता है कि महिलाएं विवाह में असमान भागीदार हैं; एक कानूनी क्रम में यौन कार्य के लिए स्वतंत्र रूप से सहमति देने में असमर्थ हैं जो उन्हें अपने जीवनसाथी की यौन संपत्ति के रूप में मानता है।

66. इस न्यायालय ने यौन गोपनीयता को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जो संविधान के तहत संरक्षित है। एक की यौन स्वतंत्रता को बांधने के लिए महिला और सहमति से संबंधों के अपराधीकरण की अनुमति देना इस अधिकार से इनकार है। धारा *497* एक विवाहित महिला को उसकी एजेंसी और पहचान से वंचित करती है, जो एक पितृसत्तात्मक को संरक्षित करने के लिए कानून के बल का उपयोग करती है।

विवाह की अवधारणा जो संवैधानिक नैतिकता के विपरीत हैः

"बेवफाई का जन्म उस दिन हुआ था जब यौन इच्छा के प्राकृतिक प्रवाह विवाह के कानूनी और औपचारिक स्थायित्व में बंधे थे; *[2018] 11* एस. सी. आर.

संतान और संपत्ति पर पुरुष नियंत्रण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में,

महिलाओं को निष्ठा की बेड़ियों में जंजीरों से बांध दिया गया था। *137*

संवैधानिक संरक्षण और स्वतंत्रताएँ संविधान के हर पहलू में व्याप्त हैं।

नागरिक जीवन-जहां तक संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन का संबंध है, निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों का चित्रण अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए, वैवाहिक संबंधों का अंतरंग व्यक्तिगत क्षेत्र भी संवैधानिक जांच से मुक्त नहीं है। यौन स्वायत्तता में कटौती करके जबरन महिला निष्ठा को लागू करना गरिमा और समानता के मौलिक अधिकार का अपमान है।

67. आपराधिक कानून संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए। व्यभिचार पर कानून विवाह के निर्माण को लागू करता है जहाँ एक साथी हो।

अपनी यौन स्वायत्तता को दूसरे को सौंपना है। स्वतंत्रता, गरिमा और समानता की संवैधानिक गारंटी के विरोधी होने के कारण, धारा *497* संवैधानिक रूप से पारित नहीं होती है। हम मानते हैं और घोषणा करते हैं किः

धारा *497* में पर्याप्त रूप से निर्धारित करने वाले सिद्धांत का अभाव है -

1)

सहमति से यौन गतिविधि को अपराधी बनाना और स्पष्ट रूप से है

मनमाना। धारा *497* मौलिक समानता से इनकार करती है क्योंकि यह विवाह और समाज में महिलाओं को दिए गए अधीनस्थ दर्जे को कायम रखती है। धारा *497* अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है।

संविधान*;*

2) धारा *497* महिलाओं की भूमिका के बारे में लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित है और संविधान के अनुच्छेद *15* में सन्निहित गैर-भेदभाव सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

3) धारा *497* गरिमा, स्वतंत्रता, निजता और यौन स्वायत्तता की संवैधानिक गारंटी से इनकार करती है।

संविधान के अनुच्छेद *21* के अंतर्गत*;* और

धारा *497* असंवैधानिक है।

4)

सौमित्र विष्णु और रेवती के फैसलों को खारिज कर दिया जाता है।

इंदु मल्होत्रा, जे. *1.* वर्तमान रिट याचिका है

भारतीय दंड संहिता की धारा *497 (*इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित*)* की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है जो 'व्यभिचार' को एक अपराध बनाता है।

137 निवेदिता मेनन, सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, ज़ुबान बुक्स *(2012)* पृष्ठ *135* पर*;* उद्धृत करते हुए

अर्चना वर्मा, स्त्री विमर्ष के महोत्सव *(2010)*

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

आपराधिक अपराध, और पाँच साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा निर्धारित करता है। धारा *497* निम्नानुसार हैः

"497. व्यभिचार-जो किसी के साथ यौन संबंध रखता है।

वह व्यक्ति जो है और जिसे वह जानता है या जिसके पास विश्वास करने का कारण है

सहमति के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना या

उस आदमी की मिलीभगत, इस तरह का यौन संबंध नहीं

बलात्कार के अपराध के बराबर, व्यभिचार के अपराध का दोषी है, और दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा।

ऐसी अवधि के लिए विवरण जो पाँच वर्ष तक बढ़ सकती है, या
ठीक के साथ, या दोनों के साथ। ऐसी स्थिति में पत्नी नहीं होगी

उकसाने वाले के रूप में दंडनीय "।

2. याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, *1973 (*इसके बाद *"Cr.P.C"* के रूप में संदर्भित*)* की धारा *198 (2)* को भी चुनौती दी है। धारा *198 (2)* निम्नानुसार हैः

"उप-धारा *(1)* के प्रयोजन के लिए महिला के पति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति व्यथित नहीं समझा जाएगा।

धारा *497* या धारा *498* के तहत दंडनीय किसी भी अपराध द्वारा

उक्त संहिता का।
बशर्ते कि पति की अनुपस्थिति में, कोई व्यक्ति

जिसने उस समय अपनी ओर से महिला की देखभाल की थी जब ऐसा अपराध किया गया था, वह न्यायालय की अनुमति से,

उसकी ओर से शिकायत करें।

3. 'व्यभिचार' *1* शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है।

अपने पति के साथ विवाह के बाहर संबंध रखने को 'व्यभिचार' कहा जाता था। व्यभिचार की यह परिभाषा विक्टोरियन नैतिकता के ऐतिहासिक संदर्भ से निकली है, जिसमें एक महिला को अपने पति की 'संपत्ति' माना जाता है और अपराध केवल व्यभिचारी पुरुष द्वारा किया जाता था। व्यभिचारिणी महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी

'सहायक', भले ही रिश्ता सहमति से था।

4. आवरण का दस्तावेज

व्यभिचार, एक अपराध के रूप में, इंग्लैंड में सामान्य कानून के तहत अपराध नहीं था। यह चर्च की अदालतों द्वारा दंडनीय था जो प्रयोग करते थे

1 द न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, डीलक्स एनसाइक्लोपेडिक एडिशन, ट्राइडेंट प्रेस इंटरनेशनल *(1996* संस्करण*)* पृष्ठ *21* पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संस्कार संबंधी मामलों पर अधिकार क्षेत्र जिसमें विवाह, अलगाव, वैधता, व्यक्तिगत संपत्ति का उत्तराधिकार आदि शामिल थे। *2.*

इंग्लैंड में, गुप्तता ने सामान्य कानून के तहत विवाहित महिलाओं के अधिकारों को निर्धारित किया। एक 'फीमेसोल' शादी के बाद 'फीमेकोवर्ट' में बदल जाता है। महिला गुप्त 'व्यक्तियों की एकता' के सिद्धांत पर आधारित थी-यानी पति और पत्नी एक ही कानूनी पहचान थे। यह बाइबिल की नैतिकता की धारणाओं पर आधारित था कि एक पति और पत्नी 'मांस और रक्त में एक' थे। 'गुप्तता' का प्रभाव यह था कि एक विवाहित महिला के कानूनी अधिकारों को उसके पति द्वारा समाहित कर लिया गया था। एक विवाहित महिला संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती थी, कानूनी दस्तावेजों को निष्पादित नहीं कर सकती थी, अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकती थी, या अपने पति की इच्छा के खिलाफ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, या अपने लिए वेतन नहीं रख सकती थी। *3 3*

इंग्लैंड के कानूनों पर विलियम ब्लैकस्टोन की टिप्पणियों में 'आवरण' के सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार किया गया था: *4*

"विवाह द्वारा, पति और पत्नी एक ही व्यक्ति होते हैं:

अर्थात्, महिला का अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व है

विवाह के दौरान निलंबित, या कम से कम शामिल किया जाता है

और पति में समेकित किया गया: जिसके पंखों के नीचे,

सुरक्षा, और कवर, वह सब कुछ करती है; और है

उसके पति, उसके बैरन, या स्वामी; और उसके दौरान उसकी स्थिति
उसकी शादी को उसका आवरण कहा जाता है। इस सिद्धांत पर, पति और पत्नी में व्यक्ति के मिलन का, लगभग सभी पर निर्भर करता है

कानूनी अधिकार, कर्तव्य और अक्षमताएँ, जो उनमें से किसी एक को विवाह द्वारा प्राप्त होती हैं। मैं वर्तमान में संपत्ति के अधिकारों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उन अधिकारों के बारे में बोल रहा हूं जो केवल व्यक्तिगत हैं। इसके लिए

कारण, एक आदमी अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे सकता है, या प्रवेश कर सकता है

उसके साथ वाचा में अनुदान के लिए यह माना जाएगा कि

उसका अलग अस्तित्व; और उसके साथ वाचा के लिए, होगा

केवल अपने साथ वाचा करने के लिए: इसलिए यह भी

2 ऑथवेट, आर. बी. *(2007)*। अंग्रेजी सांप्रदायिक न्यायालयों का उदय और पतन, *1500*

1860. कैम्ब्रिज, ब्रिटेन: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस

3 3 फर्नांडीज, एंजेला रीव, नाथन डेन और जेम्स केंट को टैप कर रहे हैंः वैवाहिक एकता पर तीन लुप्तप्राय संघवादी "। विवाहित महिलाएँ और कानूनः इंग्लैंड एंड द कॉमन लॉ वर्ल्ड में आवरण, टिम स्ट्रेटन और क्रिस्टा जे. केसेलरिंग द्वारा संपादित,

मैकगिल-क्वीन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, *2013*, पीपी। *192-216 .*

4 इंग्लैंड के कानूनों पर ब्लैकस्टोन की टिप्पणियां, पुस्तकें *III* और *IV (8aEdn.)*

, 1778 जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

आम तौर पर यह सच है कि पति और पत्नी के बीच किए गए सभी अनुबंध

पत्नी, जब अविवाहित होती है, तो अंतर-विवाह से अलग हो जाती है।

(जोर दिया गया*)*

इस आधार पर, एक पत्नी के लिए कोई व्यक्तिगत कानूनी दायित्व नहीं था

उसके कुकर्म, क्योंकि यह कानूनी रूप से माना जाता था कि वह अपने पति के आदेश के तहत काम कर रही थी, और आम तौर पर एक पति और पत्नी को एक-दूसरे के पक्ष या खिलाफ गवाही देने की अनुमति नहीं थी।

ब्रैक्टन *3* जैसे मध्यकालीन कानूनी ग्रंथों में प्रकृति का वर्णन किया गया है।

'गुप्तता' और विवाहित महिलाओं के कानूनी कार्यों पर इसका प्रभाव। ब्रैक्टन *(ऊपर)* में कहा गया है कि पति अपनी पत्नियों पर अधिकार रखते थे, जो उनके 'शासक' और 'उनकी संपत्ति के संरक्षक' थे। विवाह की संस्था धार्मिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती थी। इसने पत्नियों को अपने पतियों की छाया में रहने के लिए मजबूर कर दिया, जो कानून के लिए लगभग 'अदृश्य' थी।

जोड़े के पूरे विवाह के दौरान गुप्तता का सिद्धांत बना रहा। दीवानी अदालतों के माध्यम से तलाक प्राप्त करना संभव नहीं था, जिन्होंने चर्च के अधिकार क्षेत्र में आक्रमण करने से इनकार कर दिया। तलाक लेने के लिए व्यभिचार ही एकमात्र आधार था।

सामान्य कानून के तहत व्यभिचार की उत्पत्ति पर अंग्रेजी मामले प्रिचर्ड बनाम में चर्चा की गई थी। प्रिचर्ड और सिम्स ", जिसमें यह माना गया था किः

" 1857 में, जब इंग्लैंड में विवाह अभी भी एक मिलन था

जीवन जिसे केवल संसद के निजी अधिनियम द्वारा तोड़ा जा सकता था,

सामान्य कानून के तहत, कार्रवाई के तीन अलग-अलग कारण

एक ऐसे पति के लिए उपलब्ध है जिसके पत्नी में अधिकारों का उल्लंघन किया गया था

किसी तीसरे पक्ष द्वारा, जिसने उसे बहकाया, या जिसने उसे शरण दी
उसे या जिसने उसके साथ व्यभिचार किया। के लिए कार्रवाई

व्यभिचार, जिसे आपराधिक बातचीत के रूप में जाना जाता है, जो

ब्रैक्टन के समय से पहले, और इसके परिणामस्वरूप मूल रूप से

अनाचार में, व्यभिचार का कार्य ही कार्रवाई का कारण था
और बड़े पैमाने पर नुकसान दंडात्मक है। यह निर्धारित करता है कि क्या व्यभिचार

जिसके परिणामस्वरूप पति ने अपनी पत्नी के समाज और सेवाओं को खो दिया
या नहीं। कार्रवाई के तीनों कारण इस पर आधारित थे

पति को सामान्य कानून द्वारा दी गई मान्यता

5 ब्रैक्टनः डी लेजिबस एट कन्सुएटुडिनिबस एंग्लिया *(*इंग्लैंड के कानूनों और रीति-रिवाजों पर ब्रैक्टन, ब्रैटन के हेनरी को जिम्मेदार ठहराया गया, सी। *1210-1268)* खण्ड *III*, पृष्ठ। *115*

एच. टी. पी. पर उपलब्धः //ब्रैक्टन। कानून। हार्वर्ड। ई. डी. यू./सूचकांक। एचटीएमएल

6 [1966] 3 सभी ई. आर. *601 [2018] 11* एस. सी. आर.

स्वामित्व जो उसकी होती अगर वह महिला होती

एकमात्र "।

(जोर दिया गया*)*

विक्टोरियन युग में, महिलाओं को बुनियादी व्यायाम से वंचित कर दिया गया था।

अधिकार और स्वतंत्रताएँ, और उनकी पसंद पर बहुत कम स्वायत्तता थी। उनकी स्थिति भूमि, मवेशियों और फसल के साथ समान थी; विवाह से पहले बेटियों के रूप में उनके पिता की 'संपत्ति' का एक हिस्सा, और उनके पति की 'संपत्ति' के रूप में-विवाह। *3.*

लॉर्ड विल्सन ने अपने भाषण में "अपनी छाया से बाहरः लंबा।

अंग्रेजी कानून के तहत पत्नियों का संघर्ष "इस युग के दौरान महिलाओं की दुर्दशा की बात करता हैः

"*8.* पत्नी के छिपने का एक संबद्ध परिणाम यह था कि

वह कानूनी रूप से अनुबंध करने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा

कुछ और, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी जिसके खिलाफ उसे लागू करना था
एक अनुबंध के तहत भुगतान के लिए उसके खिलाफ कोई आदेश; तो यह

कानून के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए केवल एक छोटा कदम था कि उसने किया

पहले अनुबंध में प्रवेश करने की क्षमता नहीं है

जगह। अगर, हालांकि, पत्नी एक दुकान में गई और आदेश दिया

भोजन या कपड़ों के बारे में कहें, जिन्हें कानून के अनुसार माना जाता है

परिवार के लिए आवश्यक, कानून कल्पित, जब तक कि
पति ने इसके विपरीत साबित किया कि उसने प्रवेश किया था

उसके अधिकृत अभिकर्ता के रूप में अनुबंध। तो दुकानदार

अगर पत्नी ने सामान प्राप्त कर लिया होता तो वह उस पर कीमत के लिए मुकदमा कर सकता था

ऋण पर।
9. सत्रहवीं शताब्दी में एक विकास हुआ था

उन्हें छोड़ दिया। कानून ने यह कहना शुरू कर दिया कि, अगर एक परित्यक्त पत्नी
व्यभिचार नहीं किया था, वह उससे खरीद सकती थी

दुकानदार ऐसे सभी सामान जो उसके लिए आवश्यक थे और,

भले ही *(*जैसा कि अत्यधिक संभावना थी*)* पति अधिकृत नहीं था

7 1807 - 1901 ए. डी. *8* मार्गोट फिन *(1996)*। महिला, इंग्लैंड में उपभोग और आवरण, सी। *1760-1860 .*

द हिस्टोरिकल जर्नल, *39*, पीपी *703-722*

9 9 को लॉर्ड विल्सन द्वारा दिया गया ऑक्सफोर्डशायर के उच्च शेरिफ का वार्षिक कानून व्याख्यान

अक्टूबर *2012*

यहाँ उपलब्ध है: *HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। यूके*/*डॉक्स*/*स्पीच*-121009*।

उसे उन्हें खरीदने के लिए, वह दुकानदार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था

उन्हें। लेकिन दुकानदार को एक समस्या थी। वह कैसे था*?*

पता है कि काउंटर पर पत्नी को छोड़ दिया गया था या नहीं

और व्यभिचार नहीं किया था*?* कभी-कभी पति भी

स्थानीय समाचार पत्र में इस प्रभाव के लिए एक सूचना दी, सही या

असत्य, कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था या उसने ऐसा किया था

व्यभिचार और कि तदनुसार वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा

उसकी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए।

'आवरण' के अवशेषों ने परिचय के लिए बीज बोए

इंग्लैंड में अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ एक पति द्वारा कार्रवाई योग्य यातना के रूप में 'आपराधिक वार्तालाप'।

आपराधिक वार्तालाप एक अपकृत्य के रूप में, एक विवाहित पुरुष को अधिकार दिया

उस आदमी के खिलाफ हर्जाने का दावा करें जिसने अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए थे। इस रिश्ते के लिए पत्नी की सहमति, उसके पति के खिलाफ मुकदमा करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती थी।

वैवाहिक गलतियों की कानूनी स्थिति एक महत्वपूर्ण स्थिति से गुजरी

इंग्लैंड में वैवाहिक कारण अधिनियम, *1857* के पारित होने के साथ परिवर्तन इस अधिनियम की धारा *59* ने "आपराधिक बातचीत" के लिए सामान्य कानून कार्रवाई को समाप्त कर दिया। धारा *33* अदालतों को व्यभिचार के लिए प्रेमी के पति को हर्जाना देने का अधिकार देती है। *1 2* व्यभिचार के लिए हर्जाने के दावे का मुकदमा उन्हीं सिद्धांतों पर और उसी तरह से चलाया जाना था, जैसे 'आपराधिक बातचीत' के लिए कार्रवाई जो पहले सामान्य कानून, *13* में की गई थी।

10 वैवाहिक कारण अधिनियम *1857; 1857 (20* और *21* पीड़ित*)* सी. *85 1 1 11* सूची। आपराधिक बातचीत के लिए कोई कार्रवाई नहीं

इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई कार्रवाई बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

आपराधिक वार्तालाप के लिए इंग्लैंड "।

1 2 XXXIII। पति व्यभिचारी से नुकसान का दावा कर सकता है:

कोई भी पति या तो विवाह विच्छेद या न्यायिक याचिका दायर कर सकता है।

पृथक्करण, या केवल ऐसी वस्तु तक सीमित याचिका में, किसी से भी नुकसान का दावा करता है ऐसे याचिकाकर्ता की पत्नी के साथ व्यभिचार करने के आधार पर व्यक्ति,

न्यायालय ऐसी सेवा को समाप्त कर देगा या किसी अन्य सेवा को प्रतिस्थापित करने का निर्देश देगा। और ऐसी प्रत्येक याचिका द्वारा किए गए दावे पर सुनवाई की जाएगी और उसी पर मुकदमा चलाया जाएगा।

सिद्धांत, उसी तरीके से, और उसी या समान नियमों और विनियमों के अधीन

क्योंकि आपराधिक बातचीत के लिए कार्रवाई अब आम अदालतों में की जाती है और निर्णय लिया जाता है

कानून; और यहाँ सभी अधिनियम सुनवाई और निर्णय के संदर्भ में शामिल हैं।

न्यायालयों में याचिकाओं की संख्या, जहाँ तक आवश्यक हो, के लिए लागू मानी जाएगी

इस अधिनियम के तहत प्रस्तुत याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय।

"}

13 आईडी.

हालाँकि, वैवाहिक कारण अधिनियम, *1857* के पारित होने के बाद भी पत्नी की स्थिति 'पति की संपत्ति' के रूप में बनी रही, क्योंकि महिलाओं को अपने व्यभिचारी पति या उसके पति पर मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं था।

परमोर।

इंग्लैंड में वैवाहिक कारण अधिनियम, *1923* के पारित होने के साथ पति-पत्नी के बीच लैंगिक समानता को कुछ हद तक मान्यता मिली, जिसने व्यभिचार को केवल वयस्क पत्नी के पति के बजाय दोनों पति-पत्नियों के लिए तलाक का आधार बना दिया। पति को अपनी पत्नी के प्रेमी से हर्जाने का दावा करने का अधिकार मिला

1970 के विधि सुधार *(*विविध प्रावधान*)* अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया *1* जनवरी *1971* को। इंग्लैंड में, व्यभिचार हमेशा एक नागरिक गलत रहा है, न कि एक दंडात्मक अपराध।

5 .

धारा *497*-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

5.1 . भारत में प्रचलित भारतीय-ब्राह्मण परंपराओं ने एक महिला की शुद्धता को उसके प्रमुख गुण के रूप में माना जाना अनिवार्य कर दिया, ताकि पुरुष रक्तरेखा की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

इसका उद्देश्य न केवल महिला की शारीरिक अखंडता की रक्षा करना था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि पति महिला पर नियंत्रण बनाए रखे।

कामुकता, शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 'शुद्धता' की पुष्टि

उसकी अपनी रक्तरेखा। *14*

5.2 . 1837 में भारतीय विधि आयोग द्वारा जारी आई. पी. सी. के पहले मसौदे में "व्यभिचार" को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया था। लॉर्ड मैकाले का विचार था कि व्यभिचार या वैवाहिक बेवफाई

पक्षों के बीच एक निजी गलती थी, न कि एक अपराधी

अपराध। *15*

हालाँकि, लॉर्ड मैकाले के विचारों को विधि आयोग के अन्य सदस्यों द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो थे

राय है कि सामान्य कानून के तहत 'व्यभिचार' के लिए मौजूदा उपाय 'गरीब मूल निवासियों' के लिए अपर्याप्त होगा, जो

अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ कोई सहारा नहीं होगा। *1 6*

14 उमा चक्रवर्ती, नारीवादी लेंस, स्ट्रीट प्रकाशनों के माध्यम से जाति का प्रतिपादन

(2003) पृष्ठ *71* पर।

15 156 भारतीय दंड संहिता पर रिपोर्ट *(*खंड। *I)* पैरा *9.43* पर भारत के विधि आयोग

पृष्ठ *169* पर

यहाँ उपलब्ध हैः एचटीटीपीः *//*भारत का विधि आयोग। ठीक है। में*/101-169 156Voll* की रिपोर्ट करें। पीडीएफ

16 भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार एक दंड संहिता, *(1838),* द्वितीय

भारतीय दंड संहिता पर रिपोर्ट जोसफ शाइन *v.*

भारत संघ *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

3. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या 'व्यभिचार' भारत में एक आपराधिक अपराध होना चाहिए, जो बहस हुई थी, उसे 'भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार एक दंड संहिता' के 'नोट क्यू' में दर्ज किया गया था। व्यभिचार की सजा के लिए मौजूदा कानून *1 8* को पूरी तरह से अप्रभावी माना गया था।

घायल पति को मामले को अपने हाथों में लेने से रोकना।

विधि आयुक्तों ने माना कि

'व्यभिचार' को आपराधिक अपराध मानते हुए, यह मंजूरी दे सकता है

अनैतिकता। रिपोर्ट *1 9* में कहा गया हैः

कुछ लोग जो यह स्वीकार करते हैं कि दंडात्मक कानून अब इस पर मौजूद है

सोचिए कि ऐसा प्रावधान, हालांकि इसके लिए अप्रभावी है बुराई का दमन, भारतीय के लिए श्रेयस्कर होगा

सरकार, और इस तरह के प्रावधान को हटाकर हमें अनैतिकता को मंजूरी देनी चाहिए। वे कहते हैं, और हम विश्वास करते हैं

सच है, कि मूल निवासियों का उच्च वर्ग मौजूदा पर विचार करता है

इस विषय पर दंडात्मक कानून बहुत अधिक उदार है, और यह समझने में असमर्थ हैं कि व्यभिचार के साथ किस सिद्धांत पर अधिक व्यवहार किया जाता है

जालसाजी या झूठी गवाही की तुलना में कोमलता।

..... जिसे भारत के मूल निवासियों के कुछ वर्ग अस्वीकार करते हैं

जिस नरमी के साथ व्यभिचार को अब दंडित किया जाता है हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी राय में यह इसके खिलाफ एक मजबूत तर्क है

व्यभिचार को बिल्कुल भी दंडित करना। केवल दो पाठ्यक्रम हैं जो

हमारी राय में इस संबंध में उचित रूप से पालन किया जा सकता है

और अन्य महान अनैतिकताएँ। उन्हें बहुत सजा मिलनी चाहिए।

गंभीर रूप से, या उन्हें बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। द.

ऐसी स्थिति जिसमें उन्हें पूरी तरह से दंडित नहीं किया जाता है

यह साबित नहीं करता है कि विधानमंडल उनका सम्मान नहीं करता है

अस्वीकृति। लेकिन जब उन्हें दंडनीय बनाया जाता है

भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार की गई संहिता, *(1838)*, नोट्स ऑफ लॉर्ड

बैबिंगटन मैकाले, नोट क्यू है

औपनिवेशिक क्षेत्रों में व्यभिचार को नियंत्रित करने के लिए विनियमन *XVII 17* और *1819* के विनियमन *VII* में निर्धारित किया गया था; विधि आयुक्तों ने देखा कि साक्ष्य और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं लोगों को निवारण की मांग करने से रोकती हैं। भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार अल कोड, *(1838)*, द सेकंड

आर. टी. भारतीय दंड संहिता *[2018] 11* एस. सी. आर.

सजा की गंभीरता की डिग्री पर हमेशा विचार किया जाएगा।

अस्वीकृति की डिग्री का संकेत देते हुए जिसके साथ

विधायिका उनका सम्मान करती है। हमें कोई संदेह नहीं है कि मूल निवासी

दंड की पूरी खामोशी से बहुत कम हैरान होंगे एक व्यभिचारी को देखने के बजाय व्यभिचार को छूने वाला कानून

कुछ महीनों के लिए जेल जबकि एक सिक्का बनाने वाले के लिए जेल है

चौदह साल "।

(जोर दिया गया*)*

विधि आयुक्तों ने अपनी रिपोर्ट *(*ऊपर*)* में आगे कहाः

..... जनसंख्या दो वर्गों में विभाजित प्रतीत होती है -

जिन्हें न तो मौजूदा सजा है और न ही कोई

जिस सजा में हमें खुद को उचित महसूस करना चाहिए

प्रस्ताव देने से संतुष्टि होगी, और जो चोट पर विचार करते हैं व्यभिचार द्वारा उत्पन्न किया गया जिसके लिए एक आर्थिक

सम्मान की उनकी बेवफाई से दर्दनाक रूप से प्रभावित होते हैं पत्नियाँ न्यायाधिकरणों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होंगी। जिनका

भावनाएँ कम नाजुक होती हैं जो भुगतान से संतुष्ट होंगी

पैसा। ऐसी परिस्थितियों में हम इलाज करना सबसे अच्छा समझते हैं।

व्यभिचार केवल एक नागरिक चोट के रूप में।

..... किसी भी निकाय का प्रस्ताव नहीं है कि व्यभिचार को दंडित किया जाना चाहिए

एक गंभीरता जो उस दुख के अनुपात में होती है जो यह पैदा करता है

इस तरह के गलत के लिए प्रायश्चित के रूप में माना जाता है। ऐसी स्थिति में समाज के बारे में हम सोचते हैं कि यह कहीं बेहतर है कि कानून को कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए

उस सजा से अधिक जो उसे दी जानी चाहिए

बेतुका और अनैतिक रूप से उदार माना जाएगा।

(जोर दिया गया*)*

विधि आयुक्तों ने इसमें महिलाओं की दुर्दशा पर विचार किया।

y, जो फ्रांस में महिलाओं की तुलना में बहुत खराब था और

डी '। नोट क्यू *'(*सुरपा*)* इसे दंड न देने के कारण के रूप में दर्ज करता है।

एन व्यभिचार के अपराध के लिए।

'नोट क्यू' का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"एक और विचार है जो हम पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं।

नज़रों से दूर रहें। हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे प्रिय जोसेफ शाइन वी।

भारत संघ *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

महिलाओं की पवित्रता, और विवाह अनुबंध की पवित्रता, हम यह महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि इसमें कुछ विशिष्टताएँ हैं

इस देश में समाज की स्थिति जो अच्छी तरह से एक मानवीय नेतृत्व कर सकती है

दुख की बात है कि इंग्लैंड की महिलाओं से बहुत अलग है और फ्रांस। वे शादीशुदा हैं जबकि अभी भी बच्चे हैं। वे हैं।

अक्सर छोटी उम्र में ही अन्य पत्नियों की उपेक्षा की जाती है। वे साझा करते हैं।

कई प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक पति का ध्यान *(*एसआईसी*)*। बनाने के लिए

पत्नी की असंयम को दंडित करने के लिए कानून जबकि कानून

अपने जेनाना को भरने के लिए पति के विशेषाधिकार को स्वीकार करता है

महिलाएं, एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे हम अपनाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक हैं। हम. कानून द्वारा हमला करने के बारे में सोचने के लिए इतने दूरदर्शी नहीं हैं

इस देश के लोगों के शिष्टाचार में इतनी गहराई से निहित है

बहुविवाह के रूप में। हम इसे धीमी गति पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम निश्चित पर भरोसा करते हैं शिक्षा और समय का संचालन। लेकिन जब यह मौजूद है, जबकि

यह अपने कभी न विफल होने वाले प्रभावों का उत्पादन करना जारी रखता है

महिलाओं की खुशी और सम्मान, हम इच्छुक नहीं हैं पहले से ही बहुत अधिक अवसादग्रस्त पैमाने में फेंकने के लिए

जो हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि इस विषय पर कोई भी अधिनियम नासमझी होगी। और हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि यदि नहीं

अशुभ यह दमनकारी होगा। इससे हाथ मजबूत होंगे।

पहले से ही बहुत मजबूत। यह पहले से ही बहुत कमजोर वर्ग को कमजोर कर देगा।

यह वैवाहिक अनुबंध की रक्षा करने के लिए पर्याप्त समय होगा

दंडात्मक प्रतिबंध जब वह अनुबंध न्यायपूर्ण, उचित हो जाता है,

और पारस्परिक रूप से लाभदायक। ”

(जोर दिया गया*)*

एल स्लीमैन ने विषय पर विधि आयुक्तों के तर्क का विरोध किया। व्यभिचार के मामलों में निवारण का सहारा लेने के लिए 'मूल निवासियों का पिछड़ेपन', पूरी तरह से निराशा से उत्पन्न हुआ

आर एक दोषसिद्धि प्राप्त करने का हिस्सा है। उनका विचार था कि अगर व्यभिचार

अपराध होने पर, व्यभिचारी पत्नियाँ ही अपने पतियों का खामियाजा भुगतेंगी। उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है या जहर भी दिया जा सकता है। व्यभिचार जैसे उसके अपराध अक्षम्य थे और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। एल स्लीमैन ने देखाः

"दंड संहिता की खामोशी और भी अधिक दंड से मुक्ति देगी

प्रलोभन देने वालों को, जबकि उनके पीड़ितों को, *[2018] 11* एस. सी. आर. में से तीन मामलों में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चार, हत्या की जाए, या आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाए। कहाँ*?*

पतियों को अपनी दोषी पत्नियों को जहर देने की आदत होती है

निवारण के कानूनी साधनों की कमी के कारण, वे कभी-कभी

उन लोगों को जहर दें जिन पर अपर्याप्त आधारों पर संदेह है,

और निर्दोष लोग पीड़ित होंगे।

..... कभी-कभी सबसे गरीब लोग आर्थिक मदद लेने से इनकार कर देते हैं।

क्षतिपूर्ति; लेकिन आम तौर पर वे क्या पाने के लिए खुश होंगे

यह दूसरी शादी के खर्चों को चुकाने के लिए पर्याप्त है। वे. व्यभिचार में जीने की हिम्मत न करें, अगर वे ऐसा करते तो वे निर्वासित हो जाते;

उनकी शादी उनकी जाति के अनुसार होनी चाहिए,

और यह उचित है कि पत्नी का प्रलोभक होना चाहिए

अमीर, निश्चित रूप से, हमेशा आर्थिक मुआवजे से इनकार करेंगे, और उसी कारण से कि वे कभी मुकदमा नहीं चलाएंगे

दीवानी अदालत में प्रलोभन देने वाला। गरीब ऐसा कभी नहीं कर सकते थे

ऐसी अदालत में मुकदमा चलाएँ; और, जैसा कि मैंने कहा है,

पति और पिता को बदला लेने से रोक सकते हैं महिलाओं को छोड़कर।

"20

*(*जोर दिया गया*)*

कानून की सिफारिश के साथ यह बहस

भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा जारीकर्ताओं पर विचार किया गया था जबकि

छ. भारतीय दंड संहिता।

4. इस पर चर्चा से प्रासंगिक उद्धरण कि क्या

व्यभिचार का अपराधीकरण इस प्रकार थाः

"हमने देखा है कि व्यभिचार को अपराध माना जाता है

सभी राष्ट्रपतियों के मौजूदा कानूनों द्वारा, और यह कि एक अधिनियम हाल ही में भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा पारित किया गया है

अपराध की सजा को विनियमित करने के लिए परिषद

बॉम्बे क्षेत्र। व्यभिचार दंड संहिता द्वारा दंडनीय है।

फ्रांस से। यह लुइसियाना संहिता में प्रदान किया गया है। द.

इस विषय पर श्री लिविंगस्टन की टिप्पणियां निम्नलिखित हैं।

"क्या व्यभिचार को अपराध माना जाना चाहिए

भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार अल कोड, *(1838),* द सेकंड

भारतीय दंड संहिता पर आर. टी. जोसेफ शाइन *v.*

भारत संघ *[इंदु मल्होत्रा, जे.]*

सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ, या नागरिक के संचालन के लिए छोड़ दिया गया कानून, बहुत चर्चा का विषय रहा है। जहाँ तक मुझे सूचित किया गया है, यह अंग्रेजों को छोड़कर सभी देशों के दंडात्मक कानून में शामिल है और उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध वकीलों ने इस चूक को एक दोष माना है।

न तो इस कृत्य की अनैतिकता, और न ही महिलाओं की खुशी पर इसके हानिकारक परिणाम, और बहुत

अक्सर समाज की शांति और उसके सदस्यों के जीवन पर, इनकार किया जा सकता है। फिर इसे दंडित न किए जाने का कारण बहुत स्पष्ट नहीं लगता है। यह स्पष्ट रूप से उस प्रकृति में से एक है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, जिसमें घायल पक्ष की नाराजगी उसे अपने हाथों में बदला लेने और एक बड़ा अपराध करने के लिए प्रेरित करेगी, अगर उसके देश के कानून कम को दंडित करने से इनकार करते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, और कोई भी कानून इसे बदल नहीं सकता है, खुद को बचाने के लिए जहां कानून उनकी सहायता से इनकार करते हैं; बहुत बार जहां वे नहीं करते हैं; लेकिन जहां वे चोट से सुरक्षा नहीं देंगे, वह है

व्यर्थ कि वे उसे दंडित करने का प्रयास करते हैं जो अपनी शक्ति से उनकी क्षमा प्रदान करता है। जहाँ कानून इस अपराध को दंडित करने से इनकार करता है, वहाँ घायल पक्ष अपने लिए ऐसा करेगा, वह सार्वजनिक शांति को तोड़ देगा, और सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध करेगा, और उसे शायद ही कभी या कभी दंडित किया जाता है। हमले, द्वंद्व, हत्याएँ, ज़हर, परिणाम होंगे। उन्हें रोका नहीं जा सकता है; लेकिन, शायद,

उस अपराध को दंडित करने के लिए कानून की सहायता देने से, जिसका वे बदला लेने का इरादा रखते हैं, वे कम बार होंगे; और यह, अपराध को हटाने से होगा।

नृशंस कृत्यों के लिए बहाना, एक बड़े पैमाने पर उस सजा को सुनिश्चित करता है जिसके वे हकदार हैं। इन लोगों के लिए

कारण है कि व्यभिचार का अपराध इस शीर्षक का एक अध्याय है। इस विषय पर परिपक्व विचार करने के बाद, हम कुछ हिचकिचाहट के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस अपराध को संहिता से बाहर करना उचित नहीं है। हम सोचते हैं कि इसे एक विषय के रूप में जारी रखने के कारण

आपराधिक न्यायालयों का संज्ञान महत्वपूर्ण है। … .....

..... जबकि हम सोचते हैं कि व्यभिचार के अपराध को संहिता से हटा नहीं दिया जाना चाहिए, हम इसके संज्ञान को एक विवाहित महिला के साथ किए गए व्यभिचार तक सीमित रखेंगे, और *[2018] 11* एस. सी. आर. पर विचार करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि नोट क्यू में अंतिम टिप्पणी में बहुत अधिक वजन है।
इस देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में,

इसका सम्मान करते हुए हम केवल पुरुष अपराधी को ही उत्तरदायी बना देंगे।

सजा देने के लिए। हालाँकि, हम पक्षकारों को आरोपित करेंगे।
एक साथ मुकदमे पर व्यभिचार का, और न्यायालय को सशक्त बनाना,

उनके दोषसिद्धि की घटना, तलाक की डिक्री का उच्चारण करने के लिए

उसी समय जब उसके प्रेमी को सजा सुनाई जाती है
कारावास या जुर्माना। मिस्टर लिविंगस्टोन के कोड के अनुसार, महिला

उसके 'वैवाहिक लाभ' को खो देता है, लेकिन अन्य के लिए उत्तरदायी नहीं है

सजा।

हम कर्नल स्लीमन के सुझाव को स्वीकार करेंगे

पुरुष अपराधी को सजा, इसे कारावास तक सीमित करना

सात वर्ष की अनुमति के बजाय पाँच वर्ष से अधिक नहीं

प्रस्तुत करना, और देय जुर्माने के अधिरोपण को मंजूरी देना

पति एक विकल्प के रूप में, या इसके अलावा। *21*

(जोर दिया गया*)*

5.5 . इसी पृष्ठभूमि में धारा *497* को शामिल किया गया था।

आई. पी. सी

सुधार के लिए सवाल

6.1 . जून *1971* में भारत के विधि आयोग की *42* वीं रिपोर्ट *2 2*

आई. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण किया और कई बनाए
महत्वपूर्ण सिफारिशें। अपराध के संबंध में

', विधि आयोग ने सिफारिश की कि
व्यभिचारिणी महिला को अभियोजन के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए,

और सजा को *5* साल से घटाकर *2* साल कर दिया जाए। यह

हालांकि, इसे लागू नहीं किया गया था।

6.2 . अगस्त *1997* में, भारत के विधि आयोग ने अपनी *156* वीं रिपोर्ट में *23*

नोट किया कि धारा *497* के तहत व्यभिचार का अपराध बहुत अधिक है।
व्यभिचार के दुराचार की तुलना में दायरे में सीमित

भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार एक दंड संहिता, *(1838),* द्वितीय

भारतीय दंड संहिता पर रिपोर्ट

42 भारतीय दंड संहिता पर रिपोर्ट, भारतीय विधि आयोग

यहाँ उपलब्ध हैः एचटीटीपीः *//*भारत का विधि आयोग। ठीक है। */ 1-50* रिपोर्ट *42* में। पीडीएफ

156 भारतीय दंड संहिता पर रिपोर्ट *(*खंड। *I),* भारत का विधि आयोग, पृष्ठ *169*

- 172

यहाँ उपलब्ध हैः

एचटीटीपीः *//*भारत का विधि आयोग। ठीक है। */ 101-169* रिपोर्ट *156* वोल में।

पी. डी. एफ. जोसेफ शाइन वी. भारत संघ *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

तलाक *(*दीवानी कार्यवाही*)*। अनुभाग केवल इस पर प्रदान करता है कि पति को व्यभिचारी पुरुष
पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, लेकिन नहीं

पीड़ित पत्नी को मुकदमा चलाने का कोई भी अधिकार प्रदान करें।

व्यभिचारी पति। इसे लागू करने की सिफारिश की गई थी

विवाह में लिंगों के बीच समानता की अवधारणा और व्यभिचार के अपराध को शामिल करने के लिए संशोधन। प्रस्तावित

परिवर्तन महिलाओं की स्थिति के परिवर्तन को दर्शाने के लिए था भारतीय समाज।

हालांकि, सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था।

मार्च *2003* में, भारत सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर मलिमथ समिति का गठन किया गया था।

आपराधिक न्याय प्रणाली। मलिमथ समिति ने बनाया "व्यभिचार" के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाः

" 16.3. 1 एक पुरुष व्यभिचार का अपराध करता है यदि वह पति की सहमति या सहमति के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है। इस धारा का उद्देश्य विवाह की पवित्रता को बनाए रखना है। समाज वैवाहिक बेवफाई का तिरस्कार करता है। इसलिए, विवाहित पुरुष के साथ यौन संबंध रखने वाली पत्नी के साथ इसी तरह का व्यवहार न करने का कोई उचित कारण नहीं है।

16.3. 2 इसलिए समिति का सुझाव है कि आई. पी. सी. की धारा *497* को इस प्रभाव से उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए कि "जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के जीवनसाथी के साथ यौन संबंध बनाता है वह व्यभिचार का दोषी है।"

(जोर दिया गया*)*

मलिमथ समिति की सिफारिशें

धारा *497* के प्रावधान को विधि आयोग को भेजा गया था

जिसने इस मामले को अध्ययन और परीक्षण के लिए लिया। वैसा ही है।

जी विचार।

अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिकापी. सी. की धारा की संवैधानिक वैधता के मुद्दे को संबोधित करने से पहले, यह समीक्षा करना दिलचस्प होगा कि व्यभिचार के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है।

दुनिया भर के क्षेत्राधिकार।

न्यायमूर्ति वी. एस. मलिमथ की अध्यक्षता में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर समिति, गृह मंत्रालय सरकार, *(2003)* में कहा गया हैः *HTTPS: //*एमएचए। गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/क्रिमिनल _ जस्टिस _ सिस्टम।

व्यभिचार को विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। के लिए

उदाहरण के लिए, व्यभिचार के आरोपों के लिए व्यभिचारी संबंध को "खुला और कुख्यात", *25* या बेवफाई के एक से अधिक कार्य की आवश्यकता हो सकती है, या व्यभिचारी और व्यभिचारिणी के बीच सहवास की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह की परिभाषा के लिए बेवफाई की डिग्री पर एक निष्कर्ष की आवश्यकता होगी। *26* अन्य मामलों में, पति-पत्नी व्यभिचार के लिए भी दंडनीय हो सकते हैं। इस तरह का प्रावधान इस बात पर संदेह पैदा करता है कि यह पति-पत्नी और विवाह की संस्था के बीच संबंधों को कैसे सुरक्षित कर सकता है। कुछ क्षेत्राधिकारों में एक अन्य भिन्नता यह है कि व्यभिचार के अपराध का संज्ञान केवल राज्य के कहने पर लिया जाता है, और इसका प्रवर्तन आम तौर पर दुर्लभ है।

7.1 . विभिन्न कानूनी प्रणालियों ने व्यभिचारी आचरण को पर्याप्त पाया है।

किसी प्रकार की आपराधिक मंजूरी को उचित ठहराने के लिए हानिकारक। इस तरह का व्यवहार

एक है, जिसे समाज न केवल अनुमोदित करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके साथ एक आपराधिक लेबल भी संलग्न करता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में, *50* में से *17* राज्य 'व्यभिचार' को राज्य के कानून के तहत एक आपराधिक अपराध के रूप में मानते हैं। *27*

अपराध की विशेषता राज्य से राज्य में भिन्न होती है।

ओलीवर्सोनव के मामले में। वेस्ट वैली सिटी *28*, द

यूटा व्यभिचार क़ानून *9* की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
यह तर्क दिया गया था कि क़ानून निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है

संविधान। अमेरिकी अदालत ने माना कि व्यभिचार एक उल्लंघन है
विवाह के संबंध के खिलाफ जो कानून प्रयास करता है

रक्षा करें। यूटा राज्य की व्यभिचार को रोकने में रुचि थी। क्या आपराधिक मंजूरी का उपयोग करना एक मामला माना जाता था
विशेष रूप से विधानमंडल के दायरे में। विशेष को देखते हुए

25 इलिनोइस आपराधिक संहिता, *720* आई. एल. सी. एस. *5/11-35*, व्यभिचार *"(ए)* एक व्यक्ति व्यभिचार करता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है।

उसका पति या पत्नी, यदि व्यवहार खुला और कुख्यात है।

26 मार्टिन सीगल, बेहतर या बदतर के लिएः व्यभिचार, अपराध और संविधान, *30*

जर्नल ऑफ फैमिली लॉ *45,51-52 (1991)*

27 अभिनव सेखड़ी, द गुड, द बैड एंड द एडल्टरसः आपराधिक कानून और व्यभिचार

भारत में, *10* सामाजिक कानूनी समीक्षा *47 (2014)*

28 875 एफ. सप. *1465* *29* यूटा कोड एन। *76-7-103* , *" (1)* एक विवाहित व्यक्ति व्यभिचार करता है जब वह स्वेच्छा से अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है। *(2)* व्यभिचार बी श्रेणी का अपराध है। जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[इंदु मल्होत्रा, जे.]*

राज्य के हित में, व्यभिचार को वर्गीकृत करना तर्कसंगत माना जाता था अपराध के रूप में।

न्यूयॉर्क राज्य में भी ऐसा ही प्रावधान मौजूद है, जिसमें

व्यभिचार को बी श्रेणी के अपराध के रूप में माना जाता है। *30*

इसके विपरीत, उत्तरी कैरोलिना राज्य में यह था

होब्स बनाम के निर्णय में आयोजित। स्मिथ *3 1*, कि व्यभिचार होना चाहिए

इसे आपराधिक अपराध के रूप में नहीं माना जाएगा। का सर्वोच्च न्यायालय

स्वतंत्रता के लिए सहमति देने वाले वयस्कों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है उनके निजी यौन आचरण के संबंध में निर्णयों का सम्मान। द.

व्यभिचार करने का किसी व्यक्ति का निर्णय एक व्यक्तिगत निर्णय है,

विवाह, परिवार, प्रजनन, गर्भनिरोधक और कामुकता, जो गोपनीयता के क्षेत्र में आते हैं। इस तर्क के बाद

लॉरेंस, उत्तरी कैरोलिना राज्य का सर्वोच्च न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाला राज्य कानून का उल्लंघन करता है

अमेरिकी संविधान में चौदहवाँ संशोधन, और प्रावधान व्यभिचार को अपराध घोषित करना असंवैधानिक घोषित किया गया था।

• कनाडा

कनाडा में, धारा *172* के तहत कनाडा की आपराधिक संहिता

1918-33 में पेश किया गया था, और आपराधिक पर बना हुआ है कोड।

कनाडा की आपराधिक संहिता नैतिकता को खतरे में डालने से रोकती है।

एक घर में बच्चों का जहाँ कोई "व्यभिचार या यौन संबंध में भाग लेता है"

यॉर्क दंड कानून, अनुच्छेद *255.17*-व्यभिचार, "एक व्यक्ति व्यभिचार का दोषी होता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस समय यौन संबंध बनाता है जब उसका जीवित ई होता है, या दूसरे व्यक्ति का जीवित जीवनसाथी होता है। व्यभिचार बी श्रेणी का अपराध है। *5* सी. वी. एस. *5646 (2017) [*उत्तरी कैरोलिना का सुपीरियर कोर्ट*]*

आईएस *558 (2003)*

एन. ए. एल. कोड ऑफ कनाडा, *1985*, धारा *172 ", (1)* प्रत्येक व्यक्ति जो किसी के घर में व्यभिचार या यौन अनैतिकता में भाग लेता है या आदतन शराबीपन या अन्य प्रकार की बुराइयों में लिप्त होता है, और इस तरह बच्चे की नैतिकता को खतरे में डालता है या बच्चे को रहने के लिए एक अयोग्य स्थान प्रदान करता है, एक अभियोग योग्य अपराध का दोषी है और

दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास।

या इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बच्चे" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो है या प्रतीत होता है

अठारह वर्ष की आयु। *"[2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनैतिकता या आदतन शराब या किसी अन्य रूप में लिप्त होना

उप का "।

"शादियों के टूटने" का, और व्यभिचार एक आधार है
उसी को स्थापित करें। *34*

- मलेशिया

मलेशिया में व्यभिचार इस्लामी कानून के तहत एक अपराध के रूप में दंडनीय है।

कानून। तथापि, विधि सुधार *(*विवाह और तलाक*)* अधिनियम,

1976 इसे सभी गैर-मुसलमानों के लिए एक नागरिक गलत बना दिया। के समान

कनाडा में स्थिति, यह अधिनियम व्यभिचार को अनुदान देने का आधार बनाता है

तलाक, क्योंकि यह "विवाह टूटने" का प्रमाण है। *35*

दिलचस्प बात यह है कि यह अधिनियम किसी भी पति या पत्नी को पति या पत्नी होने की अनुमति देता है।

व्यथित पक्ष और व्यभिचारी से हर्जाने का दावा करता है या
व्यभिचारिणी। *36*

*** तलाक अधिनियम, *1968*, "धारा *8 (1)* सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत, पति या पत्नी में से किसी एक या दोनों के आवेदन पर, पति या पत्नी को इस आधार पर तलाक दे सकती है कि उनकी शादी टूट गई है।

2) विवाह का टूटना केवल तभी स्थापित किया जाता है जबः

(अ)

(ख) जिस पति या पत्नी के खिलाफ तलाक की कार्यवाही की जाती है, वह उत्सव मना रहा है।

शादी की,

((i) व्यभिचार किया है, या।

धारा *54 (1) (*क*),* विधि सुधार *(*विवाह और तलाक*)* अधिनियम, *1976*। *[* मलेशिया*]* कहता है, *" 54. (1)* विवाह के टूटने के कारण या कारण के रूप में कथित तथ्यों और परिस्थितियों की अपनी जांच में, अदालत को एक या अधिक मामलों का ध्यान रखना होगा।

निम्नलिखित तथ्य, अर्थात्:

(क) कि प्रत्यर्थी ने व्यभिचार किया है और याचिकाकर्ता इसे असहनीय पाता है

उत्तरदाता के साथ रहने के लिए।

धारा *58,* विधि सुधार *(*विवाह और तलाक*)* अधिनियम, *1976*। *[* मलेशिया*]* राज्यों,

" 58. (1) तलाक के लिए एक याचिका पर जिसमें व्यभिचार का आरोप लगाया गया है, या विवाह के लिए एक पक्ष के जवाब में तलाक के लिए प्रार्थना करने और व्यभिचार का आरोप लगाने पर, पक्षकार कथित व्यभिचारिणी या व्यभिचारिणी को सह-प्रतिवादी बनाएगा, जब तक कि अदालत द्वारा माफ नहीं किया जाता है।

ऐसा करने के लिए विशेष आधार।

(2) उप-धारा *(1)* के तहत एक याचिका में एक प्रार्थना शामिल हो सकती है कि सह-प्रतिवादी

कथित व्यभिचार के संबंध में हर्जाने में दोषी ठहराया गया।

(3) जहां किसी सह-प्रतिवादी के खिलाफ हर्जाने का दावा किया गया है-*(क)* यदि याचिकाकर्ता के लिए साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अदालत की राय है कि सह-प्रतिवादी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है जो उसे जवाब देने की आवश्यकता को उचित ठहरा सके, सह-प्रतिवादी को कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाएगा; या *(*बी*)* यदि, सुनवाई के समापन पर, अदालत का समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी और सह-प्रतिवादी के बीच व्यभिचार

प्रत्यर्थी साबित हो चुका है, न्यायालय याचिकाकर्ता को ऐसे हर्जाने दे सकता है जो वह उचित समझे, लेकिन ताकि पुरस्कार में कोई अनुकरणीय या दंडात्मक तत्व शामिल न हो। जोसेफ शाइन बनाम।

भारत संघ *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

- जापान

जापान में, व्यभिचार के लिए प्रावधान कुछ हद तक समान था
आई. पी. सी. की धारा *497* प्रस्तुत करें। *;* इसने महिला को दंडित किया और

केवल पति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर व्यभिचारी।

यदि व्यभिचार का कार्य की सहमति से किया गया था

पति, अभियोजन के लिए कोई वैध मांग नहीं होगी

अपराध *3 7*। इसके बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया है। *38* व्यभिचार

अब जापान में सिविल कोड के तहत तलाक के लिए केवल एक आधार है। *39*

- दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका में, डी. ई. बनाम के मामले में। आर. एच. *40* संवैधानिक

दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने व्यभिचार को एक आधार के रूप में खारिज कर दिया
पीड़ित व्यक्तियों से मुआवजे की मांग करना। न्यायालय ने ग्रीन बनाम के पूर्व निर्णय पर भरोसा किया।
फिट्जगेराल्ड *1 1* जिसमें यह था

भले ही दक्षिण अफ्रीका में व्यभिचार अक्सर होता था, और तलाक के मामलों की रिपोर्ट दैनिक रूप से
प्रकाशित होती थी दक्षिण अफ्रीका में
समाचार पत्रों, अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया

अपराध।

- तुर्की

तुर्की में, तुर्की के संवैधानिक न्यायालय का निर्णय
1996-43 से एक और उदाहरण है जहाँ न्यायालय ने खारिज कर दिया था

धारा *183*, दंड संहिता, *1907 [*जापान*]*, "जो कोई भी विवाहित महिला के साथ व्यभिचार करता है, उसे दो साल तक की जेल की सजा होगी। यही बात व्यभिचार के दूसरे पक्ष पर भी लागू होती है। इन अपराधों पर केवल पति की मांग पर मुकदमा चलाया जाता है। यदि पति ने व्यभिचार की अनुमति दी है, तो उसकी मांग मान्य नहीं है। *[* जैसा कि कार्ल-फ्रेडरिक लेंज़ द्वारा अनुवादित, *1868* से जापान में कानून का इतिहास, संस्करण। विल्हेम रोहल, ब्रिल द्वारा प्रकाशित, *2005*, पृष्ठ *623* पर*]*

एच. मेयर्स, "जापान के आपराधिक संहिता का संशोधन" वाशिंगटन कानून समीक्षा और राज्य

बार जर्नल, वॉल्यूम। *25 , (1950)* पीपी में। *104-134*

अनुच्छेद *770*, सिविल कोड, *1896*। *[* जापान*]*, अनुच्छेद *770 (1)* केवल निम्नलिखित मदों में बताए गए मामलों में पति या पत्नी तलाक के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं: *((i)* यदि पति या पत्नी ने अनैतिकता का कार्य किया है।

आर. एच. वी. *DE (594/2013) [2014] ZASCA 133 (25* सितंबर *2014) 1914* ईस्वी *88*

आईडी.

अनयासा महकेमेसी, *1996/15; 1996/34 (*सितंबर *23,1996)*

यह भी देखें, अनयासा महाकेमसी, *1998/3; 1998/28 (23* जून, *1998)* और

अनयासा महाकेम्सी, *1997/45*। *1998/48 (16* जुलाई, *1998)*

[2018] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1926 की तुर्की दंड संहिता से एक आपराधिक अपराध के रूप में व्यभिचार का प्रावधान। न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्रावधान था

समानता के अधिकार का उल्लंघन, जैसा कि तुर्की के संविधान द्वारा गारंटी दी गई है क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग व्यवहार करता है

एक ही क्रिया।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया में, व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में कोरिया के संवैधानिक न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो लोकप्रिय है।

26 फरवरी, *2015-44* के व्यभिचार मामले के रूप में जाना जाता है। कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद *241*, जो व्यभिचार के अपराध के लिए प्रावधान करता है, असंवैधानिक था क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद *10* का उल्लंघन करता है, जो व्यक्तित्व के अधिकार, खुशी का पीछा करने के अधिकार और आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देता है। आत्मनिर्णय का अधिकार यौन आत्मनिर्णय के अधिकार को दर्शाता है जो यौन गतिविधियों और भागीदारों को चुनने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद *241* को संविधान के अनुच्छेद *17* के तहत संरक्षित गोपनीयता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए माना गया था क्योंकि यह अंतरंग निजी क्षेत्र से संबंधित यौन जीवन से उत्पन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। भले ही इस प्रावधान का पति-पत्नी के बीच वैवाहिक निष्ठा और एकविवाह को बनाए रखने का एक वैध उद्देश्य था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि यह प्रावधान "साधनों की उपयुक्तता और कम से कम" को प्राप्त करने में विफल रहा।

प्रतिबंधात्मकता "न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"हाल के वर्षों में, कोरियाई समाज की बढ़ती धारणा पारंपरिक परिवार प्रणाली और परिवार के सदस्यों की भूमिका और स्थिति में बदलाव के साथ-साथ विवाह और लिंग के क्षेत्र में बदल गई है।

यौन जीवन पर व्यक्तिवाद और उदार विचार। यौन जीवन और प्रेम एक निजी मामला है, जो आपराधिक सजा के नियंत्रण के अधीन नहीं होना चाहिए। वैवाहिक निष्ठा का उल्लंघन करना अनैतिक होने के बावजूद, इसे आपराधिक कानून द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

..... आपराधिक सजा का प्रयोग अंतिम होना चाहिए।

पर्याप्त कानूनी के खिलाफ स्पष्ट खतरे का सहारा लें रुचियाँ और कम से कम सीमित होनी चाहिए। यह एक मुक्त है

ery केस, *27-1 (A) KCCR 20,26* फरवरी, *2015* जोसेफ शाइन *v.*

भारत संघ *[इंदु मल्होत्रा, जे.]*

संबंध, लेकिन यह कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है जब यह है
व्यक्त किया गया और यह अच्छी यौन संस्कृति के खिलाफ है और

अभ्यास करें। यह यौन स्व के अधिकार का उल्लंघन करेगा।

किसी राज्य के हस्तक्षेप करने के लिए निजता का निर्धारण और

यौन जीवन की सजा जो यौन संबंध के अधीन होनी चाहिए

नैतिकता और सामाजिक व्यवस्थाएँ।

आधुनिक आपराधिक कानून की प्रवृत्ति यह निर्देश देती है कि राज्य

नैतिकता का विरोध। इस प्रवृत्ति के अनुसार,
व्यभिचार अपराधों को समाप्त करने की एक वैश्विक प्रवृत्ति।

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह देखना मुश्किल था कि व्यभिचार का अपराधीकरण अब लोगों की रक्षा करने के सार्वजनिक हित की सेवा कैसे कर सकता है।

दंड व्यभिचार साधनों की उपयुक्तता और कम से कम प्रतिबंध को प्राप्त करने में विफल रहा। चूंकि यह प्रावधान यौन जीवन के निजी और अंतरंग क्षेत्र को आपराधिक रूप से दंडित करके किसी व्यक्ति की यौन स्वायत्तता और गोपनीयता को अत्यधिक प्रतिबंधित करता है, इसलिए कहा जाता है कि उक्त दंडात्मक प्रावधान ने राज्य हित और व्यक्तिगत स्वायत्तता का संतुलन खो दिया है। *8.* भारत में व्यस्कता के लिए पूर्ववर्ती चुनौतीएँ

इस अदालत ने पहले धारा *497* की चुनौतियों पर विचार किया है।

अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि विवादित धारा संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन करती है।

8.1 . यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम। बॉम्बे राज्य, धारा *497* थी

इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह

संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन किया, क्योंकि

पत्नी जो व्यभिचारी पुरुष के साथ समान व्यवहार करती है, दंडनीय नहीं है।

एक "सहायक"। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने लिया

विचार है कि चूंकि धारा *497* लाभ के लिए एक विशेष प्रावधान था

महिलाओं के लिए, इसे अनुच्छेद *15 (3)* द्वारा बचाया गया था जो एक सक्षम है

सुरक्षात्मक भेदभाव का प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूसुफ अज़ीज़ *(ऊपर)* में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि दोनों अनुच्छेद *14* और

15 धारा *497* को एक साथ पढ़ें।

बाद में, सौमित्र विष्णु बनाम। भारत संघ और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारा *497* को चुनौती दी

किए गए वर्गीकरण में अनुचित और मनमाना होना पुरुषों और महिलाओं के बीच, महिलाओं को अनुचित रूप से अधिकार से वंचित किया गया

धारा *497* के तहत अपने पति पर मुकदमा चलाना।

यह तर्क दिया गया कि धारा *497* केवल एक अधिकार प्रदान करती है

व्यभिचारिणी महिला के पति पर मुकदमा चलाने के लिए

व्यभिचारी; हालाँकि, व्यभिचारी पुरुष की पत्नी को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने उसमें प्रस्तुत किया कि धारा

497 लैंगिक भेदभाव का घोर उल्लंघन था महिलाएँ। अदालत ने राय दी कि चुनौती का कोई कानूनी आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि तर्क वास्तव में परिभाषा पर केंद्रित था, जिसे दोनों को दंडित करने के लिए फिर से डालने की आवश्यकता थी

भारत के विधि आयोग की *42* वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि धारा *497* को बनाए रखने की वांछनीयता पर दो राय थीं। हालाँकि इसने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि धारा *497* को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि इसे हटाना वांछनीय होगा।

यह क़ानून की किताबों से है।

अदालत ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि यह वह व्यक्ति है जो 'बहकाने वाला' है, न कि

वर्षों से कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यह विधायिका को विचार करना है कि क्या धारा *497* को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। ताकि समाज में हुए 'परिवर्तन' पर ध्यान दिया जा सके।

वी. रेवती बनाम। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा *497*, आई. पी. सी. और आई. डी. *1* की धारा *198 (2)* की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि

कानून पति पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है या नहीं

विश्वासघाती पत्नी, एक पत्नी को अपने विश्वासघाती पति पर मुकदमा चलाने से कानूनी रूप से अक्षम नहीं किया जा सकता है। धारा *198 (2) Cr.P.C.* एक बंधन के रूप में कार्य करती है।

0 पूरक एस. सी. सी. *137*

0 2 एस. सी. सी. *72* जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[इंदु मल्होत्रा, जे.]*

अपने व्यभिचारी पति पर मुकदमा चलाने में पत्नी पर। इसलिए, प्रासंगिक प्रावधान अप्रिय के आधार पर असंवैधानिक है।

भेदभाव।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा *497* आई. पी. सी. और धारा *198 (2)* एक साथ एक विधायी पैकेज बनाते हैं। मूल रूप से,

पहला मूल है, और दूसरा काफी हद तक प्रक्रियात्मक है। इन प्रावधानों के तहत महिलाओं को न तो अधिकार है

मुकदमा चलाएँ, जैसा कि एक पत्नी के मामले में जिसके पति के पास व्यभिचार है

किसी अन्य महिला के साथ संबंध; और न ही उन पर समान अपराध के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

रेवती *(ऊपर)* में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया विचार, कि एक व्यभिचारी पति की पत्नी के उस पर या उसके प्रेमी पर मुकदमा करने के अधिकार का अभाव, पति की अपनी व्यभिचारी पत्नी पर व्यभिचार के लिए मुकदमा चलाने में असमर्थता से अच्छी तरह से संतुलित था, को कायम नहीं रखा जा सकता है। अपने पति और उसके प्रेमी पर मुकदमा चलाने में पत्नी की असमर्थता, पति की क्षमता के बराबर होनी चाहिए उसकी पत्नी के प्रेमी पर मुकदमा चलाएँ।

9. वर्तमान मामले में धारा *497* की संवैधानिकता है -

(घ) याचिकाकर्ताओं द्वारा इस विशिष्ट आधार पर कि धारा *497* अनुच्छेद *14,15* और *21* के अंतर्गत आती है।

श्री कलीश्वरम राज की ओर से उपस्थित विद्वान वकील याचिकाकर्ताओं और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ

हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील ने अन्य बातों में कहा कि धारा *497* केवल लिंग पर किए गए वर्गीकरण के आधार पर व्यभिचार को अपराध मानती है। इस तरह के वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है और इसलिए यह भेदभावपूर्ण है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि धारा *497* अनुच्छेद का उल्लंघन करती है।

14 कानून के समक्ष समान व्यवहार की आवश्यकता और

वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करता है। यह एक महिला को रोकता है

आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से। इसके अलावा, महिला की सहमति अपराध के लिए अप्रासंगिक है। रिलायंस को इस संबंध में डब्ल्यू. कल्याणी बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया था। राज्य *48.*

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पत्नी की सदियों पुरानी अवधारणा उसके पति की संपत्ति है, जो आसानी से उसका शिकार हो सकती है।

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रलोभन, अब एक तर्कसंगत के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है

धारा *497* के तहत किए गए वर्गीकरण के लिए आधार।

एक तर्क दिया गया था कि धारा *497* के तहत महिलाओं को दिया गया 'संरक्षण' न केवल उनकी यौन स्वायत्तता की कमी को उजागर करता है, बल्कि इस तरह के यौन उत्पीड़न के सामाजिक नतीजों की भी अनदेखी करता है। अपराध।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आई. पी. सी. की धारा *497* अनुच्छेद *21* के तहत निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

क्योंकि एक ऐसे साथी का चुनाव जिसके साथ वह अंतरंग हो सकती है, पूरी तरह से किसी व्यक्ति की स्वायत्तता के क्षेत्र में आता है।

कामुकता। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैवाहिक संबंध के बाहर यौन संभोग में संलग्न होने का एक निरंकुश अधिकार *(*चाहे वह विवाहित हो या नहीं; चाहे वह पुरुष हो या महिला*)* है।

इन मामलों में राज्य के हस्तक्षेप से संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं ने के. एस. पुट्टास्वामी बनाम के निर्णय पर भरोसा रखा। भारत संघ, जिसमें इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार मानव व्यक्तित्व के अलंघनीय पहलू हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"169. ..... व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। लेकिन यह उसे दिए गए संवैधानिक संरक्षण से विचलित नहीं करता है, एक बार गोपनीयता की वास्तविक प्रकृति और इसकी

उन मौलिक अधिकारों के साथ संबंध जो हैं स्पष्ट रूप से संरक्षित समझा जाता है। गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है। समानता की गारंटी

मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। यह रोकता है

व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से राज्य। द.

एससीसी ऑनलाइन एससी *343 (10* एससीसी *1* जोसेफ शाइन बनाम।

भारत का संघ

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान की स्थिति द्वारा विनाश चाहे शरीर का हो या मन का, इसका उल्लंघन है

मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी।

(जोर दिया गया*)*

याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं ने हड़ताल के लिए प्रार्थना की है

आई. पी. सी. की धारा *479* और आई. डी. *1* की धारा *198 (2)* को असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण, अवैध, मनमाना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। दूसरी ओर, सुश्री पिंकी आनंद, विद्वान ए. एस. जी. ने जबरदस्ती प्रस्तुत किया कि आई. पी. सी. में व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर अपना तर्क आधारित किया कि व्यभिचार परिवार को तोड़ने का प्रभाव डालता है जो समाज में मौलिक इकाई है। विवाह में व्यभिचार निस्संदेह नैतिक रूप से घृणित है, और बैटरी या हमले के अपराधों से कम अपराध नहीं है। व्यक्तियों को ऐसे आचरण में शामिल होने से रोककर जो वैवाहिक संबंध के लिए संभावित रूप से हानिकारक है, धारा *497* विवाह की संस्था की रक्षा कर रही है, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे रही है।

उत्तरदाताओं का कहना है कि एक ऐसा कार्य जो क्रोधित करता है

समाज की नैतिकता और उसके सदस्यों को नुकसान पहुँचाने वालों को अपराध के रूप में दंडित किया जाना चाहिए। व्यभिचार पूरी तरह से इस परिभाषा के अंतर्गत आता है।

विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा कि व्यभिचार एक अपराध नहीं है।

ऐसा कार्य जो केवल दो लोगों को प्रभावित करता है; इसका पीड़ित जीवनसाथी, बच्चों के साथ-साथ समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। वैवाहिक बंधन का कोई भी अपमान बड़े पैमाने पर समाज का अपमान है। व्यभिचार का कार्य पति या पत्नी के वैवाहिक अधिकारों को प्रभावित करता है, और पर्याप्त मानसिक चोट का कारण बनता है।

व्यभिचार अनिवार्य रूप से एक बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा है।

पूरे ज्ञान और इरादे के साथ, परिवार पर जो समाज की मूल इकाई है।

भारत संघ की ओर से यह तर्क दिया गया था कि धारा

497 सकारात्मक कार्रवाई के आधार पर वैध है। महिलाओं के पक्ष में सभी भेदभाव को अनुच्छेद *15 (3)* द्वारा बचाया गया है, और इसलिए उन्हें सजा से छूट दी गई थी। इसके अलावा, एक कम समावेशी परिभाषा

आवश्यक रूप से भेदभावपूर्ण नहीं है। यह तर्क कि धारा *497* उन उदाहरणों के लिए जिम्मेदार नहीं है जहां पति यौन संबंध रखता है *[2018] 11* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसकी शादी के बाहर के संबंध इसे असंवैधानिक नहीं बनाते।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पारिवारिक जीवन की पवित्रता, और

विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार हैं जिन्हें समझा जाता है

अनुच्छेद *21* के तहत जीवन का अधिकार। एक बाहरी व्यक्ति जो उल्लंघन करता है और

इन अधिकारों को नुकसान पहुँचाने वालों को आपराधिक कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

अंत में यह सुझाव दिया गया कि यदि यह न्यायालय इस धारा के किसी भी हिस्से को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला पाता है, तो न्यायालय

उस भाग को पढ़ा जाना चाहिए, जहाँ तक कि यह संविधान का उल्लंघन करता है, लेकिन प्रावधान को बनाए रखना चाहिए।

ज्ञान और विश्लेषण

धारा *497* एक पूर्व-संवैधानिक कानून है जिसे *1860* में अधिनियमित किया गया था। में संवैधानिकता का कोई अनुमान नहीं होगा

विदेशी विधायिका द्वारा निर्मित पूर्व-संवैधानिक कानून *(*धारा *497* की तरह*)*। प्रावधान का परीक्षण किया जाना चाहिए संविधान का भाग *III*।

आई. पी. सी. की धारा *497* को आई. पी. सी. के अध्याय *XX* के तहत रखा गया है।

"विवाह से संबंधित अपराध "।

धारा *497* का प्रावधान विसंगतियों से भरा हुआ है और

विसंगतियाँ, जैसे कि:

धारा *497* के तहत, यह केवल पुरुष-प्रेमी है जो

आई.

व्यभिचार के अपराध के लिए दंडनीय। जो स्त्री व्यभिचारी पुरुष के साथ समान रूप से अपराध करती है, वह दंडनीय नहीं है, यहाँ तक कि

एक 'उत्प्रेरक' के रूप में।
व्यभिचारिणी महिला को केवल लिंग के आधार पर बाहर रखा गया है, और उस पर व्यभिचार के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

ii.

यह धारा केवल पति को मुकदमा चलाने का अधिकार देती है।
व्यभिचारी पत्नी की। दूसरी ओर, व्यभिचारी पुरुष की पत्नी को अपने पति पर मुकदमा चलाने का कोई समान अधिकार नहीं है

या उसका प्रेमी।

111 . Cr.P.C की धारा *198 (2)* के साथ पठित धारा *497* आई. पी. सी. केवल विवाहित पत्नी के पीड़ित पति को सशक्त बनाती है।

जिसने व्यभिचार के अपराध के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए व्यभिचार संबंध में प्रवेश किया है।

यानि वी. राज्य, *(2012) 1* एस. सी. सी. *358;* पैरा *10* पर।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

एक विवाहित पुरुष का यौन संभोग में शामिल होने का कार्य

iv.

एक अविवाहित या तलाकशुदा महिला के साथ, गठन नहीं करता है

'धारा *497* के तहत 'व्यभिचार'।

अगर एक आदमी और एक विवाहित के बीच व्यभिचार संबंध

वी.

ओमान, की सहमति और मिलीभगत के साथ होता है

उसके पति, यह व्यभिचार का अपराध नहीं होगा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा *497* में विसंगतियां और विसंगतियां इस प्रावधान को मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के आधार पर निरस्त करने के लिए उत्तरदायी बना देंगी।

12. धारा *497* की संवैधानिक वैधता का परीक्षण संविधान के अनुच्छेद *14* के आधार पर किया जाना चाहिए।

. कोई भी कानून जो समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करता है, या एकल लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है, संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है, जो मनमानेपन और भेदभाव के खिलाफ स्तंभ बनाते हैं।

. अनुच्छेद *14* वर्ग विधान को मना करता है; हालाँकि, यह उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। एक उचित वर्गीकरण की अनुमति है।

यदि दो शर्तें पूरी होती हैं:

आई. वर्गीकरण एक 'समझदार' के आधार पर किया जाता है।

विभेदक 'जो व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो एक साथ समूहीकृत हैं, और उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है

समूह; और

उक्त बोधगम्य अंतर का एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

ii.

कानूनी प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ।

धारा *497* में भेदभावपूर्ण प्रावधान होना चाहिए

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई थी।
सहमति से दो वयस्कों द्वारा किए गए व्यभिचार के अपराध के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

हिनैयाहव। ए. पी. राज्य, *(2005) 1* एस. सी. सी. *394 (*संविधान के अनुच्छेद *14* के उल्लंघन के आधार पर एक विधान उत्तरदायी चुनौती नहीं हो सकता है यदि -आयन अनुच्छेद *15* और *16* को प्रभावी बनाना है या जब विभेदन समीचीन या मनमाना नहीं है*)*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल लिंग के आधार पर क्योंकि इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है

उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई।

आई. पी. सी. की धारा *497* दो वर्गीकरण करती है:

आई. पहला वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि किसके पास अधिकार है

मुकदमा चलाएँ:

यह केवल विवाहित महिला का पति है जो

व्यभिचार में लिप्त होना, पीड़ित व्यक्ति माना जाता है

व्यभिचार के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया।

इसके विपरीत, एक विवाहित महिला जो उसकी पत्नी है

व्यभिचारी पुरुष को अपने पति पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है,

या उसका प्रेमी।

ii. दूसरा वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यभिचार करने के लिए केवल व्यभिचारी पुरुष पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है, और व्यभिचारी महिला पर नहीं, भले ही संबंध सहमति से हो; व्यभिचारी महिला को अपराध के लिए "उत्प्रेरक" भी नहीं माना जाता है।

उपरोक्त वर्गीकरण ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित थे।

1860 में जब आई. पी. सी. लागू किया गया था। उस समय, महिलाओं को अपने पतियों से स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं था, और उन्हें अपने पतियों की संपत्ति या 'संपत्ति' के रूप में माना जाता था।

इसलिए, व्यभिचार के अपराध को पति को चोट के रूप में माना जाता था, क्योंकि इसे उसकी संपत्ति की 'चोरी' माना जाता था।

जिसके लिए वह अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ सकता था।

उक्त वर्गीकरण नोलॉन्गर प्रासंगिक या वैध है, और अनुच्छेद *14* की कसौटी का सामना नहीं कर सकता है, और इसलिए अकेले इस आधार पर रद्द किया जा सकता है।

. एक कानून जो महिलाओं को मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है, लिंग-तटस्थ नहीं है। धारा *497* के तहत व्यभिचारी पुरुष की पत्नी अपने पति पर वैवाहिक बेवफाई का मुकदमा नहीं चला सकती है।

महिलाएँ, और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन। धारा *497* जैसा कि आज है, अनुच्छेद *14* के विवेकपूर्ण प्रकाश के खिलाफ छाया में नहीं छिप सकती है जो कुछ भी अनुचित, भेदभावपूर्ण और मनमाना है।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[इंदु मल्होत्रा, जे.]*

13. एक कानून जिसे इसके अधिनियमन के समय समय के साथ उचित ठहराया जा सकता था, वह पुराना और पुराना हो सकता है।

समाज के विकास और बदली हुई परिस्थितियों के साथ भेदभावपूर्ण। *53* जो कभी एक पूरी तरह से वैध कानून रहा होगा जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाओं की रक्षा करना था, जिसमें इसे डेढ़ सदी से अधिक समय बीतने के साथ बनाया गया था, वह अप्रचलित हो सकता है और

एक प्रावधान जिसे पहले असंवैधानिक नहीं माना जाता था, उसे लैंगिक समानता सहित समाज में बाद के विकास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। *54* आई. पी. सी. की धारा *497* को ऐतिहासिक संदर्भ में तैयार किया गया था कि *1860* के दशक के दौरान इस देश में महिलाओं की दुर्दशा के कारण पत्नी की बेवफाई को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जब महिलाओं की शादी हुई थी

वे अभी भी बच्चे थे, और अक्सर कम उम्र में ही उपेक्षित रहते थे, कई प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक पति का ध्यान साझा करते थे। *55* यह स्थिति प्रावधान बनाए जाने के *155* साल बाद भी सही नहीं है। समय के साथ, शिक्षा, नागरिक-राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में विकास,

स्थिति में भारी बदलाव आया है। जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में धारा *497* बनाई गई थी, वह अब समकालीन समाज में प्रासंगिक नहीं है।

इस आधार पर आगे बढ़ना अवास्तविक होगा कि सहमति से यौन संबंध में भी, एक विवाहित महिला, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से किसी अन्य विवाहित पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, एक 'पीड़ित' है, और पुरुष अपराधी 'प्रलोभक' है।

धारा *497* पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से मानने में विफल रहती है।

समाज में स्वायत्त व्यक्ति।

अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन। भारत के, *56* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 20. शुरू में ही हम चर्चा की रूपरेखा को परिभाषित करना चाहते हैं जो आगे बढ़ने वाली है। सबसे पहले, राज्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी यह उन अधिकारों के समान वर्ग में नहीं आता है जो संघर्ष में आते हैं।

आन्टोलॉजिकली के साथ। दूसरा, हाथ में कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है

53 मोटर जनरल ट्रेडर्स बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य *(1984) 1* एस. सी. सी. *222;*

रतन आर्य बनाम को भी देखें। तमिलनाडु राज्य *(1986) 3* एस. सी. सी. *385*

54 जॉन वल्लामट्टोमव। भारत संघ, *(2003) 6* एस. सी. सी. *611* *55* ' भारतीय विधि आयुक्तों द्वारा तैयार एक दंड संहिता, *(1838),* नोट्स ऑफ लॉर्ड

थॉमस बैबिंगटन मैकाले, नोट क्यू

56 (2008) 3 एससीसी *1 [2018] 11* एस. सी. आर.

स्पिलओवर। व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के अधिकार इससे परे हैं।

इस युग में संदेह। अगर हम नारीवादी न्यायशास्त्र के साथ-साथ पहचान की राजनीति पर भी विचार करें, तो यह स्पष्ट है कि समय आ गया है।

ऐसा हुआ है कि हम धारा *30* के तहत निहित विषय को छोड़ देते हैं। और तीसरा, हम अपना ध्यान आत्मनिर्णय के सिद्धांतों और व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों की परस्पर क्रिया पर भी केंद्रित करेंगे।

26. जब कोई भेदभाव करने की मांग की जाती है

वर्गीकरण का कथित आधार, इस तरह का वर्गीकरण आवश्यक है

एक तर्कसंगत मानदंड पर आधारित होना। मानदंड जिसमें

किसी भी संवैधानिक प्रावधान का अभाव और, यह वहन करेगा

सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य को दोहराना

जैसा कि वे *20* वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रचलित थे, एक तर्कसंगत नहीं हो सकता है

आतिथ्य क्षेत्र सामान्य रूप से महिलाओं के लिए खुला नहीं था। में
पिछले *60* वर्षों में भारत में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में प्रवेश मिला है

सार्वजनिक जीवन। वे लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं

जमीनी स्तर का लोकतंत्र। वे अब चालकों के रूप में कार्यरत हैं

भारी परिवहन वाहन, सेवा डिब्बों के संचालक,

पायलट आदि। अल। .....

" "

(जोर दिया गया*)*

वह समय जब पत्नियाँ कानून के लिए अदृश्य थीं, और में रहती थीं

उनके पतियों की छाया, लंबे समय से चली गई है। एक ऐसा कानून जो संबंधों में इस तरह के रूढ़िवादी रूपों को कायम रखता है, और संस्थागत बनाता है

भेदभाव संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इसलिए धारा *497* को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

1860 में बनाई गई आई. पी. सी. की संविधि पुस्तक में बनी रहेगी।

14. संविधान का अनुच्छेद *15 (3)* एक सक्षम प्रावधान है जो

राज्य को इस वर्ग के नागरिकों की रक्षा और उत्थान के लिए महिलाओं और बच्चों के पक्ष में लाभकारी कानून बनाने की अनुमति देता है।

धारा *497* व्यभिचार के अपराध के लिए एक दंडात्मक प्रावधान है।

जो दो वयस्कों के बीच सहमति से किया जाता है जो वैवाहिक बंधन से भटक गए हैं। इस तरह के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद *15 (3)* के तहत आने वाला लाभकारी कानून नहीं माना जा सकता है।

जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *[इंदु मल्होत्रा, जे.]*

सकारात्मक कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य महिलाओं का उत्थान करना है और

उन्हें सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सशक्त बनाना। एक कानून जो महिलाओं के मुकदमा चलाने के अधिकारों को छीन लेता है, उसे 'लाभकारी कानून' नहीं कहा जा सकता है।

यह न्यायालय थोटा शेषरथम्मा और अन्न में है। वी. थोटा

एलआरएस द्वारा माणिक्यम्मा *(मृत)*। और *Ors.57* ने माना किः

"कला. *15 (3)* कला की कठोरता से मुक्ति मिलती है। *15 (1)* और शुल्क

राज्य महिलाओं के सामाजिक कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करेगा

आर्थिक समानता। एक तथ्य के रूप में कला। *15 (3)* एक अग्रणी धावक के रूप में

सामान्य संहिता सामाजिक समझौते के लिए कानून बनाने के लिए सक्रिय है

भारत की प्रत्येक महिला नागरिक के लिए आर्थिक समानता,

धर्म, नस्ल, जाति या धर्म की परवाह किए बिना "।

डब्ल्यू. कल्याणी बनाम। राज्य *58* इस न्यायालय ने लैंगिक पूर्वाग्रह को मान्यता दी है

धारा *497* में। कल्याणी *(ऊपर)* में अदालत ने कहा कि "इस प्रावधान की वर्तमान में कुछ हलकों से आलोचना की जा रही है। इसके लिए लैंगिक पूर्वाग्रह एक विवाहित महिला की स्थिति को लगभग उसके पति की संपत्ति बनाता है।

अनुच्छेद *15 (3)* का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक समानता को आगे बढ़ाना है।

मकसद.

महिलाओं की। यह विशेष वर्गों के लिए विशेष कानून की अनुमति देता है। हालांकि, अनुच्छेद *15 (3)* दंडात्मक परिणाम वाले अपराध से छूट के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम नहीं कर सकता है।

एक धारा जो महिलाओं के उत्पीड़न को कायम रखती है, वह अस्थिर है

कानून में, और सुरक्षात्मक भेदभाव की आड़ में नहीं ले सकते।

15. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि गोपनीयता का अधिकार

अनुच्छेद *21* में दो वयस्कों को विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने का अधिकार शामिल होगा।

हालाँकि, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है; यह वैध सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

शामिल है।

यह सच है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएँ कठिन हैं

काली और सफेद रंग में पहचानी गई; हालाँकि, ऐसी स्वतंत्रता को सार्वजनिक हित को समायोजित करना चाहिए। विवाह के बाहर किसी विवाहित व्यक्ति द्वारा सहमति से यौन संबंध बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद *21* के तहत संरक्षण की गारंटी नहीं देती है।

57 (1991) 4 एस. सी. सी. *312* *58 (2012) 1* एससीसी *358 [2018] 11* एस. सी. आर.

अनुच्छेद *21* के संदर्भ में, राज्य द्वारा गोपनीयता पर आक्रमण को एक ऐसे कानून के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो उचित और वैध हो। इस तरह के आक्रमण को तीन गुना आवश्यकता को पूरा करना चाहिए जैसा कि न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और अन्र में निर्धारित किया गया है। वी. यू. ओ. आई. और एन. आर. *(ऊपर): (i)* वैधता, जो कानून के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करती है*; (ii)* आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य हित के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, और *(iii)* आनुपातिकता, जो उद्देश्य और अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है। धारा *497*, जैसा कि आज भी है, तीन गुना आवश्यकता को पूरा करने में विफल रही है, और इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

16. मुद्दा यह बना हुआ है कि क्या *'*व्यभिचार*'* को आपराधिक प्रतिबंधों के अधीन दंडात्मक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, या वैवाहिक गलत जो है

तलाक के लिए एक वैध आधार।

16.1 . एक दृष्टिकोण यह है कि परिवार समाज में मौलिक इकाई होने के नाते, यदि इसे बाधित किया जाता है, तो यह स्थिरता और प्रगति को प्रभावित करेगा। इसलिए, राज्य का संरक्षण में एक वैध सार्वजनिक हित है

विवाह संस्था।

हालांकि व्यभिचार दो सहमति वाले वयस्कों द्वारा निजी तौर पर किया गया कार्य हो सकता है, फिर भी यह पीड़ित-कम अपराध नहीं है। यह विवाह की पवित्रता और जीवनसाथी के अपने साथी की वैवाहिक निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह समाज को प्रभावित करता है क्योंकि यह परिवार की मूल इकाई को तोड़ता है, जिससे न केवल व्यभिचारिणी और व्यभिचारिणी के जीवनसाथी को नुकसान होता है, बल्कि यह बच्चों, परिवार और सामान्य रूप से समाज के विकास और कल्याण को भी प्रभावित करता है।

पूरे इतिहास में, राज्य ने लंबे समय से विवाह की संस्था में विनियमन के क्षेत्र को बनाए रखा है। राज्य ने विवाह की संस्था के विभिन्न पहलुओं को विनियमित किया है, यह निर्धारित करके कि एक वयस्क विवाह में कब प्रवेश कर सकता है; यह कानूनी अनुदान देता है।
विवाह को मान्यता; यह विरासत और उत्तराधिकार के संबंध में अधिकार पैदा करता है; यह न्यायिक अलगाव, गुजारा भत्ता, वैवाहिक अधिकारों की बहाली जैसे उपचार प्रदान करता है; यह सरोगेसी को नियंत्रित करता है,

गोद लेना, बच्चे की अभिरक्षा, संरक्षकता, विभाजन, माता-पिता की जिम्मेदारी; बच्चे की संरक्षकता और कल्याण। ये हैं।

निजी हित के सभी क्षेत्र जिनमें राज्य का वैध हित है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो समाज और जनता से संबंधित हैं।

अच्छी तरह से-एक पूरे के रूप में होना।
व्यभिचार का प्रभाव न केवल दो सहमति वाले वयस्कों के बीच विवाह को खतरे में डालने का है, बल्कि विकास जोसेफ शाइन वी को भी प्रभावित करता है।

भारत संघ *[इंदु मल्होत्रा, जे.]*

और बच्चों का नैतिक फाइबर। अतः राज्य के पास एक वैध

इसे आपराधिक अपराध बनाने में जनहित।

. इसके विपरीत दृष्टिकोण यह है कि व्यभिचार एक वैवाहिक गलत है, जिसे होना चाहिए।

केवल नागरिक परिणाम होते हैं। अपराधी के साथ दंडनीय गलत

प्रतिबंध, समग्र रूप से समाज के खिलाफ एक सार्वजनिक गलत होना चाहिए,

और न केवल एक व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ किया गया कार्य।

एक निश्चित आचरण को अपराधी बनाना यह घोषणा करना है कि यह एक

सार्वजनिक गलती जो सार्वजनिक निंदा और वारंट को उचित ठहराएगी

इस तरह के नुकसान और गलत काम के खिलाफ आपराधिक सजा का उपयोग।

किसी व्यक्ति की अपनी पसंद चुनने की स्वायत्तता।

सबसे अंतरंग स्थानों में उसकी कामुकता के संबंध में

जीवन, आपराधिक के माध्यम से सार्वजनिक निंदा से संरक्षित किया जाना चाहिए

मंजूरी। इस तरह के निर्णय लेने के लिए व्यक्ति की स्वायत्तता,

जो विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत हैं, किसी भी हस्तक्षेप के लिए प्रतिकूल होंगे

राज्य द्वारा कथित रूप से 'सर्वोत्तम हित' में कार्रवाई करने के लिए

व्यक्ति को।

एंड्रयू एशवर्थ और जेरेमी हॉर्डर अपनी कमेंट्री में

'आपराधिक कानून के सिद्धांत' शीर्षक से *59* ने कहा है कि

अपराधीकरण का पारंपरिक प्रारंभिक बिंदु 'हानि सिद्धांत' है।

जिसका सार यह है कि राज्य को अपराधी बनाने में उचित माना जाता है

एक ऐसा आचरण जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। लेखकों का मानना है कि अपराधीकरण के लिए तीन तत्व हैंः *((i)* हानि, *(ii)* गलत

करना, और *(iii)* सार्वजनिक तत्व, जिन्हें साबित करना आवश्यक है।

इससे पहले कि राज्य किसी गलत कार्य को आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत कर सके। जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि "एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए शक्ति है

सभ्य सदस्य पर उचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है

उसकी इच्छा के खिलाफ समुदाय दूसरों को नुकसान पहुँचाने से रोकना है। *60*

दूसरा महत्वपूर्ण तत्व गलत है। एंड्रयू

सिमेस्टर और एंड्रियास वॉन हिर्श का मानना है कि एक आवश्यक पूर्व

अपराधीकरण की आवश्यकता यह है कि आचरण एक नैतिक के बराबर है

गलत है। *61* कि भले ही यौन बेवफाई नैतिक रूप से गलत हो सकती है

आचरण, यह अपराधीकरण के लिए पर्याप्त शर्त नहीं हो सकती है

एक ही।

डी यूनिवर्सिटी प्रेस, *(7* वीं संस्करण*)* मई *2013*

जॉन एस., अध्याय *1:* परिचयात्मक, ऑन लिबर्टी, लंदन में प्रकाशितः लॉन्गमैन, आर. टी. एस., एंड ग्रीन कं. *1869*, चौथा संस्करण।मेस्टर और एंड्रियास वॉन हिर्श, अपराध, नुकसान और गलतियाँः सिद्धांतों पर

इमिनलाइजेशन, ऑक्सफोर्डः हार्ट पब्लिशिंग *(2011)*

17. मेरे विचार में, आपराधिक मंजूरी को उचित ठहराया जा सकता है जहां

गलत में एक सार्वजनिक तत्व, जैसे कि राज्य सुरक्षा के खिलाफ अपराध,

और इसी तरह। ये सार्वजनिक गलतियाँ हैं जहाँ पीड़ित व्यक्ति नहीं है, बल्कि समग्र रूप से समुदाय है।

व्यभिचार निःसंदिग्ध रूप से पति या पत्नी के लिए एक नैतिक गलती है।

परिवार। मुद्दा यह है कि क्या समाज को आपराधिक कानून के दायरे में लाने के लिए सामान्य रूप से गलत होने का पर्याप्त तत्व है*?*

सार्वजनिक निंदा का तत्व, दंड के साथ अपराधी का दौरा करना

परिणाम और व्यक्तिगत अधिकारों पर हावी होना तभी उचित होगा जब समाज इस तरह के आचरण से सीधे प्रभावित हो। वास्तव में, एक अधिक मजबूत औचित्य की आवश्यकता होती है जहां एक अपराध के साथ दंडनीय है

कारावास।

राज्य को अपराधीकरण में न्यूनतम दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

व्यक्तिगत चयन करने के लिए व्यक्ति की स्वायत्तता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपराध।

गरिमा के साथ जीने के अधिकार में अधीन न होने का अधिकार शामिल है।

जहां बिल्कुल आवश्यक हो, उसे छोड़कर राज्य द्वारा सार्वजनिक निंदा और सजा। यह निर्धारित करने के लिए कि किस आचरण के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है

आपराधिक मंजूरी के माध्यम से, राज्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या नागरिक उपचार उद्देश्य को पूरा करेगा। जहाँ एक गलत कार्य के लिए एक नागरिक उपचार है

पर्याप्त है, यह राज्य द्वारा आपराधिक मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता है।

18. उपरोक्त चर्चा और धारा में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए

497 , जैसा कि ऊपर पैरा *11* में बताया गया है, यह घोषित किया गया है किः

(i) धारा *497* को असंवैधानिक होने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *21*।

(ii) Cr.P.C.which की धारा *198 (2)* में इसके लिए प्रक्रिया शामिल है -

आई. पी. सी. के अध्याय *XX* के तहत अभियोजन होगा

असंवैधानिक केवल इस हद तक कि यह अपराध पर लागू होता है
धारा *497* के तहत व्यभिचार।

(iii) सौमित्र विष्णु *(ऊपर)*, वी. रेवती *(ऊपर)* में निर्णय

और डब्ल्यू. कल्याणी *(ऊपर)* इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है।

कल्पना के. त्रिपाठी

लिखित याचिका की अनुमति दी गई।